मध्यप्रदेश विधान सभा

प्रश्नोत्तर-सूची

फरवरी-मार्च, 2015 सत्र

गुरुवार, दिनांक 12 मार्च 2015

स्थायी आदेश 13-क के अनुसरण में अतारांकित प्रश्नोत्तर के रुप में परिवर्तित तारांकित प्रश्नोत्तर

<u>म.प्र. सिविल सेवा की शर्तें नियम 1961 का उल्लघंन कर संविदा नियुक्ति दी जाना</u>

1. (क्र. 61) श्री मुकेश नायक : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र दिनांक 03 सितम्बर 2011 के प्रावधानुसार संविदा नियुक्ति के प्रकरणों की छानबीन समिति जिसके अध्यक्ष, प्रमुख सचिव सामान्य प्रशासन विभाग है इन्हें श्री एम.जी. चौबे, प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग की संविदा नियुक्ति का प्रस्ताव वर्ष 2010 से प्रश्न दिनांक तक प्राप्त हुए थे ? उनकी प्रति बतायें (प्रत्येक वर्ष की अलग-अलग) ? (ख) संक्षेपिका में जलसंसाधन विभाग द्वारा क्या इस बात का समावेश भी किया गया था कि संबंधित अधिकारी का विकल्प ढूंढने का हर संभव प्रयास किया गया, किंतु उपयुक्त विकल्प उपलब्ध न हो पाने के कारण इनकी संविदा नियुक्ति का प्रस्ताव है ? यदि हाँ, तो इसका क्या-क्या प्रमाण विभाग ने दिया था प्रति बतायें ? (ग) संविदा नियुक्ति की मूल नीति है कि (1) जहाँ संबंधित अधिकारी का पद बने रहना शासन के तात्कालिक हित में हो, अथवा (2) उस व्यक्ति द्वारा किया जा रहा कार्य ऐसे स्वरूप का हो कि फिलहाल उस कार्य को करने के लिये विभाग के पास तात्कालिक विकल्प न उपलब्ध हो और (3) ऐसे पद जो पदोन्नति से भरे जाते है उस पद पर पदोन्नति की पात्रता रखने वाले अधिकारी उपलब्ध है तो इस पद पर संविदा नियुक्ति नहीं दी जायेगी । उक्त मूल नीति के विरूद्ध श्री एम.जी. चौबे का प्रकरण किस आधार पर छानबीन समिति के समक्ष रखा गया, क्या समिति को इस तथ्य की जानकारी नहीं दी गयी कि श्री चौबे 2 बार निलंबित भी किये गये थे यदि हाँ, तो अनियमितता के लिए कौन जिम्मेदार है ? (घ) क्या फिडर चैनल में पात्रता रखने वाले अधिकारी भी उपलब्ध है यदि हाँ, तो क्या श्री चौबे की पुन: संविदा नियुक्ति न देकर पदोन्नति से भरा जायेगा ?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) जी हाँ दिनांक 04/12/2012 को प्रस्ताव छानबीन समिति के समक्ष लाया गया था । एक वर्ष बाद पुन: संविदा नियुक्ति देना हो तो प्रशासकीय

विभाग स्वयं मंत्रि-परिषद् के समक्ष ले जाता है । (ख) प्रथम बार प्रेषित प्रस्ताव में उच्च कोटि का तकनीकी/अभियांत्रिकी कार्य का ज्ञान बताया गया था संक्षेपिका की **प्रति संलग्न परिशिष्ट पर है** । (ग) जी हाँ, नीति में प्रावधान है । संक्षेपिका प्रशासकीय विभाग द्वारा बनाई गई है, जिसमें दण्ड देने संबंधी कोई उल्लेख नहीं किया गया है । (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है ।

परिशिष्ट – "एक"

सहायक ग्रेड-3 को समयमान वेतनमान

2. (क्र. 100) श्री अरूण भीमावद : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश के समस्त शासकीय विभागों में सहायक ग्रेड-3 के पद पर भर्ती हेतु शैक्षणिक एवं प्रशिक्षण संबंधी योग्यताएं एक समान है ? (ख) यदि हाँ, तो एक ही पद पर नियुक्ति के बाद मंत्रालय में कार्यरत सहायक ग्रेड-3 एवं प्रदेश के अन्य कार्यालयों में कार्यरत सहा.ग्रेड-3 के प्रथम एवं द्वितीय समयमान वेतनमान में अलग-अलग संवर्ग वेतन क्यों निर्धारित किया गया है ? कारण बतलाइयें ? (ग) क्या मंत्रालय में कार्यरत सहायक ग्रेड-3 के समान ही प्रदेश के अन्य कार्यालयों में कार्यरत सहायक ग्रेड-3 को समयमान वेतनमान दिया जावेगा ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) जी हाँ । (ख) मंत्रालय के तृतीय श्रेणी सहायक ग्रेड-3 के कर्मचारियों को समयमान वेतनमान मंत्रालय की विशेष कार्य स्थितियों के आधार पर स्वीकृत किया गया है । (ग) जी नहीं । उत्तरांश 'ख' के परिप्रेक्ष्य में शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

शिक्षक संवर्ग को तृतीय समयमान वेतनमान

3. (क्र. 101) श्री अरूण भीमावद : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 24.01.08 के अनुसार राज्य की सिविल सेवा के सदस्यों को सेवा में आगे बढ़ने के निश्चित अवसर उपलब्ध कराए जाने की दृष्टि से क्रमोन्नति योजना को संशोधित करते हुए समयमान वेतनमान उपलब्ध कराए जाने हेतु योजना प्रभावशील की गई ? (ख) क्या इसी प्रकार वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 30 सितम्बर 2014 द्वारा समयमान वेतनमान योजना को विस्तारित करते हुए तृतीय समयमान वेतनमान उपलब्ध कराने की योजना प्रभावशील की गई ? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के अनुसार उक्त दोनों योजनाएं निश्चित विभागों के निश्चित पदों के लिए ही है या प्रदेश के समस्त शासकीय कर्मचारियों के लिए ? (घ) क्या तृतीय समयमान वेतनमान की योजना का लाभ शिक्षक संवर्ग के कर्मचारियों को भी प्राप्त होगा ? क्या शिक्षक संवर्ग हेतु तृतीय समयमान वेतनमान दिए जाने के लिए पृथक से आदेश जारी होंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) जी हाँ । (ख) जी हाँ । (ग) जी हाँ । यह योजना समस्त शासकीय कर्मचारियों के लिये है परन्तु जिन संवर्गो के लिये पृथक से विशिष्ट योजना प्रचलित है, उन्हे पृथक से मंत्रि-परिषद से आदेश प्राप्त करना होगे । (घ) राज्य शासन के ऐसे संवर्ग जिन्हे विशिष्ट योजना अंतर्गत समयमान वेतनमान/क्रमोन्नति वेतनमान का लाभ प्राप्त है, को भी 30 वर्ष की सेवा के उपरांत तृतीय समयमान वेतनमान की पात्रता होगी परन्तु ऐसे संवर्ग को वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-11-17/2014/नियम/चार दिनांक 30 सितम्बर 2014 की कंडिका 3 में निहित निर्देशानुसार तृतीय समयमान वेतनमान देने के लिये सक्षम स्तर से आदेश पृथक से प्राप्त किये जाने होगे ।

देश के केंद्र स्थल के पर्यटन में सहयोग

4. (क्र. 126) श्री मोती कश्यप : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या तहसील ढीमरखेड़ा का ग्राम करौंदी अक्षांश-देशांश की दृष्टि से देश का केंद्र स्थान है और जहाँ विभाग के अतिरिक्त किसी संस्था द्वारा किन्हीं एकड़ अर्जित भूमि में से किन्हीं खसरों में कोई निर्माण किये गये हैं ? (ख) क्या प्रश्नांश (क) में किन प्रकार की गतिविधियाँ संचालित की जाती हैं और क्या जनवरी 2015 में आयोजित किसी कार्यक्रमों में उन्होंने किन्हें आमंत्रित किया है ? (ग) क्या प्रश्नांश (क) संस्था ने किन्हीं रकबों में किसी शैक्षणिक, व्यापक लोक कल्याणकारी और किसी स्वरूप के पर्यटनीय सन्निर्माणों की योजनायें बनायी हैं ? (घ) क्या प्रश्नांश (क) संस्था की प्रश्नांश (ग) योजनाओं से समन्वय स्थापित कर विभाग अपने मेगा टूरिस्ट सर्किट को प्रभावशाली बनावेगा ?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है.

आरक्षित से अनारक्षित पदों के परिवर्तन को निरस्त करना

5. (क्र. 127) श्री मोती कश्यप : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर ने दिनाँक 20.01.2014 की विज्ञप्ति द्वारा किन्हीं संकाय के प्राध्यापक, सहप्राध्यापक व सहायक प्राध्यापक की नियुक्तियों हेतु आमंत्रित अभ्यावेदन पर किसी चयन समिति द्वारा किन्हीं को चयनित कर नियुक्तियाँ की गई हैं, और क्या उसके विरूद्ध किन्हीं के द्वारा कुलपति/कुलसचिव को किन्हीं दिनाँक को कोई आपत्ति दी हैं ? (ख) क्या प्रश्नांश (क) आपत्ति पत्रों में किन्हीं वर्षों के सामान्य लेखा कोष के आय-व्ययंक के अनुमानित व पुनरीक्षित बजट अनुमानों में किन्हीं आरक्षित वर्ग के पदों का प्रावधान किया गया है और उनकी पद पूर्ति हेतु दिनाँक 14.10.2011 सहित पूर्व दिनाँकों के किन्हीं विज्ञापनों द्वारा अभ्यावेदन प्राप्त कर चयन और नियुक्तियाँ की है ? (ग) क्या प्रश्नांश (क) आपत्तिकर्त्ताओं ने यू.जी.सी. के किन्हीं प्रचलित और विभागीय परिपत्र दिनाँक 24.12.2013 के दिशा-निर्देशों में अ.जा. व अ.ज.जा. के आरक्षित पदों के संबंध में कोई उल्लेख

किया है ? (घ) क्या प्रश्नांश (क), (ख) के विज्ञापित पदों में से कौन से पद प्रश्नांश (ग) निर्देशों के विरूद्ध और निरस्त योग्य हैं ? (ड.) क्या अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के हित में प्रश्नांश (ग), (घ) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्नांश (क) की कार्यवाही निरस्त कर प्रश्नांश (ग) के चयनितों को नियुक्ति प्रदान की जावेगी ?

तकनीकी शिक्षा मंत्री (श्री उमाशंकर गुप्ता) : (क) रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर द्वारा जारी विज्ञापन दिनांक 20.01.14 के विज्ञापित पदों में से विधि विभाग में विज्ञापित असिस्टेंट प्रोफेसर के अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के पद हेतु प्राप्त अभ्यावेदनों पर चयन समिति द्वारा चयन किया गया है लेकिन नियुक्ति नहीं की गई है । उक्त चयन के विरूद्ध प्राप्त आपत्ति में यह उल्लेख है कि यू.जी.सी. के नियमानुसार आरक्षित पदों की पूर्ति पहले की जाये । यू.जी.सी. के नियमानुसार आरक्षित पदों की पूर्ति के बाद ही अनारक्षित पदों की पूर्ति की जावेगी । (ख) सामान्य लेखा कोष के आय-व्यय के अनुमानित व पुनरीक्षित बजट अनुमानों में कुल स्वीकृत पदों का बजट प्रावधान किया जाता है । जिसमें आरक्षित एवं अनारक्षित प्रवर्गों के पद सम्मिलित रहते हैं । दिनांक 14.10.2011 के पूर्व दिनांकों के विज्ञापनों में प्राप्त अभ्यावेदनों पर कोई भी चयन/नियुक्तियां नहीं की गई है । (ग) आपत्तिकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत यू.जी.सी. के विभागीय परिपत्र दिनांक 24.12.13 के दिशा-निर्देश में यह लेख है कि आरक्षित प्रवर्ग के रिक्त पदों की पूर्ति पश्चात ही अनारक्षित प्रवर्ग के रिक्त पदों की पूर्ति की जाये । यू.जी.सी. के दिशा-निर्देश के अनुरूप विज्ञापित पदों पर चयन/नियुक्तियां की जा रही हैं । (घ) कोई नहीं । (ड.) प्रश्नांश "ग" अनुसार ही चयनितों को नियुक्ति प्रदान की जावेगी ।

<u>**अ.ज.जा. की अनुसूची से विलोपित कीर जाति को न्यायोचित लाभ**</u>

6. (क्र. 128) श्री मोती कश्यप : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विभाग की किसी अनुशंसा के आधार पर किसी अवधि में अनुसूचित जनजाति की अनुसूची से कीर जाति को विलोपित किया जाकर किसी सूची में सम्मिलित किया गया है ? (ख) क्या प्रश्नांश- (क) कार्यवाही के पूर्व कीर जाति को 10 दिसम्बर 2014 सहित किन्हीं अधिसूचनाओं द्वारा किसी जाति समूह में उपजाति/समानार्थी/वर्गसमूह के रूप में सम्मिलित किया गया है ? (ग) क्या प्रश्नांश- (ख) से संबंधित जातियों पर मा.उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी दिनांक को दिये गये अंतरिम आदेश पर विभाग ने अपने परिपत्र दिनांक 14 फरवरी 2014 द्वारा किन्हीं को किन्हीं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है ? (घ) क्या प्रश्नांश- (क) से विलोपित और प्रश्नांश - (ख) में संपूर्ण राज्य हेतु किसी जाति समूह में सम्मिलित किये जाने पर प्रश्नांश- (क) के अनुसार लाभान्वित किये जाने हेतु विभाग द्वारा कोई परिपत्र जारी किया गया है ? (ड.) क्या कीर अनुसूचित जनजाति के प्रमाणपत्र धारियों पर फर्जी प्रमाणपत्र होने से संबंधित कार्यवाहियों को प्रश्नांश- (ग) के अंतर्गत विचार में लिया जाना विभाग द्वारा निर्देशित

किया जावेगा और प्रचलित सेवा से निलंबन, निष्कासन और पुलिस कार्यवाहियों को स्थगित किया जावेगा ?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) से (ड.) जानकारी एकत्रित की जा रहीं हैं ।

टोला मजरों में विद्युतीकरण और विद्युत दरों में असमानता

7. (क्र. 184) श्री राम लल्लु वैश्य : क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जिला सिंगरौली ऊर्जा का क्षेत्र है और इसी जिले के अनेक ग्रामों में विद्युतीकरण का कार्य नहीं हुआ है ? ऐसे कितने ग्राम हैं जो विद्युतीकरण से वंचित है, तथा शासन द्वारा ऐसे ग्रामों में कब तक विद्युतीकरण का कार्य किया जायेगा ? (ख) क्या घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट तक विद्युत उपयोग करने पर 9/- रूपये प्रति यूनिट की दर से 101 से 200 यूनिट तक 12/- रूपये की दर से, 200 से अधिक यूनिट पर 15/- रूपये प्रति यूनिट विद्युत प्रभार वसूला जाता है, तो क्या शासन कम से कम समान यूनिट चार्ज से विद्युत प्रतिभार लिये जाने की योजना बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हाँ, तो कब तक ?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) जी हाँ, यह सही है कि सिंगरौली जिला ऊर्जा का क्षेत्र है । सिंगरौली जिले में 6 ग्राम अविद्युतीकृत हैं, जिनमें से वर्तमान में 2 ग्राम वीरान हैं तथा 4 ग्राम वन बाधित होने के कारण उनका परपंरागत रूप से लाईन विस्तार कर विद्युतीकरण का कार्य किया जाना संभव नहीं है । (ख) जी नहीं, घरेलू उपभोक्ताओं को उनके संयोजित भार एवं खपत की गई यूनिट के स्लेब के अनुसार म.प्र.विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित टैरिफ आदेश में निहित प्रावधानों के अनुसार विद्युत प्रभार हेतु देयक जारी किया जाते हैं, जिसमें किसी प्रकार का संशोधन किया जाना राज्य शासन के कार्यक्षेत्र में नहीं आता ।

जायका (जापान) योजना के तहत सब स्टेशन निर्माण

8. (क्र. 210) श्री भारत सिंह कुशवाह : क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जायका (जापान) योजना के तहत ग्राम डबका, जिला ग्वालियर, ब्लाक मुरार में 132 के.व्ही. विद्युत सब स्टेशन 2012 में स्वीकृत हुआ था ? किस निर्माण एजेन्सी को कार्य दिया गया था ? सब स्टेशन की अनुमानित लागत क्या थी ? (ख) उक्त एजेन्सी को निर्माण कार्य पूर्ण करने की कब से कब तक अवधि दी गई थी ? अभी तक सबस्टेशन का कार्य कितने प्रतिशत हो चुका है ? समयावधि में कार्य पूर्ण न होने के लिये कौन जिम्मेदार है ? जिम्मेदार व्यक्ति के खिलाफ अभी तक क्या कार्यवाही हुई है ? शेष कार्य कब तक पूर्ण होगा ? (ग) डबका सबस्टेशन के लिये 132 के.व्ही. लाईन बिछाने एवं पोल गाड़ने का कार्य किस कंपनी को दिया गया था ? क्या कार्य समयावधि में पूर्ण हो चुका है, नहीं तो इसके लिये कौन जिम्मेदार हैं ? (घ) 132 के.व्ही. की लाईन किन किसानों के खेतों में पोल गाडकर निकाली गई

है ? क्या उक्त किसानों को मुआवजा राशि दे दी गई ? कितने किसानों को मुआवजा राशि दी गई ? कितने शेष है ? शेष बचे किसानों को कब तक मुआवजा दे दिया जायेगा ?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) जायका योजना के तहत ग्राम डबका, जिला ग्वालियर, ब्लाक में नये 132/33 के.वी. विद्युत उपकेन्द्र हस्तिनापुर हेतु प्राक्कलन दिनांक 20.10.2011 को स्वीकृत किया गया है । उपकेन्द्र के निर्माण हेतु कार्यादेश मेसर्स क्राम्पटन ग्रीव्ज लिमिटेड गुड़गांव (हरियाणा) को दिया गया है । उपकेन्द्र की अनुमानित लागत राशि. 868.09 लाख है । (ख) उक्त एजेन्सी मेसर्स क्राम्पटन ग्रीव्ज लिमिटेड गुड़गांव (हरियाणा) को उपकेन्द्र का निर्माण कार्य कार्यादेश में स्वीकृत बारचार्ट के अनुसार 11 मई 2013 से कार्य प्रारंभ कर 12 माह की अवधि में, 10 मई 2014 तक पूर्ण किया जाना था । अभी तक उपकेन्द्र के निर्माण हेतु 40 प्रतिशत सिविल कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं । कार्य संपादन में विलंब के लिये निर्माण एजेन्सी मेसर्स क्राम्पटन ग्रीव्ज लिमिटेड गुडगांव (हरियाणा) पूर्णत: जिम्मेदार है । समयावधि में कार्य पूर्ण नहीं करने के कारण कार्यादेश की शर्तों के अनुसार उक्त फर्म से, नियमानुसार शास्ति अधिरोपित करते हुए, अर्थदण्ड वसूल किया जावेगा । उपकेन्द्र को जून 2015 तक पूर्ण करने का प्रयास है । (ग) डबका (हस्तिनापुर) उपकेन्द्र के लिये 132 के.वी. लाईन निर्माण एवं टावर लगाने का कार्य मेसर्स जीनस पावर जयपुर को जून 2013 में दिया गया है । कार्यादेश की शर्तों के अनुसार फर्म को उक्त कार्य मई 2014 तक पूर्ण करना था । कार्य समयावधि में पूर्ण नहीं हुआ है । कार्य पूर्ण होने में हो रहे विलंब का कारण आंशिक रूप से निर्माण एजेन्सी मेसर्स जीनस पावर जयपुर एवं आंशिक रूप से निर्माण कार्य के दौरान आने वाली राइट आफ वे की समस्या है । (घ) डबका (हस्तिनापुर) उपकेन्द्र को ऊर्जीकृत करने के लिए 132 के.व्ही. लाइन ग्वालियर में निर्माणाधीन 220 के.व्ही. उपकेन्द्र-II से लाई जा रही है । उक्त लाइन में 76 टावर किसानों के खेतों में पोल गाड़कर निकाला जाना है, जिनकी **सूची संलग्न परिशिष्ट के अनुसार** है । इनमें से 69 नम्बर टावर लगाये जा चुके हैं एवं 7 नम्बर टावर लगाये जाने का कार्य प्रगति पर है । नियमानुसार, विद्युत लाईन के निर्माण में जिन किसानों की फसल क्षतिग्रस्त होती है उन किसानों को मुआवजा दिया जाता है, अत: 69 में से 52 किसानों को मुआवजा दिया जाना है, जिनमें से 23 किसानों को मुआवजा राशि दे दी गई है एवं शेष 29 किसानो के मुआवजा राशि के निर्धारण एवं राजस्व अधिकारी से स्वीकृति के प्रकरण प्रक्रियाधीन है । इसी प्रकार उक्त लाईन हेतु 8 ग्रेन्ट्रियाँ किसानों के खेतों पर **संलग्न परिशिष्ट के अनुसार** लगाई जानी है, जिनमें से 4 ग्रेन्ट्रियाँ लगाई जा चुकी हैं, जिनमें नियमानुसार 2 किसानों को फसल मुआवजा दिया जाना है जिनके प्रकरण प्रक्रियाधीन है । राजस्व अधिकारी से स्वीकृति के उपरान्त 1 माह में मुआवजा राशि दे दी जायेगी ।

परिशिष्ट – "दो"

वि.ख. नागौद जिला सतना की भूमि से मुरूम खुदाई

9. (क्र. 282) श्री यादवेन्द्र सिंह : क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या कॉन काष्ट कम्पनी नई दिल्ली के द्वारा ग्राम पंचायत रेरूआ खुर्द, वि.ख.नागौद, जिला सतना की आराजी नम्बर 628/1/2, 628/1/1/2, 628/1/1/1 एवं 628/2 की निजी जमीन से मुरूम की खुदाई कर राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 75 (नागौद से सतना मार्ग) से डाली जा रही है ? यदि हाँ तो क्या इसकी रायल्टी जमा की गई है तथा क्या इस आराजी में माइनिंग विभाग से लीज कलेक्टर द्वारा स्वीकृत है ? (ख) बमीठा से सतना का बी.ओ.टी. का ठेका कॉन कॉस्ट कम्पनी नई दिल्ली के नाम है उन्होंने पेटी ठेका ए.बी.सी. एसोसियेट्स को दिया है ? उनके द्वारा अवैध खनन कर शासन की रायल्टी की चोरी की जा रही है, उनसे रायल्टी वसूली जायेगी ? (ग) यदि हाँ तो कितनी रायल्टी कब-कब किसके द्वारा जमा की गई है ? यदि नहीं तो क्यों ? (घ) यदि नहीं तो क्यों ? क्या उक्त अवैध मुरूम खुदाई बन्द कराकर ठेकेदार एवं अधिकारी कर्मचारी के विरूद्ध कार्यवाही कर पेनाल्टी वसूल की जायेगी ?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) जी नहीं । शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता । (ख) जी हाँ । जी नहीं, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता । (ग) एवं (घ) प्रश्नांश 'क' के उत्तर के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

बहोरीबंद वि.स. क्षेत्र में राजीव गांधी विद्युतीकरण के कार्य

10. (क्र. 420) श्री कुंवर सौरभ सिंह : क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बहोरीबंद विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत बहोरीबंद एवं रीठी जनपद पंचायत के अंतर्गत किन-किन ग्रामों में राजीव गांधी विद्युतीकरण योजनांतर्गत कार्य कराया गया है तथा किन-किन ग्रामों में कार्य अपूर्ण हैं ? (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार जिन ग्रामों में विद्युतीकरण का कार्य अपूर्ण हैं ? कब तक पूर्ण कराया जायेगा, समय-सीमा बतायें ?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) 11वीं पंचवर्षीय योजना में स्वीकृत राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत बहोरीबंद विधानसभा क्षेत्र के बहोरीबंद विकासखण्ड (जनपद पंचायत) के 1 कार्ययोग्य अविद्युतीकृत ग्राम के विद्युतीकरण एवं 177 विद्युतीकृत ग्रामों के सघन विद्युतीकरण का कार्य तथा रीठी विकासखण्ड (जनपद पंचायत) के 1 कार्य योग्य अविद्युतीकृत ग्राम के विद्युतीकरण एवं 105 विद्युतीकृत ग्रामों के सघन विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है । विद्युतीकृत ग्रामों की **सूची संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' एवं प्रपत्र 'ब' में दर्शाए अनुसार** हैं । उक्त योजना में शामिल प्रश्नाधीन क्षेत्र के सभी ग्रामों में योजना के प्रावधानों के अनुसार कार्य पूर्ण कर लिये गये हैं । (ख) उत्तरांश 'क' में दर्शाए अनुसार बहोरीबंद विधानसभा क्षेत्र में 11वीं पंचवर्षीय योजना में स्वीकृत राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में सम्मिलित सभी कार्ययोग्य 284 ग्रामों के विद्युतीकरण का कार्य

योजना के प्रावधानों के अनुसार पूर्ण कर लिया गया है । वर्तमान में योजना के प्रावधानों के अनुसार किसी भी ग्राम में विद्युतीकरण का कार्य किया जाना शेष नहीं है, अत: प्रश्न नहीं उठता ।

परिशिष्ट – "तीन"

अवैध उत्खनन कर्त्ताओं पर की गई कार्यवाही

11. (क्र. 587) चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी : क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश गौण खनिज अधिनियम 1996 की धाराओं एवं उपधाराओं के अन्तर्गत 01.01.2013 से 30.01.2015 तक चंम्बल संभाग में किन-किन जिला खनिज अधिकारियों ने अवैध उत्खनन के प्रकरणों पर कार्यवाही करते हुये किन-किन के विरूद्ध कितनी जुर्माना राशि के प्रकरण कलेक्टर कार्यालयों में प्रस्तुत किये गये हैं ? (ख) प्रश्नतिथि तक प्रश्नांश (क) में वर्णित समयानुसार एवं अवैध उत्खननकर्त्ताओं पर क्या-क्या कार्यवाही किस-किस अधिनियम के तहत किन-किन धाराओं के अन्तर्गत सक्षम कार्यालयों ने की हैं ? प्रकरणवार/जिलेवार जानकारी दें ?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) प्रश्नांश से संबंधित जिला भिण्ड की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'एक'**, श्योपुर की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'दो'** एवं मुरैना की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'तीन' में अंकित** है । (ख) प्रश्नांश से संबंधित जिला भिण्ड की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'एक'**, श्योपुर की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'दो'** एवं मुरैना की **जानकारी परिशिष्ट 'चार' में अंकित** है ।

उज्जैन जिले में खनिज उत्खनन

12. (क्र. 690) श्री अनिल फिरोजिया : क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उज्जैन जिले में विगत 3 वर्षों में खनिज उत्खनन हेतु कितनी भूमि किस-किस व्यक्ति को आवंटित की गई ? वर्षवार स्थानवार जानकारी देवें ? (ख) क्या उक्त खदानों के खनन हेतु गहराई एवं क्षेत्रफल संबंधी कोई दिशा-निर्देश तय है ? यदि हाँ, तो क्या उन दिशा निर्देशों का पालन किया जा रहा है ? (ग) क्या उक्त खदानों का भौतिक सत्यापन किया जाता है ? यदि हाँ, तो कब-कब एवं किसके द्वारा सत्यापन किया गया ? (घ) विगत तीन वर्षो में अवैध खनन के कितने मामले प्रकाश में आये ? एवं उन पर क्या-क्या कार्यवाही की गई ?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) प्रश्नाधीन **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' में दर्शित** है । (ख) म.प्र. गौण खनिज नियम 1996 के नियम 30 के उप नियम 24 में खदान की गहराई 6 मी. होने पर महानिदेशक, खान सुरक्षा को सूचना दिए जाने के प्रावधान एवं इस हेतु प्रारूप 13 निर्धारित है । इसी प्रकार इस नियम के नियम 4 के उप नियम 3 में

उत्खननपट्टा का न्यूनतम और अधिकतम क्षेत्र निर्धारित है । नियम का पालन सुनिश्चित किया जा रहा है । (ग) जी हाँ । वांछित **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' में दर्शित** है । (घ) प्रश्नाधीन अवधि में अवैध खनिज उत्खनन के 37 प्रकरण पंजीबद्ध किए गए जिनका विवरण एवं कार्यवाही **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'स' में दर्शित** है ।

शासकीय महाविद्यालय सोनकच्छ में प्रबंधन कोर्सेस

13. (क्र. 700) श्री राजेन्द्र फूलचन्द वर्मा : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सोनकच्छ शासकीय महाविद्यालय में सत्र 2015-16 में प्रबंधन कोर्स बी.बी.ए व एम.बी.ए को शुरू करने की योजना बनाई गई है या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ? (ख) क्या भविष्य में सोनकच्छ नगर के महाविद्यालय में प्रबंधन कोर्स शुरू किया जायेगा या नहीं ? नहीं तो क्यों नहीं किया जा सकता है ? (ग) जिले के अन्य शासकीय महाविद्यालय में यह कोर्स चल रहे है या नहीं ?

तकनीकी शिक्षा मंत्री (श्री उमाशंकर गुप्ता) : (क) जी नहीं । वर्तमान में शासन द्वारा पूर्व से संचालित महाविद्यालय का सुदृढीकरण एंव गुणवत्ता/विकास करने के प्रयास किये जा रहे हैं । (ख) वर्तमान में कोई प्रस्ताव नहीं है । (ग) जी नहीं ।

सोनकच्छ नगर में राजाभाऊ महांकाल की प्रतिमा की स्थापना

14. (क्र. 701) श्री राजेन्द्र फूलचन्द वर्मा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विभाग द्वारा सोनकच्छ नगर में प्रदेश के गौरव राजाभाऊ महांकाल की प्रतिमा स्थापित करने की कोई योजना सम्मिलित की गई है या नहीं ? (ख) क्या राजाभाऊ महांकाल की प्रतिमा को सोनकच्छ नगर में स्थापित करने की योजना भविष्य में संभावित है या नहीं ?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) एवं (ख) जी नहीं.

निर्माणाधीन लघु मध्यम सिंचाई परियोजनाओं पर व्यय

15. (क्र. 736) श्री रामनिवास रावत : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्वालियर एवं चम्बल संभाग में वर्तमान में कौन-कौन सी लघु मध्यम सिंचाई परियोजनाऐं कितनी-कितनी राशि की निर्माणाधीन है ? यह योजनाऐं कब स्वीकृत की गई, तथा इनके पूर्णता की क्या अवधि निर्धारित की गई है ? इन परियोजनाओं की निर्माण एजेंसी कौन है, तथा वर्तमान में निर्माण कार्यों की क्या स्थिति है ? कितना-कितना निर्माण कार्य शेष है ? अभी तक कितनी-कितनी राशि व्यय की जा चुकी है ? (ख) विधान सभा क्षेत्र बुधनी, बरेली, उदयपुरा एवं भोजपुर में विगत तीन वर्षों में किन-किन लघु मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के किन-किन कार्यों का संधारण कार्य कितनी लागत से कराया गया है ? इन संधारण कार्यों के लिए क्या निविदायें बुलाई गई हैं अथवा स्वविवेक से कार्य कराया गया है ? (ग) क्या प्रश्नांश

(क) एवं (ख) की निर्माणाधीन परियोजनाओं में ठेकेदारों को कार्य करने हेतु अग्रिम राशि का भुगतान किया गया है ? क्या ठेकेदारों द्वारा अग्रिम भुगतान प्राप्त कर लेने के बावजूद परियोजनाओं का निर्माण कार्य नहीं कराया जा रहा ? यदि हाँ, तो क्या अग्रिम भुगतान प्राप्त कर निर्माण कार्य न कराने वाले ठेकेदारों के विरूद्ध कोई कार्यवाही की है ? यदि हाँ, तो क्या एवं किस-किस के विरूद्ध ? यदि नहीं, तो क्यों ?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है ।

सरकार द्वारा गठित जांच आयोगों के प्रतिवेदनों पर कार्यवाही

16. (क्र. 737) श्री रामनिवास रावत : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में वर्ष 2004 से प्रश्न दिनांक तक राज्य सरकार द्वारा कौन-कौन से जांच आयोग किस-किस की अध्यक्षता में किन मामलों को लेकर कब-कब गठित किए ? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार गठित आयोगों द्वारा किन-किन मामलों में जांच प्रतिवेदन शासन को सौंपे गए है, तथा कौन-कौन से जांच प्रतिवेदन विधानसभा के पटल पर रखे गए है ? (ग) राज्य शासन को जांच आयोगों द्वारा सौंपे गए ऐसे कौन-कौन से जांच प्रतिवेदन हैं जिन पर मंत्री मण्डलीय समिति गठित है ? मंत्री मण्डलीय समिति ने किन-किन जांच प्रतिवेदनों का परीक्षण करने के उपरांत रिपोर्ट शासन को कब-कब सौंपी है ? (घ) कब तक जांच आयोगो की रिपोर्टो को विधानसभा के पटल पर रख दिया जावेगा ?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) एवं (ख) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है । (ग) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के कालम 8 एवं 9 अनुसार** है । (घ) समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है ।

परिशिष्ट – "चार"

पोल एवं ट्रांसफार्मर शिफ्टिंग

17. (क्र. 818) श्री सुखेन्द्र सिंह (बन्ना) : क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नगर पालिका निगम रीवा अन्तर्गत पड़रा रेलवे स्टेशन से रतहरा (पुरानी नेशनल हाइवे रोड) तक कितनी बार पोल एवं ट्रांसफार्मर शिफ्टिंग का कार्य हुआ ? इस शिफ्टिंग कार्य में कितनी लागत आई ? (ख) विभाग में पोल एवं ट्रांसफार्मर शिफ्टिंग करने के लिए विभागीय नियम क्या है ? क्या विभाग में शिफ्टिंग करने के लिए उच्चाधिकारियों की अनुमति या अतिरिक्त राशि जमा करानी आवश्यक होती है ? यदि हाँ, तो इस शिफ्टिंग कार्य हेतु विभाग में कितनी राशि कब-कब, किस-किस के द्वारा जमा कराई गई ? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के संदर्भ में बिना शिफ्टिंग चार्ज जमा कराये पोल एवं ट्रांसफार्मर शिफ्ट करने के लिए कौन जिम्मेदार है ? क्या इन नियम विरूद्ध कार्य करने वाले अधि./कर्म. के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही करेंगे ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) नगर पालिका निगम रीवा अन्तर्गत पड़रा रेल्वे स्टेशन से रतहरा (पुरानी नेशनल हाइवे रोड) तक 9 बार अलग-अलग स्थानों पर स्वीकृत प्राक्कलनों के अनुसार पोल एवं ट्रांसफार्मर शिफ्टिंग का कार्य हुआ है जिसमें रू. 1, 50, 17, 649 (एक करोड पचास लाख सत्रह हजार छः सौ उन्चास) की लागत आई है । उक्त के अतिरिक्त वर्तमान में एक स्वीकृत कार्य प्रगति पर है, जिसकी प्राकक्लित राशि रू. 77, 14, 600 (सतहत्तर लाख चौदह हजार छः सौ) है । (ख) प्रचलित नियमों के अनुसार पोल एवं ट्रांसफार्मर शिफ्टिंग करने के लिए आवेदक के द्वारा जमा योजना अन्तर्गत प्राक्कलन की पूर्ण राशि जमा कराए जाने पर वितरण कंपनी स्तर पर शिफ्टिंग कार्य कराये जाने का प्रावधान है, अन्यथा की स्थिति में आवेदनकर्ता द्वारा नियमानुसार प्राक्कलन राशि का 5 प्रतिशत सुपरविजन चार्ज एवं सर्विस टैक्स की राशि वितरण कंपनी में जमा कराने के पश्चात् पंजीकृत 'अ' श्रेणी के विद्युत ठेकेदार से स्वयं के व्यय पर शिफ्टिंग कार्य कराया जा सकता है । पड़रा रेल्वे स्टेशन से रतहरा (पुरानी नेशनल हाइवे रोड) तक पोल एवं ट्रांसफार्मर शिफ्टिंग कार्य हेतु जमा कराई गई राशि का विवरण **संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है । (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के उत्तर में उल्लेखित कार्यों में बिना शिफ्टिंग चार्ज जमा कराये पोल एवं ट्रांसफार्मर शिफ्टिंग का कार्य नहीं कराया गया है, अत: प्रश्न नहीं उठता ।

<u>परिशिष्ट - "पांच"</u>

अभियांत्रिकी महाविद्यालयों में अध्यापन कार्य करा रहे शिक्षकों की योग्यता

18. (क्र. 825) श्री यशपालसिंह सिसौदिया : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या AICTE के मापदण्डों के अनुसार अभियांत्रिकी महाविद्यालयों में छात्रों को अध्यापन कार्य कराने वाले प्रोफेसरों की न्यूनतम योग्यता एम.टेक होना अनिवार्य है ? यदि हाँ, तो किस नियम के तहत ? संबंधित आदेश, नियमों की प्रतिलिपि उपलब्ध कराएें ? (ख) क्या उज्जैन संभाग में स्थित कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एवं टेक्नालॉजी तथा शा. तथा निजी महाविद्यालयों में नियमों के विपरित बी.टेक या एम.टेक में अध्ययनरत छात्र अध्यापन करा रहे है ? यदि हाँ, तो क्यों ? यदि नहीं तो उज्जैन संभाग में समस्त महाविद्यालयों के शिक्षकों की सूची मय योग्यता महाविद्यालयवार अवगत करावें ? (ग) क्या तकनीकी शिक्षा विभाग इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में अध्यापन की गुणवत्ता बरकरार रखने के लिए कटिबद्ध है ? क्या सरकार नियमों के विरूद्ध अध्यापन कराने वाले शिक्षकों के विरूद्ध तथा निजी महाविद्यालयों के विरूद्ध कोई कार्यवाही करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? (घ) निजी महाविद्यालयों में श्रेष्ठ शिक्षकों की सुविधाओं के अभाव के बावजूद कॉलेजो में मोटी रकम वसूलकर इंजीनियर बनाने से प्रदेश की छवि खराब करने वाले इन महाविद्यालयों की विगत तीन वर्षो में कब-कब, किस-किस सक्षम अधिकारी ने जांच की ? इन महाविद्यालयों के खिलाफ कितनी-कितनी शिकायतें किस-किस व्यक्ति के द्वारा कब-कब की गई ?

तकनीकी शिक्षा मंत्री (श्री उमाशंकर गुप्ता) : (क) जी हाँ । अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् की तकनीकी संस्थाओं (डिग्री) में शिक्षकों तथा अन्य शैक्षणिक स्टॉफ के लिये वेतनमान, सेवा शर्ते और अर्हताएं विनियम 2010 की भारत के राजपत्र में दिनांक 13 मार्च 2010 को प्रकाशित अधिसूचना अनुसार नियम की प्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट–एक अनुसार** । (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है । (ग) एवं (घ) जी हाँ । विश्वविद्यालय अथवा प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति में प्रश्नांश से संबंधित शिकायतें अप्राप्त हैं । अत: जाँच/कार्यवाही का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता हैं ।

ओ.वाय.टी. योजनान्तर्गत स्वीकृत कार्य

19. (क्र. 888) श्रीमती ममता मीना : क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) गुना वृत की मध्य क्षेत्र वि.वि.क.लि. के अंतर्गत वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 तथा 2014-15 में ओ.वाय.टी. योजनांतर्गत कितने प्राक्कलन स्वीकृत किये गये ? (ख) क्या गत तीन वर्षों में स्वीकृत प्राकलनों के विरूद्ध कितने उपभोक्ताओं ने सुपरविजन चार्ज जमा किया ? यदि नहीं कराया, तो अवैध कार्यों की सूची एवं नामवार सूची का विवरण दें ? (ग) गुना जिले में विद्युत कम्पनी में गत तीन वर्षों में ऐसे कितने प्रकरण हैं, जिनकी राशि जमा बगैर कितने पम्पों का कार्य पूर्ण हुआ ? अवैध लाईनों, ट्रांसफार्मरों पर क्या कार्यवाही हुई ? राजस्व हानि के लिए जिम्मेदार कौन है ? अधीक्षण यंत्री जवाबदेह है या नहीं ? (घ) गुना वृत में ओ.वाय.टी. योजनांतर्गत बिना स्वीकृति किये अवैध ट्रांसफार्मरों, लाईनों का निर्माण किन ठेकेदारों ने किया है ? उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की, विवरण प्रस्तुत करें ?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लिमिटेड के अन्तर्गत गुना वृत्त में ओ.वाय.टी. योजनान्तर्गत विगत तीन वर्षों में स्वीकृत प्राक्कलनों की संख्या निम्नानुसार है :-

क्र.	वर्ष	गुना जिला	अशोकनगर जिला	गुना वृत्त
1	2012-13	900	548	1448
2	2013-14	800	459	1259
3	2014-15 (प्रश्न दिनांक तक)	740	603	1343

(ख) ओ.वाय.टी. योजनान्तर्गत सुपरविजन चार्ज जमा करने का उत्तरदायित्व संबंधित उपभोक्ता का है, विगत तीन वर्षों में स्वीकृत प्राक्कलनों के विरूद्ध सुपरविजन चार्ज जमा करने वाले उपभोक्ताओं की संख्या निम्नानुसार है :-

क्र.	वर्ष	गुना जिला	अशोकनगर जिला	गुना वृत्त
1	2012-13	845	547	1392
2	2013-14	786	448	1234
3	2014-15 (प्रश्न दिनांक तक)	366	568	934

राशि जमा नहीं कराने वाले उपभोक्ताओं के प्राक्कलन निरस्त कर दिए गए हैं । (ग) गुना वृत्त में बिना वैध स्वीकृति के 18 पंप कनेक्शनों के प्रकरण पकडे गये हैं, जिनके विरूद्ध की गई कार्यवाही का विवरण **संलग्न परिशिष्ट के अनुसार** है । राजस्व हानि के लिये संबंधित क्षेत्र के कनिष्ठ यंत्री जवाबदेह है । इस संबंध में वितरण केन्द्र प्रभारी भदोरा, रामपुर बमोरी एवं फतेहगढ़ के विरूद्ध कर्तव्य पालन में अवहेलना करने के परिप्रेक्ष्य में विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रक्रियाधीन है । (घ) प्रश्नाधीन कार्य करने वाले ठेकेदारों का विवरण **संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है । नियमविरूद्ध कार्य करने वाले पांच ठेकेदारों के विरूद्ध पंचनामा बनाकर नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है ।

परिशिष्ट - "छ:"

गुना में संचालित योजनाओं को पूर्ण किया जाना

20. (क्र. 889) श्रीमती ममता मीना : क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र.मध्यक्षेत्र वि.वि.क.लि. वृत गुना में गत तीन वर्षो से संचालित योजनायें 1. आर.जी.व्ही.व्ही.वाय 2. आर.ए.पी.डी.आर.पी. 3. ए.डी.व्ही. 4. के.ए.वाय 5. ओ.वाय.टी. 6. डिपोजिट राशि 7. रा.गा.ग्रा. विद्‌युतीकरण आदि योजनाओं में कितनी मदवार ब्लॉकवार राशि का आवंटन हुआ कौन से कार्य पूर्ण हो गये, कौन से अधूरे हैं, कौन से कार्यो का भौतिक सत्यापन हुआ ? (ख) क्या वृत गुना में उक्त योजनाओं में से कितने कि.मी. 11 के.व्ही., एल.टी.लाईन डाली, कितने ट्रांसफार्मर एवं उपभोक्ताओं की संख्या क्या है एवं ठेकेदार एवं एजेन्सियों के नाम एवं सत्यापन रिपोर्ट तथा चोरी गये कार्यो का विवरण उन स्थानों पर क्या पुन: लाईन ट्रांसफार्मर रखे है ? (ग) म.प्र. मध्य क्षे.वि.वि.क.लि. में अधिकारी कर्मचारियों की ट्रांसफर की क्या नीति है ? क्या गुना वृत में गत 3 वर्षो में कितने ट्रांसफर, किस नीति से किये है गत कई वर्षों से पदस्थ कर्मचारी अधिकारियों के ट्रांसफर की क्या योजना है ? (घ) क्या विद्‌युत कम्पनी में गुना वृत में गत तीन वर्षों में कितने निर्माण कार्य एवं मरम्मत कार्य तथा विद्‌युत कार्य कराये, उनकी मद एवं राशि का विवरण एवं सत्यापन रिपोर्ट तथा गुना वृत में पुरानी विद्‌युत लाईनों का जीर्णोद्‌धार किया शेष कब तक पूर्ण होगा, बंद पड़ी लाईनें कब पूर्ण होगी ?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) गुना वृत्त में गत तीन वर्षों में प्रश्नाधीन संचालित योजनाओं की अशोकनगर एवं गुना जिले की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के क्रमश: प्रपत्र अ-1 एवं अ-2 अनुसार** है । एसएसटीडी योजना में विगत तीन वर्षों में गुना वृत्त में कराए गए विभिन्न निर्माण कार्यों का विवरण **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र 'ब' अनुसार** है । आर.जी.जी.व्ही.वाय, आर.ए.पी.डी.आर.पी., ए.डी.बी., के.ए.वाय. एवं एस.एस.टी.डी., योजनान्तर्गत फण्ड का आवंटन जिला/विद्युत वितरण कंपनी स्तर पर होता है । ओ.वाय.टी. एवं डिपाजिट योजना में लागत राशि नियमानुसार उपभोक्ता द्वारा वहन की जाती है । अत: ब्लाकवार आवंटित राशि बताना संभव नहीं प्रश्नाधीन संचालित योजनाओं की कार्य प्रगति **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र अ-1, अ-2 एवं 'ब' अनुसार** है । सभी टर्नकी ठेके के कार्यों का पर्यवेक्षण, मूल्यांकन एवं भौतिक सत्यापन थर्ड पार्टी कंसल्टेन्ट से कराया जाता है, विभागीय कार्यों का भौतिक सत्यापन विभागीय अधिकारियों द्वारा किया गया है । (ख) उत्तरांश 'क' में उल्लेखित **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र अ-1, अ-2 एवं 'ब'** में जिलेवार/योजनावार किए गए कार्यों का समस्त विवरण दिया गया है । टर्नकी आधार पर क्रियान्वित प्रत्येक योजना कार्य का भौतिक सत्यापन थर्ड पार्टी कंसल्टेन्ट द्वारा तथा विभागीय कार्यों का भौतिक सत्यापन संबंधित विभागीय अधिकारियों द्वारा किया गया है । राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत किेये गये कार्यों में से गुना जिले में 166 एवं अशोकनगर जिले में 363 चोरी की घटनाएं हुई हैं । ठेकेदार एजेंसियों के नाम का विवरण **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र स-1 एवं स-2 अनुसार** है । चोरी गये सामान्य एवं बदले जाने का विवरण **प्रपत्र - द-1, द-2, द-3, द-4 अनुसार** (ग) म.प्र.मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड में अधिकारियों/कर्मचारियों की स्थानान्तरण नीति के संबंध में जारी परिपत्र दिनांक 16.02.2015 **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र 'ई' अनुसार** है । गुना वृत्त में वर्ष 2012-13 में 68, 2013-14 में 70 तथा वर्ष 2014-15 में 75 अर्थात् कुल 2013 अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण किए गए हैं जिनमें से स्वेच्छिक आवेदन पर 63 एवं प्रशासनिक कारणों से 150 स्थानान्तरण किए गए हैं । कंपनी में कर्मचारियों/अधिकारियों के स्थानान्तरण प्रशासनिक आवश्यकता के अनुसार किए जाते हैं । (घ) गुना वृत्त में गत तीन वर्षों में कराए गए निर्माण कार्यों का विवरण उत्तरांश 'क' के तारतम्य में **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र अ-1, अ-2 एवं 'ब' अनुसार** है । सभी कार्यों का भौतिक सत्यापन किया गया है । गुना वृत्त में पुरानी विद्युत लाइनों का जीर्णोद्धार निरंतर किया जाता रहा है जिस पर विगत तीन वर्षों 2012-13 में रू. 146.86 लाख, 2013-14 में रू. 424.83 लाख एवं वर्ष 2014-15 रू. 138.84 लाख व्यय किए गए हैं । अधोसंरचना संधारण के लिए आवश्यकतानुसार सभी कार्य एक सतत् प्रक्रिया के अन्तर्गत कराए जाते हैं । उन लाइनों को छोड़कर जिन्हें किसी तकनीकी अथवा देयक वसूली के उद्देश्य से बंद किया गया है, कहीं कोई विद्युत लाईन बंद नहीं है ।

<u>महाविद्यालय स्थापना हेतु निर्धारित मापदण्ड</u>

21. (क्र. 950) श्री जितेन्द्र गेहलोत : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उज्जैन संभाग में वर्ष 2014 के अन्त तक कितने महाविद्यालय प्रारंभ करने की स्वीकृतियां शासन ने दी ? (ख) क्या रतलाम जिले की आलोट विधानसभा क्षेत्र में ताल एवं आलोट -बडावदा- आदि स्थानों पर महाविद्यालय स्थापना हेतु शासन के समक्ष कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ? यदि हाँ, तो कब से एवं शासन कब तक स्वीकृति प्रदान करेगा ? (ग) शासन ने महाविद्यालय स्थापना हेतु क्या-क्या मापदण्ड निर्धारित किये है ?

तकनीकी शिक्षा मंत्री (श्री उमाशंकर गुप्ता) : (क) 59 शासकीय महाविद्यालयों एवं 66 अशासकीय महाविद्यालयों की स्वीकृति प्रदान की गई । **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" एवं "ब" अनुसार** है । (ख) विभाग द्वारा दिनांक 01.10.2014 को ताल में नवीन शासकीय महाविद्यालय प्रारम्भ करने की अनुमति प्रदान की गई । वर्तमान में शासन द्वारा पूर्व से संचालित महाविद्यालयों के सुदृढ़ीकरण करने एवं उनके गुणवत्ता विकास के प्रयास किये जा रहे हैं । अतः आलोट - बडावदा में नवीन महाविद्यालय प्रारंभ किये जाने में कठिनाई है । शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता । (ग) नवीन शासकीय महाविद्यालय स्थापना हेतु कोई मापदण्ड निर्धारित नहीं हैं । अशासकीय महाविद्यालय स्थापना हेतु मापदण्ड **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "स" अनुसार** है ।

इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में केरियर संवर्धन योजना

22. (क्र. 1014) इन्जी. प्रदीप लारिया : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) केरियर संवर्धन योजना का लाभ प्रदान करने के लिये विगत तीन वर्षों में कब-कब आवेदन मंगाये गये, कितने आवेदन प्राप्त हुये ? प्रकरणों के निराकरण हेतु किन-किन दिनांकों में बैठक आयोजित हुई ? किन-किन दिनांकों में कितने शिक्षक/ग्रंथपाल के स्वीकृति आदेश जारी हुये ? (ख) वर्तमान में कितने ग्रंथपाल/शिक्षकों के प्रकरण वरिष्ठ/प्रवर श्रेणी वेतनमान स्वीकृति हेतु लंबित हैं, तथा इनके स्वीकृति आदेश कब तक जारी किए जावेंगे ?

तकनीकी शिक्षा मंत्री (श्री उमाशंकर गुप्ता) : (क) केरियर संवर्धन योजना का लाभ प्रदान करने के लिये विगत तीन वर्षों में संचालनालयीन पत्र क्रमांक/प्रशा/2/राज/बी/2013/1288, दिनांक 29.11.13, पत्र क्रमांक-934, दिनांक 31.07.2014 एवं पत्र क्रमांक-1545, दिनांक 21.11.2014 के द्धारा आवेदन मंगाये गये तथा कुल 35 आवेदन प्राप्त हुये । प्रकरणों के निराकरण हेतु प्रारंभिक जांच किये जाने हेतु संचालनालय स्तर पर दिनांक 19.12.2014 को बैठक आयोजित की गई । विभागीय आदेश पृष्ठांकन क्रं./316-194/2011/बयालीस (एक) , दिनांक 09.02.2012 द्धारा दो शिक्षकों को केरियर संवर्धन योजना का लाभ दिये जाने हेतु आदेश जारी किया गया है । (ख) वर्तमान में 11 ग्रंथपाल/ शिक्षकों के प्रकरण एवं वरिष्ठ/प्रवर श्रेणी वेतनमान के प्रकरण लंबित है । शासन स्तर पर केरियर संवर्धन योजना की

बैठक के उपरांत जो शिक्षक नियमानुसार पात्र होंगे, उनके आदेश समस्त प्रक्रियाओं का पालन करते हुए आदेश जारी हो सकेगें ।

शासकीय/स्वशासी पॉलीटेक्निक महाविद्यालयों में संचालित सीडीपीटी परियोजना

23. (क्र. 1015) इन्जी. प्रदीप लारिया : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. के किन-किन शासकीय/स्वशासी पॉलीटेक्निक महाविद्यालयों में वर्ष 2010 से सीडीटीपी परियोजना (कम्यूनिटी डेव्लपमेंट थ्रू पॉलीटेक्निक स्कीम) संचालित की जा रही है ? (ख) वर्तमान में किन-किन शासकीय/स्वशासी पॉलीटेक्निक महाविद्यालय में सीडीटीपी परियोजना संचालित नहीं की जा रही है या बंद कर दी गई है ? (ग) यदि शासकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय सागर में संचालित सीडीटीपी परियोजना बंद की गई है, तो क्यों ? (घ) यदि अन्य पॉलीटेक्निक महाविद्यालयों में उक्त परियोजना संचालित है, तो शासकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय सागर में पुन: उक्त परियोजना कब तक प्रारंभ की जावेगी ?

तकनीकी शिक्षा मंत्री (श्री उमाशंकर गुप्ता) : (क) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है । (ख) एवं (ग) मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार से परियोजना संचालन हेतु अनुदान प्राप्त न होने के कारण शासकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय सागर, दमोह एवं एसएटीआई पॉलीटेक्निक विदिशा में योजना अस्थाई रूप से बंद है । (घ) योजनान्तर्गत आवश्यक धनराशि भारत सरकार से प्राप्त होने पर निर्भर करेगा ।

परिशिष्ट - "सात"

निर्माण एजेंसी को विलंब से राशि जारी करना

24. (क्र. 1073) श्री नरेन्द्र सिंह कुशवाह : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भिण्ड जिले के अन्तर्गत ग्राम पंचायत मेहरा विकास खण्ड मेहगांव जिला भिण्ड को माननीय श्री कप्तान सिंह सोलंकी राज्य सभा सदस्य द्वारा दिनांक 01.07.13 से 31.01.15 के मध्य दस लाख रूपये मार्ग निर्माण हेतु दिए गए हैं ? यदि हाँ तो जिला योजना सांख्यिकी अधिकारी भोपाल से कब राशि प्राप्त हुई ? निर्माण एजेंसी को राशि कब जारी की गई ? (ख) प्रश्नांश (क) में वर्णित निर्माण एजेंसी ग्राम पंचायत मेहरा को प्रश्नांश दिनांक तक राशि जारी न करने के क्या कारण है ? (ग) क्या प्रश्नांश (क) में स्वीकृत मार्ग निर्माण का कार्य कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकीय सेवा भिण्ड द्वारा जांच करने के उपरान्त राशि जारी नहीं की गई इसके क्या कारण है ? बिना राशि जारी किए निर्माण कार्य किस प्रकार करवाया गया है ? (घ) क्या अनावश्यक कार्य में विलम्ब करवाया गया है यदि हाँ तो इसके लिए कौन दोषी हैं ? दोषी अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) जी हाँ । दिनांक 07/07/2014 को राशि प्राप्त हुई एवं निर्माण ऐजेन्सी को दिनांक 20/01/2015 को जारी की गई । (ख) निर्माण ऐजेन्सी को प्रश्नांश दिनांक से पूर्व कार्य पूर्ण हो जाने पर दिनांक 20/01/2015 को राशि जारी की जा चुकी है । (ग) जी नहीं । स्वीकृति निर्माण कार्य का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग भिण्ड के निरीक्षण पश्चात राशि जारी की गई है । (घ) जी नहीं । उत्तरांश (क) एवं (ख) के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

<u>मांग संख्या 60 व 64 के अंतर्गत स्वीकृत प्रकरण</u>

25. (क्र. 1075) श्री नरेन्द्र सिंह कुशवाह : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भिण्ड जिले के अंतर्गत वर्ष 2012 से प्रश्नांश दिनांक तक जनभागीदारी मांग संख्या 64 व 60 के अंतर्गत किन-किन ग्राम पंचायतों के प्रकरण सी.सी.रोड़ निर्माण हेतु स्वीकृत किए गए है ? कितनी-कितनी राशि का भुगतान किया जा चुका है ? कितनी शेष राशि का भुगतान बकाया है ? (ख) प्रश्नांश (क) अंतर्गत स्वीकृत प्रकरणों का भुगतान कितनी किश्तों में करने का प्रावधान है ? कौन-कौन से प्रकरण मिट्टी, मुरम डब्लू.व्ही.एम. के स्वीकृत किए गए ? किस स्तर के अधिकारी द्वारा जांच की गई ? विगत पांच वर्ष की जानकारी दें ? (ग) प्रश्नांश (क) के अंतर्गत स्वीकृत प्रकरणों का जांच प्रतिवेदन किस स्तर के अधिकारी से मांगा गया है तथा जिला योजना एवं सांख्यिकीय अधिकारी / प्रशासनिक अधिकारी द्वारा किन-किन प्रकरणों में जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है ? (घ) वर्ष 2009 से प्रश्नांश दिनांक तक जन भागीदारी के तहत स्वीकृत प्रकरणों में कौन-कौन सी किश्त का भुगतान नहीं किया गया है, भुगतान न करने के क्या कारण है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार** है (ख) शासकीय अंशदान ०२ किश्तो में दिया जाता है । शेष **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार** है । कार्य स्वीकृत पूर्व कार्य स्थल का निरीक्षण तकनीकी स्वीकृति जनपद पंचायत के अनुविभीय अधिकारी/सहायक यंत्री द्वारा की गई है । (ग) संबंधित जनपद पंचायत के अनुविभागीय अधिकारी/सहायक यंत्री से प्रतिवेदन प्राप्त किया गया । जिला योजना अधिकारी से किसी प्रकरण में प्रतिवेदन प्राप्त नहीं किया गया है । (घ) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'स' अनुसार** है । आवंटन प्रावधान से अधिक राशि के प्रकरण स्वीकृत होने से भुगतान नहीं हो सका ।

<u>सुवासरा विधानसभा क्षेत्र की लीफ्ट एरीगेशन योजनाएं</u>

26. (क्र. 1152) श्री हरदीप सिंह डंग : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सुवासरा विधानसभा क्षेत्र में नदियों से कितनी सिंचाई योजनाएं पूर्व में संचालित थीं

एवं वर्तमान में कितनी संचालित हैं ? नाम बतावें ? (ख) बसई, भगोर एवं रणायरा सिंचाई योजनाएं वर्तमान में किस स्थिति में है ? उन योजनाओं के लिए शासन द्वारा क्या-क्या साधन एवं राशि उपलब्ध कराई गई थी ? (ग) जो साधन उपलब्ध कराए गए थे, आज उनकी क्या स्थिति है ? वे उपयोग में आ सकते हैं या नहीं ? (घ) प्रश्नांश (ख) में उल्लेखित तीनों योजनाओं को प्रारम्भ करने में क्या समस्याएं आ रही हैं ?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) से (घ) सुवासरा विधान सभा क्षेत्र में बसई, भगौर व रणायरा उद्वहन सिंचाई परियोजनाएं कृषकों द्वारा विद्युत शुल्क का भुगतान नहीं करने से बंद है । कृषकों द्वारा विद्युत शुल्क का अंशदान जमा करने की दशा में परियोजनाओं को चालू किया जा सकता है ।

नवीन तालाबों के निर्माण हेतु भूमि अधिग्रहण

27. (क्र. 1153) श्री हरदीप सिंह डंग : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नवीन तालाब निर्माण हेतु भूमि अधिग्रहण के क्या नियम हैं, तथा नवीन तालाब निर्माण हेतु भूमि अधिग्रहण नवीन कानून लागू हुआ या नहीं ? यदि हुआ है, तो कब से लागू हुआ है, तथा उसके नियम व शर्तें क्या हैं ? (ख) विधानसभा क्षेत्र सुवासरा में तालाब बनाने हेतु हजारों एकड़ भूमि उपलब्ध है, किसान अपनी भूमि भी दान करने को तैयार हैं, फिर भी तालाब की राशि स्वीकृत क्यों नहीं हो पा रही है ? (ग) सुवासरा विधानसभा क्षेत्र में मेरियाखेड़ी सॉलिड वियर निर्माण योजना कब तक प्रारंभ की जावेगी ? तुम्बड नदी पर स्टॉप डेम बनाने की क्या योजना है ? (घ) बसई की छोटी पुलिया पर गेट लगाकर जल संग्रहण करने की योजना अभी तक क्यों नहीं बनाई गई ? यह योजना भविष्य में कब तक तैयार की जाएगी ?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) भू-अर्जन पुनर्वास एवं पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013, दिनांक 01.01.2014 से लागू है । (ख) प्रश्न में किसी परियोजना विशेष का उल्लेख नहीं होने से उत्तर दिया जाना संभव नहीं है । (ग) प्रश्नाधीन परियोजनाएं स्वीकृति हेतु विचाराधीन नहीं है । (घ) प्रश्नाधीन पुलिया गांधी सागर जलाशय के डूब क्षेत्र में स्थित होने से । प्रश्नांश उत्पन्न नहीं होता है ।

33/11 विद्युत सब स्टेशनों के निर्माण कार्य/ स्वीकृति

28. (क्र. 1198) श्री दुर्गालाल विजय : क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) श्योपुर विधानसभा क्षेत्रांतर्गत वर्ष, 2011-12 से वर्तमान तक वर्षवार कौन-कौन से नवीन 33/11 विद्युत सबस्टेशनों के निर्माण कार्य के प्रस्ताव शासन को स्वीकृति हेतु भेजे गये, इनमें से कौन-कौन से कार्य प्रस्तावों को स्वीकृत किया गया ? कौन-कौन से शेष रह गये ? इन्हें कब तक स्वीकृत किया जावेगा ? (ख) वर्ष, 2014-15 में जो कार्य प्रस्ताव भेजे गये, उनमें क्या अलापुरा, पहाड़ली, रामवाड़ी व ननावद में नवीन सबस्टेशनों के प्रस्ताव भी शामिल हैं ? यदि नहीं, तो क्या इन्हें आवश्यक रूप से शामिल किया जावेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ? राड़ेप,

मकड़ावदा, चरौंद एवं सामरसा 33/11 विद्युत सबस्टेशन पूर्व से स्वीकृत हैं ? इनका कार्य प्रारंभ न होने का कारण व कब तक प्रारंभ कराये जावेंगे ? (ग) उक्त स्वीकृत कार्यों में से कौन-कौन से कार्य पूर्ण हो चुके हैं ? कौन-कौन से समयसीमा के पश्चात् भी अधूरे पडे हैं, इसका कारण व इस हेतु उत्तरदायियों के विरूद्ध शासन क्या कार्यवाही करेगा, इनकी धरातलीय भौतिक स्थिति क्या है ? (घ) क्या अब सभी अपूर्ण कार्यों को एक निश्चित समयसीमा में पूर्ण करा लिया जावेगा, ताकि इन कार्यों से संबंधित क्षेत्र में बिजली/वोल्टेज की समस्या समाप्त हो जावेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) विद्युत उपकेन्द्रों की स्वीकृति राज्य शासन द्वारा नहीं प्रदान की जाती तथापि श्योपुर विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत वर्ष 2011-12 से वर्तमान तक वर्षवार नवीन 33/11 के.व्ही. उपकेन्द्रों के निर्माण कार्य के वितरण कंपनी स्तर पर स्वीकृत प्रस्तावों की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है । उक्त परिप्रेक्ष्य में राज्य शासन को प्रस्ताव भेजे जाने, स्वीकृत करने एवं स्वीकृति हेतु शेष रहने का प्रश्न नहीं उठता । (ख) प्रश्नाधीन विद्युत उपकेन्द्रों (अलापुरा, पहाड़ली, रामवाड़ी व ननावद) के प्रस्ताव उत्तरांश (क) में दर्शाए अनुसार राज्य शासन को नहीं भेजे गये अपितु वितरण कंपनी स्तर पर प्राप्त हुए हैं जिनमें तकनीकी साध्यता एवं वित्तीय उपलब्धता के अनुरूप कार्यवाही की जायेगी । जी हाँ, ग्राम राडेप, मकड़ावदा, चरौंद एवं सामरसा में 33/11 के.व्ही. विद्युत उपकेन्द्र का कार्य स्वीकृत हैं जिनकी वर्तमान कार्य स्थिति सहित प्रश्नाधीन चाही गई **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है । ग्राम राडेप, मकड़ावदा एवं चरौंद में विद्युत उपकेन्द्रों का कार्य प्रगति पर है तथा ग्राम सामरसा में वितरण कंपनी द्वारा कार्यादेश जारी करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, अत: वर्तमान में कार्य आरंभ करने की समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है । (ग) उक्त स्वीकृत कार्यों में से पूर्ण एवं अधूरे कार्य जो पूर्ण करना है, की विलंब के कारण सहित **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है । अधूरे कार्यों के लिये कोई भी अधिकारी/ कर्मचारी दोषी नहीं है, अत: किसी के विरूद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता । (घ) जी हाँ, अपूर्ण कार्यों को यथाशीघ्र पूर्ण कराने के प्रयास किये जा रहे हैं ।

<u>**परिशिष्ट – "आठ"**</u>

<u>फीडर सेपरेशन के कार्य</u>

29. (क्र. 1199) श्री दुर्गालाल विजय : क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) श्योपुर जिले में फीडर सेपरेशन योजना कब स्वीकृत हुई योजना के अन्तर्गत कार्यो का विवरण, राशि कार्य पूर्ण की अवधि व एजेंसी की जानकारी दें ? (ख) उक्त कार्यों हेतु उक्त अवधि में वर्षवार कितनी-कितनी राशि प्राप्त हुई ? (ग) वर्तमान तक जिले में फीडर सेपरेशन योजना के अन्तर्गत कितने फीडरों के कार्य पूर्ण हो चुके हैं एवं इसके अन्तर्गत कितने ग्रामों को शामिल किया गया है, तथा निर्धारित समयावधि के पश्चात भी कितने फीडरों का कार्य

अपूर्ण /अप्रारंभ है इनके अपूर्ण/ अप्रारंभ रहने का कारण व इस हेतु कौन उत्तरदायी हैं, उनके विरूद्ध शासन क्या कार्यवाही करेगा ? (घ) वर्तमान स्थिति में कितने ग्राम उक्त योजनांतर्गत छूट गये हैं ? इन्हें जोड़ने हेतु फीडर सेपरेशन के नवीन कार्यों के क्या कोई प्रस्ताव शासन को स्वीकृति हेतु भेजे गये हैं ? यदि हाँ, तो कितने प्रस्ताव भेजे तथा इसके अंतर्गत कितने ग्रामों को शामिल किया गया ? (ड.) क्या वर्तमान तक पूर्ण हुए कार्य घटिया स्तर के कराये गये ? यदि नहीं, तो कार्यों में उपयोग की गई सामग्री की गुणवत्ता की जांच क्या शासन करवाएगा, तथा अपूर्ण/अप्रारंभ कार्यों को समयसीमा में पूर्ण करवायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) श्योपुर जिले में रू.41.98 करोड़ लागत की फीडर विभक्तिकरण योजना दिनांक 20.08.2011 को स्वीकृत हुई जिसके अन्तर्गत कृषि एवं गैर कृषि फीडरों को पृथक-पृथक करने के कार्य हेतु निर्धारित अवधि अनुबंध दिनांक 20.08.2011 से 18 माह थी । मेसर्स ज्योति स्ट्रक्चर लिमिटेड मुम्बई को निर्माण एजेंसी नियुक्त किया गया हैं । (ख) वर्षवार राशि का आवंटन नहीं किया जाता तथापि प्रश्नाधीन कार्य हेतु कुल रू.41.98 करोड़ की राशि आवंटित की गई है । (ग) वर्तमान तक 28 फीडरों का कार्य पूर्ण हो चुका है । योजना में 527 ग्रामों को शामिल किया गया है, जिसमें से 187 ग्रामों में कार्य पूर्ण हो चुका है । 07 फीडरों का कार्य अपूर्ण है, जिसमें संबंधित ठेकेदार एजेंसी द्वारा समय-समय पर पर्याप्त सामग्री/लेबर इत्यादि उपलब्ध नहीं कराने के कारण विलंब हुआ है । नियमानुसार उक्त ठेकेदार एजेंसी के देयकों से पेनल्टी स्वरूप रू.45.19 लाख की राशि काटी जा चुकी है । (घ) उक्त योजनान्तर्गत सन् 2001 की जनगणनानुसार श्योपुर जिले के सभी 527 ग्रामों को शामिल किया गया है । (ड.) जी, नहीं । कार्यों में उपयोग की गई सामग्री की गुणवत्ता की जाँच राष्ट्रीय स्तर की मान्यता प्राप्त लैब से करवाई जाने के उपरांत सामग्री मानक स्तर के अनुरूप पाये जाने पर ही उपयोग में ली जाती है । अत: अन्य कोई जाँच कराने की आवश्यकता नहीं है । अपूर्ण/अप्रारंभ कार्यों को मार्च 2015 तक पूर्ण कराने के प्रयास हैं ।

नि:शक्त कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण का लाभ

30. (क्र. 1268) श्री ठाकुरदास नागवंशी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या उच्चतम न्यायालय के निर्णय के पालन में प्रदेश के सभी नि:शक्त कर्मचारियों को पदोन्नति में नि:शक्त आरक्षण का लाभ नि:शक्त अधिनियम, 1995 के समय से देने के आदेश पारित किये हैं एवं सभी राज्य सरकारों को अपने नि:शक्त कर्मचारियों को पदोन्नति में लाभ देने के नियम की समय सीमा नियत की गई है ? (ख) क्या मध्यप्रदेश के नि:शक्त कर्मचारियों को शासकीय सेवा में पदोन्नति में आरक्षण प्रदान करने हेतु समय-समय पर नेता प्रतिपक्ष एवं अन्य कर्मचारी संगठनों ने प्रस्ताव प्रेषित किये है ? (ग) यदि प्रदेश के कार्यरत विभिन्न विभागों के नि:शक्त कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण देने हेतु संबंधित विभागों के अधिकारी/कर्मचारी भर्ती नियमों में उक्त प्रावधान जोड़ा जाकर कार्यवाही करने के निर्देश

कब तक जारी किये जावेंगे एवं माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का पालन प्रदेश में कब तक किया जावेगा ?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) जी हाँ । कोई समय-सीमा का निर्धारण नहीं की है । (ख) जी हाँ । (ग) भारत सरकार एवं अन्य राज्यों में नि:शक्तजनों का 03% हॅारिजेण्टल आरक्षण दिया जा रहा है और उन्हीं 03% नि:शक्त कर्मचारियों को पदोन्नति दी जाती है, जबकि मध्यप्रदेश राज्य में नि:शक्तजनों को सीधी भर्ती में ही 06% हॅारिजेण्टल आरक्षण दिया गया है । अर्थात् अन्य राज्यों में जहाँ 03% नि:शक्तजन लाभांवित होते हैं वहीं मध्यप्रदेश में 06% आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है । पदोन्नति में हॅारिजेण्टल आरक्षण का प्रावधान नहीं है ।

गैर परम्पारागत ऊर्जा से विद्‌युत व्यवस्था में की गई अनियमितता

31. (क्र. 1269) श्री ठाकुरदास नागवंशी : क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रश्न दिनांक तक प्रदेश के किन-किन वन ग्रामों एवं राजस्व ग्रामों में गैर परम्परागत ऊर्जा से सोलर पावर के रूप में विद्‌युत की व्यवस्था की गई ? (ख) सोलर ऊर्जा से जिन ग्रामों का विद्‌युतीकरण किया गया है वास्तविक रूप से उनकी देख-रेख एवं संधारण का कार्य किसे सौंपा गया है एवं संबंधितों के द्‌वारा क्या वास्तविक रूप से संधारण का कार्य किया जा रहा है ? (ग) यदि ऐसे सभी सोलर ऊर्जा से विद्‌युत प्राप्त नहीं हो रही है, तो संबंधित प्रदायकर्ताओं के विरूद्‌ध क्या कोई कार्यवाही की जावेगी ?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) ग्रामों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- ''अ'' एवं ''ब'' अनुसार हैं । (ख) **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''अ'' एवं ''ब''** में उल्लेखित ग्रामों में स्थापित संयंत्रों के पांच वर्ष तक संधारण का कार्य स्थापनाकर्ता इकाई द्‌वारा किया जाता है । (ग) सभी स्थापित संयंत्रों का पांच वर्ष तक देख-रेख एवं संधारण का कार्य इकाई द्‌वारा समय-समय पर किया जाता हैं । निविदा की शर्तों के अनुसार संयंत्रों के अकार्यशील होने की सूचना/शिकायत प्राप्त होने पर 30 दिवस के भीतर संयंत्रों के सुधार का कार्य संबंधित इकाई द्‌वारा किया जाता है । संधारण का कार्य इकाई द्‌वारा नहीं किये जाने पर निविदा शर्तो के अनुसार कार्यवाही का प्रावधान है ।

निजी बी.एड. कॉलेजों में फीस के नाम पर मनमाने तरीके से वसूली

32. (क्र. 1280) श्री आर.डी. प्रजापति : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छतरपुर जिले में कितने निजी बी.एड. व एम.एड. कालेज हैं, कितने संचालित है ? (ख) क्या सभी कॉलेजों में निर्धारित मापदण्ड की शर्तों का पालन किया गया है ? यदि नहीं, तो ऐसे कॉलेजों के नाम बतावें ? निर्धारित मापदण्ड के अनुसार कॉलेज नहीं होने पर क्या कार्यवाही की जावेगी ? (ग) शासन द्‌वारा निर्धारित फीस के अलावा अतिरिक्त फीस वसूले जाने पर क्या कार्यवाही की गयी है ? ऐसे कॉलेजों पर की गयी कार्यवाही का विवरण

ब्यौरेवार देवें ? (घ) क्या ऐसे कॉलेजों को बन्द करने के साथ-साथ अपराधिक प्रकरण दर्ज किये जायेंगे ? यदि हाँ, तो कब तक उक्त कार्यवाही की जावेगी ?

तकनीकी शिक्षा मंत्री (श्री उमाशंकर गुप्ता) : (क) छतरपुर जिले में 22 निजी बी.एड. कॉलेज संचालित हैं, जिनमें से एक कॉलेज में एम.एड. पाठ्यक्रम संचालित है । (ख) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित मापदण्डों की शर्तों को पूर्ण करने के पश्चात् ही मान्यता प्रदान की जाती है । शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है । (ग) जी नहीं । छतरपुर जिले में निर्धारित शुल्क के अलावा अतिरिक्त फीस वसूलने संबंधी कोई शिकायत नहीं है । शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है । (घ) प्रश्नांश-ग के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है ।

क्रेशर प्लान्ट का संचालन

33. (क्र. 1281) श्री आर.डी. प्रजापति : क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छतरपुर जिले के चन्दला विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कितने क्रेशर प्लान्ट संचालित है और वे क्रमश: किस प्रकार के पत्थर, गिट्टी, डस्ट का निर्माण कर रहे है ? (ख) क्रेशर प्लान्ट को आबादी, सार्वजनिक, कृषि क्षेत्र से कितनी दूरी पर स्थापित किया जाना चाहिये इस संबंध में नियम बतावें ? (ग) वर्तमान में चन्दला विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जो प्लान्ट स्थापित है उनमें से कितने ऐसे है जो निर्धारित दूरी के भीतर है ? (घ) उक्त समस्या को लेकर चन्दला विधानसभा क्षेत्र से कितनी शिकायतें प्राप्त हुई कि उक्त क्रेशरों से जनजीवन, स्वास्थ्य कृषि पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है, तथा इनका निराकरण कब तक किया जावेगा ?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) एवं (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है ।

अधिकारी/कर्मचारियों के समयमान वेतन निर्धारण/स्वीकृति

34. (क्र. 1299) श्री प्रहलाद भारती : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जल संसाधन विभाग में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारियों के समयमान वेतनमान का निर्धारण/स्वीकृति प्रमुख अभियंता, म.प्र.शासन, भोपाल द्वारा की जाती है ? यदि हाँ, तो वर्तमान में शिवपुरी जिले में किस-किस अधिकारी/कर्मचारी का समयमान वेतनमान का निर्धारण/स्वीकृति लंबित है ? (ख) क्या जल संसाधन विभाग शिवपुरी से दिनांक 30.6.2013 को सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारियों का समयमान वेतनमान का निर्धारण/स्वीकृति प्रश्न दिनांक तक प्रदाय कर दी गई है ? यदि हाँ, तो दस्तावेज उपलब्ध करावें ? यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं व इसके लिए कौन-कौन जिम्मेदार हैं ? (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार समयमान वेतनमान निर्धारण/स्वीकृति के अभाव में सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारियों को ग्रेज्युटी राशि का भुगतान नहीं हो पा रहा है ? यदि हाँ, तो क्या विभाग संबंधितों को ग्रेज्युटी राशि का भुगतान लंबित अवधि के ब्याज सहित करेगा व कब तक भुगतान कर दिया जायेगा ? (घ) प्रश्नांश (ग) अनुसार क्या उक्त ब्याज की राशि का शासन प्रकरण लंबित रखने वाले

अधिकारी/कर्मचारियों के वेतन से वसूल करेगा ? यदि नहीं, तो कारण स्पष्ट करें ? **जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) :** (क) राज्य स्तरीय संवर्गो के समयमान वेतनमान की स्वीकृति प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग द्वारा एवं अराज्यस्तरीय संवर्गो के समयमान वेतनमान की स्वीकृति मुख्य अभियंता कार्यालय से प्रदान की जाती है । वर्तमान में जल संसाधन विभाग शिवपुरी में किसी भी अधिकारी/कर्मचारियों का समयमान वेतनमान का निर्धारण/स्वीकृति लंबित नहीं है । (ख) से (घ) जी हाँ । दस्तावेज **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है । शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होते हैं ।

रामपुर डेम की नहरों का स्तरहीन निर्माण

35. (क्र. 1352) श्री रणजीतसिंह गुणवान : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या वर्ष 2013 से वर्ष 2014 के मध्य आष्टा विधानसभा क्षेत्र के रामपुरा डेम की नहरों का निर्माण करवाया गया है जो स्तरहीन होने के कारण किया गया कांक्रीट उखड़ गया जिसके कारण नहरें क्षतिग्रस्त हो गई हैं ? यदि हाँ, तो इसके लिये कौन दोषी है ? (ख) क्या नहरों को पक्की करने हेतु जो स्टीमेट तैयार किया गया था, उसके अनुसार कार्य हुआ ? कमाण्ड क्षेत्र की अधूरी नहरों को कब तक पक्का निर्माण कर पूरा कर दिया जावेगा ? (ग) यदि हाँ, तो किन-किन अधिकारियों द्वारा इसका भौतिक मूल्यांकन किया गया ? नाम व पद सहित जानकारी देवें तथा किन-किन दिनांकों में किया गया ?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) जी नहीं, निर्माणाधीन कार्य की गुणवत्ता ठीक होकर नहरें क्षतिग्रस्त होने की स्थिति नहीं हैं । शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है । (ख) जी हाँ । नहरों की लाईनिंग का कार्य सिंचाई उपरांत पर्याप्त समय मिलने पर निर्भर होने से समय-सीमा नियत करना संभव नहीं है । (ग) निर्माण कार्य का मूल्यांकन कार्यपालन यंत्री श्री अमिताभ मिश्रा ने दिनांक 15.10.2014, 27.10.2014 एवं 28.01.2015 किया जाना प्रतिवेदित है ।

आई.ए.एस. के स्वीकृत पद

36. (क्र. 1375) श्रीमती ऊषा चौधरी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. शासन में कितने पद आई.ए.एस. के स्वीकृत हैं, तथा कितने पद भरे हैं एवं कितने पद रिक्त हैं, जानकारी देवें ? (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित आई.ए.एस. अधिकारियों में कितने पद पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के अधिकारी पदस्थ एवं कार्यरत हैं, नामवार सूची देवें ? (ग) क्या इन वर्गों के अधिकारियों को इनकी वरिष्ठता के आधार पर महत्वपूर्ण पदों एवं विभागों में रखा गया है या नहीं ? (घ) क्या कलेक्टरों की पदस्थापना करते समय इन्हें भी वरीयता के आधार पर कलेक्टर के पद पर पदस्थापना की जाती है ? यदि नहीं, तो क्यों ? जिलों में पदस्थ अनु.जाति/अनु.जनजाति के अधिकारियों की सूची देवें ?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) मध्यप्रदेश में आई.ए.एस. संवर्ग की स्वीकृत

प्राधिकृत संख्या 417 है, इनमें से 327 भरे हुए पद तथा रिक्त पद 90 है । (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''अ'' एवं ''ब'' अनुसार** है । (ग) आई.एस.एस. अधिकारियों की पदस्थापना उनके ग्रेड और प्रशासनिक आवश्यकताओं अनुसार की जाती है । (घ) उत्तरांश ''ग'' अनुसार । प्रश्न उपस्थित नहीं होता । **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''स'' अनुसार** है ।

विद्युत बिल के बकायादारों को सूचना-पत्र जारी किया जाना

37. (क्र. 1438) श्री निशंक कुमार जैन : क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विदिशा जिले के गंजबसौदा नगरीय सीमा में आने वाले कितने विद्युत उपभोक्ताओं को बिल बकाया होने पर गत एक वर्ष में सूचना पत्र जारी किया ? कितने उपभोक्ताओं का बिजली कनेक्शन काटा गया एवं उस पर कितना बकाया होना बताया गया ? (ख) उपरोक्त अवधि में कितने उपभोक्ताओं ने अधिक बिजली बिल की शिकायत की ? कितने उपभोक्ताओं के बिल और मीटर की कंपनी के द्वारा जांच की गई तथा कितने उपभोक्ताओं की शिकायत की प्रश्नांकित तिथि तक जांच नहीं की जा सकी ? (ग) उपरोक्त अवधि में किस विद्युत उपभोक्ता पर बकाया बिल होने के कारण बिजली कनेक्शन काटे जाने के साथ ही मीटर/सर्विस लाईन निकाली जाकर कंपनी के द्वारा किस दिनांक को ले जाया गया ? इस मीटर और सर्विस लाईन की कितनी राशि कंपनी ने खर्च की थी, कितनी राशि उपभोक्ता के द्वारा खर्च की गई ?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) विदिशा जिले के अन्तर्गत गंजबासौदा नगरीय सीमा में आने वाले 252 विद्युत उपभोक्ताओं के विद्युत बिल बकाया होने पर गत एक वर्ष में सूचना पत्र जारी कर उनके विद्युत कनेक्शन काटे गए । उक्त 252 विद्युत उपभोक्ताओं पर विद्युत बिल की बकाया राशि रू. 63.56 लाख थी । (ख) उपरोक्त अवधि में 536 उपभोक्ताओं ने अधिक बिजली बिल की शिकायतें दर्ज कराई जिनका मौके पर भार एवं रीडिंग संबंधी निरीक्षण कर बिल में आवश्यक सुधार किया गया । साथ ही विद्युत मीटर संबंधी 50 शिकायतें प्राप्त हुई तथा इन प्रकरणों में उपभोक्ताओं के मीटरों का मीटर टेस्टिंग लेब, भोपाल में परीक्षण कर, परीक्षण परिणाम के अनुसार उपभोक्ताओं के विद्युत बिलों में आवश्यक सुधार किया गया । वर्तमान में मीटर संबंधी कोई भी शिकायत जाँच हेतु शेष नहीं है । (ग) प्रश्नाधीन अवधि में 252 उपभोक्ताओं पर विद्युत बिल की बकाया राशि होने के कारण विद्युत कनेक्शन काटे जाने के साथ ही मीटर एवं सर्विस लाईन निकाली गयी है, जिनकी उपभोक्तावार एवं दिनांकवार सूची **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है । कंपनी द्वारा उपभोक्ता के परिसर में मीटर लगाया जाता है जिसकी वर्तमान में कीमत प्रति मीटर (सिंगल फेस) रूपये 829 एवं प्रति मीटर (थ्रीफेज) रूपये 2145 है । सर्विस लाईन उपभोक्ता द्वारा लगाई जाती है, अत: समय-समय पर उपभोक्ता द्वारा लगाई गई सर्विस लाईन की कीमत की जानकारी दिया जाना संभव नहीं है ।

नवीन विद्युत पोल लगाने के नियम

38. (क्र. 1439) श्री निशंक कुमार जैन : क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जीर्णशीर्ण विद्युत पोल बदलने, रास्ते आदि में आने वाले पोल बदलने, किसी के रिहायशी भूखण्ड में लगाए गए पोल को बदले जाने एवं नवीन पोल लगाए जाने के वर्तमान में क्या-क्या नियम प्रचलित है ? जीर्णशीर्ण विद्युत पोलों को बदले जाने एवं ग्रामीण रास्तों पर लगा दिए गए पोलों को बदले जाने के संबंध में विद्युत कंपनी की क्या-क्या जिम्मेदारी निर्धारित की गई है ? (ख) जनवरी 2014 से प्रश्नांकित तिथि तक प्रश्नकर्ता के द्वारा किस-किस विषय पर किस दिनांक को पत्र लिखा गया ? पत्र किस दिनांक को विद्युत कम्पनी के कार्यपालन यंत्री विदिशा या अधीक्षण यंत्री विदिशा के कार्यालय में प्राप्त हुआ है ? उसमें से किस पत्र में विद्युत पोल को बदले जाने की अनुशंसा की गई है या मांग की गई है ? किस पत्र में किस स्थान पर नवीन पोल लगाए जाने की मांग की गई है ? (ग) प्रश्नकर्ता के प्राप्त पत्रों एवं अनुशंसा के बाद किस स्थान के जीर्णशीर्ण विद्युत पोल को बदला गया किस रास्ते पर आने वाले पोल को बदला गया ? कितने नवीन पोल लगाए गए ? कितने पोल बदले जाना वर्तमान में भी लम्बित है ? (घ) जीर्णशीर्ण पोल बदले जाने एवं रास्तों से पोल हटाए जाने एवं नवीन पोल लगाने की कार्यवाही कब तक की जावेगी ?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) जीर्णशीर्ण हो चुके पोल हटाने हेतु वितरण कंपनी की योजनाओं में उपलब्ध फंड से कार्य किया जाता है । रास्ते आदि में आने वाले पोलों को हटाने संबंधित कार्यवाही नगरीय निकायों द्वारा योजनान्तर्गत आवश्यक राशि जमा करने के पश्चात् नियमानुसार की जाती है । रिहायशी भू-खंड में लगाये गये पोल को हटाने हेतु नियमानुसार उपभोक्ता से पोल शिफ्टिंग के लिये आवश्यक राशि ''जमा योजनान्तर्गत'' जमा करवाकर कार्य पूर्ण कराया जाता है । ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जाति/जनजाति बस्तियों में आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग से विशेष घटक एवं आदिवासी उपयोजना अन्तर्गत राशि प्राप्त होने पर नवीन पोल लगाये जाते हैं एवं नगरीय क्षेत्रों में नगरीय निकाय द्वारा प्रेषित मांग एवं आवश्यक धन राशि जमा करने के उपरांत नियमानुसार नवीन पोल लगाये जाते हैं । (ख) जनवरी 14 से प्रश्नांकित तिथि तक माननीय प्रश्नकर्ता विधायक महोदय द्वारा लिखे गए पत्र, विद्युत वितरण कंपनी के कार्यपालन यंत्री, अधीक्षण यंत्री, विदिशा कार्यालय में उक्त पत्रों की प्राप्ति की जानकारी तथा उक्त प्रेषित पत्रों के माध्यम से अनुशंसित कार्यों का पूर्ण विवरण **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार** है । माननीय विधायक महोदय के पत्र क्रमांक 876 दिनांक 13.10.2014 द्वारा विद्युत पोल को बदले जाने की अनुशंसा/मांग एवं नवीन पोल लगाए जाने की मांग की गई है । (ग) माननीय प्रश्नकर्ता विधायक महोदय के पत्र क्रमांक 876 दिनांक 13.10.2014 में उल्लेखित मांग के

अनुसार बासौदा शहर/ग्रामीण क्षेत्र में जीर्णशीर्ण विद्युत पोल बदलने, रास्ते में आने वाले पोल शिफ्ट करने एवं नवीन पोल लगाये जाने के कार्य की प्रगति निम्नानुसार है :-

अनुशंसित कार्य			**पूर्ण किया गया कार्य**			**शेष कार्य**		
नवीन पोलों की संख्या	**जीर्णशीर्ण पोल बदलने की संख्या**	**पोल शिफ्ट किए जाने की संख्या**	**नवीन पोलों की संख्या**	**जीर्णशीर्ण पोल बदल ने की संख्या**	**पोल शिफ्ट किए जाने की संख्या**	**नवीन पोलों की संख्या**	**जीर्णशीर्ण पोल बदलने की संख्या**	**पोल शिफ्ट किए जाने की संख्या**
256	8	13	88	3	4	168	5	9

प्रश्नाधीन चाहा गया विस्तृत विवरण **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार** है । (घ) उत्तरांश 'ग' के अनुसार शेष रहे जीर्णशीर्ण पोल बदले जाने, रास्ते से पोल हटाए जाने एवं नवीन पोल लगाए जाने का प्रश्नाधीन कार्य क्षेत्र में क्रियान्वित की जा रही आरएपीडीआरपी योजना में ठेकेदार एजेंसी से जून-2015 तक पूर्ण कराए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं ।

<u>वाहनों में क्षमता से ज्यादा लोडिंग से शासन को रायल्टी हानि</u>

39. (क्र. 1465) श्री भारत सिंह कुशवाह : क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) खनिज विभाग द्वारा दस चक्का डम्फर, छः चक्का डम्फर और ट्रेक्टर ट्राली वाहन पर कितने-कितने घन मीटर की रायल्टी किस-किस वाहन पर काटने का प्रावधान है ? वाहन सहित, घन मीटर, रेत एवं काली गिट्टी सहित बतायें ? (ख) क्या खनिज विभाग के द्वारा भ्रमण कर खनिज से भरे वाहनों की लोडिंग अनलोडिंग की रायल्टी चेक की जाती है ? लोडिंग, अनलोडिंग मापने का क्या मापदण्ड है ? क्या खनिज विभाग द्वारा ग्वालियर, दतिया, भिण्ड खनिज ले जाते हुये वाहनों को चेक किया गया ? यदि हाँ, तो वर्ष 2013 से प्रश्न दिनांक तक कितने वाहनों पर लोडिंग अनलोडिंग के प्रकरण बनाये गये है ? बनाये गये प्रकरणों में कितना अतिरिक्त राजस्व विभाग को प्राप्त हुआ ? (ग) क्या क्षमता से ज्यादा खनिज सम्पदा ले जाने से शासन को दो तरफा नुकसान नहीं होता है ? क्षमता से ज्यादा ले जाने पर राजस्व रायल्टी घनमीटर की चोरी व स्टेट हाईवे समय से पहले खराब एवं जीर्ण शीर्ण नहीं होते क्या ? क्या विभाग दो तरफा राजस्व हानि रोकने के लिये विभाग की गाईड लाईन में संशोधन करेगा ? यदि हाँ तो बतायें ?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) प्रश्नाधीन वाहनों में मात्रा अनुरूप रायल्टी काटने के कोई प्रावधान खनिज नियमों में नहीं है । वास्तविक परिवहन किए जाने वाली मात्रा का

इन्द्राज अभिवहन पास में किया जाता है । परिवहन क्षमता के अनुरूप ही खनिज परिवहन किया जाना सुनिश्चित किया जाता है । अत: वाहन में समय-समय पर किए जाने वाला परिवहन भिन्न-भिन्न होने से प्रश्नांश की जानकारी दिया जाना संभव नहीं है । (ख) खनिज से भरे वाहनों की लोडिंग अनलोडिंग की रायल्टी चैक करने का कोई प्रावधान नियमों में नहीं है और न ही इसके मापने का कोई मापदण्ड निर्धारित है । खनिज परिवहन करने वाले वाहनों के साथ जारी की गई रायल्टी रसीद में अंकित खनिज मात्रा की जांच की जाती है । ग्वालियर, दतिया एवं भिण्ड में खनिज परिवहन की नियमित जांच सतत् प्रक्रिया है । रायल्टी रसीद में अंकित मात्रा से अधिक मात्रा में खनिज का परिवहन किए जाने के जिला ग्वालियर में प्रश्नाधीन अवधि में 82 प्रकरण, जिला भिण्ड में 595 प्रकरण तथा जिला दतिया में 76 प्रकरण पंजीबद्ध किए गए, जिनमें क्रमश: राशि रूपये 1555000 ग्वालियर जिले में, रूपये 20286914 भिण्ड जिले में तथा रूपये 2322000 जिला दतिया में वसूल किया गया । (ग) रायल्टी रसीदों में अंकित खनिज मात्रा से अधिक मात्रा परिवहन किए जाना अवैधानिक उत्खनन की श्रेणी में आता है । अत: विभाग द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जाती है । इसके अलावा परिवहन क्षमता से अधिक परिवहन किया जाना परिवहन नियमों का उल्लंघन है । अत: परिवहन विभाग द्वारा पृथक से कार्यवाही की जाती है । क्षमता से अधिक परिवहन किए जाने पर सतत् जांच से राजस्व हानि जैसी स्थिति नहीं है । नियम में कार्यवाही के प्रावधान पूर्व से ही है । अत: पृथक से गाईड लाईन की आवश्यकता नहीं है ।

<u>कृषि पम्पों के बिल भार में बदलाव</u>

40. (क्र. 1502) श्री चम्पालाल देवड़ा : क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या रायसेन एवं देवास जिलों में कृषकों के कृषि पम्पों के बिल 3 H.P. से 5 H.P. एवं 5 H.P. से 7.5 H.P. के कर दिये गये है यदि हाँ, तो क्यों कारण बताये तथा किसके आदेश सें ? (ख) क्या उपभोक्ता परिसर का निरीक्षण एवं भार सत्यापन उपरांत ही अधिक या उपयोग किये गये भार के बिल दिये जा रहे है यदि हाँ, तो 1.9.14 से 31 जनवरी 15 तक उक्त जिलों में कितने कृषकों के भार का सत्यापन किसने किया ? (ग) उक्त अवधि में उक्त जिलों में भार सत्यापन करने वाले अधिकारी तथा विभाग ने संबंधित कृषक को बिल के पूर्व सूचना क्यों नहीं दी ?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) जी नहीं । (ख) विद्युत कंपनी के अभिलेखों में दर्ज संयोजित भार के अनुसार कृषि पम्प उपभोक्ताओं को विद्युत देयक दिये जा रहें हैं । जिन प्रकरणों में औचक निरीक्षण एवं भार सत्यापन करने पर अभिलेखों में दर्ज संयोजित भार से अधिक भार पाया जाता है उनमें पाये गये भार के अनुरूप विद्युत देयक दिये जा रहे है एवं तदनुसार अभिलेखों में भी संयोजित भार पुनरिक्षित किया जा रहा है । दिनांक 01.09.2014

से 31.01.2015 तक रायसेन एवं देवास जिलों में क्रमश: 331 एवं 889 कृषकों के सिंचाई पम्पों के भार का सत्यापन किया गया है । उक्त सत्यापन सहायक प्रबंधक, कनिष्ठ यंत्री, सहायक यंत्री एवं कार्यपालन यंत्री पद के अधिकारियों द्वारा किया गया । (ग) भार सत्यापन की प्रक्रिया के अनुसार स्थल पर सिंचाई पम्प के भार का मापन किया जाता है, एवं यदि मौके पर उपभोक्ता अथवा उनका प्रतिनिधि उपस्थित रहता है तो पंचनामें की प्रति अथवा निरीक्षण नोट की प्रति उसी समय संबंधित को प्रदान की जाती है, अत: संबंधित कृषक को बिल करने के पूर्व अन्य कोई अन्य सूचना नहीं दी जाती है ।

अवैध शराब की बिक्री

41. (क्र. 1503) श्री चम्पालाल देवड़ा : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) देवास जिले के विकास खण्ड बागली, कन्नोद तथा रायसेन जिले में कहाँ-कहाँ देशी तथा विदेशी शराब की दुकानें संचालित हैं उक्त दुकानों पर मासिक शराब बिक्री का क्या लक्ष्य हैं ? (ख) उक्त दुकानों के संचालन शराब बिक्री के संबंध में, शासन द्वारा क्या-क्या शर्तें-निर्देश हैं उनकी प्रति दें ? विभाग के किन-किन अधिकारियों द्वारा विगत एक वर्ष में उक्त दुकानों का कब-कब निरीक्षण किया ? (ग) उक्त ठेकेदारों द्वारा गांव-गांव में अवैध शराब बेचने की माननीय मंत्रीजी तथा जिला प्रशासन को किन-किन माध्यमों से शिकायतें प्राप्त हुई ? (घ) उक्त शिकायतों पर आज दिनांक तक क्या-क्या कार्यवही की गई पूर्ण विवरण दें ?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है

सैलाना वि.क्षे. में विद्युत कनेक्शन

42. (क्र. 1600) श्रीमती संगीता चारेल : क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सैलाना वि.क्षे. में कितने गांव, मजरे, टोले, में 1 जनवरी 2011 के पश्चात् कितने नये कनेक्शन दिये गये ? प्रश्न दिनांक तक कितने क्षेत्रों के कितने गांव में अभी भी विद्युत कनेक्शन नहीं दिये गये हैं ? (ख) आदिवासी क्षेत्रों में विद्युत वितरण हेतु कौन-कौन सी योजनाएं संचालित हैं तथा इन योजनाओं से सैलाना वि.क्षेत्र में कितने कार्य पूर्ण एवं अपूर्ण हैं ? अपूर्ण कार्य कब तक पूर्ण कर लिये जावेंगे ? (ग) उक्त विधान सभा क्षेत्र में किन-किन अधिकारी एवं कर्मचारियों के खिलाफ किन-किन व्यक्तियों के द्वारा कब-कहाँ पर शिकायत दर्ज करायी गयी है एवं इस पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) सैलाना विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत 01 जनवरी 2011 के पश्चात 408 ग्रामों/मजरों/टोलों में 26756 नये विद्युत कनेक्शन दिये गये हैं । प्रश्न दिनांक तक ऐसा कोई ग्राम नहीं है जिसमें अभी भी विद्युत कनेक्शन नहीं दिये गये हैं । (ख) आदिवासी क्षेत्रों सहित संपूर्ण प्रदेश में विद्युतीकरण/सघन विद्युतीकरण हेतु राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना संचालित हैं । सैलाना विधानसभा क्षेत्र में उक्त योजना के

अंतर्गत अभी तक 42 ग्रामों/बसाहटों में 25 के.व्ही.ए. क्षमता के 59 ट्रांसफार्मर, 40 कि.मी. 11 के.व्ही.ए. लाईन तथा 118 कि.मी. एल.टी.लाईन का कार्य पूर्ण कर 2411 घरेलू कनेक्शन दिये जा चुके हैं । प्रश्नाधीन क्षेत्र में उक्त योजना में 366 ग्रामों/बसाहटों में 25 के.व्ही.ए. क्षमता के 252 ट्रांसफार्मर, 225 कि.मी. 11 के.व्ही.लाईन तथा 522 कि.मी; एल.टी.लाईन का कार्य अपूर्ण है, जिससे 13759 घरेलू कनेक्शन दिया जाना प्रस्तावित है । उपरोक्त शेष कार्य अगस्त-2016 तक पूर्ण कर दिये जाएगें । इसके अतिरिक्त एस.सी.पी.योजना के अंतर्गत प्रश्नाधीन क्षेत्र के ग्राम कोटडा एवं करिया में 33/11 के.व्ही. के दो विद्युत उपकेन्द्रों के कार्य स्वीकृत है, जिसमें से प्रत्येक उपकेन्द्र की क्षमता 5 एम.व्ही.ए. है । इन उपकेन्द्रों का कार्य मार्च 2016 तक पूर्ण होना संभावित है । (ग) सैलाना विधान सभा में अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है, अत: कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

बुन्देलखंड पैकेज अंतर्गत नहरों के निर्माण में अनियमितता

43. (क्र. 1706) श्री प्रताप सिंह : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या दमोह जिले के विकासखंड जबेरा के ग्राम हरदुआ सुम्मेरसिंह एवं पटी महराजसिंह के कृषकों की भूमि के सिंचित रकबा में वृद्धि किये जाने के उद्देश्य से नहरों के निर्माण हेतु बुन्देलखंड पैकेज के अंतर्गत स्वीकृति जारी की गई थी ? यदि हाँ तो स्वीकृति दिनांक एवं स्वीकृत राशि तथा व्यय हुई राशि तथा निर्माण एजेंसी का नाम, पता बतलावें ? (ख) क्या विभाग की अनदेखी तथा अनियमितताओं के कारण किये गये निम्न स्तरीय निर्माण से नहरें पहली ही बारिश में अनेक जगह से ध्वस्त हो गई हैं ? क्या निर्माण एजेंसी को स्वीकृत राशि का भुगतान किया जा चुका है, यदि हाँ तो कितना ? (ग) नहरों के निम्न स्तरीय निर्माण संबंधी शिकायतें किसान संघ के ब्लाक अध्यक्ष एवं अन्य द्वारा समय-समय पर जिला एवं वरिष्ठ अधिकारियों को की गई थी, यदि हाँ तो जिलास्तरीय अधिकारी द्वारा स्थल की जांच कब-कब की गई है ? यदि नहीं की गई तो उसका क्या कारण रहा है ? क्या शासन स्वतंत्र एजेंसी से नहरों के निर्माण की जांच करावेगा, यदि हाँ तो कब तक ?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) जी नहीं, **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-"क" अनुसार** है । (ख) जी नहीं, पौडी परियोजना की नहर की लाईनिंग का अंश क्षतिग्रस्त हुआ था जिसकी मरम्मत निर्माण एजेंसी के व्यय पर कराई गई है । निर्माण एजेंसी को भुगतान की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-"क" अनुसार** है । (ग) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-"ख" अनुसार** है । मुख्य अभियंता, धसानकेन कछार, सागर को स्थल निरीक्षण कर आवश्यकतानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए है । शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है ।

परिशिष्ट – "नौ"

विद्युतीकरण कार्यों की जानकारी

44. (क्र. 1809) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेडा : क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजीव गांधी विद्युतीकरण योजनान्तर्गत मुंगावली विधान सभा क्षेत्र में विद्युतीकरण संबंधी कौन-कौन से कार्य किये जा रहे हैं ? ग्रामीण क्षेत्रों में योजनान्तर्गत कौन-कौन से प्रस्ताव प्राप्त हुये और प्राप्त प्रस्तावों पर क्या-क्या कार्यवाही की गई ? (ख) विधान सभा क्षेत्र मुंगावली में राजीव गांधी विद्युतीकरण योजनान्तर्गत कहाँ-कहाँ नवीन डी.पी. एवं पोल लगाने के प्रस्ताव प्राप्त हुये ? प्राप्त प्रस्तावों पर क्या कार्यवाही की गई है ? नवीन डी.पी. व पोल क्या लगा दिये गये हैं ? यदि हाँ तो कहाँ-कहाँ यदि नहीं तो क्यों ? कारण स्पष्ट करते हुये बताये कि कब तक लगा दिये जायेंगे ? (ग) विधान सभा क्षेत्र मुंगावली में कितने ग्रामों में अभी तक बिजली नहीं पहुंची हैं तथा कब तक पहुंचा दी जायेगी ?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) एवं (ख) बारहवीं पंचवर्षीय योजना में स्वीकृत राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में मुंगावली विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम बंगला चौराहा पर एक नवीन 33/।। के.व्ही. विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना एवं योजना के प्रावधानानुसार 102 बसाहटों को विद्युतीकृत करने का कार्य सम्मिलित किया गया है । योजना के क्रियान्वयन हेतु टर्न-की ठेकेदार मेसर्स इनरगो एब्सलुट, नई दिल्ली को कार्यादेश दिनांक 12.02.15 जारी किया गया है । कार्य एजेंसी द्वारा वर्तमान में अनुबंध नहीं किया गया है । अनुबंध पश्चात कार्य आंरभ किया जायेगा तथा अनुबंध दिनांक से 24 माह की अवधि में कार्य पूर्ण किया जाना है । उक्त 102 बसाहटों में प्रस्तावित कार्य की सूची **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है । उक्त योजना में पृथक से प्रस्ताव प्राप्त कर कार्यवाही का प्रावधान नहीं है । (ग) विधानसभा क्षेत्र मुंगावली के अंतर्गत आने वाले सभी ग्राम विद्युतीकृत है ।

अवैध खनिज परिवहन के प्रकरणों की मजिस्ट्रेट को सूचना

45. (क्र. 1825) श्रीमती रेखा यादव : क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या भोपाल नर्मदापुरम संभाग के लिए संचालनालय में कार्यरत उड़न दस्ते के द्वारा मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम 1996 के नियम 53 में प्रावधान होने के बाद भी गत दो वर्षों में अवैध खनिज परिवहन करते पकड़े गए वाहनों के संबंध में संबंधित मजिस्ट्रेट को कोई सूचना नहीं दी गई ? (ख) नियम 53 में मजिस्ट्रेट को सूचना दिए जाने या रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने के संबंध में क्या-क्या प्रावधान दिया गया है ? इस प्रावधान में उड़न दस्ते को क्या-क्या छूट प्रदान की गई है ? (ग) गत दो वर्षों में उड़न दस्ते ने कितना गौण खनिज अवैध रूप से परिवहन करते पकड़ा ? (घ) उड़न दस्ते के द्वारा वाहन एवं गौण खनिज को सुपुर्दनामे पर न

दिए जाने संबंधित मजिस्ट्रेट को उसकी सूचना या रिपोर्ट न दिए जाने का क्या कारण रहा है ?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) म.प्र. गौण खनिज नियम 1996 के नियम 53 (5) में प्रश्मन के प्रावधान भी होने के कारण मजिस्ट्रेट को सूचना नहीं दी गई । (ख) म.प्र. गौण खनिज नियम 1996 के नियम 53 के उप नियम (3) में मजिस्ट्रेट को अपराध के विचारण हेतु रिपोर्ट प्रस्तुत करने के प्रावधान हैं । यह नियम अधिसूचित हैं, इस नियम में उड़नदस्ते को छूट दिये जाने के कोई प्रावधान नहीं हैं । (ग) प्रश्नाधीन अवधि में 618.50 घनमीटर गौण खनिज तथा गौण खनिज मिट्टी से निर्मित 08 हजार नग ईंट को अवैध रूप से परिवहन करते हुए पकड़ा गया । (घ) प्रश्नांश 'क' के उत्तर अनुसार ।

<u>वेट कर की राशि जमा न किया जाना</u>

46. (क्र. 1826) श्रीमती रेखा यादव : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या वेट कर अधिनियम 2002 की धारा 26 (1) में किए गए प्रावधानों के बाद भी छतरपुर वनवृत के अन्तर्गत आने वाले वन विभाग के विभिन्न कार्यालयों एवं संयुक्त वन प्रबंधन समितियों के द्वारा अप्रैल 2006 से मार्च 2014 तक क्रय की गई सामग्रियों पर वेट कर की कटौती कर छतरपुर, टीकमगढ़ एवं पन्ना जिले के वाणिज्यिक कर कार्यालय में प्रश्नांकित तिथि तक भी जमा नहीं करवाई है ? (ख) धारा 26 (1) में क्या प्रावधान है ? इसके अनुसार वन विभाग के कार्यालयों एवं संयुक्त वन प्रबंधन समितियों ने कितनी राशि छतरपुर, टीकमगढ़ एवं पन्ना जिले में किस-किस वर्ष में जमा करवाई एवं किस वर्ष में कोई राशि जमा नहीं करवाई गई ? (ग) धारा 26 (1) का पालन न किए जाने पर वाणिज्यिक कर विभाग छतरपुर, पन्ना एवं टीकमगढ़ के द्वारा किस-किस के विरूद्ध धारा 26 (6) के तहत कितनी राशि के संबंध में किस दिनांक को प्रकरण पंजीबद्ध किया ? यदि विभाग के द्वारा प्रश्नांकित तिथि तक भी प्रकरण पंजीबद्ध नहीं किया गया हो तो कारण बतावें ? (घ) कब तक वाणिज्यिक कर विभाग वन विभाग से जानकारी संकलित कर धारा 26 (6) के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर लेगा ?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) मध्यप्रदेश वेट अधिनियम 2002 की धारा 26 (1) में किए गए प्रावधानों के बाद छतरपुर वनवृत्त द्वारा अप्रेल 2006 से मार्च 2014 तक क्रय की गई सामग्रियों पर वेट की कटौती कर छतरपुर, टीकमगढ एवं पन्ना जिलों द्वारा संबंधित वाणिज्यिक कर कार्यालय में राशि जमा कराई गई है । वर्ष 2006-07 में उत्तर पन्ना वन मण्डल एवं दक्षिण पन्ना वन मण्डल द्वारा वेट की राशि जमा नहीं कराई गई है । संयुक्त वन प्रबंधन समितिओं द्वारा कोई भी सामग्री क्रय नहीं की गई है । अत: वेट की राशि जमा नहीं की गई है । (ख) मध्यप्रदेश वेट अधिनियम 2002 की धारा 26 (1) के प्रावधान **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ए अनुसार** है । प्रावधान अनुसार वन विभाग के कार्यालयों द्वारा छतरपुर, टीकमगढ एवं पन्ना जिले में जमा करवाई गई राशि की वर्षवार **जानकारी**

पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-बी अनुसार है । संयुक्त वन प्रबंधन समितियों के संबंध में प्रश्नांश (क) अनुसार वेट की राशि निरंक है । (ग) धारा 26 (1) का पालन न किए जाने पर वाणिज्यिक कर विभाग छतरपुर के द्वारा धारा 26 (6) के तहत मेसर्स उत्तर वन मण्डल क्षेत्र पन्ना टिन 2304702083 एवं दक्षिण वन मण्डल क्षेत्र पन्ना टिन 23267702059 के प्रकरण पंजीबद्व किये गये हैं । (घ) प्रश्नांश (ग) अनुसार वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा धारा 26 (6) के तहत प्रकरण पंजीबद्व कर लिये गये हैं ।

बकाया बिजली बिल वसूली में किसानों की संपत्ति की कुर्की

47. (क्र. 1856) श्री हर्ष यादव : क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सागर जिले में वर्ष 2014-15 में जनवरी 15 तक किसानों से बकाया बिजली बिल वसूली हेतु कितने किसानों की संपत्ति कुर्क की गई है ? विकासखंडवार, किसानों के नाम, वसूली राशि, कुर्क की गई संपत्ति सहित बतायें ? (ख) क्या किसानों के जीवन यापन हेतु जरूरी सामान की भी कुर्की की गई है ? कुर्क सामग्री का नाम, किसान का नाम, ग्राम, ब्लॉक सहित बतायें ? (ग) क्या शासन किसानों के बिजली बिल उनकी आर्थिक बदहाली को देखते हुये माफ करेगी ?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) सागर जिले में वर्ष 2014-15 में जनवरी 15 तक 1122 किसानों के विरूद्ध बिजली के बिल की बकाया राशि नहीं चुकाए जाने के कारण ड्यूज रिकव्हरी एक्ट 1961 के प्रावधानों के अन्तर्गत कुर्की की कार्यवाही शुरू हुई जिसके अन्तर्गत सामग्री (Attach) की गई है । विकासखण्डवार किसानों के नाम वसूल की गई राशि तथा संलग्न की गई सामग्री की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है । (ख) जी नहीं, अत: प्रश्न नहीं उठता । (ग) वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

आदिवासियों को शराब (कच्ची) बनाने में छूट

48. (क्र. 1954) श्री सज्जन सिंह उईके : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या म.प्र. आबकारी विभाग द्वारा आदिवासियों को शराब (कच्ची) बनाने में छूट दी गई है ? (ख) यदि हाँ तो प्रति परिवार तथा सामाजिक कार्य में छूट की मात्रा देवें ? (ग) विभाग द्वारा कितनी शराब (कच्ची) पर प्रकरण बनाया जा रहा है ? (घ) बैतूल में प्रश्न दिनांक तक कितने आदिवासी शराब प्रकरण के कारण जेल में है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) जी हाँ । मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 61-घ में अनुसूचित क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को देशी मदिरा का विनिर्माण करने की छूट केवल घरेलू उपयोग तथा सामाजिक और धार्मिक समारोहों पर उपभोग के प्रयोजनों के लिए दी गई है । इस प्रकार विनिर्मित की गई देशी मदिरा के विक्रय को प्रतिबंधित किया गया है । (ख) उपर्युक्त प्रकार के विनिर्मित की गई देशी मदिरा के कब्जे की अधिकतम सीमा प्रति व्यक्ति 4.5 लीटर और प्रति गृहस्थी 15 लीटर तथा विशेष परिस्थितियों में सामाजिक तथा धार्मिक समारोह के अवसर पर प्रति गृहस्थी 45 लीटर है ।

(ग) बैतूल जिले में आबकारी विभाग द्वारा अनुसूचित क्षेत्रों में 4.5 लीटर से अधिक कच्ची शराब के मात्र विक्रय/परिवहन किये जाने पर आपराधिक प्रकारण पंजीबद्ध किये जा रहे है । (घ) बैतूल जिले में आबकारी विभाग द्वारा पंजीबद्ध किये शराब प्रकरणों में प्रश्न दिनांक तक कोई आदिवासी जेल में नहीं है ।

उच्च शक्ति के ट्रांसफार्मर लगाये जाने विषयक

49. (क्र. 1969) श्रीमती नंदनी मरावी : क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला जबलपुर, विधान सभा सिहोरा क्षेत्रांतर्गत विकास खण्ड सिहोरा एवं कुण्डम में विद्युतीकरण ग्रामों में कहाँ-कहाँ उच्च शक्ति के ट्रांसफार्मर लगाया जाना आवश्यक है ? सूची उपलब्ध करायें ? वर्ष 2015 में कहाँ-कहाँ लगाया जाना प्रस्तावित है ? (ख) प्रश्नांश (क) कार्य किन-किन एजेन्सी के द्वारा कराया जाना है, तथा प्रत्येक ट्रांसफार्मर की लागत क्या है ?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) जबलपुर जिले के विधानसभा क्षेत्र सिहोरा क्षेत्रांतर्गत विकासखण्ड सिहोरा एंव कुण्डम में विद्युतीकृत ग्रामों में उच्च शक्ति के ट्रांसफार्मर लगाये जाने की आवश्यकता एवं वर्ष 2015 में प्रस्तावित कार्यों का स्थानवार विवरण **संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है । (ख) उत्तरांश (क) में उल्लेखित कार्य करने वाली एजेन्सी तथा ट्रांसफार्मर की लागत का विवरण **संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है ।

परिशिष्ट - "दस"

उपयंत्रियों के स्थानांतरण

50. (क्र. 1973) श्रीमती नंदनी मरावी : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला जबलपुर विकास खण्ड कुण्डम में विभागान्तर्गत कौन-कौन उपयंत्री कब से पदस्थ हैं ? सूची उपलब्ध करावें ? (ख) प्रश्नांश (क) कर्मचारियों को एक ही स्थान पर कितने समय तक पदस्थ रखने के नियम हैं ? प्रश्नकर्ता द्वारा बार-बार शिकायत करने पर भी क्यों नहीं हटाया गया ? कब तक हटा दिया जावेगा ?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) जल संसाधन उपसंभाग कुण्डम में उपयंत्री श्री उमेश प्रसाद दुबे, श्री ए.बी.शर्मा, श्री अनिल दुबे, श्री विनय चंद्र जैन एवं श्री आर.एन.शिवहरे 24.06.2013 से पदस्थ है । (ख) विषयांतर्गत कोई नियम नहीं है । स्थनान्तरण पर प्रतिबंध है । अत: शेष प्रश्नांश उत्पन्न नहीं होते है ।

नवीन महाविद्यालय खोलने की योजना

51. (क्र. 2005) श्री महेश राय : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) महाविद्यालय खोलेने हेतु शासन द्वारा क्या नीति निर्धारित की है ? (ख) यदि हाँ तो विधान सभा क्षेत्र बीना अन्तर्गत खिमलासा, एवं मंडीबामोरा, जिनकी जनसंख्या आस-पास

की पंचायतों को मिलाकर लगभग 30-30 हजार है, तो इन स्थानों पर महाविद्‌यालय खोलने में क्या कठिनाइयां उत्पन्न हो रही हैं ? (ग) खिमलासा से अन्य महाविद्‌यालयों की दूरी लगभग 20-20 कि.मी. है ? उक्त छात्र-छात्राओं के लिए शासन की क्या योजना है ? (घ) यदि भविष्य में महाविद्‌यालय खोलने की योजना है तो कब तक ?

तकनीकी शिक्षा मंत्री (श्री उमाशंकर गुप्ता) : (क) शासन द्‌वारा कोई नीति निर्धारित नहीं है । (ख) जी नहीं । वर्तमान में शासन द्‌वारा पूर्व से संचालित महाविद्‌यालयों में गुणवत्ता का विकास एवं सुदृढ़ीकरण किये जाने का कार्य किया जा रहा है । अतः विधानसभा क्षेत्र बीना अन्तर्गत खिमलासा एवं मंडीबामोरा में शासकीय महाविद्‌यालय प्रारम्भ करने में कठिनाई है । (ग) एवं (घ) प्रश्नांश "ख" के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

विधान सभा क्षेत्र बीना अंतर्गत स्वीकृत सिंचाई परियोजनाएं

52. (क्र. 2009) श्री महेश राय : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधान सभा क्षेत्र बीना अंतर्गत कितनी लघु सिंचाई परियोजनाएं स्वीकृत की गयी हैं ? (ख) यदि हाँ, तो ग्राम देवल की लघु सिंचाई परियोजना की प्रश्न दिनांक तक की क्या स्थिति है ? (ग) देवल की लघु सिंचाई परियोजना में क्या तकनीकी परेशानी आ रही है ? (घ) यदि तकनीकी परेशानी आ रही है तो पुन: सर्वे कराने का क्या प्रावधान है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) से (घ) विधानसभा क्षेत्र बीना में 6 लघु सिंचाई परियोजनाएं और 2 उद्‌वहन सिंचाई परियोजनाएं स्वीकृत होकर निर्मित है । देवल लघु सिंचाई परियोजना का डूब क्षेत्र सैच्य क्षेत्र की तुलना में बहुत अधिक (32.20 प्रतिशत) होने से परियोजना तकनीकी आधार पर असाध्य पाई गई है । डूब क्षेत्र कम किया जाना संभव नहीं होने से पुन: सर्वेक्षण कराने का औचित्य नहीं है ।

रानी दुर्गावती विश्वविद्‌यालय जबलपुर में पदस्थ कुल सचिव की जानकारी

53. (क्र. 2011) श्री अशोक रोहाणी : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रानी दुर्गावती विश्वविद्‌यालय जबलपुर में पदस्थ कुल सचिव का अतिरिक्त प्रभार किसे व कब से सौंपा गया है, नाम एवं मूल पदस्थापना बतावें ? कुल सचिव, सचिव का वेतन कहाँ से आहरित किया जा रहा है ? (ख) विश्वविद्‌यालय में पदस्थ कुल सचिव के प्रभार पर रहते हुए अभी तक कितनी यात्राऐं की गई है, यात्रा भत्ता या अन्य भत्तों के रूप में कितनी राशि का भुगतान विश्वविद्‌यालय द्‌वारा किया गया है ? प्रदेश व देश के बाहर कब-कब व किसलिए यात्राऐं की गई हैं, समस्त खर्चों की जानकारी बतायें ? कुल सचिव द्‌वारा उनके कार्यकाल में विश्वविद्‌यालय के वाहन अथवा किराए पर उपलब्ध वाहन कब, कहाँ, किस उद्‌देश्य से यात्रा हेतु उपयोग किये गये हैं ? (ग) विश्वविद्‌यालय में शैक्षणिक व गैर शैक्षणिक

(बैकलॉग) के भर्ती हेतु निकाले गये विज्ञापन में दर्शाये गये पदों की कितनी संख्या पूर्व से स्वीकृत है ? क्या स्वीकृत पदों से अधिक पद विज्ञापित किये गये ? यदि हाँ तो क्यों ? इन पदों पर भर्ती की क्या प्रक्रिया अपनाई जा रही है ?

तकनीकी शिक्षा मंत्री (श्री उमाशंकर गुप्ता) : (क) रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर में पदस्थ कुलसचिव को अतिरिक्त प्रभार दिनांक 07.03.13 को सौंपा गया था तथा दिनांक 17.05.14 से पूर्णकालिक कुलसचिव पदस्थ है । कुलसचिव का वेतन रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर से आहरित किया जा रहा है । (ख) दस यात्राऐं की गई । यात्रा भत्ते एवं अन्य भत्तों का भुगतान महाराजा छत्रसाल बुंदेलखण्ड विश्वविद्यालय, छतरपुर से किया गया । प्रभारी कुलसचिव द्वारा देश के बाहर यात्राएं नहीं की गई, सभी यात्राएं प्रदेश के अन्दर की गई । (ग) विश्वविद्यालय में शैक्षणिक व गैर शैक्षणिक (बैकलॉग) पदों के भर्ती हेतु निकाले गए विज्ञापन में दर्शाए गये पदों की संपूर्ण संख्या पूर्व से स्वीकृत है । जी नहीं । भर्ती की प्रक्रिया नियमानुसार अपनाई जा रही है ।

जले ट्रांसफार्मरों के बदलने की समय सीमा

54. (क्र. 2075) श्री संजय शर्मा : क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) तेंदूखेड़ा विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत 25 KVA के कितने ट्रांसफार्मर कहाँ-कहाँ के जले हैं ? ग्रामवार जानकारी उपलब्ध करायें ? (ख) जले ट्रांसफार्मरों को बदलने की क्या समय सीमा हैं ? (ग) जले ट्रांसफार्मर कब तक बदले जायेंगे ?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) तेन्दूखेड़ा विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत 25 के.व्ही.ए. क्षमता के 14 ट्रांसफार्मर जले हैं । जिनकी ग्रामवार **सूची संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है । (ख) म.प्र. विद्युत नियामक आयोग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में जले/खराब ट्रांसफार्मरों को (जुलाई से सितम्बर) बारिश के मौसम में 7 दिवस में तथा वर्ष की अन्य अवधि में तीन दिवस में बदले जाने तथा शहरी क्षेत्रों में अधिकतम 24 घंटे में बदले जाने की समय-सीमा निर्धारित की गई है । (ग) तेन्दूखेडा विधान-सभा क्षेत्र के अंतर्गत 25 के.व्ही.ए. क्षमता के 14 वितरण ट्रांसफार्मर जले हुये हैं, जिनसे संबंधित सभी उपभोक्ताओं पर विद्युत देयकों की बकाया राशि लंबित है । नियमानुसार अंश/पूर्ण बकाया राशि का भुगतान प्राप्त होने पर उक्त ट्रांसफार्मरों को बदलने की कार्यवाही की जा सकेगी, अत: समय सीमा बताना संभव नहीं है ।

परिशिष्ट - "ग्यारह"

सब स्टेशन का कार्य प्रारंभ किया जाना

55. (क्र. 2076) श्री संजय शर्मा : क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या तेंदूखेड़ा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत सुन्हेटी तिगड्डा पर विद्युत सबस्टेशन स्वीकृत हैं ? (ख) यदि हाँ, तो इसका कार्य प्रारंभ क्यों नहीं किया जा रहा हैं ? (ग) सब स्टेशन के निर्माण

का कार्य किस कंपनी द्वारा कराया जा रहा है ? (घ) कार्य कब से प्रारंभ होगा एवं कितने समय में पूर्ण कर लिया जावेगा ?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) जी हाँ, 33/11 के.व्ही. विद्युत उपकेन्द्र का कार्य स्वीकृत है । (ख) उक्त विद्युत उपकेन्द्र हेतु भूमि अधिग्रहित कर ली गई है एवं स्थल निरीक्षण कर प्राक्कलन स्वीकृत किया जा चुका है । विद्युत उपकेन्द्र का निर्माण कार्य ''टर्नकी'' कांट्रेक्टर द्वारा प्रस्तुत कार्य योजनानुसार अप्रैल-15 से प्रारंभ किया जाना अनुमानित है । (ग) प्रश्नाधीन 33/11 के.व्ही.विद्युत उपकेन्द्र सुन्हेटी का निर्माण कार्य ठेकेदार कंपनी मेसर्स गोदरेज एण्ड वॉयस मेन्यूफेक्चरिंग कंपनी लिमिटेड द्वारा कराया जा रहा है । (घ) कार्य योजनानुसार प्रश्नाधीन नवीन 33/11 के.व्ही. विद्युत उपकेन्द्र का कार्य अप्रैल-15 से प्रारंभ होना संभावित है तथा ठेके की शर्तों के अनुसार कार्य अप्रैल- 16 में पूर्ण होने की संभावना है ।

<u>जिला शहडोल में ट्रांसफार्मर खराब होना</u>

56. (क्र. 2098) श्रीमती प्रमिला सिंह : क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जिला शहडोल में विद्युत ट्रांसफार्मर की आपूर्ति हेतु किसी ठेकेदार को ठेका दिया गया है ? (ख) यदि हाँ, तो किस फर्म को ठेका दिया गया है ? (ग) विद्युत ट्रांसफार्मर खराब हो जाने या जल जाने के बाद भी कई महीनों तक नहीं बदले जाने के क्या कारण हैं ? (घ) ऐसी स्थिति में संबंधित फर्म के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) जी नहीं, शहडोल जिले हेतु किसी भी ठेकेदार को विद्युत ट्रांसफार्मर आपूर्ति करने का ठेका नहीं दिया गया है, अपितु जिला शहडोल में विभिन्न योजनाओं यथा राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, फीडर विभक्तिकरण योजना एवं आर.ए.पी.डी.आर.पी. के अन्तर्गत दिये गये प्रावधानों/निर्देशों के अनुसार सामग्री की पूर्ति कर कार्य पूर्ण करने का ठेका, टर्न-की ठेकेदारों को दिया गया है, जिसमें ठेकेदारों के द्वारा अन्य कार्यों के साथ ट्रांसफार्मर स्थापित करने का कार्य भी किया जा रहा है । (ख) उत्तरांश (क) के तारतम्य में 11वीं पंचवर्षीय योजना में स्वीकृत राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना हेतु मेसर्स एल्टेल पॉवर लिमिटेड सतना, फीडर विभक्तिकरण योजना के कार्य हेतु मेसर्स एन.एम.टी.पी.एल. उडीसा एवं आर.ए.पी.डी.आर.पी. योजना के कार्य हेतु मेसर्स एम.एम.ब्रदर्स जयपुर को टर्नकी आधार पर कार्य पूर्ण करने का ठेका प्रदान किया गया है । (ग) प्रश्नांश 'क' में उल्लेखित योजनाओं के अन्तर्गत गारंटी अवधि में ट्रांसफार्मर फेल होने पर संबंधित ठेकेदार फर्म द्वारा ट्रांसफार्मर बदला जाता है । यदि ठेकेदार द्वारा समय पर ट्रांसफार्मर नहीं बदला जाता है तो वितरण कंपनी के स्तर पर व्यवस्था कर ट्रांसफार्मर बदल दिया जाता है तथा ट्रांसफार्मर की प्रतिस्थापना हेतु खर्च की राशि संबंधित ठेकेदार/फर्म से वसूल की जाती है । फेल ट्रांसफार्मर बदलने में विलंब होने के मुख्य कारण ट्रांसफार्मर से संबद्ध उपभोक्ताओं

पर बकाया राशि का होना, पहुंच मार्ग उपलब्ध नहीं होना है । (घ) उत्तरांश 'ग' में दर्शाए अनुसार ठेकेदार के द्वारा गारंटी अवधि में फेल ट्रांसफार्मर नहीं बदलने पर वितरण कंपनी द्वारा ट्रांसफार्मर बदल दिया जाता है एवं प्रतिस्थापना हेतु खर्च की राशि संबंधित ठेकेदार/फर्म से वसूल की जाती है ।

एव्हरेज बिल दिए जाने की प्रक्रिया पर रोक

57. (क्र. 2115) पं. रमाकान्त तिवारी : क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या बगैर मीटर लगाये एव्हरेज बिल 100 से 200 यूनिट तक बनाये जाते है ? (ख) सिंगल प्वाइंट बिल में भी 100 से 200 यूनिट तक बनाये जाते हैं ? (ग) जिन उपभोक्ताओं के यहाँ अभी तक मीटर नहीं लगाये गये हैं उन उपभोक्ताओं के यहाँ बिजली के मीटर कब तक लगा दिये जायेंगे ? (घ) जब तक मीटर नहीं लगाये जाते तब तक एव्हरेज बिल दिये जाने की प्रक्रिया पर रोक लगाई जायेगी या नहीं ?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) एवं (ख) जी नहीं । (ग) गैर मीटरीकृत घरेलू उपभोक्ताओं के यहाँ क्रमश: संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार मीटर लगाए जा रहे हैं । मार्च-2016 तक शत-प्रतिशत मीटरीकरण का कार्य किया जाना अनुमानित है । (घ) बिना मीटर वाले उपभोक्ताओं को विद्युत देयक मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग के द्वारा जारी टैरिफ आदेश में निहित प्रावधानों के अनुसार जारी किये जा रहे हैं तथा जब तक ऐसे उपभोक्ताओं के परिसर में मीटर नहीं लग जाते तब तक उक्तानुसार ही बिल जारी किये जाएँगे । चूँकि नियमानुसार निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार बिल जारी किये जा रहे हैं, अत: उक्त प्रक्रिया पर रोक लगाए जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

नहर निर्माण में हो रही लापरवाही

58. (क्र. 2120) पं. रमाकान्त तिवारी : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रीवा जिले की त्योंथर तहसील में मिनी बाण सागर परियोजना में शासन के द्वारा दिये मैप के विपरीत ठेकेदार द्वारा कार्य किया जा रहा है ? यदि हाँ तो क्यों ? (ख) यदि शासन के द्वारा दिये गये मैप के विपरीत ठेकेदार द्वारा कार्य कराया जा रहा है, तो इसमें शीघ्र सुधार करायेगें एवं दोषी ठेकेदार के खिलाफ कार्यवाही करेगें ? यदि हाँ तो कब तक ?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) एवं (ख) रीवा जिले की त्यौंथर तहसील में मिनी बाणसागर परियोजना नाम की कोई परियोजना निर्मित, निर्माणाधीन अथवा स्वीकृत नहीं है ।

संविदा कर्मचारियों/अधिकारियों का नियमितीकरण

59. (क्र. 2125) श्री केदारनाथ शुक्ल : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मध्यप्रदेश शासन द्वारा प्रदेश के शासकीय विभागों में संविदा कर्मचारियों/ अधिकारियों

की नियुक्तियां की गई हैं ? यदि हाँ, तो किस-किस विभाग में ? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रदेश के विभागों में संविदा नियुक्तियों के आधारभूत नियम समान हैं ? यदि हाँ, तो नियम बताऐं ? यदि नहीं, तो भिन्नता किस-किस विभाग में है और क्यों ? (ग) क्या म.प्र. शासन द्वारा कुछ विभागों में संविदा कर्मचारियों/ अधिकारियों को उन्हीं पदों पर नियमित किया गया है, जिन पर वे कार्यरत थे ? यदि हाँ, तो विभागों के नाम बताएं ? (घ) जिन संविदा कर्मियों की सेवाओं में विभागों द्वारा स्वयं रूचि लेकर उनके कार्यों की उच्च गुणवत्ता को दृष्टिगत रखते हुए लगातार सेवाकाल में वर्षों से वृद्धि की जा रही है, तो क्या उनके भविष्य को दृष्टिगत रखते हुए उनकी सेवाएं उन्हीं पदों पर नियमित की जावेंगी ? यदि हाँ, तो समयसीमा बतावें ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) से (घ) की जानकारी एकत्रित की जा रही है ।

ब्यौहारी अंतर्गत भन्नी ग्राम में घोषित खदान की अनुज्ञप्ति

60. (क्र. 2170) श्री रामपाल सिंह : क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शहडोल जिले के तहसील ब्यौहारी अंतर्गत ग्राम भन्नी, पटवारी हल्का भन्नी, रा.नि.म. ब्यौहारी तहसील ब्यौहारी स्थित आराजी खसरा नंबर 347/3क रकवा 5.50 एकड़ में गौण खनिज में पत्थर की तुड़ाई, ढुलाई एवं बिक्री वर्ष 2010 से निरंतर की जाती है, उक्त आराजी खसरा नंबर की भूमि को खदान कब घोषित किया गया है, तथा पत्थर खुदाई हेतु किसे अनुज्ञप्ति दी गयी है और कब ? (ख) यदि खदान घोषित नहीं की गयी है और अनुज्ञप्ति भी नहीं दी गयी है तो अवैध खुदाई को रोकने के लिये अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) जी नहीं । प्रश्नाधीन खसरा नंबर की भूमि को किसी खदान हेतु घोषित नहीं किया गया है न ही उत्खनन हेतु अनुमति प्रदान की गई है । अत: शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है । (ख) प्रश्नांश 'क' में उल्लेखित भूमि पर अवैध उत्खनन संबंधी एक शिकायत कमिश्नर शहडोल को प्रस्तुत की गई थी । इसकी जांच में अवैध उत्खनन किया जाना इस भूमि पर पाया गया । अवैध उत्खनन कर्ताओं के विरूद्ध पत्थर खनिज के अवैध उत्खनन किए जाने पर म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 247 (7) के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व ब्यौहारी को प्रस्तुत किया गया । अवैध उत्खनन/परिवहन की रोकथाम हेतु टास्क फोर्स का गठन किया गया है एवं तहसील स्तर पर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , तहसीलदार, अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) एवं खनि निरीक्षक का दल गठित है ।

ट्रान्सफार्मर एवं अनियमित बिल का प्रदाय

61. (क्र. 2172) श्री रामपाल सिंह : क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शहडोल जिले की तहसील जयसिंह नगर अंतर्गत ग्राम भत्तू में विद्युत सुविधा उपलब्ध है ? यदि हाँ, तो क्या 02 अक्टूबर 2014 से उपरोक्त गांव का ट्रान्सफार्मर खराब है ? यदि हाँ, तो अब तक उस गांव में नया ट्रान्सफार्मर क्यों नहीं लगाया गया ? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार अक्टूबर 2014 से ट्रान्सफार्मर खराब होने के बाद भी विद्युत बिल का भार क्यों दिया गया ? (ग) क्या उपरोक्त संबंध में दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी यदि हाँ, तो कब तक ?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) जी हाँ । ग्राम भत्तू का ट्रांसफार्मर दिनांक 2 अक्टूबर 2014 को नहीं बल्कि दिनांक 12.12.14 को फेल हुआ था । उक्त फेल ट्रांसफार्मर से सम्बद्ध सभी 13 उपभोक्ताओं पर विद्युत बिल की बकाया राशि होने के कारण ट्रांसफार्मर नहीं बदला जा सका था किन्तु नियमानुसार बकाया राशि का अंश जमा होने पर दिनांक 12.02.15 को ट्रांसफार्मर बदल दिया गया है । (ख) उत्तरांश ''क'' में उल्लेखित वितरण ट्रांसफार्मर से सम्बद्ध सभी उपभोक्ताओं पर बकाया राशि होने के कारण नियमानुसार विद्युत देयक जारी किए गए हैं । (ग) उत्तरांश ''ख'' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न नहीं उठता ।

कृषकों को सिंचाई सुविधा

62. (क्र. 2212) श्री संजय उइके : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बालाघाट जिले की बैहर विधानसभा क्षेत्र में कौन-कौन से सिंचाई बांध/तालाब हैं ? इनकी डिजाइनिंग क्षमता कितनी थी ? कितनी भूमि सिंचित करने की परियोजना थी ? बांध/तालाब/नहरों का निर्माण कार्य कब पूरा किया गया है एवं कितने अपूर्ण हैं ? (ख) रबी एवं खरीफ के सीजन में वर्ष 2012-13 से 2014-15 तक प्रत्येक सिंचाई बांध/तालाब से कितनी भूमि प्रतिवर्षानुसार सिंचित की जा रही है ? (ग) क्या कुछ बांधों/तालाबों से सिंचाई नहीं हो पा रही है ? उसका क्या कारण है ? कब तक कृषकों को सिंचाई सुविधा पूरी करा दी जावेगी ?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) से (ग) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र -1 अनुसार** है ।

परिशिष्ट – ''बारह''

जलाशयों का सर्वे

63. (क्र. 2213) श्री संजय उइके : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विभाग द्वारा पचामा बांध एवं जमुनिया जलाशय के सर्वे का कार्य कराया जा रहा है ? (ख) यदि हाँ, तो कब तक सर्वे का कार्य पूर्ण करा लिया जावेगा ?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) एवं (ख) पचामा लघु सिंचाई परियोजना की प्रशासकीय स्वीकृति दिनांक 05-06-2012 को राशि रूपये 10.58 करोड़ की दी जा चुकी होने

से सर्वेक्षण की आवश्यकता नहीं है । जमुनिया नदी व्यपवर्तन परियोजना के सर्वेक्षण का कार्य पूरा कराया जा चुका है ।

प्रदेश के महाविद्यालयों में ग्रंथपाल/सहा. ग्रंथपाल के रिक्त पदों की भर्ती प्रक्रिया

64. (क्र. 2226) सुश्री उषा ठाकुर : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश के शा. महाविद्यालयों में ग्रन्थपाल/सहा. ग्रन्थपाल के कितने पद स्वीकृत हैं ? कितने रिक्त हैं ? (ख) प्रदेश के महाविद्यालयों में ग्रन्थपाल/सहा. ग्रन्थपाल के रिक्त पदों पर कब तक नियुक्ति की जावेगी ? (ग) ग्रन्थपाल/सहा. ग्रन्थपाल/प्राध्यापक/सहा. प्राध्यापक पदों पर नियुक्ति के नियम एक जैसे हैं, तो सेवानिवृत्ति की आयु क्रमश: 62 वर्ष एवं 65 वर्ष क्यों है ? एकरूपता क्यों नहीं है ? ग्रन्थपालों की सुवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष किये जाने का प्रस्ताव विचाराधीन है या नहीं ? यदि यह स्वीकृत होना है, तो कब तक ?

तकनीकी शिक्षा मंत्री (श्री उमाशंकर गुप्ता) : (क) सहायक ग्रंथपाल के 25 एवं ग्रंथपाल के कुल 390 पद स्वीकृत हैं जिसमें ग्रंथपाल के 256 पद रिक्त हैं । सहायक ग्रंथपाल के पद समाप्त होने वाले केडर के हैं । अतः उक्त पद डाईंग केडर के होने से रिक्त होने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है, क्योंकि पद डाईंग केडर का होने के कारण सेवानिवृत्ति अथवा अन्य किसी कारण से रिक्त होने की स्थिति में पद समाप्त हो जाता है । (ख) ग्रन्थपाल के रिक्त पदों को भरने हेतु लोक सेवा आयोग को मांग पत्र प्रेषित किया गया है । उत्तर "क" के परिप्रेक्ष्य में शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता । (ग) ग्रंथपाल, सहायक-ग्रंथपाल, प्राध्यापक, सहायक-प्राध्यापक के पदों की पूर्ति लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जाती है तथा सहायक-ग्रंथपाल तृतीय संवर्ग के होकर डाईंग केडर के हैं, जिनके सेवानिवृत्ति/पदोन्नति पश्चात पद समाप्त हो जाते हैं । यूजीसी नियमों के अनुसार शिक्षकीय वर्ग की सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष की गई है, किन्तु यूजीसी नियमों में ग्रंथपाल शिक्षकीय वर्ग में नहीं हैं । जी नहीं ।

शास. महाविद्यालयों में पदस्थ ग्रंथपालों की सेवानिवृत्ति आयु

65. (क्र. 2227) सुश्री उषा ठाकुर : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश के महाविद्यालयों के ग्रंथपाल/सहा. ग्रंथपाल की सेवानिवृत्ति हेतु आयु सीमा, क्या निर्धारित है ? (ख) महाविद्यालयों के शैक्षणिक प्राध्यापक/सहा. प्राध्यापकों एवं ग्रंथपाल/सहा. ग्रंथपाल की सेवानिवृत्ति आयु में एक रूपता लाने हेतु प्रस्ताव शासन स्तर पर विचाराधीन है ? (ग) प्राध्यापक/सहा. प्राध्यापक/ग्रंथपाल/सहा. ग्रंथपालों की सेवानिवृत्ति आयु संबंधी एक रूपता लाने संबंधी निर्णय कब तक होगा ?

तकनीकी शिक्षा मंत्री (श्री उमाशंकर गुप्ता) : (क) ग्रंथपालो की 62 वर्ष तथा सहायक ग्रंथपाल का पद तृतीय सवर्ग में होने से 60 वर्ष है । (ख) जी नहीं । (ग) उत्तरांश "ख" के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है ।

हरसी जल संसाधन विभाग डबरा के अधिकारियों के राशि की वसूली

66. (क्र. 2253) श्रीमती इमरती देवी : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) परिवर्तित अतारांकित प्रश्न क्र. 20 (548) दिनांक 5-12-2012 के उत्तर में हरसी जल संसाधन विभाग डबरा के अधिकारियों ने प्रथम दृष्टया आवश्यकता से अधिक समय के लिये वाहन लगाने एवं डीजल पर अधिक व्यय करने से जांच उपरांत दोषी अधिकारियों के विरूद्ध वसूली कि कार्यवाही करने का आश्वासन दिया था तथा प्रश्न क्र. 21 (1080) दिनांक 1-7-2014 के उत्तर में दोषी अधिकारियों के विरूद्ध मुख्य अभियंता ग्वालियर को एक माह के भीतर वसूली के आदेश करने हेतु निर्देशित किया गया ? यदि हाँ, तो संबंधित अधिकारियों से राशि वसूलने हेतु जारी पत्र की प्रति देवें ? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार हरसी जल संसाधन डबरा के अधीन किन-किन अधिकारियों की जांच कराई गई, नाम, पदनाम सहित बतावें ? दोषी पाये गये अधिकारियों से कितनी-कितनी राशि की वसूली कर संबंधितों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई नहीं तो क्यों नहीं, जबकि 02 वर्ष की अवधि पूर्ण हो चुकी है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) एवं (ख) जी हाँ । मुख्य अभियंता का आदेश की प्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''क''** में और प्रमुख अभियंता के आदेश की प्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''ब'' अनुसार** है ।

<u>क्रेशरों से प्राप्त रॉयल्टी</u>

67. (क्र. 2254) श्रीमती इमरती देवी : क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला ग्वालियर अंतर्गत बिलौआ के पास ग्राम रफादपुर, ऊदलपाड़ा में लगे क्रेशरों से कॉली गिट्टी विक्रय से वर्ष 2009-2010 से 2014-15 तक वर्षवार कितनी-कितनी रॉयल्टी राशि प्राप्त हुई, वर्षवार बतावें ? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार जिस स्थान कि खदानों से शासन को प्राप्त आय कि कितनी प्रतिशत राशि उस क्षेत्र में विकास कार्यों पर व्यय करने के आदेश हैं आदेश कि प्रति उपलब्ध करावें तथा इस क्षेत्र में प्रश्न दिनांक तक किस-किस व्यक्ति अथवा संस्था की क्रेशर किस दिनांक से किस कारण बंद है सूची उपलब्ध करावें ? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) अनुसार ग्राम रफादपुर एवं ऊदलपाडा क्षेत्र में जिस स्थान पर क्रेशर संचालित है उसके नजदीक लगभग आधा कि.मी. पर प्रिया गोल्ड स्टील प्लांट निर्माणाधीन है ? इस क्षेत्र में क्रेशरों से प्रदूषण फैलने से कौन-कौन सी क्रेशर बंद की जाना प्रस्तावित है ? यदि नहीं तो वर्तमान में किस-किस क्रेशर के संचालित होने पर प्रदूषण विभाग ने रोक लगाई है ?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) जिला ग्वालियर अंतर्गत बिलौआ के पास ग्राम रफादपुर, ऊदलपाड़ा में लगे क्रेशरों से काली गिट्टी विक्रय से वर्ष 2009-2010 से 2014-15 तक वर्ष वार प्राप्त रायल्टी राशि का विवरण निम्नानुसार है –

वर्ष	प्राप्त रायल्टी राशि
2009-10	12, 66, 590
2010-11	33, 28, 120

2011-12	1, 45, 15, 180
2012-13	1, 60, 67, 338
2013-14	60, 10, 080
2014-15	27, 47, 540 (जनवरी 15 तक)

(ख) जी नहीं । सदगुरू स्टोन क्रेशर ग्राम रफादपुर आबादी से 500 मीटर कम दूरी पर होने के कारण तथा मेसर्स हरदोल स्टोन उत्खनिपट्टा स्वीकृत नहीं होने के कारण बंद है । (ग) जी हाँ । क्रेशर बंद किया जाना प्रस्तावित नहीं है । वर्तमान में 2 क्रेशर के संचालन पर प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा रोक लगाई गई है ।

पी.एम.जी.एस.व्हाय./लोक निर्माण विभाग के मार्गो में बाधक विद्युत लाईन

68. (क्र. 2268) श्री हितेन्द्र सिंह सोलंकी : क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना एवं लोक निर्माण विभाग या अन्य किसी योजना में स्वीकृत सड़क के किनारें अत्यधिक नीचे विद्युत लाईन को विभाग द्वारा हटाये जाने के प्रावधान हैं यदि हाँ, तो बड़वाहा विधान सभा क्षेत्र में ऐसी कितने विद्युत लाईने है जो सड़क किनारे अत्यधिक नीचे आने के कारण हटाई जाना है ? (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार क्या संबंधित निर्माण विभाग द्वारा नीचे आने वाली विद्युत लाईन को हटाने के संबंध में निर्धारित शुल्क जमा किया जाता है ? यदि हाँ, तो जमा किये गये शुल्क की जानकारी वर्षवार दी जावें ? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के अनुसार मार्ग के किनारे स्थापित अत्यधिक नीचे विद्युत लाईन को हटाने के संबंध में कब तक कार्यवाही की जावेगी ?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा तथा विद्युत आपूर्ति संबंधी उपाय) विनियम-2010 की धारा 63 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति पहले से खड़ी ओवरहेड लाईन के नीचे नई इमारत अथवा अवसंरचना का निर्माण अथवा कोई विस्तार या फेरबदल करना चाहता है तो उसे विद्युत आपूर्तिकर्ता अथवा लाईन के स्वामी और इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर को नियमानुसार सूचित करना होता है । यदि तकनीकी रूप से प्रस्ताव व्यवहारिक है तो संबंधित व्यक्ति को ओव्हर हेड लाईन में फेरबदल की लागत का भुगतान करना होता है । विद्युत आपूर्तिकर्ता अथवा लाईन के स्वामी के पास उक्त अनुमानित लागत को जमा कराने के बाद अवसंरचना में किसी विस्तार अथवा फेरबदल की अनुमति उक्त धारा 63 की उपधारा 5 के अनुसार प्रदान की जा सकती है । बड़वाह विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना अन्तर्गत 03 मार्गो के तहत् 07 लोकेशन पर सड़क के किनारे या मार्ग निर्माण में बाधक विद्युत लाईनों को हटाने हेतु आवेदन प्राप्त हुये हैं, जिनका विवरण **संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है । (ख) जी हाँ, उत्तरांश (क) में दर्शाए अनुसार विद्युत लाईनों के विस्थापन हेतु निर्धारित शुल्क जमा कराना आवश्यक है किन्तु प्रश्नाधीन सातों

प्रकरणों में संबंधित निर्माण विभाग/संस्था द्वारा निर्धारित शुल्क जमा नहीं कराया गया है । (ग) उत्तरांश ''क'' में उल्लेखित 03 मार्गो के तहत् 07 लोकेशन पर संबंधित एजेंसी द्वारा नियमानुसार स्वीकृत प्राक्कलन के अनुरूप 05 प्रतिशत सुपरविजन चार्ज की राशि जमा करने के पश्चात् संबंधित निर्माण विभाग/संस्था द्वारा स्वयं के व्यय पर ''अ'' श्रेणी के विद्युत ठेकेदार से कार्य पूर्ण करवाया जाना है । वर्तमान में संबंधित निर्माण विभाग/संस्था द्वारा आवश्यक राशि जमा नहीं करने के कारण कार्य लंबित है, अत: समय-सीमा बताना संभव नहीं है ।

<u>परिशिष्ट – ''तेरह''</u>

<u>महाविद्यालयों के प्रोफेसरों एवं कर्मचारियों तथा नवीन महाविद्यालयों में स्वीकृत पद</u>

69. (क्र. 2283) श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) गुना जिले में कितने महाविद्यालय एवं कितने तकनीकी महाविद्यालय संचालित है उनमें कितने पद स्वीकृत है कितने पद रिक्त है कब तक भरे जायेंगे क्या निर्धारित योग्यता के अध्यापक एवं प्रिंसीपल इन महाविद्यालयों में पदस्थ है यदि नहीं तो कब तक पदस्थ होंगे ? (ख) विधानसभा क्षेत्र बमोरी में कितने महाविद्यालय एवं तकनीकी महाविद्यालय है यदि नहीं तो नवीन महाविद्यालय खोले जाने का कोई प्रस्ताव लंबित है यदि नहीं तो कोई कार्य योजना है ? (ग) क्या विधानसभा क्षेत्र बमोरी में अनुसूचित जनजाति वर्ग संख्या के मान से इस क्षेत्र में नवीन महाविद्यालय या तकनीकी विद्यालय नवीन खोलने का कोई प्रावधान है यदि हाँ, तो कब तक खोलेंगे ? (घ) क्या गुना जिले के समस्त उच्च शिक्षा केन्द्रों, तकनीकी केन्द्रों एवं लॉ कॉलेज में निर्धारित योग्यता के प्रिंसीपल या अध्यापक कार्यरत है यदि नहीं तो कब तक पदस्थ होंगे यदि नहीं होगें तो क्या उन महाविद्यालयों के संचालकों पर कब तक कार्यवाही करेंगे ?

तकनीकी शिक्षा मंत्री (श्री उमाशंकर गुप्ता) : (क) गुना जिले के अन्तर्गत 08 शासकीय महाविद्यालय, 06 अशासकीय महाविद्यालय, 01 शासकीय तकनीकी महाविद्यालय एवं 01 निजी तकनीकी महाविद्यालय संचालित हैं । शासकीय महाविद्यालयों एवं तकनीकी महाविद्यालय में स्वीकृत व रिक्त पदों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ", "ब" एवं "स" अनुसार** है । महाविद्यालय में कार्यरत अध्यापक एवं प्राचार्य निर्धारित योग्यता रखते हैं । पदों की पूर्ति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है । समय-सीमा बताना संभव नहीं है । (ख) विधानसभा क्षेत्र बमोरी में 01 अशासकीय महाविद्यालय संचालित है । जी नहीं । (ग) प्रश्नांश "ख" के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता । (घ) विधि महाविद्यालय, गुना के प्राचार्य के आहरण एवं संवितरण अधिकार शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, गुना के प्राचार्य को है । शेष उत्तर प्रश्नांश "क" के अनुसार । तकनीकी महाविद्यालयों के सेवा भर्ती नियमों में संशोधन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है तत्पश्चात रिक्त पदों की पूर्ति की जावेगी । समय सीमा बताना संभव नहीं है ।

केवलारी विधानसभा क्षेत्र के पर्यटन स्थलों के लिए राशि की स्वीकृति

70. (क्र. 2301) श्री रजनीश हरवंश सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या केवलारी विधानसभा क्षेत्र में प्रमुख रूप से आमोदा, गढ़ (छुई) वि.ख. सिवनी सिद्धधाट, वि.ख. (केवलारी) एवं मझगवां वि.ख. ? घनौरा पयर्टक के रूप में विकसित है ? (ख) यदि हाँ, तो क्या इन क्षेत्रों के विकास एवं सौन्दर्यीकरण हेतु राशि आवंटित किये जाने हेतु निवेदन किया गया था ? (ग) यदि हाँ, तो क्या यह राशि विभाग द्वारा स्वीकृत की गई है तथा कब तक कार्य प्रारंभ हो जायेगा ? यदि नहीं तो क्या शासन समुचित राशि का आवंटन उपलब्ध करायेगा ?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) से (ग) जी नहीं.

किसान अनुदान योजना के तहत ट्रांसफार्मर

71. (क्र. 2325) श्री प्रदीप अग्रवाल : क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दतिया जिले में विद्युत विभाग द्वारा किसान अनुदान योजना के तहत वर्ष 2013-14 व 2014-15 में कुल कितने ट्रांसफार्मर स्वीकृत किये गये एवं कितने कार्य पूर्ण किये गये विकासखण्डवार संख्या उपलबध करावें ? (ख) क्या शासन द्वारा स्वीकृति दिनांक से आवंटन करने की कोई समय सीमा निर्धारित है, यदि हाँ, तो अभी तक ऐसे कितने व्यक्ति है जिन्हें समय सीमा पूर्ण होने के बाद भी ट्रांसफार्मर प्रदाय नहीं किये गये हैं यदि नहीं तो आवंटन की क्या प्रक्रिया है ? (ग) क्या संबंधित सक्षम अधिकारी द्वारा बाद में रसीद काटे जाने वाले व्यक्ति को ट्रांसफार्मर प्रदाय कर दिया गया है जबकि उससे पूर्व की जिनकी रसीद कटी है उनको ट्रांसफार्मर नहीं दिया गया है, यदि ऐसा है तो इसकी उच्च स्तरीय जांच कराई जावे एवं दोषी अधिकारी कर्मचारी के खिलाफ दण्ड प्रस्तावित किया जावें ?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) दतिया जिले में म.प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा किसान अनुदान योजना के अन्तर्गत वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में स्वीकृत एवं पूर्ण किये गये ट्रांसफार्मरों के कार्यों की विकासखण्डवार संख्या निम्नानुसार है :-

क्र.	**विकास खण्ड**	**किसान अनुदान योजना अंतर्गत स्वीकृत एवं पूर्ण किये गये ट्रांसफार्मरों के कार्यों की संख्या**			
		वर्ष 2013-14		वर्ष 2014-15	
		स्वीकृत किये गये	पूर्ण किये गये	स्वीकृत किये गये	पूर्ण किये गये

1	भाण्डेर	96	96	99	88
2	दतिया	97	97	129	93
3	सेवढ़ा	273	273	218	183
4	योग जिला दतिया	466	466	446	364

(ख) जी हाँ । प्रश्नाधीन योजना के अंतर्गत आवेदन प्राप्त होने पर 30 दिवस में प्राक्कलन स्वीकृत कर, कार्यपालन यंत्री द्वारा कार्य एजेंसी को कार्यादेश जारी करने के दिनांक से 150 दिवस के अंदर (राइट ऑफ वे उपलब्ध होने पर) कार्य पूर्ण किये जाने की समय सीमा निर्धारित है । दतिया जिले में उपरोक्त निर्धारित समय सीमा के उपरांत 8 ट्रांसफार्मरों की स्थापना का कार्य पूर्ण नहीं किया जा सका है, जिसकी लंबित रहने के कारण सहित प्रकरणवार **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है । (ग) जी नहीं । उत्तरांश (ख) अनुसार संलग्न परिशिष्ट में दर्शाए गए कारणों से लंबित 8 कार्यों के अतिरिक्त सभी कार्य वरीयता क्रमानुसार किये गये हैं, अत: जाँच कराए जाने की आवश्यकता नहीं है ।

परिशिष्ट – "चौदह"

सागर नगर की आर.ए.पी.डी.आर.पी. योजना प्रगति के संबंध में

72. (क्र. 2349) श्री शैलेन्द्र जैन : क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अतारांकित प्रश्न 4166 दि. 19 मार्च 2013 (क) के उत्तरांश में सागर नगर की आर.ए.पी.डी.आर.पी. योजना को पूर्ण किए जाने की समय सीमा नवम्बर 2012 बतायी गई थी तथा खण्ड (ख) में 6 माह में पूर्ण किया जाना बताया गया था ? परि अता. प्रश्न क्रमांक 2692 दि. 15 जुलाई 2014 के (क) उत्तरांश में 89 प्रतिशत कार्य पूर्ण होना बतलाया गया था ? आज लगभग एक वर्ष होने जा रहा है क्या योजना पूर्ण हो गई है ? (ख) यदि नहीं हुई तो विलम्ब होने का कारण क्या है ? (ग) आर.ए.पी.डी.आर.पी. योजना के तहत् क्या कार्य किए जाना प्रस्तावित थे ? उनमें से कितने कार्य पूर्ण कर लिये गये हैं, कार्यवार बताएं ? (घ) क्या उक्त योजना के तहत सागर शहर में उन स्थानों पर भी विद्युतीकरण किया जाना प्रस्तावित था जहाँ विद्युत लाईन नहीं थी ? यदि हाँ तो वह कौन-कौन से क्षेत्र हैं जहाँ विद्युतीकरण का कार्य किया है ? नामवार बताएं ? यदि नहीं तो उन स्थानों पर विद्युतीकरण की क्या योजना है ?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) आर.ए.पी.डी.आर.पी. पार्ट-बी तहत सागर शहर हेतु मेसर्स के.ई.आई. इण्डस्ट्रीज नई दिल्ली को कॉन्ट्रेक्ट प्रदान किया गया है । अतारांकित प्रश्न क्रमांक 4166 दिनांक 19 मार्च 2013 के प्रश्नांश (क) के उत्तर में यह बताया गया था कि कॉन्ट्रेक्ट के अनुसार इस कार्य को नवम्बर 2012 तक पूर्ण करना था । प्रश्नांश (ख) के

उत्तर में एक सबस्टेशन का कार्य मार्च 2013 तक एवं दूसरे सबस्टेशन का कार्य सितम्बर 2013 तक पूर्ण किये जाने के लक्ष्य की जानकारी दी गई थी । एक उपकेन्द्र का कार्य 31 मार्च 2013 को पूर्ण किया जा चुका है तथा दूसरे उपकेन्द्र के निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध नहीं होने के कारण विद्यमान कैण्ट सबस्टेशन में एक अतिरिक्त 5 एम.व्ही.ए. क्षमता का ट्रांसफार्मर 28.09.2013 को स्थापित कर दिया गया है । जी हाँ, अतारांकित प्रश्न क्रमांक 2692 दिनांक 15.7.14 के उत्तरांश (क) में 89 प्रतिशत कार्य पूर्ण होना बताया गया था । वर्तमान में आर.ए.पी.डी.आर.पी. योजना में सागर शहर का 96 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है तथा शेष कार्य प्रगति पर है । (ख) नगरीय क्षेत्र में निरन्तर विद्युत आपूर्ति एवं त्यौहार इत्यादि के समयों में आवश्यकता अनुसार शटडाउन प्राप्त नहीं हो पाता है । इसके साथ-साथ आर.ओ.डब्ल्यू. एवं अन्य स्थानीय व्यवधानों के चलते भी कार्य प्रभावित हुआ है । कार्य समय पर पूर्ण नहीं किये जाने पर अनुबंध की शर्तों के अनुसार ठेकेदार के बिलों से लिक्विडेटेड डैमेज के रूप में पेनल्टी स्वरूप रू. 172.93 लाख की राशि काटी जा चुकी है । (ग) आर.ए.पी.डी.आर.पी. योजना में सागर टाउन में कार्यवार स्वीकृत बीओक्यू एवं पूर्ण किये गये कार्यों का **विवरण संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है । (घ) जी नहीं उक्त योजना के तहत सागर शहर में उन स्थानों पर विद्युतीकरण किया जाना प्रस्तावित नहीं था जहाँ विद्युत लाईन नहीं थी । सागर शहर के अविद्युतीकृत क्षेत्रों/बस्तियों में विद्युतीकरण हेतु सांसद/विधायक/नगरीय निकाय या अन्य मद से जमा योजना में राशि प्राप्त होने पर नियमानुसार साध्य पाये जाने पर विद्युतीकरण का कार्य कराए जाने की कार्यवाही की जावेगी ।

<u>परिशिष्ट - ''पंद्रह''</u>

<u>म.प्र. की लोक कलाओं, बुन्देलखण्ड की संस्कृति एवं परम्पराओं के संरक्षण प्रोत्साहन विषयक</u>

73. (क्र. 2350) श्री शैलेन्द्र जैन : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मेरे तारांकित प्रश्नांश क्रं. 4170 दिनांक 15 मार्च 2013 में (ख) के उत्तरांश में बताया गया था कि लोक कलाओं एवं बुन्देलखण्ड की परम्पराओं, संस्कृति को संरक्षित एवं प्रोत्साहन हेतु शासन द्वारा सागर संभागीय मुख्यालय पर संस्कृति केन्द्र/संस्थान स्थापित करने हेतु प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है ? अब तक उक्त प्रस्ताव पर क्या प्रगति हुई है ? (ख) उक्त प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में संस्कृति केन्द्र/संस्थान का प्रस्ताव कितनी लागत का है, तथा कब तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है ? उक्त कार्य पूर्ण करने की कोई समय सीमा है ? (ग) क्या योजना स्वीकृत हो गई हैं ? यदि स्वीकृत हुई है तो इसका स्वरूप क्या हैं ? यदि नहीं हुई तो क्या कारण है ? इस संबंध में शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ? (घ) क्या प्रदेश की लोक कलाओं बुन्देलखण्ड की संस्कृति, परम्पराओं के संरक्षण एवं प्रोत्साहन के लिये बुन्दलेखण्ड महोत्सव

प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता था ? इस वर्ष का महोत्सव कहाँ तथा कितनी राशि से किया जाना प्रस्तावित है ?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) सागर में टैगारे सांस्कृतिक भवन निर्माण हेतु डी.पी.आर. रू.08.03 करोड भारत सरकार संस्कृति विभाग को भेजी गई है. स्वीकृति अप्राप्त है. स्वीकृति हेतु अद्र्धशासकीय स्मरण पत्र भेजे गए है. (ख) प्रस्ताव रू. 08.03 करोड़ का है भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्ति की प्रतीक्षा है. इस कारण समय सीमा का निर्धारण संभव नहीं है. (ग) जी नहीं. मध्यप्रदेश शासन द्वारा भारत सरकार के संयुक्त सचिव को अद्र्धशासकीय पत्र भेजे गये है. (घ) बुन्देलखण्ड महोत्सव नाम से विभाग का कार्यक्रम विभागीय कला पंचांग में नहीं है. विभाग बुन्देलखण्ड क्षेत्र में अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम अवश्य करता है.

<u>ई-पंजीयन योजना के संबंध में</u>

74. (क्र. 2416) डॉ. मोहन यादव : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या म.प्र. में ई-पंजीयन योजना प्रारंभ हो चुकी है, यदि हाँ, तो किन-किन शहरों में ? क्या उज्जैन में भी ई-पंजीयन का कार्य प्रारंभ हो चुका है, यदि हाँ, तो अभी तक कितनी रजिस्ट्रियों का ई-पंजीयन किया जा चुका है एवं इससे कितने राजस्व की प्राप्ति हुई है ? (ख) म.प्र. में ई-पंजीयन का साफ्टवेयर किन नियमों के तहत किस कंपनी/ठेकेदार द्वारा तैयार किया गया है, कंपनी का नाम, किये गये अनुबंध की प्रति एवं साफ्टवेयर के एवज में किये गये भुगतान की राशि मय दस्तावेज की उपलब्ध कराते हुये जानकारी देवें ? (ग) क्या ई-पंजीयन के लिये निर्मित साफ्टवेयर त्रुटिपूर्ण है, जिससे कई स्थानों पर कार्य संभव नहीं होने से जन मानस को परेशानी हो रही है एवं शासन को राजस्व की हानि हो रही है ? (घ) त्रुटिपूर्ण साफ्टवेयर के निर्माण एवं राजस्व की हानि के लिये कौन जिम्मेदार है, तथा राजस्व की हानि क्या साफ्टवेयर कंपनी से वसूली जावेगी ? यदि हाँ, तो कब तक और यदि नहीं, तो क्यों ?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) जी हाँ । पॉच जिलों (उज्जैन, बालाघाट, अनूपपुर, सीहोर, टीकमगढ) के जिला मुख्यालय स्थित उप पंजीयक कार्यालयों में । जी हाँ, उज्जैन जिले में दिनांक 20.02.2015 तक 1239 दस्तावेजों का ई-पंजीयन किया जा चुका है जिससे 7, 06, 98, 433 रूपये राजस्व की प्राप्ति हुई है । (ख) राज्य शासन के नियमों के अनुरूप जारी निविदा क्रमांक आई.जी.आर-1/2006 के माध्यम से चयनित न्यूनतम निविदाकार विप्रो लिमिटेड (विप्रो इन्फोटेक) से साफटेवेयर तैयार किया गया । कम्पनी के साथ किये गये अनुबंध अनुसार साफटवेयर के एवज में अब तक 1, 32, 95, 892 रूपयें का भुगतान किया गया है । प्रश्नांकित दस्तावेज **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है । (ग) जी नहीं । जिन स्थानों पर साफटवेयर की पायलट टेस्टिंग की जा रही है वहाँ पर ई-पंजीयन का कार्य चालू है

। ई-पंजीयन से जन मानस को परेशानी होने अथवा राजस्व हानि होने का कोई तथ्य प्रकाश में नहीं आया है । (घ) प्रश्नांश (ग) के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है ।

जिला राजगढ़ अन्तर्गत जले हुये ट्रॉंसफार्मर बदलने बाबत्

75. (क्र. 2444) श्री कुँवरजी कोठार : क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजगढ़ जिले में दिनांक 01.01.2014 से 31.12.2014 तक कितने ग्रामों एवं कृषि के कितने ट्रांसफार्मर जले एवं जले ट्रांसफार्मर पर कितनी राशि बकाया थी ? सारंगपुर विधानसभा क्षेत्र में जले हुये ट्रांसफार्मरों की संख्या एवं बकाया राशि की जानकारी दें ? (ख) क्या जले हुए ट्रांसफार्मरों के विरूद्ध बकाया राशि का 50 प्रतिशत वसूली होने के पश्चात् ही ट्रांसफार्मर बदलने का शासन या विभाग का निर्देश है ? (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार यदि हाँ तो कितने ट्रांसफार्मर बदलने में विभाग द्वारा निर्देश का पालन किया गया है ? सारंगपुर विधानसभा क्षेत्र में प्रत्येक ट्रांसफार्मर पर बकाया राशि के विरूद्ध वसूल की गई राशि का विवरण दें ? (घ) प्रश्नांश (ग) अनुसार 50 प्रतिशत राशि से कम वसूली किये कितने ट्रांसफार्मर बदले गये है ? संबंधित अधिकारी/कर्मचारियों के नाम बतावे तथा इन अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गयी है ?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) राजगढ़ जिले में दिनांक 01.01.2014 से 31.12.2014 तक 728 ग्रामों में] ग्राम के 355 एवं कृषि के 1248 इस प्रकार कुल 1603 ट्रांसफार्मर जले/खराब हुये हैं । उक्त जले/खराब हुए ट्रांसफार्मरों पर रू. 1298.52 लाख की राशि बकाया थी । राजगढ़ जिले के सारंगपुर विधानसभा क्षेत्र में प्रश्नाधीन अवधि में 290 ट्रांसफार्मर जले/खराब हुए एवं उन पर बकाया राशि रू. 282.29 लाख थी । (ख) जी हाँ । (ग) जी हाँ । सांरगपुर विधानसभा क्षेत्रांतर्गत बकाया राशि वाले 290 फेल ट्रांसफार्मर में से नियामानुसार बकाया राशि जमा करने के उपरांत बदले गये 284 ट्रांसफार्मरों की] ट्रांसफार्मरवार बकाया राशि एवं उसके विरूद्ध जमा कराई गई राशि का विवरण **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है । (घ) 50 प्रतिशत राशि से कम वसूली वाले ट्रांसफार्मर नहीं बदले गए हैं] अत: प्रश्न नहीं उठता ।

बकाया राशि वसूल किये बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र का प्रदाय

76. (क्र. 2445) श्री कुँवरजी कोठार : क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या म.प्र.त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2015 में पंचायत चुनाव में भाग लेने वाले उम्मीदवारों को ऊर्जा विभाग म.प्र. शासन द्वारा अनापत्ती प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य था ? यदि हाँ तो शासन द्वारा जारी आदेश की प्रति उपलब्ध करावें ? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार विधान सभा क्षेत्र सारंगपुर अन्तर्गत कितने उम्मीदवारों से बकाया राशि जमा कराई जाकर अनापत्ति प्रमाण

पत्र जारी किया गया ? कृपया अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले बकायादारों से उनके विरूद्ध बकाया राशि में से कितनी राशि जमा की गयी है कि ग्रामवार, हितग्राहिवार जानकारी उपलब्ध करावें ? (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार विभागीय अधिकारियों के द्वारा बकायादारों से बकाया राशि वसूल न करते हुये मात्र उनके परिवार वालों को तत्कालीन नया कनेक्शन दिया जाकर राशि जमा कराई जाकर अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदाय किया गया है ? ऐेसे कितने उम्मीदवारों को तत्कालीन कनेक्शन प्रदाय किया जाकर अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदाय किया गया है ? गॉववार हितग्राहीवार विवरण देवें ? क्या विभाग ऐसे अधिकारी/कर्मचारियों के विरूद्ध अनुसाशनात्मक कार्यवाही करेगा ? यदि नहीं तो क्यों नहीं स्पष्ट करें ?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) म.प्र. त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2015 में पंचायत चुनाव में भाग लेने वाले उम्मीदवारों को मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विद्युत देयकों के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य किया था । आदेश की छायाप्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार** है । (ख) उत्तरांश (क) के तारतम्य में विधानसभा क्षेत्र सारंगपुर के अन्तर्गत 1070 उम्मीदवारों, जिन पर बकाया राशि रू. 64.72 लाख थी, से पूर्ण बकाया राशि जमा करायी जाकर अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं । अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले बकायादारों के विरूद्ध बकाया राशि एवं उनसे जमा कराई गई राशि का ग्रामवार एवं उपभोक्तावार विवरण **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार** है । (ग) जी नहीं । उत्तरांश 'ख' में दर्शाए अनुसार बकाया राशि जमा कराये जाने के उपरांत ही अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिये गये हैं । प्रश्नाधीन क्षेत्रान्तर्गत जिन उम्मीदवारों ने नियमानुसार नये कनेक्शन लेने की औपचारिकताएं पूर्ण करने पर 823 नये कनेक्शन प्राप्त किए थे उन्हें भी अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किये गये हैं, जो कि नियमानुसार है तथा इनकी ग्रामवार एवं उपभोक्तावार **सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'स' में दर्शाई गई** है । उक्त परिप्रेक्ष्य में किसी के विरूद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

<u>कसरावद में विद्युतीकरण किया जाना</u>

77. (क्र. 2465) श्री सचिन यादव : क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कसरावद विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के विभिन्न चरणों में जनवरी, 2015 तक कितने ग्राम लाभांवित हुए है लाभांवित ग्रामों की सूची देवें । राजीव गॉधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना प्रारंभ होने के पूर्व कसरावद विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत कितने ग्राम अविद्युतीकृत थे ग्रामों की सूची देवें ? (ख) खरगोन जिले के लिये राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना हेतु कितनी-कितनी राशि कब-कब स्वीकृत की गई ? खरगोन जिले में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में किन-किन ठेकेदार फर्मो को कार्यादेश जारी किये गये, संबंधित ठेकेदार फर्म का नाम, कार्यादेश क्रमांक, राशि एवं कार्यपूर्णता दिनांक का उल्लेख करें ? (ग) कसरावद विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना अन्तर्गत चिन्हित ग्रामों में प्रस्तावित विद्युत वितरण ट्रांसफार्मर की

क्षमतावार, ग्रामवार सूची देवें ? उक्त योजना में जिन ग्रामों में प्रावधान से कम ट्रांसफार्मर लगे है उनमें कब तक शेष ट्रांसफार्मर लगा दिये जावेंगे ? (घ) कार्यादेश अनुसार निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण नहीं करने वाले ठेकेदार फर्मो के नाम बतावे तथा कार्य में विलंब के कारणों सहित दोषी अधिकारियों पर की गई कार्यवाही से अवगत करावे ? कसरावद विधान सभा क्षेत्र राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के क्रियान्वयन में कितनी शिकायतें किस-किस प्रकार की प्राप्त हुई एवं उन पर क्या कार्यवाही की गई, यदि हाँ तो बतावें नहीं तो क्यों ? (ड.) कसरावद विधान सभा क्षेत्र में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना अन्तर्गत चिन्हित ऐसे कितने ग्राम है, जिनमें सघन विद्युतीकरण कार्य करना शेष है, सूची देवें? उक्त शेष बचे कार्य को कब तक पूर्ण कर लिया जावेगा ?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) कसरावद विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के विभिन्न चरणों में जनवरी-2015 तक कुल 140 ग्राम लाभान्वित हुए हैं, जिनकी सूची **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार** है । राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना प्रारंभ होने के पूर्व कसरावद विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत कोई भी ग्राम अविद्युतीकृत नहीं था, उक्त योजना में ग्रामों के सघन विद्युतीकरण का कार्य किया गया है । (ख) खरगोन जिले के लिए राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना अन्तर्गत रू. 70.97 करोड की प्रथम स्वीकृति आरईसी के पत्र दिनांक 16.12.2011 से प्राप्त हुई थी, जिसे दिनांक 11.09.2012 को पुनरीक्षित कर रू. 89.94 करोड़ किया गया । खरगोन जिले में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के क्रियान्वयन हेतु कार्यादेश क्रमांक CMD/WZ/PD/RGGVY/PKG-31 (Khargone-II) /ord-05-370 (S) , CMD/WZ/06/PUR/RGGVY/PKG-31(Khargone-II) /ord-06-9372 (E) , तथा CMD/WZ/PD/RGGVY/ PKG-30 (Khargone-I) /ord-03-9366 (S) , CMD/WZ/06/PUR/RGGVY/PKG-30 (Khargone-I) /ord-04-9368 (E) Indore दिनांक 26.03.2012 द्वारा क्रमश: मेसर्स कोस्टल प्रोजेक्ट लिमिटेड, हैदराबाद एवं मेसर्स विध्या टेलेलिंक्स लिमिटेड, न्यू दिल्ली को क्रमश: राशि रू. 51.97 करोड़ एवं राशि रू. 32.01 करोड़ के जारी किये गये थे एवं निविदा में निहित शर्तों के अनुरूप कार्यपूर्णता अवधि दिनांक 25.03.2014 थी । (ग) कसरावद विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत् चिन्हित ग्रामों में लगाए जाने हेतु प्रस्तावित विद्युत वितरण ट्रांसफार्मरों की क्षमतावार ग्रामवार सूची **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार** है । राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत प्रश्नाधीन क्षेत्र के जिन ग्रामों के विद्युतीकरण का कार्य शत-प्रतिशत हो चुका है, उन ग्रामों में प्रावधान अनुसार वितरण ट्रांसफार्मर स्थापित किये गये हैं, अत: प्रश्न नहीं उठता । (घ) कार्यादेश के अनुसार निर्धारित अवधि में कार्यपूर्ण नहीं करने वाली ठेकेदार फर्मों के नाम क्रमश: मेसर्स कोस्टल प्रोजेक्ट लिमिटेड, हैदराबाद एवं मेसर्स विध्या टेलेलिंक्स लिमिटेड, न्यू दिल्ली है । राईट ऑफ वे (आर.ओ.डब्ल्यू) , कृषकों एवं ग्रामीणों द्वारा लाईन के निर्माण कार्य में व्यवधान उत्पन्न होने, निर्माण कार्य करने वाली कंपनियों के

पास कुशल श्रमिको की कमी तथा उपलब्ध नहीं होना, आवश्यक सामग्री समय से उपलब्ध नहीं होना, आदि विभिन्न कारणों से कार्य में विलंब हुआ है, अत: किसी भी अधिकारी/कर्मचारी को दोषी ठहराया जाना उचित नहीं है । कसरावद विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के क्रियान्वयन से संबंधित कोई भी शिकायत पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी में प्राप्त नहीं हुई है । (ड.) कसरावद विधानसभा क्षेत्र में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना अन्तर्गत चिन्हित 227 ग्रामों में से 87 ग्रामों के सघन विद्युतीकरण का कार्य करना शेष है, जिसकी सूची **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'स' अनुसार** है । उक्त शेष बचे कार्य को माह जुलाई 2015 तक किया जाना संभावित है ।

खनिज उत्खनन हेतु लीज एवं क्रेशर की अनुमति

78. (क्र. 2467) श्री मुकेश पण्ड्या : क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उज्जैन जिले की बड़नगर विधानसभा क्षेत्र में 2013-14 एवं 2014-15 में कितनी भूमि खनिज उत्खनन हेतु लीज पर एवं कितने क्रेशर मशीन/प्लांट की अनुमति दी गई ? उसका सर्वे नम्बर एवं रकबा कितना है व किस खनिज के लिये दी गई थी व उससे वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में कितनी रायल्टी शासन को प्राप्त हुई थी ? (ख) इन वर्षों में बगैर रायल्टी के कितना खनिज परिवहन हुआ व उससे कितनी वसूली की गई ? (ग) अवैध खनन एवं परिवहन के कितने प्रकरण बनाये गये व कितने वाहन व व्यक्तियों पर कार्यवाही की गई ? सूची उपलब्ध करावें ? (घ) निर्धारित रकबे से अधिक उत्खनन एवं निर्धारित मात्रा से अधिक उत्खनन किन-किन क्रेशर/प्लांट द्वारा किया गया, तथा उनके विरूद्ध क्या-क्या कार्यवाही की जावेगी ?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) प्रश्नाधीन विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2013-14 में कोई भूमि उत्खनिपट्टे पर स्वीकृत नहीं की गई । अत: राजस्व की प्राप्ति निरंक है । वर्ष 2014-15 में ग्राम सिकन्दरखेड़ा के ख.नं. 1 का रकबा 2.00 हेक्टेयर क्षेत्र पर क्रेशर आधारित पत्थर उत्खननपट्टा पर पर्यावरण स्वीकृति के अभाव में कार्य अनुमति प्रदान नहीं की गई है । अत: प्राप्त खनिज राजस्व निरंक है । (ख) प्रश्नाधीन अवधि में प्रश्नाधीन विधान सभा क्षेत्र में 26 घन मी. गिट्टी एवं 21 घन मी. रेत का अवैध परिवहन किए जाने पर रूपये 201000 अर्थदण्ड की राशि वसूल की गई । (ग) प्रश्नांश 'क' में उल्लेखित विधान सभा क्षेत्र में अवैध खनिज उत्खनन का 1 प्रकरण तथा अवैध खनिज परिवहन के 13 प्रकरण पंजीबद्ध किए जाकर अवैध परिवहन के प्रकरणों में राशि रूपये 201000 वसूल किया गया । अवैध खनन का प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है । वांछित **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है । (घ) निर्धारित रकबे तथा निर्धारित मात्रा से अधिक उत्खनन किए जाने का कोई प्रकरण प्रकाश में नहीं आया है । अत: प्रश्नांश के शेष भाग का प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

परिशिष्ट – ''सोलह''

बैराज निर्माण से सिंचित रकबा

79. (क्र. 2484) श्री सतीश मालवीय : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जल संसाधन उपखण्ड घट्टिया अंतर्गत निर्मित बेराज कुमार्डी, नौगांव के कितने कृषक लाभांवित हुए और उक्त बैराज से कितना रकबा सिंचित हुआ ? सूची उपलब्ध करावें ? (ख) क्या उक्त बैराज से जल संसाधन विभाग के कितने निर्मित और निर्माणाधीन बेराज आधे से ज्यादा डूब रहे हैं ? (ग) उक्त दोनों बैराज जो डूब रहे हैं, उनकी आर्थिक जवाबदेही किस-किस अधिकारी की है ? (घ) विभाग द्वारा आज दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई ?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) कुमार्डी, नौगांव बैराज से वर्ष 2014-15 में रबी में 71 कृषकों ने 347.65 हेक्टर भूमि में सिंचाई की है । कृषकों की सूची **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'अ' अनुसार** है । (ख) जी हाँ, वर्ष 1984 में कांकरिया चांद स्टापडेम तथा वर्तमान में निर्माणाधीन कांकरिया चांद बैराज डूब में आ रहा है । (ग) एवं (घ) कांकरिया चांद स्टापडेम वर्ष 2009-10 में क्षतिग्रस्त हो जाने से अनुपयोगी हो गया है । निर्माणाधीन कांकरिया चांद बैराज के संबंध में जिम्मेदारी नियत करने के निर्देश मुख्य अभियंता, नर्मदा ताप्ती कछार, इन्दौर को दे दिये गये हैं । दोषी अधिकारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी ।

क्षेत्रांतर्गत सिंचाई सुविधाओं की प्रतिपूर्ति

80. (क्र. 2507) श्री मुरलीधर पाटीदार : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सुसनेर विधान सभा क्षेत्रांतर्गत वर्तमान में कितने बांध एवं स्टाप डेम निर्मित है एवं इनसे कितना कृषि रकबा सिंचित है, कृपया ग्रामवार एवं कृषक संख्यावार विवरण देवें ? (ख) क्या शासन क्षेत्र में सिंचित रकबा बढ़ाने हेतु गंभीर है ? यदि हाँ, तो क्या योजना बनाई गई है एवं क्या कार्यवाही प्रचलित है ? स्वीकृत कुंठालिया वृहद बांध परियोजना से विधानसभा क्षेत्र के कितने ग्राम लाभांवित होंगे ? क्या उक्त परियोजना में विधानसभा क्षेत्र के और अधिक ग्रामों को जोड़ने संबंधी मांग प्राप्त हुई है ? यदि हाँ, तो क्या कार्यवाही की गई ? (ग) क्या क्षेत्रांतर्गत सिया, नान्याखेड़ी, सेमली गरड़ा, करकड़िया लोहरिया, श्रीपतपुरा में बांध या स्टापडेम प्रस्तावित है ? यदि हाँ, तो कार्यवाही किस स्तर पर है ? (घ) क्या क्षेत्रांतर्गत कंटाल, भाटन, लखुन्दर एवं कालीसिंध नदी पर स्टाप डेम श्रृंखला निर्माण प्रस्तावित है ? यदि हाँ, तो कार्यवाही किस स्तर पर प्रचलित है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) जानकारी **संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-'अ'अनुसार** है । (ख) जी हाँ, कीटखेड़ी मध्यम सिंचाई परियोजना एवं पीलियाखाल लघु सिंचाई योजना पूर्णता पर है । कुंडालिया वृहद परियोजना से सुसनेर विधान सभा क्षेत्र में लगभग 50, 000 हेक्टर भूमि में सिंचाई संभावित है । नहरों का अलाइनमेंट और सैच्य क्षेत्र का विस्तृत

सर्वेक्षण नहीं होने से ग्रामों की जानकारी दी जाना संभव नहीं है । (ग) एवं (घ) जी नहीं, कोई परियोजना प्रस्ताव स्वीकृति हेतु विचाराधीन नहीं है ।

परिशिष्ट - " सत्रह"

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सुसनेर का कार्यसंचालन

81. (क्र. 2508) श्री मुरलीधर पाटीदार : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्षेत्रान्तर्गत संचालित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सुसनेर में वर्तमान में कुल कितनी ट्रेड संचालित है ? ट्रेडवार अध्ययनरत छात्रों की जानकारी उपलब्ध करावें ? (ख) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में प्रवेश हेतु मापदण्ड एवं प्रक्रिया क्या है एवं प्रवेशित छात्रों से कितना शुल्क लिया जाता है ? (ग) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में अध्ययनरत छात्रों को क्या-क्या सुविधायें दी जाती है, गत 3 वर्षों में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सुसनेर द्वारा प्रदाय छात्रवृत्ति एवं अन्य सुविधाओं की विवरणात्मक जानकारी देवें ? उक्त संस्थान द्वारा वर्ष 2012 से आज तक कुल कितनी राशि की सामग्री क्रय की गई एवं कितनी राशि की सामग्री शासन स्तर से भेजी गई? (घ) उक्त संस्थान द्वारा वित्तीय अनियमितता करने संबंधी कोई शिकायत की जाँच अनुभाग स्तर पर प्रचलित है ? यदि हाँ तो जांच के दौरान दोषयुक्त पाये गये शासकीय सेवक कौन है एवं उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

तकनीकी शिक्षा मंत्री (श्री उमाशंकर गुप्ता) : (क) कुल ट्रेड संचालित है, जिनमें अध्ययनरत् प्रशिक्षणार्थियो की जानकारी निम्नानुसार है:-

क्रमांक	संचालित व्यवसाय	अध्ययनरत् छात्रों की संख्या		कुल योग
		वरिष्ठ	कनिष्ठ	
1	वेल्डर	-	20	20
2	विद्युतकार	21	12	33
3	फिटर	21	14	35

(ख) प्रवेश हेतु निर्धारित अर्हता के प्राप्तांको के आधार पर आरक्षण नियमों का पालन करते हुये प्रवेश की कार्यवाही ऑन लाईन ऑफ केम्पस पद्धति से एम.पी.ऑन लाईन के माध्यम से की जाती हैं । प्रशिक्षण शुल्क रूपये 1000/- प्रति प्रशिक्षणार्थी प्रति वर्ष (अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ग्रीन कार्ड धारकों की संतान/ विक्रमादित्य नि:शुल्क शिक्षा योजना के पात्र सामान्य निर्धन वर्ग के छात्रों को छोड़कर) निर्धारित हैं । (ग) प्रशिक्षण के लिये आवश्यक औजार, उपकरण, मशीनरी, कच्चा माल आदि उपलब्ध कराया जाता हैं । अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति वर्ग के प्रशिक्षणार्थियो को संबंधित विभाग द्वारा छात्रवृत्ति पात्रता

अनुसार प्रदाय की जाती हैं । संस्था में प्रवेशित प्रशिक्षणार्थियों में से 4 प्रतिशत को मेरिट छात्रवृत्ति दी जाती हैं । इसके अतिरिक्त सामान्य निर्धन वर्ग के प्रशिक्षणार्थियों को पात्रतानुसार रूपये 100/- प्रतिमाह की दर से छात्रवृत्ति दी जाती हैं । विक्रमादित्य नि:शुल्क योजना के तहत पात्र प्रशिक्षणार्थियों से प्रशिक्षण शुल्क नहीं लिया जाता है । वर्ष 2012-13 में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के प्रशिक्षणार्थियो को संबंधित विभाग द्वारा प्रदत्त छात्रवृत्ति का विवरण **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट–एक अनुसार** हैं । वर्ष 2013-14 में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था सुसनेर के पत्र क्रमांक 498/1 के द्वारा 09 अनुसूचित जाति के प्रशिक्षणार्थियो के एवं पत्र क्रमांक 498/2 के द्वारा अनुसूचित जनजाति के 02 प्रशिक्षणार्थियों के छात्रवृत्ति स्वीकृत करने के प्रकरण जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण विभाग जिला आगर-मालवा को प्रेषित किये गये हैं । वर्ष 2014-15 मं प्रवेशित अनुसूचित जाति के 18 तथा अनुसूचित जनजाति के 04 प्रशिक्षणार्थियो के छात्रवृत्ति स्वीकृति हेतु डाटा MP Scholarship portal पर अपलोड किया गया हैं । विगत 3 वर्षो में संचालनालय से कोई सामग्री इस संस्था के लिये क्रय नहीं की गई है । संयुक्त संचालक क्षेत्रीय कार्यालय उज्जैन तथा संस्था स्तर पर क्रय की गई सामग्री का विवरण **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट –दो अनुसार** हैं । (घ) वित्तीय अनियमित्ता संबंधी कोई शिकायत की जानकारी संस्था/क्षेत्रीय संयुक्त संचालक कार्यालय अथवा संचालनालय में नहीं हैं । अत: शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

अवैध उत्खनन संबंधी

82. (क्र. 2522) श्री जितेन्द्र गेहलोत : क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रतलाम-उज्जैन-मंदसौर जिले में हाईवे-टू-लेन/फोरलेन, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क निर्माण में किन-किन कंपनियों ने गिट्टी-मुरम-रेत खनन की अनुमति वर्ष, 2011 से 2014 तक प्राप्त की ? (ख) कितनी रोड़ निर्माण कंपनियों के विरूद्ध अवैध खनन की कितनी व कौन-कौन सी शिकायतें उक्त अवधि में प्राप्त हुईं, ब्यौरा क्या है ? (ग) शिकायतों पर शासन ने अवैध खननकर्ताओं के विरूद्ध क्या-क्या कार्यवाही की ? (घ) क्या सभी शिकायतों की निष्पक्ष जांचें की गई हैं एवं कितनी जांचें अब तक लंबित हैं ?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है ।

देशी/विदेशी मदिरा दुकानों का संचालन

83. (क्र. 2533) कुमारी निर्मला भूरिया : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) झाबुआ जिले में देशी और विदेशी मदिरा की कितनी दुकानें नीलाम की गई है ? वर्ष, 2013-14 एवं 2014-15 में नामवार बतावें ? वर्तमान में जिले में कितनी देशी और कितनी विदेशी मदिरा दुकान संचालित हैं, ठेकेदार के नाम सहित बतावें ? (ख) प्रश्नांश (क) में नीलाम

की गई दुकानों में कितनी-कितनी बोली में नीलाम हुई ? बोली लगाने वालों के नाम, राशि सहित बतावें ? नीलामी उपरांत दुकानें किस-किस ठेकेदार को कहाँ-कहाँ दी गई ? (ग) क्या ठेकेदार को नीलाम स्थान से बाहर गांवों में रखकर मदिरा बिकवाने का अधिकार है ? यदि नहीं, तो ऐसे कितने गांव हैं, जहाँ पर देशी/विदेशी मदिरा की दुकानें चलाई जा रही हैं ? यदि अधिकार क्षेत्र से बाहर दुकानें संचालित हैं, तो विभाग उस पर क्या कार्यवाही कर रहा है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) जी नहीं । वर्तमान आबकारी नीति में बोली के माध्यम से मदिरा दुकानों को नीलाम किये जाने का प्रावधान नहीं है । वर्ष 2013-14 में 13 देशी मदिरा एवं 18 विदेशी मदिरा की दुकानों का नवीनीकरण एवं 02 देशी मदिरा की दुकानों का टेण्डर द्वारा निष्पादन किया गया था । इसी प्रकार वर्ष 2014-15 में 13 देशी मदिरा एवं 16 विदेशी मदिरा की दुकानों का नवीनीकरण एवं 2 देशी मदिरा की दुकानें तथा 02 विदेशी मदिरा की दुकानों का टेण्डर द्वारा एकल समूह में निष्पादन किया गया है । वर्ष 2013-14 एवं वर्ष 2014-15 के लायसेंसियों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-एक से परिशिष्ट-चार अनुसार** है । (ख) प्रश्नांश (क) के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में जिला झाबुआ में वर्ष 2013-14 एवं वर्ष 2014-15 में संचालित देशी/विदेशी मदिरा की दुकानों का नवीनीकरण/टेण्डर द्वारा जिन आवेदकों के नाम से निष्पादन हुआ है, उनके नाम, दुकान का नाम एवं निष्पादन की राशि की जानकारी **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र**-एक से चार अनुसार है । (ग) जी नहीं । ऐसी कोई भी देशी/विदेशी मदिरा की दुकानें निष्पादन स्थल (अधिकार क्षेत्र) के बाहर संचालित नहीं की जा सकती है । अर्थात लायसेंसी को आवंटित जिस स्थान, गांव के लिए मदिरा दुकान स्वीकृत की गई है, उसी स्थान पर संचालित की जायेगी । यदि लायसेंस परिसर के अतिरिक्त, अन्य स्थान, कब्जे की निर्धारित मात्रा से अधिक मदिरा अवैध रूप से धारण, विक्रय की जाती है तो संबंधित के विरूद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34 के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध किये जाकर, संबंधित न्यायालय में प्रस्तुत किये जाते हैं ।

<u>जिला दमोह में विकासखण्ड पथरिया व बटियागढ़ में विद्युतीकरण</u>

84. (क्र. 2606) श्री लखन पटेल : क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दमोह जिले में विकासखण्ड दमोह, पथरिया एवं बटियागढ़ के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में राजीव गांधी विद्युतीकण योजनांतर्गत कौन-कौन से गांव विद्युतीकरण से अपूर्ण हैं ? (ख) यह कब तक पूर्ण कर लिये जावेंगे ? (ग) अभी तक अपूर्ण रहने के लिए कौन दोषी हैं ? (घ) दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) दमोह जिले में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजनांतर्गत सम्मिलित किये गये प्रश्नाधीन क्षेत्र के ग्रामों में से विकासखण्ड दमोह के ग्राम उकरपार के विद्युतीकरण का कार्य अपूर्ण है । (ख) उपरोक्त शेष ग्राम के विद्युतीकरण का

कार्य 12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में प्रस्तावित किया गया है, जिसकी ग्रामीण विद्युतीकरण निगम से स्वीकृति प्रतीक्षित है, अत: वर्तमान में कार्य पूर्णता की समय सीमा बता पाना संभव नहीं है । (ग) उक्त अपूर्ण वनबाधित ग्राम को विद्युतीकृत करने हेतु संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा पूर्ण प्रयास किये गये एवं उक्त ग्राम के विद्युतीकरण हेतु 12 पंचवर्षीय योजना में प्रस्तावित राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में सम्मिलित किया गया है, अत: किसी के दोषी होने का प्रश्न नहीं उठता । (घ) उत्तरांश (ग) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न नहीं उठता ।

बिजली बिल वसूली संबंध में

85. (क्र. 2631) श्री सोहनलाल बाल्मीक : क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिन उपभोक्ताओं के द्वारा बिजली बिल समय पर भुगतान नहीं किये जाते हैं, उन उपभोक्ताओं से बिजली बिल वसूली हेतु क्या नियम हैं और उन पर क्या कार्यवाही की जाती है ? (ख) क्या विद्युत विभाग द्वारा उपभोक्ताओं को बिना कोई नोटिस जारी किये अथवा कोई लिखित कार्यवाही के बिना विभागीय अधिकारियों द्वारा उनके घरों से कीमती सामान जब्ती करने का अधिकार है ? क्या किसानों के खेतों से मोटर पंप, स्टार्टर, तार जबरदस्ती उठा ले जाने का विद्युत विभाग में प्रावधान है ? यदि विभाग द्वारा इस प्रकार की गलत कार्यवाही की जा रही है, तो विभाग की ओर से इस पर दोषी अधिकारियों पर क्या कार्यवाही की जावेगी ?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) जिन उपभोक्ताओं के द्वारा बिजली बिल समय पर भुगतान नहीं किये जाते हैं, उन्हें 15 दिवसीय विच्छेदन नोटिस जारी किये जाने एवं इसके पश्चात् भी भुगतान नहीं होने पर विद्युत संयोजन विच्छेदन एवं तत्पश्चात् म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 एवं ड्यूज रिकव्हरी एक्ट 1961 के तहत् बकाया राशि वसूल किये जाने के प्रावधान हैं । बकाया राशि की वसूली हेतु उक्त प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जाती है । (ख) जी नहीं, अपितु बकाया राशि की वसूली हेतु म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 एवं ड्यूज रिकव्हरी एक्ट 1961 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही कर चल-अचल संपत्ति को संलग्न (attach) कर तत्पश्चात् बिजली बिल बकाया राशि की वसूली नहीं होने पर कुर्की/नीलामी किये जाने का प्रावधान है । वितरण कंपनियों द्वारा उक्त प्रावधानों के अनुरूप बकायादार उपभोक्ताओं के विरूद्ध कार्यवाही की जाती है । अत: किसी के विरूद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

खरगौन जिले में स्वीकृत कार्यों के संबंध में

86. (क्र. 2645) श्री विजय सिंह सोलंकी : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला योजना अधिकारी जिला खरगौन को प्राप्त/प्रस्तावित वर्ष, 2012से 2015 तक भगवानपुरा विधानसभा क्षेत्र में विधायक तथा जनभागीदारी मद से स्वीकृत कार्यों की सूची पंचायतवार देवें ? (ख) इन कार्यों की वर्तमान स्थिति बतावें ? पूर्ण/अपूर्ण/अप्रारंभ एवं रद्द कार्यों को चिन्हित करें ? (ग) विधायक द्वारा अनुशंसित कार्य का क्रियान्वयन न हो सकने की स्थिति में सूचित करने की समयावधि क्या है ? क्या इसका पालन हो रहा है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'अ' एवं 'ब' अनुसार** है । (ख) कार्यो की वर्तमान स्थिति **परिशिष्ट-'अ' एवं 'ब' पर** है । (ग) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना मार्गदर्शिक अनुरूप पालन किया जा रहा है ।

<u>नगरीय सीमा में खदान संचालन</u>

87. (क्र. 2681) श्री नीलेश अवस्थी : क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जबलपुर एवं कटनी नगर निगम सीमा क्षेत्र अंतर्गत खनन पट्टे स्वीकृत है, एवं खदानों का संचालन हो रहा है ? यदि हाँ, तो उनका विवरण, खसरा नम्बर, रकबा, लीज अवधि शासन/विभाग द्वारा प्रदत्त अनुमतियों की जानकारी नगरीय सीमा में खदान संचालन में लागू नियमों सहित जिलेवार बतलावें ? (ख) प्रश्नांक (क) में उल्लेखित खदानों का संचालन बड़े झाड़ के जंगल की भूमि, नगरीय निकायों, अन्य विभागों की बिना अनुमति, शासकीय एवं अन्य भूमियों पर उत्खनन तथा अन्य नियमों का उल्लंघन कर किया गया है, जिसकी शिकायतें शासन एवं विभाग को प्राप्त हुई है ? (ग) प्रश्नांश (ख) के उत्तर में यदि हाँ, तो शिकायतों की जांच में क्या पाया गया ? शिकायतवार, विभागवार, जिलेवार सूची देवें एवं यह भी बतलावें की प्रश्नांश (ख) में उल्लेखित कदाचार के लिये कौन-कौन जिम्मेदार है एवं उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई अथवा की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है ।

<u>राजीव गांधी विद्युतीकरण एवं फीडर विभक्तिकरण योजनाऐं</u>

88. (क्र. 2685) श्री नीलेश अवस्थी : क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) फीडर विभक्तिकरण एवं राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतिकरण योजना क्या है, उक्त दोनों योजनाओं के अंतर्गत जबलपुर जिले की पाटन विधान सभा अंतर्गत कौन-कौन से कार्य, कितनी लागत से प्रस्तावित थे, बतलावें ? (ख) प्रश्नांश (क) में वर्णित निर्माण कार्यों की निविदाऐं कितनी-कितनी लागत की किस-किस निर्माण एजेंसी को कब-कब स्वीकृत की गई एवं यह भी बतलावें कि निविदा की शर्तों के अनुरूप उपरोक्त कार्य कब तक पूर्ण होना थे ? (ग) राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजनान्तर्गत पाटन विधानसभा में कितने ग्रामों में विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण कर कितने ट्रांसफार्मर स्थापित किए गए हैं तथा फीडर

विभक्तिकरण योजनान्तर्गत कितने फीडरों का कार्य पूर्ण कर कितने वितरण ट्रांसफार्मर स्थापित कर दिए गए हैं । उक्त कार्यो हेतु कितनी राशि का भुगतान किया गया हैं स्थापित वितरण ट्रांसफार्मरों की गुणवत्ता की गारंटी क्या है? शेष ग्रामों में विद्युतीकरण के कार्य तथा फीडरों में विभक्तिकरण के कार्य कब तक पूर्ण होंगे ? (घ) क्या प्रश्नांश (क) में वर्णित कार्यों की गुणवत्ता ठीक न होने की अनेक शिकायतें प्राप्त हुई हैं, तथा कुछ ट्रांसफार्मर प्रारंभ में ही जल चुके हैं ? क्या शासन उपरोक्त कार्यों की जांच कराकर गुणवत्ताविहीन कार्य करने एवं निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण न करने वाले ठेकेदारों एवं उसकी अनदेखी करने वाले अधिकारियों पर क्या कार्यवाही कब तक की जावेगी ?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) फीडर विभक्तिकरण योजना में कृषि उपभोक्तओं के भार को, घरेलू तथा अन्य उपभोक्ताओं के भार से अलग करने के लिए 33/11 के.व्ही. उप-केन्द्रों से निकलने वाले 11 के.व्ही. के ग्रामीण फीडरों को विभक्त कर गैर कृषि उपभोक्तओं को 24 घण्टे एवं कृषि उपभोक्तओं को 10 घंटे विद्युत आपूर्ति अलग-अलग फीडरों में की जाना है । उक्त योजना में मुख्यत: 11 के.व्ही. लाईनों का निर्माण] नये 25 के.व्ही.ए वितरण ट्रांसफार्मर की स्थापना, आवश्यक्तानुसार वितरण ट्रांसफार्मरों की शिफिटिंग, निम्न दाब लाईनों के कन्डक्टर को ए.बी.केबल से बदलने का कार्य तथा एनर्जी मीटर को स्थापित करने का कार्य किया जाना है । योजना की स्वीकृति विधानसभा क्षेत्रवार न होकर वितरण कंपनी के संचा.संधा संभागवार दी गई है । पाटन (संचा.संधा) संभाग के क्षेत्रांतर्गत आने वाले अन्य क्षेत्रों के साथ-साथ पाटन विधानसभा क्षेत्र हेतु कार्यादेश की कुल राशि रू. 52.39 करोड़ है तथा सिहोरा (संचा.संधा) संभाग] जिसमें पाटन विधानसभा के क्षेत्र भी आते हैं उक्त हेतु कार्यादेश की कुल राशि रू. 35.81 करोड़ है । राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत कार्य योग्य अविद्युतीकृत ग्रामों में विद्युतीकरण का कार्य तथा योजना के प्रावधानों के अनुसार विद्युतीकृत ग्रामों के 100 एवं 100 से अधिक आबादी वाले अविद्युतीकृत क्षेत्रों/मजरों/टोलों के विद्युतीकृत सहित सघन विद्युतीकरण का कार्य कर गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने सभी श्रेणी के हितग्राहियों को नि:शुल्क बी.पी.एल. कनेक्शन प्रदान किया जाना है । योजना के प्रावधानों/निर्देशों के अनुसार उक्त सभी कार्य टर्न-की आधार पर किया जाना है । पाटन विधानसभा क्षेत्र सहित जबलपुर जिले के लिए स्वीकृत राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में 11 के.व्ही. लाईन. वितरण ट्रांसफार्मर की स्थापना कर निम्न दाब विद्युत लाईन का विस्तार करते हुये बी.पी.एल. हितग्राहियों को नि:शुल्क कनेक्शन देने का कार्य प्रस्तावित था । राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना की जिलेवार स्वीकृति प्रदान की गई है, विधानसभा क्षेत्रवार नहीं । 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जबलपुर जिले के लिए स्वीकृत राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना हेतु रू. 5282.52 लाख की स्वीकृति दी गई थी जिसे पुनरीक्षित कर रू. 6800.43 लाख किया गया । (ख) पाटन विधानसभा क्षेत्र सहित पाटन एवं सीहोरा संचालन एवं संधारण संभागों में फीडर

विभक्तिकरण के कार्य हेतु मेसर्स गोदरेज एण्ड बॉयस मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड, भोपाल को कार्यादेश दिनांक 26.11.2010 राशि रू. 52.39 करोड़ तथा मेसर्स ए.आर.के. विद्युत ऊर्जा लिमिटेड] नई दिल्ली को कार्यादेश दिनांक 26.11.10 राशि रू. 35.81 करोड़ जारी किये गये हैं । उक्त कार्य मेसर्स गोदरेज एण्ड बॉयस मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड, भोपाल द्वारा दिनांक 20.08.2012 तथा मेसर्स ए.आर.के. विद्युत ऊर्जा लिमिटेड, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 19.06.12 तक पूर्ण किया जाना था । उत्तरांश (क) अनुसार पाटन विधानसभा क्षेत्र सहित जबलपुर जिले हेतु राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत निर्माण कार्यों की निविदाओं संबंधी **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है । (ग) पाटन विधानसभा क्षेत्र में फीडर विभक्तिकरण योजनांतर्गत 48 फीडरों में कार्य पूर्ण कर 907 विद्युत वितरण ट्रांसफार्मर स्थापित कर दिये गये हैं । उक्त कार्य में रूपये 32.18 करोड़ का भुगतान किया गया है । स्थापित किये गये वितरण ट्रांसफार्मरों की गुणवत्ता की गारण्टी उनके स्थापना की तिथि से 3 वर्ष अथवा ऑपरेशनल एक्सेप्टेन्स दिनांक से 1050 दिन तक जो भी पहले पूर्ण होती है तक की है । फीडर विभक्तिकरण का शेष कार्य माह जून-15 तक पूर्ण कराये जाने के प्रयास हैं । राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजनांतर्गत पाटन विधान सभा क्षेत्र में 13 अविद्यतीकृत ग्रामों के विद्युतीकरण तथा 1365 विद्युतीकृत ग्रामों के संघन विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण करते हुये 395 वितरण ट्रांसफार्मर स्थापित किये गये हैं, उक्त कार्यों हेतु पाटन विधानसभा क्षेत्र सहित जबलपुर जिले में ठेकेदारों को रू. 5995.87 लाख राशि का भुगतान किया गया है । स्थापित वितरण ट्रांसफार्मरों की गांरटी अवधि] स्थापना दिनांक से 24 माह है । (घ) यह सही नहीं है कि कार्यों की गुणवत्ता ठीक नहीं होने के कारण ट्रांसफार्मर जल गये है बल्कि अधिकांश ट्रांसफार्मर जलने का मुख्य कारण बिजली का अनाधिकृत उपयोग तथा उपभोक्ता द्वारा स्वीकृत भार से अधिक भार उपयोग किया जाना है । निर्धारित मानक स्तर के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण कार्य किया जा रहा है तथा ठेकेदार द्वारा निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण नहीं किये जाने पर ठेकेदार के देयकों से पेनाल्टी स्वरूप राशि काटी गई है । अत: कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता । फीडर विभक्तिकरण योजनांतर्गत टर्नकी ठेकेदार द्वारा किये जा रहे कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए स्वंतत्र एजेन्सी मेसर्स फीडबेक इन्फ्रास्ट्रक्चर नई दिल्ली को कार्य सौपा गया है] जो योजना में निर्धारित मानक स्तर के अनुसार कार्य सुनिश्चित करने हेतु सतत निगरानी तथा गुण्वत्तापूर्ण कार्य सम्पन्न कराने का कार्य करती है । कार्य के निरीक्षण के दौरान पाई गई कमियों/त्रुटियों का निराकरण ठेकेदार को निर्देशित कर कराया जाता है । निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण नहीं करने वाले ठेकेदारों के देयकों से रू. 219.62 लाख की राशि लिक्विडेटेड डैमेज के रूप में पेनल्टी स्वरूप काटी जा चुकी है । राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजनांतर्गत कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु स्वतंत्र थर्ड पार्टी एजेंसी मेसर्स. एन.ई.एस.सी.एल. नई दिल्ली को नियुक्त किया गया था जिनके कार्य छोडने के बाद मे. वेपकॉस लिमि.गुडगॉव को नियुक्त किया गया जिनके द्वारा कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित की गई है । योजनांतर्गत गांरटी अवधि में फेल

हुए सभी ट्रांसफार्मर ठेकेदार द्वारा बदल दिये गये हैं । निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण नहीं करने पर ठेकेदारों से निविदा की शर्तों के अनुरूप रू. 117.76 लाख की राशि लिक्विडेटेड डैमेज के रूप में पेनल्टी स्वरूप वसूल की गयी है । उक्त परिप्रेक्ष्य में अन्य कोई जाँच कराए जाने अथवा कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

<u>**परिशिष्ट - "अठारह"**</u>

<u>बरगी बांई तट नहर निर्माण</u>

89. (क्र. 2686) श्री नीलेश अवस्थी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बरगी बांई तट नहरों के निर्माण अंतर्गत पाटन विधानसभा अंतर्गत मुख्य नहर वितरण शाखा, लघु नहरों, उप नहरों के कितने निर्माण कार्य पूर्ण हुये एवं कौन-कौन से निर्माण कार्य अपूर्ण हैं ? अनुबंध की शर्तों के अनुरूप निर्माण कार्य समय पर पूर्ण न करने, अपूर्ण कार्य बीच में ही छोड़ने वाली निर्माण एजेंसियों पर शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गई ? (ख) प्रश्नांश (क) में वर्णित अपूर्ण कार्यों के क्या कारण हैं ? इसका जिम्मेदार कौन है ? इन्हें कब तक पूर्ण कर लिया जावेगा ? (ग) क्या प्रश्नांश (क) में वर्णित निमार्ण कार्य घटिया स्तर का होने के कारण इन नहरों में पूर्ण बहाव क्षमता से पानी नहीं छोड़ा जा सकता एवं फरवरी, 2015 में मझौली वितरण केन्द्र की सब डिस्ट्रीब्यूटरी नहर फूट गई ? (घ) प्रश्नांश (क) के उत्तर में यदि हाँ, तो प्रश्नकर्ता सदस्य एवं अन्य लोगों द्वारा प्रश्नांश (क) में उल्लेखित नहरों के घटिया गुणवत्ताविहीन निर्माण कार्य एवं अपूर्ण निर्माण कार्य के संदर्भ में कब-कब, क्या-क्या शिकायतें की गईं एवं शासन स्तर पर इन पर क्या कार्यवाही की गई ? क्या शासन प्रश्नांश (क) में उल्लेखित निर्माण कार्यों की उच्चस्तरीय जांच कराकर दोषियों पर कार्यवाही करेगा ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) बरगी बॉयी तट नहरों के निर्माण अंतर्गत पाटन विधानसभा क्षेत्र में वितरण, शाखा, लघु नहरों एवं उपनहरों की कुल संख्या 216 है, जिसमें से 200 नहरों में मिट्टी का कार्य पूर्ण हो चुका है एवं 16 नहरे अपूर्ण हैं **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है** तथा 13 नहरों में लाइनिंग का कार्य पूर्ण हो चुका है एवं 203 नहरों में लाइनिंग का कार्य शेष है **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार** है । अनुबंध की शर्तों के अनुरूप निर्माण कार्य समय पर पूर्ण न करने पर एजेन्सियों को नोटिस जारी किये गये है । (ख) खरीफ सिंचाई एवं रबी सिंचाई के समय नहरों में जल प्रवाह होने के कारण निर्माण एजेन्सी को कार्य पूर्ण करने में विलम्ब होना स्वाभाविक है साथ ही जो एजेन्सी कार्य नहीं कर रही हैं उन्हें नोटिस जारी किये गये हैं । कुछ निर्माण एजेन्सी द्वारा कार्य प्रारंभ नहीं किये है । उन्हें भी नोटिस जारी किये गये है । अत: कोई जिम्मेदार नहीं है । इन कार्यों को पूर्ण किये जाने की समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है । (ग) प्रश्नांश (क) में वर्णित निर्माण कार्य गुणवत्ता पूर्वक कराये गये है, जिससे वर्ष 2014-15 में खरीफ एवं

रबी सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध कराया गया है । पाटन क्षेत्र की अधिकांश नहरों के सुधार एवं लाइनिंग कार्य प्रक्रियाधीन है । उपरोक्त कार्य पूर्ण होने पर नहरों में पूर्ण क्षमता से पानी छोडा जावेगा । जी नहीं, बरगी व्यपवर्तन परियोजना (बरगी दॉयी तट नहर) अंतर्गत मझौली शाखा नहर की कोई सब डिसट्रीब्यूटरी नहर फरवरी 2015 में क्षतिग्रस्त नहीं हुई । (घ) नहरों के गुणवत्ताविहीन कार्यों के संबंध में कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है । अत: कार्यवाही का प्रश्न ही नहीं उठता है ।

<u>परिशिष्ट – "उन्नीस"</u>

<u>गोटेगांव विधानसभा क्षेत्रांतर्गत नहरों का सुधार</u>

90. (क्र. 2733) डॉ. कैलाश जाटव : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) गोटेगांव विधानसभा क्षेत्रांतर्गत समस्त नहरों की स्थिति अत्यंत जर्जर है ? इन नहरों के सुधार कार्य एवं सफाई हेतु विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है, सूचीबद्ध जानकारी प्रदान करें ? (ख) वर्तमान में इन नहरों से रिसाव के कारण अनेक किसानों की फसलों को क्षति हो रही है ? इस क्षतिपूर्ति हेतु विभाग की नीति एवं इस आधार पर की गई कार्यवाही का विवरण प्रदान करें ? (ग) क्या किसानों को इस रिसाव से हो रही क्षति के लिऐ जिम्मेदार शासकीय सेवकों पर कोई कार्यवाही की जा रही है, विवरण प्रदान करें ?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) जी नहीं । गोटेगॉव विधानसभा क्षेत्र में कई नहरों में निर्माण कार्य शेष है । जो निर्माण कार्य कई वर्षों पूर्व हुये है, उनमें से कुछ के सुधार कार्य हेतु निविदायें आमंत्रित की गई है, **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार** है । माईनर नहरों की सफाई का कार्य जल उपभोक्ता संथाओं द्वारा किया जाता है । (ख) वर्तमान में नहरों के रिसाव के कारण किसानों की फसलों को क्षति होने की कोई शिकायत नहीं है । पूर्व में मुख्य नहर के कि.मी. 78.00 के पास रिसाव की समस्या होने पर विभाग द्वारा ड्रेन बनवाकर समस्या का समय से निदान कर दिया गया था । अत: किसानों को क्षति नहीं हुई । इस प्रकार मुख्य नहर के कि.मी. 85.120 से 85.500 के बीच रिसाव की समस्या होने पर मान. उच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका क्रमांक 2981/14 में प्रदत्त निर्देशों के परिपालन अनुसार भी लीकेज ड्रेन बनाने की कार्यवाही प्रचलन में है **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है ।** मध्यप्रदेश सिंचाई अधिनियम 1931 एवं 1974 की धारा 30 के अनुसार रिसाव पर क्षतिपूर्ति देय नहीं है, **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है ।** जिसे मान. उच्च न्यायालय द्वारा नियमानुसार सही माना गया है रिसाव से क्षति का कोई प्रकरण वर्तमान में नहीं होने से कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता । (ग) म.प्र. सिंचाई अधिनियम 1931 एवं 1974 की धारा 30 के अनुसार रिसाव पर क्षतिपूर्ति देय नहीं है । साथ ही रिसाव से क्षति का कोई प्रकरण नहीं है अत: किसी शासकीय सेवक पर कोई कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

गोटेगांव विधानसभा क्षेत्रांतर्गत नांदिया-डारिया की डोलोमाईट खदान

91. (क्र. 2736) डॉ. कैलाश जाटव : क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) गोटेगांव विधानसभा क्षेत्रांतर्गत नांदिया-डारिया की डोलोमाईट खदान को किस संस्था को कितने वर्ष की लीज किन शर्तों के आधार पर प्रदान की गई है, प्रति उपलब्ध करावें ? (ख) वर्तमान में खनन हेतु कितने क्षेत्र का भाग लीज़ पर दिया गया है और इससे निकले मलवा को रखने का क्या प्रावधान है ? (ग) क्या इस मलवा से यहाँ के पर्यावरण एवं कृषि पर विपरीत असर हो रहा है ? यदि हाँ, तो विभाग द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) प्रश्नाधीन क्षेत्र में प्रश्नाधीन खनिज की खदान मेसर्स नर्मदा मिनरल्स गोटेगांव के पक्ष में 20 वर्ष की अवधि हेतु खनिपट्टा नवीनीकरण में खनि रियायत नियम 1960 में विनिर्दिष्ट शर्तों के अनुरूप स्वीकृत किया गया था । स्वीकृत आदेश व निष्पादित अनुबंध की प्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट पर दर्शित** है । (ख) प्रश्नांश 'क' में उल्लेखित संस्था को ग्राम नांदिया, खसरा क्रमांक 57 के भाग रकबा 3.238 हेक्टेयर क्षेत्र पर खनिपट्टा स्वीकृत है । स्वीकृत क्षेत्र में ही मलवा को संग्रहित करने का प्रावधान है । (ग) जी नहीं । अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

पिटोल चौकी पर खनिज विभाग के कर्मचारियों की पदस्थगी

92. (क्र. 2761) श्री शान्तिलाल बिलवाल : क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वाणिज्यकर चौकी पिटोल अंतर्गत खनिज विभाग के कौन-कौन से अधिकारी कर्मचारी कब से कार्यरत है ? इनकी उपस्थिति की जाँच कौन करता है ? माह जनवरी 2014 से इनकी उपस्थिति की जाँच किन-किन अधिकारियों द्वारा कब-कब की गई, तथा औचक निरीक्षण कब और किसके द्वारा किया ? (ख) वर्ष 2013-14 से 2014-15 तक उक्त पिटोल चौकी पर खनिज विभाग द्वारा कितने वाहनों की चैकिंग की गई ? यदि की गई तो कितने वाहनों पर जुर्माना किया गया ? (ग) यदि वाहनों पर जुर्माना नहीं किया गया, तो वहाँ पर कार्यरत कर्मचारियों पर विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई ? (घ) यदि कार्यवाही नहीं की गई तो क्यों, क्या कारण है ?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) प्रश्न में उल्लेखित चौकी पर खनिज विभाग का एक सहायक ग्रेड-3 स्तर का कर्मचारी कार्यरत है । इनकी उपस्थिति की जांच कलेक्टर कार्यालय में पदस्थ खनिज विभाग के अधिकारी द्वारा की जाती है । प्रश्नाधीन अवधि में दिनांक 18.02.2014, 26.05.2014, 12.09.2014 एवं 20.01.2015 को सहायक खनि अधिकारी द्वारा इनकी उपस्थिति की जांच की गई है । (ख) प्रश्नाधीन अवधि में दिनांक 10.10.2013 से दिनांक 25.02.2015 तक कुल 2567 खनिज परिवहन करने वाले वाहनों की जांच की गई । सभी वाहनों में अभिवहन पारपत्र पाए गए । अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता । (ग)

प्रश्नांश 'ख' में दिए गए उत्तर के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता । (घ) प्रश्नांश 'ख' में दिए गए उत्तर के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

नवीन विद्युत उपकेन्द्रों की स्वीकृति

93. (क्र. 2770) श्री नारायण सिंह पँवार : क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र ब्यावरा के अंतर्गत विद्युत व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु हाल ही में भारत शासन द्वारा प्रारंभ की गई पंडित दीनदयाल उपाध्याय, ग्रामीण ज्योति योजनांतर्गत कहाँ-कहाँ नवीन विद्युत ग्रिड स्थापित किये जाने के प्रस्ताव सम्मिलित किये गये हैं ? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में क्या प्रस्तावित नवीन विद्युत ग्रिड इसी सत्र में स्वीकृत कर निर्माण कार्य कराया जा सकेगा ? (ग) क्या उक्त योजनांतर्गत पूर्व से स्थापित विद्युत सबस्टेशनों में स्थापित संयत्रों की क्षमता बढ़ाने की भी कोई कार्ययोजना शामिल की गई है ? यदि हाँ, तो पूर्ण जानकारी उपलब्ध करावें ? (घ) उपरोक्तानुसार सुठालिया टप्पा क्षेत्र में 132 के.व्ही. विद्युत उपकेन्द्र नहीं होने से आसपास के 50-60 ग्रामों में सदैव वोल्टेज की समस्या बनी रहती है, तथा लाईन फॉल्ट होने से विद्युत पंप संचालित नहीं हो पाते हैं ? यदि हाँ, तो क्या सुठालिया क्षेत्र में 132 के.व्ही. विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना की योजना विभाग द्वारा बनाई जाकर शीघ्र स्वीकृति प्रदान की जावेगी ?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) भारत शासन द्वारा प्रारंभ की गई दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना अपने प्रारंभिक चरण में है, जिसकी स्वीकृति प्रतीक्षित है । अत: उक्त योजना के तारतम्य में विधानसभा क्षेत्र ब्यावरा के अन्तर्गत विद्युत व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु नवीन विद्युत उपकेन्द्र स्थापित करने संबंधी जानकारी वर्तमान में देना संभव नहीं है । (ख) एवं (ग) उत्तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न नहीं उठता । (घ) जी नहीं । सुठालिया क्षेत्र में 132 के.व्ही. विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना का कार्य वर्तमान में प्रस्तावित नहीं है तथापि भविष्य में तकनीकी साध्यता एवं वित्तीय उपलब्धता अनुसार आवश्यक होने पर कार्यवाही की जावेगी ।

मुख्यमंत्री द्वारा की गई की घोषणा का क्रियान्वयन

94. (क्र. 2771) श्री नारायण सिंह पँवार : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मध्यप्रदेश शासन द्वारा वर्ष 2013 में विधानसभा क्षेत्र ब्यावरा के अंतर्गत कुशलपुरा बांध से ग्राम खजूरिया, मोर्चाखेड़ी, पीपलहेला, पुनरखेड़ी में उपनहर के माध्यम से सिंचाई हेतु जल उपलब्ध कराने की घोषणा कुशलपुरा बहुउद्देशीय मध्यम सिंचाई परियोजना के उद्घाटन के दौरान की गई थी ? (ख) यदि हाँ तो क्या ऐसे समस्याग्रस्त ग्रामों में सिंचाई हेतु जल उपलब्ध कराने के लिये क्या कोई कार्ययोजना प्रस्तावित है तथा कब तक मूर्त रूप ले सकेगी ?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) जी नहीं, दिनांक 19 जनवरी 2013 को मोर्चाखेड़ी एवं खजूरिया की जनता के लिए सिंचाई एवं पेयजल योजना बनाए जाने की घोषणा की गई थी । (ख) ग्राम मोर्चाखेड़ी एवं खजूरिया की कृषि भूमि का भू-तल स्तर कुशलपुरा परियोजना की नहरों के भू-तल से ऊँचाई पर होने तथा कुशलपुरा परियोजना के रूपांकित क्षेत्र के लिए भी जल की उपलब्धता पर्याप्त नहीं होने के कारण ग्राम खजूरिया एवं मोर्चाखेड़ी के लिए सिंचाई योजना तकनीकी रूप से साध्य नहीं पाई गई है ।

कोपाखेड़ा जलाशय एवं बंधानी जलाशय का निर्माण

95. (क्र. 2788) श्री कमलेश शाह : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधान सभा क्षेत्र अमरवाड़ा के कोपाखेड़ा जलाशय एवं बंधानी जलाशय के निर्माण स्वीकृति दिनांक, लागत एवं कार्य पूर्णता दिनांक बतावें ? (ख) इनके लिए कितनी राशि कब-कब आहरित की गई है ? पृथक-पृथक बतावें ? इसके समक्ष कितने प्रतिशत कार्य हुआ है ? (ग) क्या इनका कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है ? यदि हाँ तो कब तक प्रारंभ कर लिया जावेगा ?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) से (ग) कोपाखेड़ा परियोजना की प्रशासकीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है । बंधानी परियोजना की प्रशासकीय स्वीकृति दिनांक 12.12.2007 राशि रूपये 551.40 लाख की जारी की गई है । बंधानी परियोजना कार्य प्रारंभ कराने के पूर्व ही डूब क्षेत्र की भूमि की लागत में वृद्धि के कारण विभागीय नियमावली के तहत पुनरीक्षित स्वीकृति की आवश्यकता उत्पन्न हुई । पुनरीक्षित लागत में अत्याधिक वृद्धि के कारण परियोजना असाध्य हो गई है । परियोजना के डूब क्षेत्र के कृषकों का लगातार विरोध है । इस पृष्ठभूमि में कोपाखेड़ा परियोजना असाध्य हो गई है । दोनों परियोनओं के लिए कोई व्यय नहीं किया गया है ।

हटा तहसील अंतर्गत खदानों का आवंटन

96. (क्र. 2826) श्री लखन पटेल : क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दमोह जिले में हटा तहसील के अंतर्गत पत्थर एवं लाइम स्टोन की कितनी खदानें है व किस-किस को आवंटित है ? (ख) खदानों से निकाले गए लाइन स्टोन का ग्रेड कितना है ? (ग) खदानों से निकाले गए पत्थर/लाइम स्टोन का उपयोग सड़क निर्माण में किया जा सकता है ? (घ) अधिकृत खदान ठेकेदार अधिकतम कितने समय में कितना खनन कर सकते है ? अगल-अलग खनन ठेकेदारों से कितनी-कितनी व कब रायल्टी प्राप्त की गई है ?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) दमोह जिले में हटा तहसील के अंतर्गत पत्थर की कोई खदान स्वीकृत नहीं है । शेष **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-अ में दर्शित** है । (ख) खदानों से निकाले गये लाइम स्टोन सीमेंट ग्रेड का है । (ग) खदानों से निकाले गये

पत्थर/निम्न श्रेणी लाइम स्टोन का नियमानुसार उपयोग सड़क निर्माण में किया जा सकता है । (घ) खनन योजना तथा पर्यावरण अनुमति में उल्लेखित मात्रा, जो भी कम हो, का खनिपट्टाधारी स्वीकृत अवधि में अधिकतम उत्खनन कर सकते हैं । प्रश्नांश की शेष **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-ब में दर्शित** है ।

<u>**परिशिष्ट – ''बीस''**</u>

<u>शिकायतों की जांच</u>

97. (क्र. 2836) डॉ. गोविन्द सिंह : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) डॉ. भीमराव अंबेडकर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था मुरैना के अधीक्षक, क्रय, लेखा, स्थापना प्रभारी द्वारा अधिकारों के विरूद्ध भण्डार क्रय नियमों का उल्लंघन कर लाखों रूपयों की धोखा-धड़ी की शिकायत किस-किस के द्वारा किस-किस स्तर पर की गई ? (ख) उक्त शिकायतों की जांच कब-कब, किस-किस स्तर के अधिकारी से कराई गई एवं जांच के क्या-क्या निष्कर्ष रहे एवं जांचोपरांत किस-किस के विरूद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ? (ग) क्या औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था मुरैना में स्थानीय क्रय एवं आई.टी.आई. शिफ्टिंग में की गई अनियमितताओं की जांच हेतु मध्यप्रदेश शासन जनशिकायत निवारण विभाग में भी सेकेट्री सिंह तोमर द्वारा वर्ष 2013 में शिकायत की थी जो PG/241129/2013/99 पर दर्ज है ? यदि हाँ, तो उक्त शिकायत की जांचोपरांत क्या निष्कर्ष रहे एवं जांचोपरांत संबंधितों के विरूद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई ? (घ) क्या उपरोक्त जांच प्रतिवेदन पर कोई कार्यवाही न की जाकर अपचारी अधिकारी/कर्मचारियों को बचाया जा रहा है ? यदि नहीं, तो अभी तक जांच प्रतिवेदन पर कार्यवाही नहीं किए जाने के क्या कारण है तथा इसके लिए कौन जिम्मेदार है ? क्या अपचारी अधिकारियों को बचाने वाले संबंधितों के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

तकनीकी शिक्षा मंत्री (श्री उमाशंकर गुप्ता) : (क) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** । (ख) संयुक्त संचालक, ग्वालियर से जांच कराई गई । कलेक्टर मुरैना से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के आधार पर श्री पी.के.औरिया प्रशिक्षण अधीक्षक/ संस्था प्रमुख को दोषी पाऐ जाने से दिनांक 18.02.2015 को आरोप पत्र जारी किया गया तथा संचालनालय के पत्र क्रंमाक-757, दिनांक 20.02.2015 द्धारा निलंबित किया गया । संयुक्त संचालक, ग्वालियर को जांच में विलम्ब करने के कारण आदेश क्रमांक एफ-1-2/2015/42-2, दिनांक 05.03.2015 द्धारा निलंबित कर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा रही है । (ग) ''क'' एवं ''ख'' अनुसार । (घ) जी नहीं । उत्तरांश ''ख'' अनुसार कार्यवाही की गई है ।

<u>अटल ज्योति अभियान के अन्तर्गत 24 घंटे बिजली की उपलब्धता</u>

98. (क्र. 2837) डॉ. गोविन्द सिंह : क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि माह जनवरी 2013 से जुलाई 2013 की अवधि में राज्य के समस्त जिलों

में 24 घण्टे अटल ज्योति अभियान के अंतर्गत सभी गैर कृषि उपभोक्ताओं को प्रदेश में 24 घण्टे गुणवत्तापूर्ण तथा कृषि उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण 10 घंटे विद्‌युत प्रदाय किया जा रहा है ? (ख) यदि हाँ तो क्या यह सही है कि जुलाई 2013 के बाद से प्रश्न दिनांक तक प्रदेश के अधिकांश जिलों में गैर कृषि उपभोक्ताओं को प्रदेश में 24 घण्टे गुणवत्तापूर्ण तथा कृषि उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण 10 घंटे विद्‌युत की आपूर्ति नहीं की जा रही है ? यदि हाँ तो किन-किन कारणों से बतायें ? (ग) क्या प्रश्नांश (क) में उल्लेखित अवधि में अटल ज्योति अभियान प्रदेश के लगभग समस्त जिलों में जाकर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुभारम्भ किया था ? (घ) यदि हाँ तो उक्त योजना के शुभारंभ कार्यक्रमों पर कितनी राशि व्यय की गई ?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) प्रदेश के समस्त जिलों में माह जनवरी-13 से जुलाई-13 की अवधि के दौरान अटल ज्योति अभियान के शुभारम्भ की तिथियों से गैर कृषि उपभोक्ताओं को 24 घण्टे एवं कृषि उपभोक्ताओं को 10 घण्टे गुणवत्तापूर्ण विद्‌युत प्रदाय किया जा रहा है । (ख) जी नहीं, अपितु प्रदेश के समस्त जिलों में, विद्‌युत प्रणाली में आये आकस्मिक अवरोध/अत्यावश्यक तकनीकी कारणों एवं रख-रखाव के लिए शट डाउन को छोड़कर, गैर कृषि उपभोक्ताओं वाले 11 के.व्ही. फीडरों पर 24 घण्टे तथा कृषि उपभोक्ताओं वाले 11 के.व्ही. फीडरों पर 10 घण्टे विद्‌युत प्रदाय किया जा रहा है । (ग) जी हाँ, लगभग सभी जिलों में माननीय मुख्यमंत्रीजी द्‌वारा शुभांरभ किया गया था । (घ) प्रदेश में अटल ज्योति अभियान में शुभारंभ कार्यक्रमों पर कुल रू. 16, 60, 48, 321/- की राशि व्यय हुई है ।

<u>विद्‌युतीकरण कार्य पूर्ण किया जाना</u>

99. (क्र. 2883) श्री महेन्द्र सिंह : क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पन्ना जिले के गुन्नौर विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत क्या राजीव गांधी ग्रामीण विद्‌युतीकरण योजना के तहत कार्य कराया जा रहा है? उक्त योजना से कितने ग्रामों में विद्‌युतीकरण करने की योजना स्वीकृत की गई है ग्रामवार बतावें ? (ख) जिन ग्रामों में विद्‌युतीकरण किया गया है उनमें कितने-कितने क्षमता के वितरण ट्रांसफार्मर लगाये गये हैं, ग्रामवार बतावें ? (ग) जिन ग्रामों में विद्‌युतीकरण किया जा रहा है आधे ऐसे ग्राम हैं जिनमें विद्‌युतीकरण का कार्य अधूरा छोड़ा गया है क्या शासन ऐसे अधिकारी/कर्मचारियों के विरूद्‌ध जांच समिति का गठन कर दोषी के विरूद्‌ध कार्यवाही करेगा ?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) जी हाँ, पन्ना जिले के गुन्नौर विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत 11वीं पंचवर्षीय योजना में स्वीकृत राजीव गांधी ग्रामीण विद्‌युतीकरण योजना के तहत् कार्य कराया जा रहा है । उक्त योजना के तहत् गुन्नौर विधानसभा क्षेत्र के 296 ग्रामों में विद्‌युतीकरण करने का कार्य स्वीकृत है, जिनकी ग्रामवार सूची **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट**

के अनुसार है । (ख) 11वीं पंचवर्षीय योजना में स्वीकृत राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना अन्तर्गत प्रश्नाधीन क्षेत्र के जिन ग्रामों में विद्युतीकरण का कार्य किया गया है, उन ग्रामों में लगाये गये वितरण ट्रांसफार्मरों की ग्रामवार एवं क्षमतावार संख्या की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के अनुसार** है । (ग) प्रश्नाधीन क्षेत्र के जिन ग्रामों में 11वीं पंचवर्षीय योजना में स्वीकृत राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत् विद्युतीकरण का कार्य किया जा रहा है, उनमें योजना में निहित प्रावधानों के अनुसार कार्य पूर्ण करा दिया गया है, अधूरा नहीं छोडा गया है । अत: किसी अधिकारी/कर्मचारी के दोषी होने अथवा जाँच कराए जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

आबकारी आयुक्त के निवास पर आयकर का छापा

100. (क्र. 2912) श्रीमती नीना वर्मा : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या अक्टूबर 2014 में इंदौर के आबकारी उपायुक्त, नवल किशोर जामोद के घर आयकर का छापा डाला गया था ? यदि हाँ तो छापे में जप्त अवैध सम्पत्ति, नगद राशि बतावें ? (ख) क्या जप्ती के दौरान कुछ कागजात भी जप्त किये गये थे, तथा क्या उन कागज में किन-किन ठेकेदार द्वारा, कब-कब कितनी-कितनी राशि जामोद को दी गई ? यदि हाँ तो इसके आधार पर संबंधित ठेकेदारों के विरूद्ध किसी प्रकार की कार्यवाही की गई, यदि की गई तो क्या कार्रवाई की गई ?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) , (ख) जी नहीं । शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता ।

सराय किले का जीर्णोद्धार

101. (क्र. 2922) श्री कालुसिंह ठाकुर : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राज्य पुरातत्व विभाग द्वारा विगत वर्ष धार जिले की धरमपुरी विधान सभा क्षेत्र के ग्राम सराय में स्थित पुरातन किले के जीर्णोद्धार का कार्य कितनी लागत से करवाया गया है, एवं किले में क्या-क्या सुधार कार्य करवाया जाना निर्धारित था ? (ख) क्या उक्त प्रावधानित समस्त कार्य पूर्ण हो चुके हैं ? यदि नहीं तो शेष कार्य कब तक पूर्ण करवा लिया जावेगा ? स्थानीय नागरिकों द्वारा बताये अनुसार 36 लाख रूपये की लागत से स्वीकृत जीर्णोद्धार कार्य में मात्र चार-पांच परकोटो का ही सुधार कार्य हुआ है ? (ग) क्या शासन वर्तमान में करवाये गये कार्य का मूल्यांकन एवं विभाग द्वारा व्यय बताई गयी राशि की उपयोगिता संबंधी जाँच करवाएगा, यदि हाँ तो कब तक बतावें ?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) धार जिले में स्थित ग्राम लुनेरा की सराय का अनुरक्षण कार्य वर्ष 2011-12 में रू.33, 90, 666/- से कराया गया, जिसमें परकोटे की मरम्मत, मुख्य द्वार कक्षों की मरम्मत, छतों की मरम्मत एवं फ्लोर मरम्मत का कार्य

अनुमानिक अनुसार कराये गये. (ख) जी हाँ. (ग) प्रश्नांश क में उल्लेखित कार्य अनुमानिक अनुसार पूर्ण होने पर, तकनीकी अमले की रिपोर्ट प्राप्त की गई. चूंकि कार्य पूर्ण हो चुके हैं. अत: जाँच का प्रश्न उपस्थित नहीं होता.

घंसौर से जबलपुर 400 के.व्ही. ट्रांसमीशन लाईन का निर्माण

102. (क्र. 2945) श्रीमती प्रतिभा सिंह : क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जबलपुर जिले में राज्य के मुख्य विद्युत निरीक्षक के निर्देशन में डाली जा रही घंसौर (सिवनी) से जबलपुर जिले में 400 के.व्ही., डी.सी. विद्युत लाईन एवं टावरों के निर्माण में निर्माता कंपनी लार्सन एण्ड टर्बो प्रा. लि. एवं झाबुआ पावर लिमि. द्वारा विद्युत सुरक्षा एवं शासन के नियमों का पालन किया जा रहा है ? (ख) उक्त 400 के.व्ही. विद्युत लाईन के टावर जबलपुर जिले के ग्रामवार किन-किन किसानों की भूमि पर लगाये गये/ लगाये जा रहे हैं ? ख.न., प.ह.न. सहित बतावें ? क्या टावर एवं विद्युत लाईन लगाने के पूर्व उपरोक्त किसानों की भूमि का नियमानुसार मुआवजा दिया गया या नहीं ? यदि दिया गया, तो विवरण दें ? (ग) क्या उपरोक्त 400 के.व्ही. विद्युत लाईन एवं टावर निर्माण से पूर्व जबलपुर जिले की भेड़ाघाट न.प. राष्ट्रीय राज मार्ग, राज्य राजमार्गों एवं स्थानीय निकायों से सहमति लेनी थी ? यदि हाँ, तो किन-किन से सहमति प्राप्त की गई ? उक्त विद्युत लाईन स्वीकृत मानचित्र से नियम विरूद्ध कहाँ-कहाँ विचलित की गयी ?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) से (ग) प्रश्नाधीन ट्रांसमिशन लाईन के निर्माण का कार्य मेसर्स झाबुआ पावर लिमिटेड द्वारा केन्द्रीय पारेषण उपयोगिता (सेन्ट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटि) के समन्वय से किया जा रहा है, जो कि केन्द्र सरकार के नियंत्रण में है । इस प्रकार उक्त प्रश्न का संबंध राज्य शासन से नहीं होने के कारण प्रश्नाधीन जानकारी दिया जाना संभव नहीं है ।

जबलपुर जिले के किसानों के सिंचाई पम्पों पर स्वीकृत से अधिक विद्युत लोड़ बढ़ाने बावत्

103. (क्र. 2946) श्रीमती प्रतिभा सिंह : क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जबलपुर जिले के बरगी विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न हा.पा. क्षमता के किसानों हेतु विद्युत सिंचाई पम्पों के कितने विद्युत कनेक्शन विद्यमान है ? वितरण केन्द्रवार जानकारी दें ? (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित क्षेत्रान्तर्गत सिंचाई पम्पों का, वर्ष जनवरी 2014 से अब तक कितना विद्युत लोड पम्पवार स्वीकृत क्षमता सेअधिक बढ़ाया गया ? उक्त लोड बढ़ाने से किसानों से कितनी अतिरिक्त वसूली विद्युत कंपनी द्वारा ली गयी ? वितरण केन्द्रवार जानकारी दें ? (ग) क्या विद्युत लोड बढ़ाने की जानकारी लिखित रूप से संबंधित किसानों को दी गयी थी ? यदि हाँ, तो विवरण दें ? यदि नहीं तो क्यों ? (घ) सिंचाई पम्पों पर विद्युत लोड बढ़ाने से विद्युत कंपनी को शासन से प्राप्त होने वाली सब्सिडी से अनु. जा., अनु.ज.जा. एवं

अन्य वर्ग के सिंचाई पम्पों पर कितनी राशि प्राप्त हुयी ? (ड.) निर्धारित से अधिक विद्युत लोड बढ़ाने के लिए कौन-कौन से अधि. दोषी है ? शासन उन पर क्या कार्यवाही करेंगा ?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) जबलपुर जिले के बरगी विधानसभा क्षेत्रांतर्गत विभिन्न क्षमता के विद्युत सिंचाई पंपो के 12239 विद्युत कनेक्शन विद्यमान हैं । वितरण केन्द्रवार **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के अनुसार** है । (ख) प्रश्नांश (क) उल्लेखित क्षेत्रान्तर्गत प्रश्नाधीन अवधि में सिंचाई पंपों के भार की जांच करने पर पाये गये संयोजित भार के अनुसार 15495 हार्स पावर की वृद्धि हुई है । किसानों को उनके जांच उपरांत पाये गये वास्तविक संयोजित भार के अनुसार म.प्र. विद्युत नियामक आयोग द्वारा पारित टैरिफ आदेश एवं राज्य शासन के सब्सिडी आदेश के अनुसार बिल दिये गये हैं । कोई अतिरिक्त वसूली वितरण कंपनी द्वारा नहीं की गई है, अत: प्रश्न नहीं उठता । (ग) जांच उपरान्त पाये गये वास्तविक संयोजित भार के अनुसार भार बढ़ाने की जानकारी लिखित रूप से संबंधित किसानों को दी गई थी । साथ ही यह भी सूचित किया गया था कि वे पाये गये अधिक भार के संबंध में यदि कोई आपत्ति हैं तो 07 दिवस के भीतर आपत्ति दर्ज करते हुए मध्यप्रदेश विद्युत नियाकम आयोग के विद्युत प्रदाय के प्रयोजन से ''विद्युत लाईन प्रदाय करने अथवा उपयोग किये गये संयंत्रों हेतु व्ययों तथा अन्य प्रभारों की वसूली विनियम (पुनरीक्षण प्रथम) 2009'' के अनुसार पुन: भार निर्धारण करवा सकते हैं । साथ ही यदि उपभोक्ता चाहे तो उपरोक्त विकल्प के स्थान पर विद्युत प्रदाय संहिता, 2013 की कंडिका 6.38 के अनुसार जांच करवा सकता है । (घ) बरगी विधानसभा क्षेत्रांतर्गत सिंचाई पंपों के भार की जांच करने पर पाये गये वास्तविक संयोजित भार के अनुसार वितरण कंपनी द्वारा मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी टैरिफ आदेश एवं राज्य शासन द्वारा जारी सब्सिडी आदेश के प्रावधानों के अनुसार राज्य शासन से सब्सिडी के रूप में लगभग रूपये 182.95 लाख प्रतिमाह की वृद्धि के साथ दावा प्रस्तुत किया गया है । (ड.) उत्तरांश (ख) में दर्शाए अनुसार भार में वृद्धि नियामानुसार की गई है, अत: किसी के विरूद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

<u>**परिशिष्ट - ''इक्कीस''**</u>

<u>अटल सागर (मड़ीखेड़ा) मोहनी सागर डेम पर पर्यटन सुविधा</u>

104. (क्र. 2975) श्री प्रहलाद भारती : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शिवपुरी जिले में अटल सागर (मड़ीखेड़ा) /मोहनी सागर डेम पर पर्यटन सुविधाएं बढ़ाए जाने की शासन की कोई योजना है ? यदि हाँ, तो विवरण दें ? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में पर्यटन विभाग द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु कौन-कौन सी गतिविधियां/ कार्य वर्तमान में प्रचलित हैं व उनकी अद्यतन स्थिति क्या है, कार्यवार विवरण दें ? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के संदर्भ में क्या यह सही है कि उक्त स्थानों पर वाटर स्पोर्ट्स/नौकायान और होटल आदि गतिविधियां संचालित किये जाने हेतु कोई निर्माण कार्य किया जा रहा है ? यदि हाँ, तो उक्त

कार्य हेतु निविदा कब-कब जारी की गई व कौन-कौन सी कंपनी/ठेकेदार को उक्त कार्य दिया गया है, कार्यवार विस्तृत जानकारी लागत सहित बतावें ?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) जी हाँ. पर्यटकों की सुविधाओं हेतु मड़ीखेड़ा स्थित रेस्ट हाउस में रिनोवेशन, एप्रोच रोड, रेस्टोरेंट, लैंडस्केप, साइनेज तथा जल क्रीडा गतिविधियों के विकास हेतु कार्य प्रारंभ किया जा रहा है. (ख) मड़ीखेड़ा रेस्ट हाउस का उन्नयन कार्य कराने हेतु कार्य आदेश क्र. 10146, दिनांक 09.12.2014 द्वारा जारी किया गया है. कार्य प्रारंभ किया जा रहा है. (ग) जी हाँ. मड़ीखेड़ा स्थित रेस्ट हाउस का उन्नयन, बोट शेड, जेट्टी तथा पाथवे हेतु निविदा सूचना क्र. 1134 दिनांक 02.06.2014 को जारी की गई एवं मेसर्स राजमंगल डेवलपर्स शिवपुरी को उक्त कार्य हेतु अनुबंधित किया गया है. कार्य की अनुमानित लागत राशि रू.40.00 लाख है.

आर्थिक अपराध अनुसंधान ब्यूरो द्वारा दर्ज प्रकरण

105. (क्र. 2992) श्री मनोज निर्भय सिंह पटेल : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. में आर्थिक उपराध अनुसंधान ब्यूरों के द्वारा वर्ष 2012 वर्ष 2014 तक कितने प्रकरण दर्ज किये गये ? श्रेणीवार, वर्षवार जानकारी उपलब्ध करायें ? (ख) उपरोक्तानुसार दर्ज प्रकरणों में से कितने कर्मचारियों के विरूद्ध न्यायालय में प्रकरण दर्ज कराये गये तथा कितने कर्मचारी दोषी पाये गये और कितने दोष मुक्त हुये ? श्रेणीवार, वर्षवार जानकारी दी जायें ? (ग) क्या कनिष्ठ कर्मचारियों एवं वरिष्ठ कर्मचारियों के प्रकरणों में भेदभाव किया जाता हैं ? (घ) कितने प्रकरणों में कितने समय से चालान पेश किया जाना लंबित हैं ? प्रकरणों की सूची उपलब्ध करावें ?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है ।

विद्युत सब स्टेशन निर्माण कार्य में विलम्ब

106. (क्र. 3026) श्री रामकिशन पटेल : क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उदयपुरा विधानसभा क्षेत्रांतर्गत गत तीन वर्षों में कौन-कौन से विद्युत सब स्टेशन निर्माण कार्य कितनी-कितनी राशि के कोन-कौन से ग्रामों को लाभान्वित करने के लिऐ प्रस्तावित किये गये, विकासखण्डवार जानकारी प्रदान करें ? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तावित कार्यों की वर्तमान में भौतिक व वित्तीय स्थिति क्या है ? क्या यह सही है कि कार्य पूर्ण होने की समयसीमा में पूर्ण करना तो दूर, कार्य प्रारंभ ही नहीं किया गया ? यदि हाँ, तो कार्य विलंब के लिऐ दोषी ठेकेदारों पर आज दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई, तो क्यों, कारण स्पष्ट करें ? यदि की जायेगी, तो क्या और कब तक ? (ग) क्या ग्राम विजनहाई, तहसील उदयपुरा, जिला रायसेन में 132 के.व्ही. का विद्युत सब

स्टेशन स्वीकृत है ? यदि हाँ, तो क्या इसका कार्य प्रारंभ हो गया है ? यदि नहीं, तो कार्य प्रांरभ कब तक होगा, समयावधि बतावें ?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) उदयपुरा विधानसभा क्षेत्रांतर्गत विगत 3 वर्षों में 33/11 के.व्ही. के 5 विद्युत उपकेन्द्रों का कार्य प्रस्तावित किया गया था । उक्त विद्युत उपकेन्द्रों के निर्माण हेतु स्वीकृत राशि तथा विकासखण्डवार लाभान्वित हुए, होने वाले ग्रामों का विद्युत उपकेन्द्रवार एवं विकासखण्डवार विवरण **संलग्न परिशिष्ट में दर्शाए अनुसार** है । (ख) उत्तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में 33/11 के.व्ही. उपकेन्द्रों के प्रस्तावित कार्यों की वर्तमान में भौतिक व वित्तीय स्थिति (प्रगति एवं व्यय राशि) का विवरण **संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है । जी नहीं, अपितु प्रश्नाधीन क्षेत्र एवं अवधि में प्रस्तावित किये गये 5 उपकेन्द्रों में से 4 उपकेन्द्रों का कार्य पूर्ण कर दिया गया है । शेष रहे प्रस्तावित अनघोरा 33/11 के.व्ही. विद्युत उपकेन्द्र का कार्य ए.डी.बी. योजना के अंतर्गत किया जा रहा है । कार्य हेतु मेसर्स अग्रवाल पॉवर लिमिटेड भोपाल को दिनांक 24.01.2014 को कार्यादेश जारी किया गया है । निविदा की शर्तों के अनुसार कार्य पूर्ण करने की दिनांक 23.07.2015 है । संबंधित कार्य एजेंसी द्वारा कार्य प्रारंभ कर, निर्माण हेतु आवश्यक सामग्री को कार्य स्थल पर पहुंचा दिया गया है । कार्य को निर्धारित समयावधि में पूर्ण कराने के प्रयास किये जा रहे हैं । अत: कार्य एजेंसी पर किसी प्रकार की कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता । (ग) जी हाँ, ग्राम बिजनहाई, तहसील उदयपुरा, जिला रायसेन में 132 के.व्ही. विद्युत उपकेन्द्र के निर्माण का कार्य ए.डी.बी. तृतीय योजना में स्वीकृत है । म.प्र. पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के द्वारा उक्त कार्य हेतु मेसर्स डी.एस.लिमिटेड हैदराबाद को दिनांक 01/03/14 को कार्यादेश जारी किया गया है । निविदा की शर्तों के अनुसार कार्य पूर्ण करने की निर्धारित अवधि मई 2016 है । उक्त ठेकेदार एजेंसी द्वारा कार्य प्रारंभ कर दिया गया है तथा वर्तमान में कार्य प्रगति पर है ।

<u>परिशिष्ट - ''बाईस''</u>

मानननीय विधायकों के पत्रों पर कार्यवाही

107. (क्र. 3027) श्री रामकिशन पटेल : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या माननीय सांसदों व माननीय विधायकों के पत्रों का शीघ्र एवं समुचित जबाव देने हेतु शासन के निर्देश हैं ? यदि हाँ , तो म.प्र. शासन द्वारा जारी ज्ञापन क्र. एफ 19-76/2007/1/4, दिनांक 22.03.2011 का पालन क्यों नहीं किया जा रहा है ? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में जनवरी 2014 से प्रश्न दिनांक तक प्रश्नकर्ता द्वारा भोपाल एवं नर्मदापुरम संभाग कं कार्यालयों में कब-कब, किस-किस विषय पर किस-किस दिनांक को पत्र लिखे और प्रश्न दिनांक तक उन पर क्या कार्यवाही की गई ? (ग) क्या प्रश्नकर्ता के पत्रों का 15 दिवस में जवाब देने का प्रावधान है ? यदि हाँ, तो प्रश्नकर्ता के बहुत से पत्रों का जवाब क्यों नहीं दिया गया ?

इसका दोषी कौन है ? व उस अधिकारी पर कब तक कार्यवाही की जावेगी और क्या कार्यवाही होगी ? समय-सीमा बताएं ?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) जी हाँ । निर्देशों का पालन किया जा रहा है । (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है । (ग) प्राप्त पत्रों की अभिस्वीकृति 03 कार्य दिवसों में देने का प्रावधान है । शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

इंदौर जिले के महाविद्यालयों में जनभागीदारी समितियां

108. (क्र. 3047) श्री राजेश सोनकर : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) इंदौर जिले में शासकीय महाविद्यालयों में कहाँ-कहाँ 31.1.15 की स्थिति में जनभागीदारी समितियों का गठन नहीं हुआ है, गठन की प्रक्रिया बतावें ? जनभागीदारी समिति का क्या दायित्व रहता है ? क्या यह सही है कि विधानसभा प्रश्न क्र. 1438, दि. 8.7.2014 के उत्तर में संस्कृति महाविद्यालय में जनभागीदारी समिति बनाई थी, बताया गया था, जबकि वहाँ थी ही नहीं ? (ख) छात्र/छात्राओं से क्या कोई राशि इस हेतु ली जाती है ? यदि हाँ, तो कितनी-कितनी ? प्रत्येक महाविद्यालय की 31.1.15 की स्थिति में इस समिति के फण्ड में जमा राशि बतावें ? (ग) क्या यह सही है कि जनभागीदारी समिति की अनुशंसा पर ही महाविद्यालय में विकास कार्य किये जाते हैं ? यदि हाँ, तो संस्कृत महाविद्यालय, इन्दौर में 2013-14 और 2014-15 में किस आधार पर खर्च किये गये ? (घ) अगर महाविद्यालयों में कोई जनभागीदारी समिति के संबंध में कोई शिकायतें मिली हैं, तो 31.1.15 की स्थिति में उनका क्या निराकरण किया गया ? महाविद्यालय सॉवेर की विशेष रूप से बतावें और यहाँ 2013-14, 2014-15 में कया-क्या कार्य किऐ गऐ ?

तकनीकी शिक्षा मंत्री (श्री उमाशंकर गुप्ता) : (क) शासकीय नवीन महाविद्यालय, राउ में जनभागीदारी समिति का गठन प्रक्रियाधीन है । जनभागीदारी समिति के गठन की प्रक्रिया एवं दायित्व की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार** है । जी नहीं, दिनांक 03.11.2006 से समिति का पंजीयन है । समिति के पदेन उपाध्यक्ष कलेक्टर है । (ख) जी हाँ । शेष **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" अनुसार** है । (ग) जी हाँ । प्राचार्य की अनुशंसा पर वर्ष 2013-2014 में रूपये 2, 94, 054/- वर्ष 2014-2015 में रूपये 1, 30, 718/- वेतन एवं अन्य खर्च किये गये । विकास कार्य पर कोई राशि खर्च नहीं की गई है । (घ) शासकीय संस्कृत महाविद्यालय, इन्दौर में शिकायत प्राप्त हुई थी, निराकरण की कार्यवाही प्रचलन में है । शासकीय महाविद्यालय, सांवेर में कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई । अनुविभागीय अधिकारी की अनुशंसा पर कर्मचारियों को वेतन भुगतान में वर्ष 2013-14 में राशि रूपये 3, 00, 000/- एवं वर्ष 2014-15 में राशि रूपये 3, 00, 000/- खर्च की गयी । कार्यों में कोई राशि खर्च नहीं की गयी ।

देशी विदेश मदिरा की बिक्री हेतु लायसेंस का आवंटन

109. (क्र. 3078) श्री प्रदीप अग्रवाल : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दतिया जिले में देशी विदेशी मदिरा की बिक्री हेतु आबकारी विभाग द्वारा कहाँ-कहाँ लायसेन्स आवंटित किये है विकास खण्डवार/ग्रामवार/नामवार जानकारी उपलब्ध कराई जावें ? (ख) जिन ग्रामों मे लायसेंसी दुकान नहीं है और अवैध रूप से संचालन हो रहा है उन्हें शासन द्वारा दण्ड के क्या नियम है ? जिला आबकारी विभाग दतिया द्वारा विगत एक वर्ष में ऐसी कितनी दुकाने बंद कराकर उनकी मदिरा जब्त कराकर उन पर प्रकरण पंजीबद्ध कराये हैं ग्रामवार/नामवार जानकारी उपलब्ध कराई जावें ? (ग) ग्रामों में मेटाडोर/जीपों से परिवहन कर मदिरा लाई ले जाई जाती है क्या आबकारी विभाग दतिया द्वारा कोई मेटाडोर या जीप जब्त कर उस पर प्रकरण बनाया है यदि हाँ, तो सूची उपलब्ध कराई जावे नहीं तो क्यों ? आबकारी विभाग के उड़न दस्ते द्वारा 1 अप्रैल 14 से प्रश्न दिनांक तक किस-किस ग्राम में जाकर दुकाने बंद कराई व प्रकरण पंजीबद्ध कराये ग्राम एवं मुल्जिम के नाम की जानकारी उपलब्ध कराई जावें ? (घ) विगत कितने वर्षों से दतिया जिलों में नीलामी न होकर रिन्यूवल चल रहा है एक ही कंपनी को बार-बार लायसेंस देने से उनके द्वारा सभी ग्रामों में मदिर विक्रय का कार्य कराया जा रहा है लायसेंस देने से उन्हें शराब परिवहन की स्वतंत्रता रहती है ? जिला अधिकारियों द्वारा इसकी रोकथाम के लिये क्या-क्या प्रयास किये कौन-कौन ठेकेदारों को नोटिस दिये तथा किसके लायसेंस निरस्त किये ?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है । (ख) जिन ग्रामों में लायसेंसी दुकान नहीं है और अवैध रूप से संचालन हो रहा है उनके लिये शासन द्वारा मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34 (1) के अंतर्गत विधि विरूद्ध विनिर्माण, परिवहन कब्जा आदि के लिये प्रत्येक ऐसे अपराध के लिये एक वर्ष तक का कारावास हो सकता है और जुर्माना 500/- रूपये से कम नहीं होगा किन्तु जो 5, 000/- रूपये तक हो सकेगा दण्डनीय होगा । परन्तु अपराध की पुनरावृत्ति की दशा में एवं प्रथम उपराध सिद्ध दोष हो जाने की स्थिति में प्रत्येक ऐसे अपराध के लिये कारावास जिसकी अवधि छः माह से कम नहीं होगी किन्तु जो दो वर्ष तक हो सकेगी तथा जुर्माना 2, 000/- से कम नहीं होगा किन्तु जो 10, 000/- तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा तथा धारा 34 (2) के अंतर्गत मदिरा की मात्रा 50 बल्क लीटर से अधिक होने की दशा में कारावास जिसकी अवधि एक वर्ष से कम नहीं होगी किन्तु जो तीन वर्ष तक हो सकेगी तथा जुर्माने रूपयें 2, 500/- से कम नहीं होगा किन्तु जो रूपयें 1, 00, 000/- तक हो सकेगा, दण्डनीय होगा, परन्तु इस अपराध की दशा पुनरावृत्ति एवं प्रथम अपराध सिद्ध दोष हो जाने की स्थिति में जुर्माना प्रत्येक ऐसे अपराध के लिये जो दो वर्ष से कम नहीं होगा किन्तु जो 5 वर्ष से अधिक नहीं हो सकेगा और जुर्माने जो रूपयें 50, 000/- से कम नहीं होगा किन्तु जो 2, 00, 000/- रूपयें तक हो सकेगा दण्डनीय होगा, का प्रावधान है । जिला आबकारी विभाग द्वारा विगत 1 वर्ष सतत भ्रमण एवं प्रभावी कार्यवाही की जाने से तथा कोई सूचना/शिकायत भी प्राप्त न होने

की दशा में अवैध रूप से संचालित कोई भी मदिरा दुकान से मदिरा जप्त कराकर उन पर प्रकरण पंजीबद्ध नहीं कराये गये अपितु विगत एक वर्ष (21 फरवरी 2014 से 20 फरवरी 2015) तक जिला दतिया में विभिन्न स्थानों/ग्रामों में अवैध मदिरा के आधिपत्य के 618 न्यायालयीन प्रकरण पंजीबद्ध किये गये जिनमें 6178 बल्क लीटर मदिरा जप्त की गई है । (ग) कार्यपालिक अधिकारियों/कर्मचारियों के निरंतर भ्रमण करने तथा मदिरा के अवैध परिवहन की कोई सूचना/शिकायत भी प्राप्त न होने से आबकारी विभाग दतिया द्वारा कोई मेटाडोर या जीप जप्त नहीं की गई है । अबाकरी विभाग जिले के स्टाफ तथा संभागीय उडनदस्ता, ग्वालियर द्वारा समय समय पर किये गये भ्रमण तथा कार्यवाही के फलस्वरूप अवैध मदिरा दुकानों का संचालन न पाये जाने से शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है । (घ) शासन द्वारा घोषित आबकारी नीति के अंतर्गत वर्ष 2009-10 में लॉटरी के माध्यम से मदिरा दुकानों के निष्पादन के बाद वर्ष 2010-11 (विगत 5 वर्ष) से वर्ष 2014-15 तक जिला दतिया के कुल राजस्व के 80 प्रतिशत या अधिक मूल्य की मदिरा दुकानों के नवीनीकरण किया गया । नवीनीकरण से शेष रही मदिरा दुकानों का निष्पादन टेण्डर द्वारा किया गया है । दतिया जिले में कोई भी कंपनी लायसेंसी नहीं है । देशी/विदेशी मदिरा के विभिन्न एकल समूहों को अलग-अलग व्यक्तियों के नाम से जारी लायसेंसों (मदिरा दुकानों) का प्रतिवर्ष उपरोक्तानुसार नवीनीकरण किया गया है । मदिरा दुकानों के निरंतर प्रभावी निरीक्षण, पर्यवेक्षण तथा क्षेत्र में भ्रमण किया गया तथा लायसेंसी विशेष द्वारा ग्रामों में मदिरा विक्रय कराये जाने की कोई सूचना या शिकायत भी प्राप्त नहीं हुई । अत: किसी लायसेंसी को इस संबंध में कोई नोटिस नहीं दिया गया न ही किसी का लायसेंस निरस्त किया गया ।

परिशिष्ट – "तेईस"

अवैध माईनिंग में लिप्त दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही

110. (क्र. 3106) श्री शंकर लाल तिवारी : क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) केमरी पहाड़ में कितने लोगों को माईनिंग लीज स्वीकृत है ? उनमें से कितनी वैध माईनिंग वर्तमान में चल रही है तथा कितनी अवैध माईनिंग चल रही हैं ? (ख) क्या यह सही है कि अवैध माईनिंग करने वालों के बारे में स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में रोज छपता है तथा डंपर एवं जे.सी.बी. अबेर थाना द्वारा पकड़ी जाती है ? विगत एक वर्ष में कब-कब कितनी डंपर/जे.सी.बी. थानें द्वारा पकड़े गये हैं, वाहन मालिक एवं वाहन क्रमांक सहित बतायें ? (ग) प्रश्नांश (ख) यदि सही है तो अवैध माईनिंग करने वालों के विरूद्ध विभाग द्वारा क्या-क्या कार्यवाही कब-कब की गई है ? केमरी पहाड़ से अवैध उत्खनन में कब तक रोक लगा दी जावेगी तथा अवैध माईनिंग को प्रोत्साहित करने वाले अधिकारियों को कब तक हटा दिया जावेगा ?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) प्रश्नाधीन क्षेत्र में स्वीकृत खनिपट्टा का विवरण **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र -'अ' में दर्शित** है । प्रश्नाधीन क्षेत्र में खनिज के अवैध उत्खनन प्रकाश में आने पर कार्यवाही की गई है । जिसका विवरण **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' में दर्शित** है । (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'स' में दर्शित** है । (ग) **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' एवं 'स'** में अवैध उत्खनन के विरूद्ध की गई कार्यवाही का विवरण दर्शित है । प्रश्नाधीन क्षेत्र में समय-समय पर निरीक्षण कर अवैध उत्खनन पाए जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाती है । खनिज के अवैध उत्खनन को प्रोत्साहित करने जैसी कोई स्थिति नहीं है । अत: शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता ।

मेहंदी तथा माण्डवी तालाब एवं तंबोलिया स्टाप डेम का निर्माण

111. (क्र. 3121) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या वर्ष 2007-08 में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जावरा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत मेंहदी तथा माण्डवी तालाब एवं तंबोलिया स्टापडेम निर्माण कार्यों का भूमि पूजन किया था ? (ख) यदि हाँ, तो क्या जावरा तहसील अंतर्गत बनने वाले उपरोक्त निर्माण कार्यों का कार्य पूर्ण हो चुका है ? उपरोक्त कार्यों हेतु पृथकत: कितनी-कितनी राशि स्वीकृत होकर कितना व्यय हुआ ? (ग) क्या माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भूमि पूजन किये गये तीनों उपरोक्त स्थानों के निर्माण कार्य पूर्ण होकर उससे सिंचाई की जा रही है ? (घ) यदि हाँ, तो उपरोक्त तीनों स्थानों पर तालाबों/स्टापडेम हेतु कितनी-कितनी निजी एवं कितनी-कितनी शासकीय भूमि अधिग्रहित की जाकर इससे कितनी भूमि की सिंचाई हो रही है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) से (ग) जी हाँ, दिनांक 19-06-2008 को मेहन्दी जलाशय, माण्डवी जलाशय एवं तम्बोलिया वियर के निर्माण के लिए शिलान्यास किया गया था । मेहन्दी एवं तम्बोलिया वियर परियोजना का निर्माण पूर्ण हो चुका है । इन परियोजनाओं की स्वीकृत राशि क्रमश: रूपये 166.38 लाख एवं रूपये 1337.24 लाख और व्यय राशि क्रमश: रूपये 169.07 लाख एवं रूपये 1161.17 लाख है । निर्मित परियोजनाओं से सिंचाई की जा रही है । माण्डवी जलाशय परियोजना के डूब क्षेत्र में जलाशय निर्मित होने एवं वन प्रभावित आने से परियोजना साध्य नहीं रही है अत: कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है । (घ) मेहन्दी परियोजना के लिए 18.36 हेक्टर एवं तम्बोलिया वियर के लिए 1.24 हेक्टर निजी भूमि का अर्जन किया गया है । शासकीय भूमि अधिग्रहित नहीं की जाती है । अल्प वर्षा के कारण गत वर्ष उपलब्ध सीमित जल से मेहन्दी जलाशय से 40 हेक्टर एवं तम्बोलिया वियर से 700 हेक्टर में सिंचाई की गयी है ।

फीडर सेपरेशन का कार्य

112. (क्र. 3122) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय : क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जावरा नगर, तहसील पिपलौदा एवं तहसील जावरा में विगत तीन वर्षों में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत फीडर सेपरेशन का कार्य किया गया है ? (ख) यदि हाँ, तो क्या उपरोक्त स्थानों के अंतर्गत आने वाले समस्त स्थानों पर यह कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा उपरोक्त कार्य हेतु कुल कितना बजट स्वीकृत होकर कितना व्यय किया गया है ? (ग) क्या विभिन्न क्षेत्रों से कार्यों की गुणवत्ताहीन होने, घटिया होने संबंधी शिकायतों के साथ ही क्षेत्र के अनेक स्थानों को छोड़ दिये जाने के संबंध में लगातार शिकायतें आती रही है ? यदि हाँ तो (घ) क्या यह सही है कि नगरीय/ग्रामीण क्षेत्रों के वार्ड/ग्राम पंचायतों में निवासरत नागरिकों के कई आवास इससे वंचित रहे है ? यदि हाँ तो क्या इस हेतु किसी कार्ययोजना के माध्यम से इस कमी को दूर किया जाएगा ?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) जावरा नगर/शहरी क्षेत्र में फीडर सेपरेशन का कार्य नहीं किया गया है तथापि जावरा एवं पिपलौदा तहसील के ग्रामीण क्षेत्रों में विगत तीन वर्षों में फीडर सेपरेशन का कार्य किया गया है । (ख) जी हाँ, प्रश्नाधीन क्षेत्र में कार्य पूर्ण कर लिया गया है । फीडर सेपरेशन योजना के कार्यादेश तहसीलवार नहीं अपितु संचालन/संधारण संभागवार जारी किये गये हैं । उक्त योजनान्तर्गत प्रश्नाधीन क्षेत्र सहित जावरा एवं आलोट संचालन/संधारण संभागों के लिए सम्मिलित रूप से कुल राशि रूपये 48.39 करोड़ का कार्यादेश जारी किया गया था, जिसमें से कुल राशि रूपये 39.65 करोड़ का व्यय किया जा चुका है । (ग) जी नहीं । (घ) जी नहीं, अत: प्रश्न नहीं उठता ।

राजीव गांधी विद्युतीकरण योजनान्तर्गत विद्युतीकरण

113. (क्र. 3153) श्री अजय सिंह : क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सीधी जिले में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना लागू है ? यदि हाँ, तो चुरहट विधान सभा क्षेत्र के कितने ग्रामों को उक्त योजना में शामिल किया गया है ? कितने गांव इस योजना से अभी तक वंचित हैं ? संख्या दें ? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार योजना में सम्मिलित कितने गांव में विद्युतीकरण किया गया है ? प्रश्नांश दिनांक तक उक्त योजना से कितने गांव वंचित है ? वंचित गांवों में कब तक विद्युतीकरण करा दिया जायेगा ? (ग) क्या यह सही है कि उक्त योजना अंतर्गत जिनके कनेक्शन नहीं हुए हैं और न ही मीटर लगे हैं उनके नाम से भी बिल भेजा जा रहा है ? यदि भेजा गया है तो इसका दोषी कौन है, तथा उस पर क्या कार्यवाही की गई है यदि कार्यवाही नहीं की गई है तो कब तक की जायेगी ?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) जी हाँ, सीधी जिले में राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना लागू है । चुरहट विधान सभा क्षेत्र के 285 ग्रामों में से 259 ग्रामें को 11 वीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम एवं द्वितीय चरण में स्वीकृत राजीव गाँधी ग्रामीण

विद्युतीकरण योजना में सम्मिलित किया गया है । शेष 26 ग्रामों में से 19 ग्राम रामपुर एवं चुरहट नगर पंचायत के अंतर्गत आते है, अत: इन 19 ग्रामों को राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में सम्मिलिति नहीं किया गया है तथा 07 ग्राम वीरान है । उत्तरांश (क) में दर्शाए अनुसार शेष सभी 26 ग्रामों को ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु स्वीकृत राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में शामिल किये जाने का प्रश्न नहीं उठता । (ख) सीधी जिले के चुरहट विधानसभा क्षेत्र में उत्तरांश ''क'' में दर्शाए गए सभी 259 ग्रामों के 100 एवं 100 से अधिक आबादी वाले मजरों/टोलों/बसाहटों के विद्युतीकरण सहित सघन विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण कर दिया गया है । (ग) जी नहीं । अत: किसी के दोषी होने अथवा कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

विधानसभा क्षेत्र चुरहट में अनुशंसित कार्यों की स्वीकृति

114. (क्र. 3154) श्री अजय सिंह : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि रूपये 29.768 लाख के कार्यों की विधायक निधि से प्रश्नकर्ता द्वारा अनुशंसा उपरान्त कलेक्टर सीधी द्वारा प्राक्कलन प्राप्त होने के पश्चात् भी स्वीकृति नहीं दी गई ? कारण सहित बताया जाये ? (ख) प्रश्नकर्ता की अनुशंसा पश्चात् विकास कार्यों की स्वीकृत प्रदान करने की जिम्मेदारी जिला कलेक्टर की है ? (ग) सीधी जिले में सांसद/विधायक विकास निधि के अतिरिक्त हैण्डपम्प खनन/स्थापन हेतु अन्य विभागों की विभागीय स्वीकृति राशि भी समर्पित हुई है ? विभागवार जानकारी दी जाये ? (घ) वित्त वर्ष 2013-14 में कलेक्टर सीधी की गलती से विधानसभा क्षेत्र 76 चुरहट की विकास निधि रूपये 29.768 लाख समर्पित की गई है ? समर्पित राशि आगामी वित्त वर्ष में आवंटित की जावेगी ?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) शासकीय भूमि के उपलब्ध न होने तथा निजी भूमि के त्यजन की कार्यवाही नहीं होने के कारण स्वीकृति प्रदान नहीं की गई । (ख) जी हाँ । (ग) जी नहीं । (घ) उत्तरांश 'क' अनुसार । समर्पित राशि रूपये 29.768 लाख वित्तीय वर्ष 2014-15 में अनुपूरक बजट में आवंटित की जा चुकी है ।

मिनी हाइड्रिल प्रोजेक्ट का निर्माण

115. (क्र. 3185) श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार : क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मुरैना जिले की सबलगढ़ तहसील के ग्राम मांगरोल पर नहर के पानी से बिजली बनाने का मिनी हाइड्रल प्रोजेक्ट निर्माणाधीन है ? यदि हाँ, तो यह प्रोजेक्ट कब प्रारम्भ हुआ और उसे पूर्ण करने की समय सीमा क्या थी ? (ख) क्या उक्त प्रोजेक्ट का कार्य प्रारम्भ में फोरवेल कम्पनी को दिया गया था और बाद में इस कार्य के लिये बड़ोदरा (गुजरात) की अवध ग्रुप को दिया गया है ? कम्पनी बदलने के क्या कारण हैं ? तथ्यों सहित जानकारी दी जावे ? (ग) उक्त प्रोजेक्ट पर पूर्व में निर्माण हेतु अनुमानित लागत क्या थी और वर्तमान में अनुमानित लागत बढ़कर कितनी हो गई है ? राशि सहित पूर्ण जानकारी दी जावे ? (घ) क्या

पहले यह कार्य 26 जनवरी 2014 तक पूर्ण होने का अनुमान था, जिसे अब बढ़ाकर 26 फरवरी 2015 कर दिया है ? यदि फरवरी तक कार्य पूर्ण नहीं हुआ, तो मार्च से नहर का पानी बंद होने से बिजली उत्पादन नहीं हो सकेगा ? यदि हाँ, तो शासन द्वारा क्या कार्यवाही की जावेगी ?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) जी हाँ । यह प्रोजेक्ट पूर्व में माह दिसम्बर 1987 में प्रारंभ हुआ था एवं दिनांक 31.03.1990 तक पूर्ण किया जाना था । (ख) जी हाँ, प्रोजेक्ट का कार्य पूर्व मे मेसर्स फ्लोवेल कंपनी लिमिटेड फरीदाबाद को आवंटित किया गया था, परन्तु ठेकेदार द्वारा कार्य अपूर्ण स्थिति में छोड़ दिया गया था । तदोपरांत यथास्थिति में अपूर्ण प्रोजेक्ट पूर्ण कर चलाने हेतु उक्त प्रोजेक्ट लीज पर मेसर्स माधव इन्फ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड बड़ोदरा (गुजरात) को दिनांक 07.02.2014 को सौंपा गया है । परियोजना के क्रियान्वयन का कार्य अंतिम चरणों में है तथा लीज अनुबंध के प्रावधान अनुसार इसके पूर्ण होने की विस्तारित तिथि 24.02.2015 है । (ग) उक्त प्रोजेक्ट पर पूर्व में निर्माण हेतु अनुमानित लागत रूपये 486.19 लाख थी । वर्तमान में प्रोजेक्ट यथास्थिति में 30 वर्षो के लिये लीज पर दिया गया है, जिसमें उक्त प्रोजेक्ट चालू करने पर व्यय होने वाली समस्त राशि मेसर्स माधव इन्फ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड बड़ोदरा (गुजरात) द्वारा खर्च की जानी है । (घ) मेसर्स माधव इन्फ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड बडोदरा द्वारा विद्युत उत्पादन प्रारंभ में 24 सितम्बर, 2014 तक शुरू किया जाना था । किन्तु पूर्व से स्थापित पुरानी मशीन, टरबाइन, जनरेटर आदि में अत्यधिक सुधार कार्य होने के कारण लीज अनुबंध के प्रावधान अनुसार 24 फरवरी-2015 तक समय वृद्धि की गई है । अनुबंध की शर्तों के अनुसार दिनांक 24 दिसम्बर 2014 के उपरांत होने वाले विलंब के लिये कंपनी पर रूपये 50, 000/- प्रतिमाह की पेनाल्टी लगायी जा रही है । मेसर्स माधव इन्फ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड बडोदरा द्वारा तीनों यूनिटों की कमीशनिंग दिनांक 05.03.2015 को किया जाना प्रस्तावित है । उक्त परियोजना से विद्युत उत्पादन जल उपलब्धता पर आधारित है, अत: नहर द्वारा पानी प्राप्त नहीं होने की स्थिति में विद्युत उत्पादन नहीं होने पर कोई कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

पूर्ण व अपूर्ण कार्यों का निराकरण

116. (क्र. 3186) श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मुरैना जल संसाधन संभाग में जनवरी 2015 तक कितने कार्यों की एफ.डी. व एस.डी. जमा है तथा कितने कार्य पूर्ण हुए हैं व कितने अपूर्ण है ? संख्या सहित वर्षवार जानकारी दी जावे ? (ख) क्या प्रमुख सचिव द्वारा विभाग को वर्ष 2014 में निर्देश दिये गये थे कि 15 दिसम्बर 2014 तक सभी अपूर्ण कार्यों का अंतिम निराकरण कर स्थिति का उल्लेख विभाग की वेबसाइट पर किया जावे ? यदि हाँ, तो क्या मुरैना जल संसाधन संभाग में उक्त निर्देशों का पालन किया गया है ? (ग) मुरैना सम्भाग में शेष बचे अपूर्ण निर्माण कार्यों का अन्तिम रूप से निराकरण कब तक किया जावेगा ?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) जानकारी **संलग्न परिशिष्ट** अनुसार है । (ख) एवं (ग) जी नहीं । शेष प्रश्नांश उत्पन्न नहीं होते ।

परिशिष्ट - "चौबीस"

पवैया बांध में की गई अनियमितताओं की जांच

117. (क्र. 3192) श्रीमती उमादेवी लालचंद खटीक : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2010 से वर्ष 2014 तक हटा विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत कितने जलाशय बांध बनाए गए एवं कितनी-कितनी राशि से बनाए गए ? कार्य एजेन्सी सहित जानकारी उपलब्ध करावें ? (ख) साथ ही क्षेत्र में किन-किन तालाबों, बांधों में कौन-कौन उपयंत्री द्वारा मूल्यांकन किया गया ? क्या किसानों को उक्त जलाशयों बांधों से सिंचाई का लाभ मिल रहा है ? यदि हाँ तो किस बांध जलाशय से कितने एकड़ जमीन सिंचित हो रही है ? (ग) बर्धा के पास पवैया बांध में न नहरे बनी हैं न किसानों की जमीन सिंचित हुई है ? तालाब निर्माण होते समय हजारों ट्रॉली मुरम बेंचकर सड़क मार्गों में लगाई गई है, न पिचिंग हुई है बेस्टवियर नहीं बना ? गुणवत्ताहीन बनाए जाने की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं ? क्या जांच कराकर अधिकारी/उपयंत्री के खिलाफ तत्काल कार्यवाही की जावेगी ?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) से (ग) जानकारी **संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है । जी नहीं, वर्ष 2014-15 में 926 एकड़ क्षेत्र में रबी सिंचाई की गई । जी नहीं, निर्माण कार्य अपेक्षित गुणवत्ता का होकर पूर्ण है । शेष प्रश्नांश उत्पन्न नहीं होते हैं ।

परिशिष्ट - "पच्चीस"

जिला बैतूल में जनभागीदारी योजना में प्राप्त आवंटन एवं व्यय

118. (क्र. 3195) श्री संजय शाह मकड़ाई : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जनभागीदारी योजना के तहत मांग संख्या 60, 64 एवं 41 में कितना आवंटन प्राप्त हुआ व कितना व्यय किया गया ? (ख) जनभागीदारी योजना के तहत उक्त मान (मांग) संख्या में किस प्रकार के कौन से कार्य किये जाने के प्रावधान है, उक्त वर्ष में तीनों मांग संख्या में कराऐ गये स्वीकृत कार्यों की सूची प्रदान करें ? (ग) जनभागीदारी योजना अंतर्गत उक्त वर्षों में कितनी राशि शासन को सरेंडर की गई, सरेंडर करने का कारण व उक्त वर्षों में तीनों मांग संख्या हेतु प्राप्त प्रस्तावों की जानकारी, स्वीकृत एवं अस्वीकृत प्रस्ताव की जानकारी एवं कारण जिनसे अस्वीकृत हुऐं ?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'अ' अनुसार** है । (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'ब' एवं 'स' अनुसार** है । (ग) जनभागीदारी योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2011-12 में मांग संख्या-41 में 5.211 लाख, मांग संख्या-60 में 22.483 लाख एवं मांग संख्या-64 में 15.00 लाख,

वित्तीय वर्ष 2012-13 में मांग संख्या-41 में 0.77 लाख, मांग संख्या-60 में 0.00 एवं मांग संख्या-64 में 0.75 लाख, वित्तीय वर्ष 2013-14 में मांग संख्या-41 में 2.958 लाख, मांग संख्या-60 में 13.056 लाख, मांग संख्या-64 में 3.000 लाख एवं वित्तीय वर्ष 2014-15 में मांग संख्या-41 में 176-043 लाख, मांग संख्या-60 में 50.283 लाख एवं मांग संख्या-64 में 26.305 लाख रूपये के प्रस्ताव प्राप्त ना होने के कारण उक्त राशि समर्पित की गई । सभी प्राप्त प्रस्ताव स्वीकृत किये गये जो **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'स' अनुसार** है ।

सिराली तहसील मुख्यालय में स्वीकृत महाविद्यालय का भवन निर्माण

119. (क्र. 3197) श्री संजय शाह मकड़ाई : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) तहसील सिराली मुख्यालय पर स्वीकृत महाविद्यालय भवन निर्माण हेतु बजट आवंटित किया गया है अथवा नहीं ? महाविद्यालय भवन का निर्माण इस सत्र में पूर्ण होकर शिक्षण प्रारंभ होगा अथवा नहीं ? (ख) उक्त महाविद्यालय में वाणिज्य विषय की शिक्षण व्यवस्था होगी अथवा नहीं यदि नहीं, तो आगामी सत्र में इस विषय में क्या योजना है ?

तकनीकी शिक्षा मंत्री (श्री उमाशंकर गुप्ता) : (क) जी नहीं । नवीन शासकीय महाविद्यालय, सिराली में कक्षायें प्रारंभ करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है । (ख) जी नहीं । शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता ।

अटल ज्योति योजना अंतर्गत कराये गये कार्य

120. (क्र. 3227) श्री गोपाल परमार : क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) आगर विधान सभा क्षेत्र में अटल ज्योति योजना के अंतर्गत कितने गांव में कार्य कराया गया नाम बतावें एवं कितने गांव इस योजना के लाभ से शेष बचे हैं, बचे हुए गांव में इस योजना का लाभ कब तक मिलेगा ? (ख) अटल योजना के तहत जिन गांव में कार्य कराया गया है उन गांव में बिजली वितरण का कार्य चालू कर दिया गया है नहीं तो कब तक कर दिया जायेगा ? (ग) क्या अधिकांश गांव में अटल योजना के तहत कराये गये कार्य में जली हुई डी.पी. या एवं घटिया सामग्री लगाई गई जिससे अधिकांश गांव में पोल गिर जाने से गांव में इस सुविधा से वंचित हो गये क्या शासन ऐसे गांव की पुन: जांच करवायेगा और ठेकेदार पर कार्यवाही करेगा तो कब तक ? (घ) क्या जिन गांव में अभी तक लाईट चालू नहीं हुई उसके पश्चात भी उपभोक्ताओं को बिल का वितरण कर दिया गया है और उनसे अवैध वसूली चालू है यदि हाँ तो उक्त दोषी अधिकारियों के खिलाफ शासन कार्यवाही करेगा तो कब तक ?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) आगर विधानसभा क्षेत्र में अटल ज्योति अभियान में कोई भी कार्य किया जाना प्रावधानित नहीं था, तथापि उक्त अभियान के तहत् ग्रामीण क्षेत्रों के मुख्य आबादी वाले आवासीय क्षेत्रों को 24 घण्टे एवं कृषि क्षेत्रों को 10 घण्टे विद्युत

प्रदाय किया जाना था, अत: प्रश्न नहीं उठता । अटल ज्योति अभियान अनुसार आगर विधानसभा क्षेत्र में उक्तानुसार विद्युत प्रदाय किया जा रहा है । (ख) एवं (ग) उत्तरांश ''क'' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न नहीं उठता । (घ) जी नहीं प्रश्नाधीन क्षेत्र में सभी ग्राम पूर्व से ही विद्युतीकृत हैं । संयोजित विद्युत उपभोक्ताओं को ही नियमानुसार विद्युत देयक जारी किये जा रहे हैं, अत: किसी के दोषी होने अथवा कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

<u>औंकारेंश्वर/इंदिरा सागर परियोजना की नहरों के लंबित निर्माण कार्य</u>

121. (क्र. 3241) श्री हितेन्द्र सिंह सोलंकी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राज्य शासन की एक महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजना में से एक औंकारेश्वर परियोजना/इंदिरा सागर परियोजना का कार्य कब प्रारंभ हुआ है ? इसका निर्माण पूर्ण करने की अवधि क्या थी, वर्तमान तक कितनी प्रगति हुई है कितना कार्य शेष है ? निविदा में कार्य पूर्ण होने की समय सीमा क्या थी ? (ख) इन्दौर संभाग के अन्तर्गत समय सीमा में कार्य पूर्ण न होने पर ठेकेदार के विरूद्ध कितनी शास्ति की गई है ? किन-किन नहरों के घटिया निर्माण की शिकायत प्रश्नकर्ता द्वारा कब-कब की गई है ? विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई उसकी जानकारी दी जावें ? (ग) क्या यह सही है कि नगर, बड़वाहा के निकट बावडीखेड़ा के समीप औंकारेश्वर परियोजना की मुख्य नहर के क्षतिग्रस्त होने से आसपास के किसानों की फसलें नष्ट हो गई थी, इस संबंध में प्रश्नकर्ता द्वारा संबंधित विभाग को पत्र लिखने के बाद विभाग द्वारा क्षतिग्रस्त फसलों के मुआवजें के वितरण के संबंध में क्या कार्यवाही की गई, औंकारेश्वर परियोजना/इंदिरा सागर परियोजना के नहरों के कार्यरत ठेकेदारों में से कितनें ठेकेदारों का ठेका निरस्त किया गया है उसकी जानकारी दी जावें ? इन ठेकेदारों की कितनी राशि विभाग के पास किस रूप में जमा है, क्या विभाग इनके विरूद्ध कार्यवाही कर राशि जप्ती की कार्यवाही करेगा ? इन नहरों के विलंब के लिये किन अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जावेगी ? अधिकारियों के नाम सहित कार्यवाही किये जाने की अवधि सहित जानकारी दी जावें ?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) इस संरचना अंतर्गत औंकारेश्वर परियोजना की नहरों का निर्माण कार्य फरवरी 2006 से प्रारंभ हुआ था इसका निर्माण कार्य 31/03/2015 तक पूर्ण करना था, जिसकी पुनरीक्षित स्वीकृति 31/03/2017 तक है । वर्तमान तक 74 प्रतिशत प्रगति हुई, 26 प्रतिशत कार्य शेष है । इंदिरा सागर परियोजना की नहरों का निर्माण कार्य वर्ष 2000 में प्रारंभ हुआ था । इसका कार्य 31/03/2015 तक पूर्ण करना था । जिसकी पुनरीक्षित स्वीकृति 31/03/2017 तक है । वर्तमान तक लगभग 70 प्रतिशत प्रगति हुई है 30 प्रतिशत कार्य शेष है । परियोजनाओं के कार्य अनेक निविदाओं के माध्यम से पूर्ण कराये जा रहे है । प्रत्येक निविदा की समय सीमा अलग-अलग होने के कारण कार्य पूर्ण होने की समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है । (ख) प्रश्नांश ''क'' में उल्लेखित औंकारेश्वर परियोजना के

ठेकेदारों पर कोई शास्ति नहीं लगायी है । इंदिरा सागर परियोजना के कार्य में ठेकेदारों पर निम्नानुसार शास्ति आरोपित की गई है:- 1. मेसर्स गुडविल एडवांस कन्सट्रेक्शन कं. कोटा (राज.) पर रूपये 0.82 करोड । 2. 2 मेसर्स गायत्री-बी.सी.बी.पी.पी.एल (जे.व्ही) हैदराबाद पर रूपये 1.83 करोड । 3. आई.व्ही.आर.सी.एल. हैदराबाद पर 8.46 करोड । दोनो परियोजनाओं की नहरों के संबंध में घटिया निर्माण कार्य की कोई शिकायत प्रश्नकर्ता से प्राप्त नहीं हुई है । अत: प्रश्नांश के शेष भाग की जानकारी निरंक है । (ग) औंकारेश्वर परियोजना की मुख्य नहर के प्रथम चरण अंतर्गत नगर बडवाह के निकट माह जुलाई 2013 में दिनांक 04/07/2013 को बडवाह क्षेत्र में अतिवृष्टि (240.30 मि.मी.) के कारण जल भराव की स्थिति निर्मित हो गई थी, जिससे ग्राम बावडीखेडा के आसपास अत्याधिक जल भराव के कारण मुख्य नहर भी क्षतिग्रस्त हो गई थी । जिसे निर्माण एजेन्सी द्वारा मरम्मत कर ठीक करा दिया गया था । क्षतिग्रस्त फसलों के मुआवजे के संबंध में विभाग को प्राप्त आवेदन राजस्व विभाग को उचित कार्यवाही हेतु भेज दिये गये है । मुआवजे संबंधी कार्यवाही राजस्व विभाग द्वारा की जावेगी । ओंकारेश्वर परियोजना अंतर्गत एक भी ठेका निरस्त नहीं किया गया है तथा इंदिरा सागर परियोजना के अंतर्गत कुल 02 ठेके निरस्त किये गये है, जिनका विवरण निम्नानुसार है 1. मेसर्स बी.सी. बियाणी प्रोजे.प्राईवेट लि. भुसावल, राजसात राशि रूपये 194.62 लाख । 2. मेसर्स बी.सी. बियाणी प्रोजे. प्राईवेट लि. भुसावल, राजसात राशि रूपये 163.00 लाख । नहरों के निर्माण में विलम्ब के लिये अनुबंध के प्रावधानुसार कार्यवाही की गई है । अत: कोई भी अधिकारी दोषी नहीं है इसलिये कार्यवाही का प्रश्न ही नहीं उठता है ।

<u>ग्वालियर शहर में विद्युत केबिलीकरण कार्य पूर्ण किया जाना</u>

122. (क्र. 3248) श्री जयभान सिंह पवैया : क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या ग्वालियर शहर में विद्युत केबिलीकरण का कार्य पूर्ण किया जा चुका है ? यदि हाँ, तो इस पर अभी तक व्यय का ब्यौरा क्या है और कार्य संपादित करने वाली एजेंसी कौन है ? यदि अपूर्ण है तो उन क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है ? (ख) ग्वालियर ग्रामीण वृत्त में वर्तमान में कितने घंटे बिजली प्रदाय की जा रही है ?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) जी नहीं, ग्वालियर शहर के थाटीपुर एवं सिरौल गांव में विद्युत केबिलीकरण का कार्य शेष है । उपरोक्त स्थानों के अतिरिक्त शेष ग्वालियर शहर में विद्युत केबिलीकरण का कार्य पूर्ण किया जा चुका है । पूर्ण किये गये कार्यों पर रू. 143.59 करोड़ की राशि का व्यय किया गया है । ग्वालियर शहर में विद्युत केबिलीकरण का कार्य मेसर्स मोन्टोकार्लो लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है । ग्वालियर शहर के थाटीपुर एवं सिरौल गांव में विद्युत केबिलीकरण का कार्य स्थानीय निवासियों के विरोध के कारण वर्तमान में अपूर्ण है । (ख) ग्वालियर ग्रामीण वृत के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में विद्युत लाईन फाल्ट, मेन्टेनेंस कार्य आदि अपरिहार्य परिस्थितियों को छोड़कर घरेलू उपभोक्ताओं को

औसतन 24 घंटें एवं कृषि उपभोक्ताओं को औसतन 10 घंटे विद्युत प्रदाय किया जा रहा हैं ।

सिंहस्थ में विदेशी पर्यटकों हेतु प्रस्तावित योजनाएं

123. (क्र. 3249) श्री जयभान सिंह पवैया : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) संस्कृति विभाग ने आगामी सिंहस्थ (उज्जैन) में विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने की पूर्व योजना तैयार की है ? यदि हाँ, तो पर्यटन को प्रोन्नत करने किन-किन देशों में प्रचार की योजना है ? (ख) म.प्र. शासन की ओर से राज्य व देश के प्रमुख तीर्थों व धार्मिक केंद्रों में तीर्थाटन यात्रियों के लिये यात्री निवास बनाने की कोई योजना है ? यदि हाँ, तो इसका ब्यौरा क्या है ? (ग) प्रदेश में किन-किन तीर्थ स्थलों को पवित्र नगरी घोषित किया गया है ?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है.

कोलारस विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत स्वीकृत

124. (क्र. 3257) श्री रामसिंह यादव : क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कोलारस विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत दिसंबर 2014 की स्थिति में किन-किन को कहाँ-कहाँ, कब-कब कौन सी कितनी भूमि पर फर्सी-पत्थर, खण्डा-बोल्डर, क्रेसर-गिट्टी हेतु उत्खनि पट्टे स्वीकृत किए गए थे ? (ख) क्या उक्त उत्खनि पट्टे स्वीकृत किए जाने के लिये खसरा-खतौनी, अक्स सहित आवेदन प्रस्तुत किए गए थे ? इनमें से किन-किन को वन, पर्यावरण एवं राजस्व विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण प्रदान किए गए ? (ग) उक्त खनन पट्टेदारों में से किन-किन के द्वारा स्वीकृत क्षेत्र के बाहर कहाँ-कहाँ पर कितना-कितना अवैध खनन किया गया है ? (घ) वर्ष 2010-11 से वर्ष 2014-15 प्रश्न दिनांक तक उक्त में से किन-किन के द्वारा कितनी-कितनी रॉयल्टी की राशि जमा की गई ? वर्षवार जानकारी दें ?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) प्रश्नाधीन विधानसभा क्षेत्र में दिसम्बर 2014 की स्थिति में स्वीकृत उत्खनिपट्टों की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट में दर्शित** है । उक्त के अलावा फर्शी पत्थर का 1 उत्खनिपट्टा वन कक्ष क्रमांक 288 के रकबा 10 हेक्टेयर क्षेत्र पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अधीन अनुमति प्राप्त कर संचालित है । (ख) प्रश्नाधीन दस्तावेजों सहित आवेदन पत्र प्रस्तुत किए गए थे एवं सभी में वन, पर्यावरण, राजस्व विभाग की अनापत्ति प्राप्त है । (ग) स्वीकृत उत्खनिपट्टा क्षेत्र के बाहर उत्खनन किए जाने का कोई प्रकरण प्रकाश में नहीं आया है । (घ) पट्टेदारों द्वारा जमा की गई रायल्टी राशि का विवरण **संलग्न परिशिष्ट में दर्शित** है ।

परिशिष्ट – ''छब्बीस''

विद्युत मण्डल की लापरवाही से दुर्घटना

125. (क्र. 3299) श्री रणजीतसिंह गुणवान : क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि विद्युत कम्पनी की लापरवाही के कारण आष्टा क्षेत्र में विद्युत कार्य करते हुये कई कर्मचारी/मजदूरों की मौत हो गई हैं ? विगत 5 वर्षों में कितनी मौतें हुईं ? (ख) क्या यह भी सही है कि कम्पनी द्वारा अकुशल लोगों की भर्ती की गई है जिसके कारण आये दिन विद्युत दुर्घटना हो रही हैं ? इसका जिम्मेदार कौन हैं ? (ग) आष्टा क्षेत्र में कम्पनी एवं विद्युत विभाग के अधिकारियों की मिली भगत से कितने अकुशल कर्मचारियों की भर्ती की गई हैं ? विगत 5 वर्षों में की गई नियुक्ति की जानकारी नाम एवं पूर्ण पते सहित दें ?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) जी नहीं, तथापि प्रश्नाधीन अवधि (वर्ष 2010-11 से आज दिनांक तक) में स्वयं की लापरवाही के कारण श्री रमेश चन्द्र तोमर लाईन हेल्पर (लाईन परिचारक) की वर्ष 2012-13 में विद्युत दुघर्टना में मृत्यु हुई थी । (ख) जी नहीं, मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा अकुशल कर्मचारियों की भर्ती नहीं की गई है, अत: प्रश्न नहीं उठता । (ग) उत्तरांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न नहीं उठता ।

<u>फर्जी जाति प्रमाणपत्रों से नौकरी प्राप्त कर्मचारियों पर कार्यवाही</u>

126. (क्र. 3330) श्री मुकेश नायक : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सरकारी गजट नोटिफिकेशन, न्यायिक निर्णयों और शासन के सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश/निर्देश परिपत्रों के बावजूद जल संसाधन विभाग में लगभग 118 कर्मचारी, सहायक यंत्री, उप यंत्री, अमीन, मानचित्रकार, सहायक मानचित्रकार, अधीक्षक, सहायक और भृत्य आदि पदों पर अपने फर्जी जाति प्रमाण पत्रों के आधार पर शासकीय सेवा में भर्ती होकर नौकरी कर रहे हैं किन्तु इन्हें अवैध और आपराधिक कृत्य के बावजूद नौकरी से नहीं निकाला गया और न ही उनके खिलाफ न्यायकि कार्यवाही की गई, कृपया कारण स्पष्ट करें ? (ख) फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर शासकीय सेवा में भर्ती हुये इन कर्मचारियों का मामला 2010 में प्रकाश में आने के बावजूद भी अब तक इनके खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं की गई है, जबकि इनमें से कुछ कर्मचारी तो भोपाल में प्रमुख अभियंता कार्यालय में ही पदस्थ है ? (ग) फर्जी जाति प्रमाण पत्र होने की जानकारी के बावजूद इन कर्मचारियों को शासकीय सेवा में नियमित रखने और पदोन्नति का लाभ देने जैसी कार्यवाही किन अधिकारियों द्वारा कब की गई ओर इसके क्या कारण हैं ? (घ) नियम विरूद्ध नियुक्ति देने वाले और इन कर्मचारियों को नौकरी में यथावत रखने तथा पदोन्नति देने वाले अफसरों के खिलाफ शासन द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है, तथा इन 118 कर्मचारियों को नौकरी से हटाने के लिऐ क्या कार्यवाही की जा रही है, जानकारी दीजिए ?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) से (घ) श्री राजेन्द्र कुमार ताम्रकार की शिकायत में अंकित मिथ्या जाति प्रमाण पत्र से भर्ती हुए शासकीय सेवकों की सूची में से 40 अधिकारी/कर्मचारी जल संसाधन विभाग में कार्यरत् है । इनके जाति प्रमाण पत्रों की जांच

हेतु आदिम जाति कल्याण विभाग को भेजा गया है । आदिम जाति कल्याण विभाग से अब तक दो कर्मचारियों के दोनों प्रमाण पत्र मिथ्या होने का प्रतिवेदन प्राप्त हुए है । श्रीमती रजनी बाथम, सहायक वर्ग-1 के विरूद्ध दिनांक 17.02.2015 को विभागीय जांच संस्थित की गई है । श्री एस.एन.कुनसे सेवानिवृत्त मानचित्रकार के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही प्रक्रियाधीन है ।

प्रमुख सचिव के विरूद्ध शिकायत

127. (क्र. 3331) श्री मुकेश नायक : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राज्य शासन के जल संसाधन विभाग के प्रमुख सचिव श्री राधेश्याम जुलानिया द्वारा पद के दुरूपयोग और भ्रष्टाचार के मामले में लोकायुक्त को 13 मार्च 2014 को भोपाल के रामगोपाल यादव नामक नागरिक ने जो शिकायत की है, उसकी शासन को जानकारी है, यदि हाँ तो शिकायत का संक्षिप्त विवरण दीजिए ? (ख) इन आरोपों के बारे में शासन ने पूर्व में क्या कार्यवाही की, जानकारी दीजिए ?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) एवं (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है ।

लोकायुक्त में शासकीय सेवकों की चल रही जांच में चालान की प्रस्तुति

128. (क्र. 3386) श्री हर्ष यादव : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) लोकायुक्त द्वारा राजस्व, सामान्य प्रशासन विभाग, मण्डी बोर्ड तथा किसान कल्याण एवं कृषि विभाग के कितने शासकीय सेवकों के विरूद्ध जांच की जा रही है/ चल रही है, नाम, पद, विभाग सहित बतावें ? (ख) प्रश्नांश (क) विभागों के कितने शासकीय सेवकों के विरूद्ध न्यायालय में चालान पेश कर दिया गया है, नाम, पद सहित वर्ष, 2014-15 की स्थिति में बतावें ? (ग) कितने शासकीय सेवकों के विरूद्ध न्यायालय में चालान पेश करने हेतु शासन/विभाग की अनुमति मांगी गई है, नाम, पद, अनुमति मांगने का दिनांक, वर्ष बतावें ? (घ) शासन/विभाग द्वारा अनुमति देने में विलम्ब का क्या कारण हैं ? क्या चालान अतिविलंब से इसलिए पेश किये जा रहे हैं, ताकि जांच एजेंसी द्वारा भ्रष्ट पाये गये शासकीय सेवक पूरी नौकरी कर लें ? यदि नहीं, तो शासन गति बढ़ाने के लिऐ क्या कर रहा है ?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है ।

नायब तहसीलदार के विरूद्ध ई.ओ.डब्लू. जांच

129. (क्र. 3387) श्री हर्ष यादव : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2010-11 से 2014-15 तक नरसिंहपुर जिला अंतर्गत पदस्थ रहे किन-किन तहसीलदार, नायब तहसीलदार की जांच ई.ओ.डब्लू. द्वारा की गई है ? (ख) प्रश्न (क) वर्षों में कितने तहसीलदार, नायब तहसीलदारों के ऊपर ई.ओ.डब्लू. ने मामला पंजीबद्ध किया ? नाम, पद सहित बतायें ? (ग) उक्त वर्षों में प्रश्नांकित (क) अधिकारियों के कितने चालान न्यायालय में पेश किये गये हैं

? कितनों के खिलाफ शासन से अनुमति नहीं मिलने के कारण चालान पेश नहीं किये गये ? नाम, पद सहित बतायें ? (घ) प्रश्नांकित (क) अधिकारियों के चालान न्यायालय में पेश करने की अनुमति किस विभाग, अधिकारी से मांगी गई है ? अनुमति क्यों नहीं दी गई है ? क्या शासन चालान पेश करने की अनुमति देकर उन्हें निलंबित या फील्ड से अलग करेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) प्रश्नांकित अवधि में नरसिंहपुर जिले के अंतर्गत एक अपराधिक प्रकरण एवं एक शिकायत पंजीबद्ध कर विवेचनाधीन है । **जानकारी परिशिष्ट- अ एवं ब पर संलग्न** है । (ख) एक तहसीलदार के विरूद्ध मामला पंजीबद्ध किया गया । **जानकारी परिशिष्ट -अ एवं ब पर संलग्न** है । (ग) प्रकरण विवेचनाधीन है । शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता । (घ) प्रश्नांश (ग) के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

परिशिष्ट – "सत्ताईस"

अवैध संचालित खदानों पर नियंत्रण

130. (क्र. 3496) श्री नरेन्द्र सिंह कुशवाह : क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या माइनिंग कार्पोरेशन द्वारा भिण्ड में संचालित ककहरा, ओझा, जखमोली और अतरसूमा गांव की खदानों को बन्द करने के लिए जनवरी 2015 में आदेश जारी किए गए हैं ? यदि हाँ, तो आदेश की प्रति सहित जानकारी दें ? (ख) प्रश्नांश (क) में वर्णित खदानों पर विगत तीन वर्षो में कितना रेत का उत्खनन किया गया, तथा कितनी रायल्टी प्राप्त की गई हैं ? माहवार जानकारी दें ? क्या खदानों पर पुलिस विभाग का हस्तक्षेप हैं ? किस स्थान पर रेत का अवैध भण्डार है ? प्रश्नांश दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई ? (ग) प्रश्नांश (क) में वर्णित खदानों को माइनिंग कार्पोरेशन स्वयं चलायेगा ? यदि नहीं तो किसके द्वारा व किस तरह खदानों का संचालन किया जावेगा ? (घ) प्रश्नांश (क) में वर्णित रेत खदानों पर किन-किन लोगों द्वारा वर्ष 2010 से प्रश्नांश दिनांक तक रेत उत्खनन किया गया है ?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है ।

पॉलिटेक्निक कालेज प्रारंभ किया जाना

131. (क्र. 3514) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश शासन द्वारा वर्ष 2013-14 के बजट में कितने पॉलिटेक्निक कालेज प्रारंभ करने की स्वीकृति प्रदान की है ? पॉलिटेक्निक कालेज प्रांरभ किये जाने हेतु क्या नीति है ? (ख) अनूपपुर जिला अंतर्गत पुष्पराजगढ़ विधानसभा क्षेत्र के मुख्यालय राजेन्द्र ग्राम जहाँ पर 70-75 प्रतिशत अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के परिवार हैं, यहाँ पर पॉलिटेक्निक कालेज प्रारंभ किये जाने हेतु क्या कोई योजना शासन स्तर पर

प्रस्तावित है ? (ग) यदि हाँ, तो कब तक यहाँ पर पॉलिटेक्निक कालेज प्रारंभ कर दिया जायेगा ?

तकनीकी शिक्षा मंत्री (श्री उमाशंकर गुप्ता) : (क) वर्ष 2013-14 के बजट में लटेरी जिला विदिशा एवं हरसूद जिला खण्डवा में एक पोलीटेकनिक महाविद्यालय खोलने की स्वीकृति है । राज्य सरकार की प्रत्येक जिले में न्यूनतम एक पोलीटेकनिक कालेज खोलने की नीति है । (ख) अनूपपुर जिला मुख्यालय पर केन्द्र सरकार की "सब-मिशन ऑन पोलीटेकनिक अंडर कोआर्डिनेटेड ऐक्शन फॉर स्किल डेव्लपमेंट" योजना अंतर्गत एक नवीन पोलीटेकनिक महाविद्यालय वर्ष 2010-11 में खोला गया है । वर्तमान में पुष्पराजगढ़ विधानसभा क्षेत्र में पोलीटेकनिक कॉलेज प्रारंभ करने के लिए राज्य शासन की कोई योजना नहीं है । (ग) उत्तरांश 'ख' के परिपेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है ।

विभाग की परियोजनाओं से की गयी सिंचाई

132. (क्र. 3522) श्री कमलेश्वर पटेल : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि वर्ष 2004 से प्रश्न दिनांक तक प्रदेश में 35 लाख हैक्टेयर में सिंचाई हुई है ? यदि हाँ, तो वर्षवार ब्यौरा दें ?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : जल संसाधन विभाग की परियोजनाओं से की गई रबी सिंचाई की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है ।

परिशिष्ट - "अट्ठाईस"

शासकीय सेवा में आरक्षित वर्ग के बैंकलॉग के पदों की पूर्ति

133. (क्र. 3538) श्री कुंवर सिंह टेकाम : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश के अंतर्गत सभी शासकीय विभागों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के कितने बैंकलॉग के पद रिक्त हैं ? (ख) प्रश्नांक (क) के संदर्भ में बैकलॉग के रिक्त पदों की पूर्ति के लिये शासन स्तर पर क्या कार्यवाही की जा रही है ? (ग) प्रश्नांक (ख) के संदर्भ में बैकलॉग पदों की पूर्ति कब तक कर ली जावेगी ? (घ) प्रश्नांक (क) के संदर्भ में पदोन्नत से बैकलॉग के पदों की पूर्ति एवं सीधी भर्ती के द्वारा अभी तक विगत 3 वर्षों में कितने पदों की पूर्ति कर ली गई है ?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) प्रदेश के अंतर्गत सभी शासकीय विभागों में अनुसूचित जाति के 3445 एवं अनुसूचित जनजाति के 9912 बैकलॉग के पद रिक्त हैं । (ख) बैकलॉग के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु चलाये जा रहे विशेष भर्ती अभियान की समय-सीमा, विभागीय परिपत्र दिनांक 14 जुलाई, 2014 द्वारा 30 जून, 2015 तक बढाई गई हैं ।

(ग) बैकलॉग की पूर्ति हेतु दिनांक 30 जून, 2015 की तिथि नियत की गई हैं । (घ) विगत 03 वर्षों में अनुसूचित जाति के पदोन्नति द्वारा 9440 पद एवं अनुसूचित जनजाति के 10919 कुल 20359 पद भरे गए है तथा सीधी भर्ती द्वारा अनुसूचित जाति के 3431 पद एवं अनुसूचित जनजाति के 4758 पद कुल 8189 पद भरे गए हैं ।

गाडरवारा क्षेत्र में लघु एवं वृहद सिंचाई योजना

134. (क्र. 3606) श्री गोविन्द सिंह पटेल : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) गाड़रवारा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत वर्ष 2010 से प्रश्न दिनांक तक लघु एवं वृहद सिंचाई के लिये सरकार की कितनी योजना विचाराधीन है ? (ख) प्रश्नांकित कितनी योजनाओं पर कार्य किये जाने हेतु स्वीकृत प्रदान की गई है ? (ग) इनमें से कौन-कौन सी योजना कितनी राशि की प्रारंभ हुई है ? कितनी पूर्ण एवं अपूर्ण हैं ? यदि अपूर्ण है तो क्यों कारण दें ? शेष योजनाओं को कब तक प्रारंभ किया जायेगा ?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) कोई परियोजना स्वीकृति हेतु विचाराधीन नहीं है । (ख) निरंक । (ग) निरंक । शेष प्रश्नांश उत्पन्न नहीं होते ।

एच.व्ही.डी.एस. योजना में किये गये कार्य

135. (क्र. 3610) श्री गोविन्द सिंह पटेल : क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) गाडरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में एच.व्ही.डी.एस. योजना के अंतर्गत विगत वर्ष 2011 से प्रश्न दिवस तक में कितने ग्रामों में कार्य किया गया, तथा कितने ग्राम अभी बाकी है ? (ख) इस योजना से छूटे हुये ग्रामों में कब तक कार्य किया जायेगा ?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) गाड़रवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में कृषि पम्प उपभोक्ताओं हेतु एच.व्ही.डी.एस. योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2010-11 से दिनांक 31.01.2015 तक 99 ग्रामों का कार्य पूर्ण किया गया है तथा प्रश्नाधीन क्षेत्र में 93 ग्रामों में एच.व्ही.डी.एस. का कार्य नहीं हुआ है । (ख) उक्त योजना में छूटे हुए ग्रामों का कार्य तकनीकी साध्यता एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा, अत: वर्तमान में कार्य पूर्णता की निश्चित समयसीमा बताया जाना संभव नहीं हैं ।

अम्बाह विधानसभान्तर्गत निर्माणाधीन नहरों के घटिया निर्माण की जांच

136. (क्र. 3618) एडवोकेट सत्यप्रकाश सखवार : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अम्बाह तहसील अन्तर्गत नहरों की मरम्मत का कार्य कहाँ-कहाँ जारी है, उक्त कार्य का ठेका किस कंपनी को किस प्रक्रिया के अंतर्गत दिया गया है ? (ख) 01 जनवरी 2014 से प्रश्न दिनांक तक अम्बाह तह. अन्तर्गत किस-किस नहर पर क्या-क्या कार्य कराया

जा चुका है तथा उक्त कार्य में कितना-कितना व्यय हो चुका है कार्यवाइज, पृथक-पृथक राशि (व्यय की गई) स्पष्ट दर्शाये ? जहाँ-जहाँ कार्य कराया गया है उस नहर कार्य के नजदीक वाले ग्राम का नाम भी बतावें तथा कितनी-कितनी दूरी का क्या-क्या काम हुआ है ? (ग) क्या यह सही है कि मरम्मत कार्य के नाम से करोड़ो रूपये व्यय हो चुके है जबकि धरातल पर वास्तविकता कुछ और ही है यदि हाँ, तो क्या शासन विधान सभा की समिति बनाकर उक्त कार्य की जांच करायेगा यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों नहीं ?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) एवं (ख) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है । विश्व बैंक सहायित मध्यप्रदेश वाटर सेक्टर रिस्ट्रक्चरिंग प्रोजेक्ट के तहत प्रतियोगी निविदा आमंत्रित कर मेसर्स सारथी कंस्ट्रक्शन कंपनी, ग्वालियर एवं मेसर्स श्री सांई लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन कंपनी, हैदराबाद को निर्माण कार्य के ठेके दिये गये हैं । (ग) जी नहीं । निर्माण कार्यों के माप और गुणवत्ता की संतुष्टि के उपरांत निर्माण एजेंसियों को भुगतान किया गया है । शेष प्रश्नांश उत्पन्न नहीं होते है ।

परिशिष्ट – "उनतीस"

विद्युत वितरण कंपनी द्वारा जोन एवं उपभोक्ताओं की संख्या व निर्धारण

137. (क्र. 3627) श्री सुदर्शन गुप्ता (आर्य) : क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि ऊर्जा विभाग की पश्चिमी विद्युत वितरण कंपनी द्वारा इंदौर में विद्युत मण्डल के झोन, उपभोक्ताओं की संख्या को निर्धारित कर बनाए गए हैं ? यदि हाँ, तो इंदौर शहर के पश्चिमी क्षेत्र के झोनो पर कितने उपभोक्ता को रखा गया है ? (ख) प्रश्न (क) अनुसार यदि निर्धारित संख्या के मान से झोन की रचना की जाती है, तो पश्चिमी क्षेत्र में ऐसे कितने झोन हैं, जिन पर उपभोक्ताओं की संख्या निर्धारित संख्या से अधिक है, यदि अधिक है तो इन अधिक उपभोक्ता वाले झोन से अधिक संख्या नवीन झोन बनाकर झोन का अधिक भार कब तक कम किया जावेगा, स्पष्ट करें ?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड द्वारा इंदौर शहर में विद्युत मण्डल के झोन का सृजन उपभोक्ताओं की संख्या के साथ-साथ अन्य तकनीकी बिन्दुओं] यथा-विद्युत अधोसंरचना] विद्युत प्रदाय एवं मीटर रीडिंग] बिल वितरण] विद्युत व्यवधान दूर करने हेतु लगने वाले न्यूनतम समय तथा उपभोक्ता शिकायत निवारण हेतु पर्याप्त सुविधा इत्यादि के आधार पर किया गया है । इंदौर शहर के पश्चिम शहर संभाग के अंतर्गत विद्यमान विभिन्न झोनों में उपभोक्ताओं की संख्या की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है । (ख) प्रश्नाधीन इंदौर शहर में पश्चिम शहर संभाग के सभी 4 झोनों उपभोक्ताओं की संख्या निर्धारित संख्या से अधिक है । परन्तु उत्तरांश (क) में दर्शाए अनुसार झोन के सृजन हेतु अन्य तकनीकी पहलू भी संज्ञान में लिए जाते हैं । ऐसी दशा में

तकनीकी आधार पर इन बिन्दुओं के परीक्षण के उपरांत ही झोन सृजित किया जाना संभव हो पाता है । अत: नवीन झोन के सृजन हेतु निश्चित समय-सीमा बता पाना संभव नहीं है ।

परिशिष्ट – "तीस"

2006 से 2013 की पी.एम.टी. परीक्षा में फर्जीवाड़ा

138. (क्र. 3632) श्री बाला बच्चन : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2006 से 2013 तक आयोजित पीएमटी परीक्षा में पर रूप धारण के बैठने वाले फर्जी परीक्षार्थी तथा विभिन्न प्रकार की धांधली होने की जानकारी व्यवसायिक परीक्षा मण्डल को किस-किस माध्यम से किस-किस दिनांक को प्राप्त हुये ? (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित जानकारी के बाद व्यापम द्वारा की गई कार्यवाही के कार्यालीन आदेश विभिन्न विभागों से किये गये पत्र व्यवहार, एस.टी.एफ. से किये गये पत्र व्यवहार की प्रतिलिपि उपलब्ध करावें ? (ग) वर्ष 2009 से 2013 के मध्य व्यापम द्वारा पुलिस महानिदेशक, संचालक चिकित्सा शिक्षा, प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा तथा मुख्य सचिव को पी.एम.टी. फर्जीवाड़े के संदर्भ में लिये गये पत्रों की प्रतिलिपि उपलब्ध करावें ? (घ) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित फर्जीवाड़े की जानकारी प्राप्त होने के बाद व्यापम द्वारा विभागीय स्तर पर जांच किस दिनांक को संस्थित की गई तथा उनमें क्या परिणाम पाये गये ? (ड.) क्या एस.टी.एफ. द्वारा पी.एम.टी. फर्जीवाड़े की जो जांच की जा रही है, वह व्यापम के अनुरोध पर की जा रही है ? यदि हाँ, तो इस संदर्भ में लिेखे गये पत्र की प्रतिलिपि देवें ?

तकनीकी शिक्षा मंत्री (श्री उमाशंकर गुप्ता) : (क) से (ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है ।

पिछले 5 वर्ष में पेट्रोल डीजल पर प्राप्त कर राजस्व

139. (क्र. 3633) श्री बाला बच्चन : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2010 से उत्तर दिनांक तक पेट्रोल डीजल पर अवधि अनुसार कर (वेट) की दर बतावें ? (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित अवधि में पेट्रोल डीजल के विक्रय से प्राप्त राजस्व की राशि का वर्ष अनुसार माह अनुसार विवरण दें ? (ग) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित वर्षों में वर्ष अनुसार, माह अनुसार पेट्रोल-डीजल की विक्रित मात्रा की जानकारी दें ? (घ) वर्ष 2014 से आज दिनांक तक पेट्रोल-डीजल के कर (वेट) में वृद्धि हेतु जो नोटशीट केबिनेट की बैठक हेतु भेजी गई, उस नोटशीट का विवरण देवें ?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) वर्ष 2010 से उत्तर दिनांक तक पेट्रोल, डीजल पर अवधि अनुसार (वेट) की दर **संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है । (ख) प्रश्नांश 'क' में उल्लेखित अवधि में वर्ष 2010 से उत्तर दिनांक तक पेट्रोल, डीजल के विक्रय से प्राप्त राजस्व की वस्तुवार जानकारी पृथक से संधारित नहीं की जाती है । (ग) प्रश्नांश 'क' में उल्लेखित वर्षों में

वर्ष अनुसार, माह अनुसार पेट्रोल, डीजल की विक्रित मात्रा की जानकारी का संधारण विभाग में नहीं किया जाता है । (घ) वर्ष 2014 से उत्तर दिनांक तक प्रदेश में विकास कार्य के लिये वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए पेट्रोल एवं डीजल पर वेट बढाया जाना प्रस्तावित किया गया ।

परिशिष्ट – "इकतीस"

जबलपुर अंतर्गत नहरों का निर्माण

140. (क्र. 3661) श्री अशोक रोहाणी : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) हिरन जल संसाधन संभाग जबलपुर को किन-किन योजनान्तर्गत निर्माण कार्यों नहरों का निर्माण संधारण सुधार व मरम्मत कार्य हेतु कितनी-कितनी राशि आवंटित की गई एवं कितनी राशि व्यय हुई ? वर्ष 2011-12 से 2014-15 तक की जानकारी दें ? (ख) प्रश्नांश (क) में किन-किन कार्यों हेतु कितनी राशि की प्रशासकीय एवं तकनीकी स्वीकृति दी गई एवं कितनी-कितनी राशि के कौन-कौन से कार्य कब किस एजेन्सी से कराये गये ? इन कार्यों की गुणवत्ता की जांच कब किसने की है और किन-किन कार्यों में पाई गई अनियमितता व गुणवत्ता विहीन कार्य के लिये दोषी एजेंसी एवं अधिकारी पर कब-कब क्या कार्यवाही की गई ? बतलावें/उपसंभागवार जानकारी दें ? (ग) प्रश्नांश (क) में किन-किन योजनान्तर्गत कहाँ-कहाँ की नहरों का निर्माण सुधार व मरम्मत कार्य कब किसने कितनी-कितनी राशि में कराया है इसके लिये कब कितनी राशि की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई ? उपसंभागवार जानकारी दें ?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) एवं (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"अ" अनुसार** है । (ग) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"ब" अनुसार** है ।

शासकीय स्नातक महाविद्यालय की स्थापना

141. (क्र. 3695) श्री सुदेश राय : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सत्य है कि सीहोर जिले के तहसील-श्यामपुर में उच्च शिक्षा अध्ययन की दृष्टि से कोई शासकीय स्नातक महाविद्यालय स्थापित नहीं है ? (ख) क्या यह भी सत्य है श्यामपुर में 07 शासकीय तथा 04 अशासकीय हायर सेकेण्डरी स्कूल के हजारों छात्र-छात्राओं को उच्च अध्ययन हेतु सीहोर राजगढ़ एवं भोपाल आदि शहरों में जाना पड़ता है जिससे गरीब छात्र-छात्राऐं कमजोर आर्थिक परिस्थितियों के कारण उच्च अध्ययन नहीं कर पा रहे हैं ? (ग) क्या विभाग श्यामपुर व उससे लगे 84 ग्रामों के कमजोर/गरीब छात्र-छात्राओं के हित में श्यामपुर में शासकीय महाविद्यालय स्थापित करने का निर्णय लेगा ? (घ) क्या प्रश्नांकित शासकीय महाविद्यालय स्थापित करने हेतु स्वयं प्रश्नकर्ता विधायक द्वारा जिला योजना समिति की बैठक में प्रस्ताव रखा था जिसका अनुमोदन भी हो गया है ? उक्त महाविद्यालय की स्थापना कब तक की जावेगी ?

तकनीकी शिक्षा मंत्री (श्री उमाशंकर गुप्ता) : (क) जी हाँ । (ख) जी नहीं । उक्त क्षेत्र के छात्र क्षेत्र में स्थापित अल्फा महाविद्यालय, बैरागढ़ खुमान (श्यामपुर) तथा शाशिब महाविद्यालय, परवलिया में अध्ययन कर सकते हैं । (ग) वर्तमान में शासन द्वारा पूर्व से संचालित महाविद्यालयों के सुदृढ़ीकरण एवं गुणवत्ता विकास के प्रयास किये जा रहे हैं । अतः तहसील-श्यामपुर में महाविद्यालय खोले जाने में कठिनाई है । (घ) प्रश्नांश "ग" के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

<u>सीहोर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत संचालित योजनाएं</u>

142. (क्र. 3698) श्री सुदेश राय : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सीहोर विधान सभा क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 2014-15 में विभाग द्वारा संचालित योजनाओं में से कौन-कौन सी योजनाओं के कार्य पूर्ण हो गये है तथा किन-किन योजनाओं के कार्य अपूर्ण है तथा कितने कार्य इस वित्तीय वर्ष में प्रस्तावित हैं ? (ख) दिनांक 31 मार्च 2014 की स्थिति में विभाग की कौन-कौन से योजना पूर्ण एवं अपूर्ण थी ? (ग) प्रश्नांकित विधान सभा क्षेत्र की कुल कितनी नल-जल योजनायें वर्तमान में चालू है तथा कितनी बंद पड़ी है ? बंद रहने का क्या कारण है, उन्हें कब तक चालू करा दी जावेगी ?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) एवं (ख) दिनांक 31 मार्च 2014 की स्थिति में सीहोर विधान सभा क्षेत्र में जल संसाधन विभाग की 53 सिंचाई परियोजनाएं पूर्ण एवं 1 अपूर्ण है । **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है । स्वीकृति हेतु कोई परियोजना प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है । (ग) प्रश्नाधीन विधान सभा क्षेत्र में जल संसाधन विभाग की कोई नल जल योजना संचालित नहीं है । शेष प्रश्नांश उत्पन्न नहीं होते हैं ।

<u>परिशिष्ट – ''बत्तीस</u>''

<u>गुडस एण्ड सर्विस टैक्स से राजस्व वृद्धि</u>

143. (क्र. 3701) श्री जितू पटवारी : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या केन्द्र सरकार द्वारा म.प्र. सहित देश के अन्य प्रदेशो में गुडस एण्ड सर्विस टैक्स (GST) अधिनियम लागू किया जा रहा है ? यदि हाँ, तो कब से ? (ख) क्या मध्यप्रदेश शासन द्वारा प्रदेश में गुडस एण्ड सर्विस टैक्स (GST) अधिनियम लागू किये जाने पर अपनी सहमति प्रदान की गई है ? (ग) क्या उपरोक्त अधिनियम के लागू होने से प्रदेश के राजस्व में वृद्धि होगी अथवा कमी ? यदि वृद्धि होगी तो कितनी एवं कमी होगी तो कितनी ? अनुमानित राशि बताएं ? (घ) क्या उपरोक्त गुडस एण्ड सर्विस टैक्स (GST) के साथ-साथ व्यापारियों से सेल टैक्स भी वसूला जावेगा ? (च) क्या यह सत्य है कि सन् 2010 में तत्कालीन केन्द्र सरकार द्वारा भी उपरोक्त अधिनियम प्रदेश में लागू करने का प्रस्ताव रखा

गया था किंतु प्रदेश सरकार द्वारा राजस्व में कमी होने की आशंका बताते हुये इसे लागू किये जाने में अपनी असहमति प्रदान की गई ? यदि हाँ, तो क्यों ?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) विषय केन्द्र सरकार से संबंधित होने से जानकारी दी जाना संभव नहीं। (ख) मध्यप्रदेश शासन द्वारा प्रदेश में गुडस एण्ड सर्विस टैक्स (जीएसटी) अधिनियम को लागू करने के संबंध में राज्यों के वित्त मंत्रियों की सशक्त समिति में विचार विमर्श किया जा सकेगा । (ग) गुडस एण्ड सर्विस टैक्स प्रणाली लागू होने पर ही राजस्व के संबंध में आकलन किया जा सकेगा । (घ) प्रश्नांश क अनुसार संविधान संशोधन पश्चात ही उक्त स्थिति स्पष्ट हो सकेगी । (च) जी नहीं । राज्यों के वित्त मंत्रियों की सशक्त समिति में विचार विमर्श किया जा रहा है ।

विभागवार जारी विज्ञापनों की संख्या

144. (क्र. 3702) श्री जितू पटवारी : क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वित्तीय वर्ष 2013-14 व 2014-15 में कितने विज्ञापन टेलीविजन, वेबसाईड एवं वेबपोर्टल के माध्यम से जारी किये गये ? (ख) क्या विभाग द्वारा पत्रकारों को लेपटॉप प्रदान करने का कोई प्रावधान है ? यदि हाँ तो क्या समस्त पत्रकारों को प्रदान किये जाने का प्रावधान है ? (ग) विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2013-14 व 2014-15 में कितने पत्रकारों को लेपटॉप प्रदान किये गये है ?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) प्रश्नांकित अवधि में टेलीविजन पर 120 वेबसाईड एवं वेबपोर्टल के माध्यम से 202 विज्ञापन जारी किये गये । (ख) हाँ, केवल राज्य स्तरीय अधिमान्य पत्रकारों को । (ग) दिनांक 25/02/2015 तक 450 पत्रकारों को लेपटाप प्रदान किये गये हैं ।

जनवरी 2004 में खनिजों की रॉयल्टी दरें

145. (क्र. 3711) सुश्री हिना लिखीराम कावरे : क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जनवरी 2004 में जबलपुर संभाग के अन्तर्गत जिलो में माइनर तथा मेजर मिनरल्स की रॉयल्टी की क्या दरें थी तथा कितना खनन किया जाता था ? खनिजों के नाम सहित जानकारी दें ? (ख) प्रश्नांश (क) वर्णित स्थानों में वर्तमान में प्रचलित रॉयल्टी दरों तथा खनन की मात्रा सहित विस्तृत जानकारी दें ? (ग) क्या यह सही है कि 2004 के पश्चात् खनिज राजस्व में वर्तमान में जो बढ़ोतरी हुई है उसका मुख्य कारण मेजर मिनरल है ? (घ) यदि खनिज राजस्व में वृद्धि का मुख्य कारण मेजर मिनरल्स से प्राप्त होने वाली रॉयल्टी है तो शासन द्वारा रेत के अवैध उत्खनन के संबंध में राजस्व बढ़ोतरी का तर्क देना क्या उचित है ? यदि नहीं तो रेत के अवैध उत्खनन संबंधी शिकायतों को रोकने हेतु शासन क्या उपाय करेगा ?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है ।

सड़क निर्माण एजेन्सी से वसूली

146. (क्र. 3751) श्री सज्जन सिंह उईके : क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि बैतूल-नागपुर हाईवे में लगाए गए गौण खनिज की मात्रा की जानकारी निर्माण एजेन्सी एवं संबंधित विभाग से बैतूल खनिज कार्यालय एवं छिंडवाड़ा खनिज कार्यालय द्वारा प्रश्नांकित तिथि तक भी संकलित न किए जाने के कारण बकाया रॉयल्टी की वसूली हेतु कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी है ? (ख) यदि हाँ, तो मार्ग निर्माण के संबंध में बैतूल एवं छिंदवाड़ा खनिज विभाग ने किस दिनांक के आदेश के अनुसार किस स्थान से कितने और कौन से गौण खनिज के खनन एवं परिवहन की अनुमति प्रदान की, खनिज विभाग को किस दिनांक को कितनी रॉयल्टी प्राप्त हुई ? (ग) प्रश्नांकित तिथि तक हाइवे निर्माण में कौन सा कितना गौण खनिज उपयोग किया गया इसकी जानकारी खनिज विभाग को किस दिनांक को किसके द्वारा उपलब्ध कराई गई यदि यह जानकारी प्रश्नांकित तिथि तक भी एन.एच.इ.आई; से न बुलवाई गई हो तो उसका कारण बतावें ? (घ) मार्ग निर्माण में उपयोग किए गए खनिज की मात्रा उसके बदले विभाग को प्राप्त रॉयल्टी एवं एससमेन्ट के बाद बकाया रॉयल्टी का आंकलन किया जाकर उसकी वसूली हेतु विभाग क्या कार्यवाही कब तक करेगा ?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है ।

चित्रकूट के बटहरा खदान से प्राप्त रायल्टी

147. (क्र. 3800) श्री यादवेन्द्र सिंह : क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सतना जिले के विधानसभा क्षेत्र चित्रकूट के अंतर्गत बटहरा खदान किसको आवंटित की गई है ? वह कितने क्षेत्रफल में है ? खसरा नंबर सहित जानकारी देवें ? (ख) प्रश्नांश (क) में वर्णित खदान से विगत पांच वर्षों में कितना बाक्साईड निकाला गया और शासन को कितनी रायल्टी प्राप्त हुई ? (ग) क्या यह सही है कि विभागीय अधिकरी/ कर्मचारी एवं खदान मालिकों के मिली भगत से एक ट्रक का पिटपास बनाकर कई ट्रक बाक्साईड निकाल कर विक्रय किया जा रहा है ? यदि नहीं तो खोदे गये गड्ढ़ों का खनिज अधिकारी द्वारा कब-कब माप कर भौतिक सत्यापन किया गया ? (घ) क्या यह भी सही है कि उक्त खदान से लगी वन भूमि में भी अवैध रूप से बाक्साईड का खनन किया जा रहा है ? यदि हाँ, तो किसकी अनुमति से तथा कब से विवरण दें ? (ड.) क्या संपूर्ण प्रकरण की जांच उच्च अधिकारी से कराकर चल रहे अवैध खनन व्यापार को रोका जावेगा और संबंधितों के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी यदि नहीं, तो क्यों ?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) प्रश्नानुसार जानकारी **संलग्न परिशिष्ट** में दर्शित है । (ख) प्रश्नानुसार **जानकारी संलग्न परिशिष्ट में दर्शित** है । (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही

है । (घ) जी नहीं । अत: शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता । (ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है ।

परिशिष्ट – "तैंतीस"

सतना जिले में खदानों की संख्या

148. (क्र. 3801) श्री यादवेन्द्र सिंह : क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सतना जिले में विगत 5 वर्षों से लाईम स्टोन, बाक्साईड, डोलोमाईट छुही, गेरू एवं रामरज की कितनी खदानें किन-किन स्थानों पर किस-किस व्यक्ति को आवंटित की गई है ? नामवार एवं वर्षवार विवरण दें ? (ख) क्या प्रश्नांश (क) में उल्लेखित खदान मालिकों के स्वयं के उद्योग कारखाने नहीं होने के बावजूद भी लीज स्वीकृत की गई है ? यदि हाँ, तो नियम बतावें ? यदि नहीं तो क्या इनकी लीज निरस्त की जायेगी ? यदि हाँ तो कब तक ?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) एवं (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है ।

रपटा कम स्टापडेम का घटिया निर्माण

149. (क्र. 3811) प्रो. संजीव छोटेलाल उइके : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मण्डला जिले के नैनपुर के ग्राम सालीवाड़ा जेवनारा में चकोर नदी पर रपटा कम स्टापडेम का निर्माण कब कितनी राशि से कराया गया ? मापन मूल्यांकन एवं सत्यापन करने वाले अधिकारी/कर्मचारी का नाम पद नाम बतायें ? (ख) निर्माण के बाद कितनी बार क्षतिग्रस्त होकर बह गया और कितनी बार मरम्मत कराया गया ? वर्षवार मरम्मत में व्यय की गयी, राशि बतायें ? (ग) क्या उक्त रपटा कम स्टापडेम का बार-बार क्षति ग्रस्त होकर बहना घटिया एवं गुणवत्ता विहीन निर्माण कार्य को दर्शाता है व बिना छड़ के काली रेत से मरम्मत कराना निर्माण एजेंसी की अर्कमण्यता एवं भ्रष्टाचार को दर्शाता है, यदि हाँ, तो शासन कब तक निर्माण एजेंसी पर कार्यवाही करेगा ?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) प्रश्नाधीन निर्माण कार्य जल संसाधन संभाग, मण्डला द्वारा जनवरी 2008 में प्रारंभ कराकर मई 2009 में पूर्ण किया गया । निर्माण पर रू.56.62 लाख व्यय हुये । निर्माण कार्य का माप तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी श्री पी.एस.दांगी एवं उपयंत्री श्री के.पी.सेन द्वारा लिया गया । सत्यापन श्री संजीव अग्निहोत्री, कार्यपालन यत्री (प्रभारी) एवं श्री बी.के.मुदगल, कार्यपालन यंत्री द्वारा किया गया । (ख) अगस्त 2014 में अतिवृष्टि से स्टॉपडेम की दांयी तरफ की विंगवाल 10 मीटर लंबी एवं 2 मीटर ऊंची क्षतिग्रस्त हुई जिसकी मरम्मत पर शासन द्वारा कोई व्यय नहीं किया गया । निर्माण कार्य कराने वाले अनुविभागीय अधिकारी एवं उपयंत्री ने स्वयं के व्यय से मरम्मत कराई । (ग) जी नहीं, अतिवृष्टि से क्षति होना प्रतिवेदित है । निर्माण के तकनीकी प्राक्कलन

में लोहे की छड़ का प्रावधान नहीं था । निर्माण कार्य विभागीय तौर पर मस्टर रोल पर किया गया था । शेष प्रश्नांश उत्पन्न नहीं होते है ।

ग्राम पंचायतों को जारी रॉयल्टी में अनियमितता

150. (क्र. 3813) प्रो. संजीव छोटेलाल उइके : क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मण्डला विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2014-15 में कितनी रेत खदाने स्वीकृत एवं प्रारंभ थी, विकासखण्डवार खदान का नाम, स्थान सहित बतायें तथा इनसे कितनी राजस्व की प्राप्ति हुई एवं कितने वाहनों से रेत के अवैध परिवहन को लेकर जब्ती बनाई गई तथा उनसे कितना अर्थदण्ड वसूला गया ? (ख) क्या ग्राम पंचायतों को उनके शासकीय निर्माण कार्य के लिये रॉयल्टी जारी की गयी ? ग्राम पंचायतवार कितने घनमीटर रेत की रॉयल्टी प्रदान की गयी, विकासखण्डवार बतायें ? (ग) ग्राम पंचायतों को रॉयल्टी जारी करने की अनुमति किस नियम प्रक्रिया के तहत दी गयी ? जारीकर्ता अधिकारी का नाम, पदनाम बतायें ? (घ) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायतों रॉयल्टी जारी करने में भारी अनियमितता की गयी ? यदि नहीं, तो ग्राम पंचायत सिलगी विकासखण्ड मण्डला में 3 करोड़ की सी.सी. रोड बनाने के रॉयल्टी दी गयी, जबकि सिलगी ग्राम पंचायत में कोई सी.सी. रोड स्वीकृत है और न ही बनाई जा रही है ? क्या शासन फर्जी काम के नाम से रॉयल्टी जारी करने वाले अधिकारी पर कार्यवाही करेगी ? यदि हाँ, तो क्या और कब तक ?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) प्रश्नाधीन क्षेत्र में प्रश्नाधीन अवधि में विकासखण्ड मण्डला के ग्राम सिलगी के खसरा क्रमांक 786 रकबा 3.800 हेक्टेयर पर दिनांक 09.02.2015 से खदान संचालित है, जिसमें रूपये 25, 50, 500/- का खनिज राजस्व जमा कराया गया है । इस खदान से रेत के अवैध परिवहन के संबंध में कोई वाहन जप्त नहीं किए गए हैं । अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है । (ख) म.प्र. गौण खनिज नियम 1996 में ग्राम पंचायतों को रायल्टी जारी किए जाने का कोई प्रावधान नहीं है । अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता । (ग) एवं (घ) प्रश्नांश 'ख' के उत्तर के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

कटनी जिले में जारी जाति प्रमाण पत्र

151. (क्र. 3826) श्री संदीप श्रीप्रसाद जायसवाल : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कटनी जिले में कक्षा 1 से 12वीं तक आरक्षित वर्ग के कितने विद्यार्थी अध्ययनरत है ? दिसम्बर 2014 तक कितने स्कूलों के कितने विद्यार्थियों के जाति प्रमाण पत्र इस अभियान के तहत बनाकर प्रदाय किये गये ? कितने विद्यार्थियों के आवेदन लंबित तथा कितने विद्यार्थियों के आवेदन अभी तक जमा नहीं किये गये हैं ? बतावें ? (ख) क्या यह सही है कि सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रं.एफ. 7-42/2012/आ.प्र./एक, भोपाल दिनांक

13.01.2014 के बिन्दु क्रं.9.3 एवं 9.4 के निर्देशों का कटनी जिले में पालन नहीं किया गया, जिससे जिले में अनेकों जाति प्रमाण पत्र बनना शेष है ? (ग) क्या यह सही है कि कटनी नगर के केंद्रीय विद्यालयों एवं सी.बी.एस.ई. विद्यालयों के संबंध में अभियान के तहत कोई भी कार्यवाही नहीं की गई, जिससे प्रश्न दिनांक तक विद्यार्थियों के जाति प्रमाण पत्र नहीं बन सके है ? यदि हाँ तो प्रश्नांश (ख) एवं (ग) के जिम्मेदारों के विरूद्ध क्या कार्यवाही कब तक की जायेगी ? यदि नहीं तो क्यों ? एवं इन विद्यार्थियों को जाति प्रमाण पत्र कब तक प्रदाय किये जायेंगे ?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) एवं (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही हैं ।

चतुर्थ श्रेणी से तृतीय श्रेणी में पदोन्नति

152. (क्र. 3836) श्रीमती शीला त्यागी : क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पूर्वी क्षेत्र वि. वितरण कंपनी जबलपुर में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की कितनी संख्या है ? (ख) कार्यरत चतुर्थ श्रेणी को निर्धारित योग्यता से अधिक हायर सेकेण्डरी, स्नातक, स्नातकोत्तर योग्यता प्राप्त कर्मचारियों की कुल संख्या ? (ग) सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय के पत्र क्रमांक 332/410/2008/3/एफ/भोपाल दिनांक 23/02/2008 के संदर्भ में कुल सहायक ग्रेड-3 के रिक्त पदों में 25 प्रतिशत पद चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिये सुरक्षित रखने के निर्देश के अनुसार कितने प्रतिशत रिक्त पद अभी तक खाली है ? (घ) उक्त रिक्त पदों में चतुर्थ श्रेणी से सहायक ग्रेड-3 में पदोन्नति के संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही हैं ? अभी तक कितने रिक्त पदों में पदोन्नति की गई है ? यदि नहीं की गई है कब तक में की जायेगी ?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) एवं (ख) म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी जबलपुर में कुल 6498 चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी कार्यरत है, जिनमें से 858 हायर सेकेन्ड्री, 76 स्नातक एंव 16 स्नातकोत्तर योग्यता प्राप्त है । (ग) राज्य शासन के आदेश दिनांक 9.6.2011 से पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड की संगठनात्मक संरचना को स्वीकृति प्रदान की गई है । स्वीकृत संरचना में कार्यालय सहायक ग्रेड-3 के कुल स्वीकृत पदों के 25 प्रतिशत पद चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की पदोन्नति के लिए सुरक्षित रखने का कोई प्रावधान नहीं है । प्रश्नांश में उल्लेखित सामान्य प्रशासन विभाग का परिपत्र दिनांक 23.2.2008 म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी में ग्राहय नहीं किया गया है । (घ) उत्तरांश (ग) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न नहीं उठता ।

महाविद्यालय के प्रदर्शकों को राजपत्रित का दर्जा

153. (क्र. 3837) श्रीमती शीला त्यागी : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) संचालनालय तकनीकी शिक्षा विभाग में पोलीटेक्निक कालेजों एवं इंजीनियरिंग

कॉलेजों में कितने पद डिमांस्ट्रेटरों के स्वीकृत हैं तथा कौन-कौन कर्मचारी कार्यरत हैं, सूची उपलब्ध कराएँ ? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में क्या पॉलीटेक्निक महाविद्यालय के तथा इंजीनियरिंग महाविद्यालयों के प्रदर्शकों की योग्यता व वेतन समान हैं ? यदि नहीं तो क्यों बताएँ ? (ग) प्रश्नांश (ख) के सदंर्भ में यदि समान वेतन समान कार्य समान योग्यता है तो राजपत्रित व गैर राजपत्रित का फर्क क्यों बताएँ ? (घ) प्रश्नांश (ग) के संदर्भ में पॉलीटेक्निक महाविद्यालय के प्रदर्शकों को इंजीनियरिंग महाविद्यालय के प्रदर्शकों की भांति द्वितीय श्रेणी राजपत्रित अधिकारी का पद लाभ एवं वेतन लाभ कब तक प्रदान किया जावेगा ?

तकनीकी शिक्षा मंत्री (श्री उमाशंकर गुप्ता) : (क) संचालनालय तकनीकी शिक्षा में डिमांस्टेटर के पॉलीटेकनिक कालेजों में 24 पद एवं इंजीनियरिंग कालेजों में 04 पद स्वीकृत हैं । कार्यरत कर्मचारियों की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है । (ख) पॉलीटेकनिक तथा इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में स्वीकृत प्रदर्शक के पदों की शैक्षणिक अर्हताऐं एवं वेतनमान एक समान है । (ग) प्रदर्शक का पद अलिपिकीय संवर्ग तृतीय श्रेणी का पद है एवं पॉलीटेकनिक तथा इंजीनियरिंग कालेजों में उक्त पद का वेतनमान समान है । अतः राजपत्रित एवं गैर राजपत्रित पद होने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता । (घ) प्रदर्शक के पद को राजपत्रित घोषित करने संबंधी कोई प्रक्रिया विचाराधीन नहीं है । अतः राजपत्रित अधिकारी का पद एवं वेतन का लाभ दिये जाने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

परिशिष्ट – "चौंतीस"

उपपंजीयक कार्यालयों द्वारा की गई रजिस्ट्री

154. (क्र. 3843) एडवोकेट सत्यप्रकाश सखवार : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि अम्बाह एवं पोरसा उप पंजीयको द्वारा सिंचित भूमि को असिंचित मानकर, मकान को खाली प्लाट दर्शाकर दो मंजिला या बहुमंजली मकान के एक ही मंजिल दिखाकर, मार्वलयुक्त मकान को मिट्टी, गारे का दिखाकर एवं एक ही होटल या मकान को अलग-अलग दो भागों में दर्शाकर शासन को करोड़ों रूपयों के राजस्व की हानि पहुँचाई जा रही हैं ? (ख) यदि हाँ, तो क्या शासन जांच करायेगा ?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) एवं (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है ।

बकायादारों से राजस्व राशि की वसूली

155. (क्र. 3856) श्री अंचल सोनकर : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला आबकारी विभाग जबलपुर को वर्ष 2011-12 से 2014-15 तक किस-किस मद से कितनी-कितनी राजस्व आय हुई एवं किस-किस मद में कितनी-कितनी राशि बकायादारों से वसूल करना शेष है ? वर्ष 2011-12 से 2014-15 की सूची देवें ? (ख) प्रश्नांश (क) में किन-किन बकायादारों से लायसेंस फीस, मिनिमम गारंटी की राशि कब से वसूल करना शेष है ?

बकायादारों की सूची वर्षवार/यह भी बताया जाये कि बकायादारों पर क्या कार्यवाही की गई ? (ग) क्या बकायादारों से लायसेंस फीस, मिनिमम गारंटी की वसूली न होने के उपरांत भी बकायादारों के अपलेखन के लिये प्रस्ताव आयुक्त आबकारी ग्वालियर को नहीं भेजा गया है ? यदि भेजा गया है तो कब ? इस पर आयुक्त द्वारा क्या कार्यवाही की गई ? (घ) प्रश्नांश (क) में किन-किन बकायादारों से/ठेकेदारों से बकाया राशि वसूलने उनकी अचल सम्पत्ति की नीलामी कर कितनी राशि वसूल की एवं शेष बकायादारों/ठेकेदारों पर वसूली हेतु क्या कार्यवाही की जावेगी ?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) जिला जबलपुर में वर्ष 2011-12 से वर्ष 2014-15 तक आबकारी राजस्व के लक्ष्य एवं वसूली की मदवार **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार** है तथा वर्ष 2011-12 से वर्ष 2014-15 तक बकायादारों की सूची **संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-दो अनुसार** है । (ख) प्रश्नांश (क) में लायसेंस फीस एवं मिनिमम गांरटी की राशि लक्ष्य अनुसार वसूल की गई है । बकाया नहीं होने से बकायादारों की जानकारी निरंक है । (ग) जबलपुर जिले में वर्ष 2011-12 से वर्ष 2014-15 तक लायसेंस फीस एवं मिनिमम गारंटी के बकाया के कोई प्रकरण नहीं होने से अपलेखन के प्रस्ताव आबकारी आयुक्त मध्यप्रदेश ग्वालियर को प्रेषित नहीं किये गये है । (घ) प्रश्नानुसार वर्ष 2012-13 में एस.जी. डिस्टलरी पर पर्यवेक्षण प्रभार की राशि रूपये 8, 40, 000/- एवं रेडसन डिस्टलरी एफ.एल.-9 पर पर्यवेक्षण प्रभार की राशि रूपये 8, 40, 000/- की राशि अवशेष रही है । जिसमें से एस.जी. डिस्टलरी जबलपुर द्वारा रूपये 4, 00, 000/- एवं रेडसन डिस्टलरी एफ.एल.-9 जबलपुर द्वारा रूपयें 2, 10, 100/- पर्यवेक्षण प्रभार की राशि माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर के आदेश दिनांक 10.06.2013 के अनुसार जमा कराई गई है । शेष राशि पर स्थगन होने के कारण वसूली की कार्यवाही लंबित है । एस.जी. डिस्टलरी पर वर्ष 2013-14 में भौतिक सत्यापन पर कम पाई गई मदिरा पर उपायुक्त आबकारी द्वारा रूपये 2, 14, 53, 625/- की राशि अधिरोपित की गई जिसमें से बकायादार द्वारा रूपया 13, 41, 000/- जमा किये गये । प्रकरण में बकायादार द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के समक्ष याचिका क्रमांक डब्ल्यू.पी; 7554/2014 सूरज जायसवाल विरूद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य प्रस्तुत की गई, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 23.06.2014 को आदेश पारित कर वसूली पर स्थगन जारी किया गया । अत: प्रकरण में शेष राशि की वसूली की कार्यवाही लंबित है ।

परिशिष्ट – "पैंतीस"

संभागों में कर्मचारियों का संलग्नीकरण

156. (क्र. 3857) श्री अंचल सोनकर : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासन द्वारा विभागों में संलग्नीकरण प्रथा बंद कर दी गई है ? यदि हाँ, तो कि

वर्तमान में जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत मुख्य अभियंता बैन गंगा कछार सिवनी के अधीन संभागों में विभिन्न पदों के कर्मचारी अपनी मूल पदस्थापना के स्थान पर अन्य संभागों में संलग्न रहते हुये कार्य कर रहे हैं, सूची देवें ? (ख) प्रश्नांश (क) यदि हाँ, तो क्या इन्हें नियमानुसार संलग्न किया गया है नियम बतावें ? यदि नहीं तो संलग्न कर्मचारियों को उनकी मूल पदस्थापना में कब तक वापिस किया जावेगा ? क्या नियम विरूद्ध संलग्नीकरण करने वाले अधिकारी पर शासन स्तर पर कार्यवाही की जावेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) एवं (ख) जी हाँ । वैनगंगा कछार, सिवनी के अधीन 87 अधिकारियों/कर्मचारियों के संलग्नीकरण किए गये थे जिनकी सूची **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है । मुख्य अभियंता, वैनगंगा कछार, सिवनी के आदेश दिनांक 27.02.2015 द्वारा सभी संलग्नीकरण समाप्त कर दिए गये है । संलग्नीकरण कार्य की आवश्यकता के मद्देनज़र किए गये होने से संलग्नीकरण करने वाले अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही की स्थिति नहीं है । शेष प्रश्नांश उत्पन्न नहीं होते है ।

<u>महेश्वर विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत तालाबों एवं नहरों का निर्माण</u>

157. (क्र. 3861) श्री मेव राजकुमार : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विगत तीन वर्ष में महेश्वर विधानसभा क्षेत्रांतर्गत की जनपद पंचायत महेश्वर एवं बड़वाह के ग्रामों में निर्मित तालाबों के रखरखाव एवं नहर निर्माण हेतु आर.आर.आर. योजना के अंतर्गत विभाग द्वारा कब-कब एवं कितनी लागत के कितने प्रस्ताव प्राक्कलन तैयार किये गये ? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु उक्त प्रस्तावों में कब तक स्वीकृति देते हुये कार्य प्रारंभ किये जावेंगे ? (ग) महेश्वर विधान सभा क्षेत्र के ग्राम बडकीचौकी में अब्दुल खोदरा स्थल पर तालाब निर्माण, ग्राम देवगढ़ में तालाब निर्माण, ग्राम हिण्डोला गुवाडी में गाडा पानी/मेलखेडी गढी में देवझिरी स्थल पर तालाब निर्माण किये जाने के प्रस्ताव विभाग द्वारा कब तैयार किये गये एवं उक्त प्रस्ताव में कब तक स्वीकृति प्रदान की जायेगी ? (घ) विधानसभा क्षेत्र महेश्वर की जनपद पंचायत बडवाह की 28 ग्राम पंचायतों के ग्राम मुख्त्यारा, बलवाडा, पढाली, झिगडी, कुण्डिया, हनुम्न्त्या, सेल्दा, बावी, बांडीखार, मोगरगांव, बागोद, टेमला, बरझर इत्यादि ग्रामों के किसानों की असिंचित कृषि भूमि को सिंचित करने हेतु विभाग द्वारा कौन सी योजना तैयार की गई है ? अथवा तैयार किये जाने की कार्यवाही लंबित है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) प्रश्नाधीन अवधि में प्रश्नाधीन क्षेत्र की सिंचाई परियोजनाओं के लिए आरआरआर योजना के तहत बनाये गये विस्तृत परियोजना प्रस्ताव (डीपीआर) की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है । (ख) प्रश्नाधीन सभी परियोजनाओं के लिए दिनांक 28.04.2012 को प्रशासकीय स्वीकृति जारी की जाकर निर्माण कार्य पूर्ण कराये

जा चुके है । (ग) प्रश्नाधीन परियोजनाएं तकनीकी रूप से साध्य नहीं पायी गई है । शेष प्रश्नांश उत्पन्न नहीं होता है । (घ) जनपद पंचायत बड़वाह में जल संसाधन विभाग की निर्मित 13 लघु सिंचाई परियोजनाओं एवं नर्मदा घाटी विकास विभाग की ओंमकारेश्वर परियोजना का कमाण्ड क्षेत्र आता है । स्वीकृति हेतु कोई सिंचाई परियोजना विचाराधीन नहीं है ।

परिशिष्ट - "छत्तीस"

किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जाना

158. (क्र. 3862) श्री मेव राजकुमार : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र महेश्वर की जनपद पंचायत बड़वाह की 28 ग्राम पंचायतों के ग्राम मुख्त्यारा, बलवाडा, पढाली, झिगडी, कुण्डिया, हनुम्न्त्या, सेल्दा, बावी, बांडीखार, मोगरगांव, बागोद, टेमला, बरझर, इत्यादि ग्रामों के किसानों की असिंचित कृषि भूमि को सिंचित करने हेतु विभाग द्वारा कौन सी योजना तैयार की गई है अथवा तैयार किये जाने की कार्यवाही लंबित है ? (ख) क्या यह सही है कि औंकारेश्वर नहर सिंचाई परियोजना के माध्यम से उक्त ग्रामों के किसानों को सिंचाई सुविधा का लाभ नहीं मिल रहा है ? यदि हाँ, तो विभाग द्वारा क्या योजना तैयार की गई है ? (ग) प्रश्न (क) के संदर्भ में उल्लेखित ग्रामों के किसानों को असिंचित कृषि भूमि को सिंचाई हेतु किस योजना के माध्यम से कब तक पानी उपलब्ध कराया जावेगा ? (घ) क्या यह सही है कि महेश्वर विधानसभा क्षेत्र में औंकारेश्वर नहर सिंचाई परियोजना के अंतर्गत नहरों के निर्माण का कार्य बहुत ही धीमी गति से चल रहा है ? यदि हाँ, तो संबंधित निर्माण एजेन्सी के विरूद्ध कब-कब एवं कौन-कौन सी कार्यवाही की गई ? नहरों का निर्माण कार्य कब तक पूर्ण किया जाकर किसानों को सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध कराया जावेगा ?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) प्रश्न में उल्लेखित 28 ग्राम पंचायतों के किसानों की असिंचित भूमि को सिंचित करने हेतु इस रचना के अंतर्गत कोई योजना तैयार नहीं की गई है एवं न ही कोई योजना तैयार किये जाने की कार्यवाही लंबित है । (ख) जी हाँ । विभाग द्वारा कोई योजना प्रस्तावित नहीं की गई है । (ग) वर्तमान में उल्लेखित ग्रामों की असिंचित कृषि भूमि की सिंचाई हेतु कोई योजना विचाराधीन नहीं है । (घ) महेश्वर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ओंकारेश्वर नहर के द्वितीय चरण दॉयी तट बहाव नहर एवं चतुर्थ चरण ग्रुप । दॉयी तट उद्दवहन नहर निर्माण का कार्य किया जा रहा है । पूर्व में माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा रिट पिटीशन क्रमांक 6056/2009 में दिये गये स्थगन आदेश के कारण तथा नर्मदा बचाओं आंदोलन के कार्यकर्ताओं द्वारा समय-समय पर व्यवधान उत्पन्न करने के कारण तथा केन्द्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की मॉनिटरिंग कमेटी द्वारा नर्मदा नदी से 2 कि.मी. की दूरी तक स्थित क्षेत्र में माइनर एवं सवमाइन के निर्माण कार्य को स्थगित रखने

के कारण कार्य की गति धीमी थी । वर्तमान में निर्माण एजेन्सी द्‍वारा निर्माण कार्य को गति प्रदान की है । निर्माण कार्य प्रगति पर है । इस वर्ष ओंकारेश्वर परियोजना की द्‍वितीय चरण की मुख्य नहर से 24 कि.मी. तक जल कृषकों को उपलब्ध कराया गया है । शेष कृषकों की रबी वर्ष 2015 तक सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराये जाने का लक्ष्य है ।

डम्परों/ट्रकों द्‍वारा क्षमता से अधिक रेत की ढुलाई

159. (क्र. 3869) डॉ. रामकिशोर दोगने : क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि हरदा एवं देवास जिले में विगत 2011 से प्रश्न दिवस तक डम्परों/ट्रकों द्‍वारा क्षमता से अधिक रेत का परिवहन किया जा रहा है जिससे सड़के क्षतिग्रस्त होती है इस प्रकार गैर कानूनी परिवहन को रोके जाने के संबंध में शासन की क्या योजना है ? (ख) प्रश्नांकित जिलों में क्षमता से अधिक रेत का परिवहन करते पाये गये कितने डम्परों/ट्रको पर प्रश्नांकित अवधि में चालानी कार्यवाही कर कितनी राशि वसूल की गई है ? (ग) बार-बार क्षमता से अधिक रेत का परिवहन करते पाये गये डम्परों/ट्रको पर चालान की कार्यवाही के अलावा भी क्या अन्य कोई कार्यवाही किये जाने का प्रावधान है ? (घ) यदि हाँ, तो प्रश्नांकित जिलो में ऐसे कितने प्रकरण दर्ज है वा उन पर क्या कार्यवाही प्रस्तावित की गई है ?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है ।

हरदा जिले में शा. कन्या महाविद्‍यालय की स्थापना

160. (क्र. 3870) डॉ. रामकिशोर दोगने : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या हरदा जिले में एक भी कन्या महाविद्‍यालय नहीं है, जिसके कारण छात्राओं को उच्च शिक्षा प्रारंभ रखने में परेशानी होती है, जिससे वो उच्च शिक्षा बीच में ही छोड़ देती हैं ? यदि हाँ, तो क्या हरदा जिले में कन्या महाविद्‍यालय प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है ? (ख) यदि हाँ, तो हरदा में कन्या महाविद्‍यालय कब तक प्रारंभ करा दिया जावेगा ? समय सीमा बतावें ? (ग) यदि नहीं, तो उसका क्या कारण है ?

तकनीकी शिक्षा मंत्री (श्री उमाशंकर गुप्ता) : (क) जी हाँ । शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्‍यालय हरदा में छात्रायें अध्ययनरत हैं । उच्च शिक्षा हेतु छात्राओं को परेशानी का प्रश्न उपस्थित नहीं होता । (ख) कन्या महाविद्‍यालय प्रारम्भ करने हेतु समय सीमा बताया जाना संभव नहीं । (ग) प्रश्नांश "ख" के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

कटनी जिले में बिल वितरण में अनियमितता

161. (क्र. 3887) श्री संजय पाठक : क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या कटनी जिले में वर्ष 2014-15 में विद्‍युत विभाग द्‍वारा जिन ग्रामों की लाईट विगत छः महीने काट दी गई, ट्रांसफार्मर उतार लिये गये हैं उन ग्रामों में भी उपभोक्ताओं को उस समयावधि का औसत बिल भेजा गया है ? क्या यह विभागीय नियमों के अंतर्गत है ? (ख)

प्रश्नांश (क) यदि नहीं तो कटनी जिले के किन-किन ग्रामों में ऐसी अनियमितता कर उपभोक्ताओं के साथ ज्यादती की गई है ? ग्रामवार, वितरण केन्द्रवार सूची उपलब्ध करावें, तथा इस हेतु कौन दोषी है ? नाम एवं पदनाम का उल्लेख करें ? (ग) क्या मध्यप्रदेश विद्युत वितरण कंपनी द्वारा विद्युत उपभोक्ताओं को बिजली प्रदाय किये जाने हेतु मोबाईल रिचार्ज सिस्टम की भांति प्री-पेड सिस्टम लागू किया जावेगा ? जिससे ऐसी अप्रिय स्थितियों से बचा जा सके ? यदि हाँ, तो कब तक ? नहीं तो क्यों ?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) कटनी जिले में वर्ष 2014-15 में किसी भी ग्राम की विद्युत आपूर्ति विगत 6 माह से बंद नहीं की गई है, और न ही ट्रांसफार्मर उतारे गये हैं । प्रश्नाधीन क्षेत्र में नियमित रूप से विद्युत प्रदाय किया जा रहा है । तथा नियामानुसार विद्युत बिल जारी किय जा रहे हैं । (ख) उत्तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न नहीं उठता । (ग) वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

बिना विज्ञापन के भर्ती

162. (क्र. 3888) श्री संजय पाठक : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विगत 5 वर्षों में कटनी जिले में कलेक्टर कटनी द्वारा ऐसे कितने पदों पर जिनका विज्ञापन जारी न कर शासकीय सेवा में नियुक्ति दी गई है तथा किस-किस वर्ग के पदों में ? संविदा तथा दैनिक वेतन या किसी अन्य प्रकार से ? नियुक्तकर्ता अधिकारी का नाम, नियुक्ति का प्रकार, नियुक्त कर्मचारी का नाम एवं पद, सहित ब्यौरा दें ? (ख) प्रश्नाधीन वर्षों में कितने पद अनुकंपा नियुक्ति के द्वारा भरे गये, कितने आवेदन वर्षवार प्राप्त हुये, कितने निरस्त किये गये एवं कितने लंबित है ? (ग) विज्ञापन न जारी करने का कारण तथा भर्ती से संबंधित बगैर विज्ञापन भर्ती न करने के कौन से नियम हैं ? क्या इन पर आरक्षण नियम लागू नहीं होता ? यदि होता है, तो उक्त अनियमितता हेतु कौन दोषी हैं ?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है ।

सिवनी विधान सभा क्षेत्र में विद्युतीकरण

163. (क्र. 3902) श्री दिनेश राय (मुनमुन) : क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र सिवनी में दिनांक 1 जनवरी, 2011 से प्रश्न दिनांक तक कितने ग्राम राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना से लाभांवित हुए हैं ? पृथक-पृथक ग्रामों की सूची देवें ? (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित योजना में जिले में कितनी-कितनी राशि कब-कब स्वीकृत की गई? ठेकेदार के नाम सहित बताऍं ? स्वीकृति दिनांक तक कार्य पूर्णता दिनांक का भी उल्लेख करें ? (ग) प्रश्नांश (क) में दर्शित योजनांर्गत लगाये गये ट्रांसफार्मरों की पृथक-पृथक सूची, ट्रांसफार्मर क्षमता सहित प्रत्येक ग्राम की पृथक-पृथक देवें ? योजना में जिन ग्रामों में कम ट्रांसफार्मर लगे हैं, उनमें कब तक बचे हुए टांसफार्मर लगेंगें ? (घ) निर्धारित अवधि में

कार्य पूर्ण न करने वाले ठेकेदारों एवं इसकी अनदेखी करने वाले अधिकारियों पर कार्यवाही कब तक होगी ?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) सिवनी विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत दिनांक 01.01.2011 से प्रश्न दिनांक तक राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना से 3 ग्राम लाभान्वित हुये हैं । ग्रामवार सूची **संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार** है । (ख) सिवनी जिले की 10वीं पंचवर्षीय योजना में स्वीकृत राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना हेतु दिनांक 02.01.2006 को रूपये 63.73 करोड़ की राशि की स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसे दिनांक 14.03.2009 को पुनरीक्षित कर रूपये 75.02 करोड़ किया गया । उक्त योजनान्तर्गत स्वीकृत कार्यों को विकासखंडवार चार पैकेजों में विभिन्न टर्न-की ठेकेदारों द्वारा संपादित किया गया है, जिसका प्रश्नाधीन चाहा गया विवरण **संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार** है । (ग) उत्तरांश 'क' में दर्शाए अनुसार राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत दिनांक 01.01.2011 से प्रश्न दिनांक तक तीन ग्राम लाभान्वित हुये हैं, जिसमें 4 ट्रांसफार्मर लगाये गये है, जिनकी प्रश्नाधीन चाही गई जानकारी **संलग्न परिशिष्ट में प्रपत्र 'अ' अनुसार** है । स्वीकृत योजना अनुसार ट्रांसफार्मर लगा दिये गये हैं, अत: किसी ग्राम में कम ट्रांसफार्मर लगाने का प्रश्न ही नहीं उठता । (घ) सिवनी जिले की 10वीं पंचवर्षीय योजना में स्वीकृत राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजनान्तर्गत निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण नहीं करने वाले ठेकेदारों मेसर्स रामकी इंफ्रास्ट्रक्चर हैदराबाद एवं मेसर्स यूबीटेक प्रा.लिमिटेड फरीदाबाद से अनुबंध की शर्तों के अनुरूप लिक्विडेटेड डैमेज के रूप में क्रमश: रूपये 78 लाख एवं रूपये 48 लाख की राशि पेनल्टी स्वरूप वसूल की गई है, तथा मेसर्स मेटॉस हैदराबाद से रूपये 249.80 लाख की राशि तथा कांट्रेक्ट परफार्मेस गारंटी को जब्त कर वसूल की गयी है । अधिकारियों द्वारा अनुबंध की शर्तों एवं प्रावधानों के अनुरूप ही लिक्विडेटेड डैमेज एवं कांट्रेक्ट परफार्मेस गारंटी की राशि वसूल की गई है, अत: किसी अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

परिशिष्ट – "सैंतीस"

नगर परिषद कैमोर में आर्थिक अनियमितता पर EOW की कार्यवाही

164. (क्र. 3938) श्री प्रताप सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि मध्यप्रदेश आर्थिक अपराध अनुसंधान ब्यूरो के द्वारा नगर परिषद कैमोर जिला कटनी में हुई आर्थिक अनियमितताओं के लिए वर्ष 2012 में अपराधिक प्रकरण दर्ज किया गया था ? (ख) क्या यह सही है कि आर्थिक अपराध की जांच में नगर परिषद कैमोर में डायवर्सन पुलिया के फर्जी निर्माण के लिए किये गये अनियमित भुगतान को जांच में सही पाया गया एवं तत्कालीन नगर पालिका के अधिकारियों अध्यक्ष एवं अन्य के विरूद्ध प्रकरण दर्ज किया गया ? (ग) प्रश्नांश (ख) के संबंध में यदि अपराध पंजीबद्ध किया गया तो संबंधित

अपचारी पदाधिकारियों के विरूद्ध प्रकरण न्यायालय में क्यों नहीं प्रस्तुत किया गया एवं प्रकरण को न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किये जाने के लिए उत्तरदायी नियत किया जावेगा ? (घ) यदि नगर परिषद के उक्त आर्थिक अनियमिता के प्रकरण में संबंधित दोषियों के विरूद्ध कब तक कार्यवाही की जावेगी एवं अनियमित राशि की वसूली की जावेगी ?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) एवं (ख) जी हाँ । (ग) प्रकरण की विवेचना की जा रही है । शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता । (घ) समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है । अनियमितता परिलक्षित होगी तो नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

<u>विज्ञापनों पर खर्च</u>

165. (क्र. 3951) श्री शैलेन्द्र पटेल : क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विगत 3 वर्षों में मध्यप्रदेश सरकार ने विज्ञापनों पर प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, होर्डिग्स, दीवार लेखन व अन्य माध्यमों पर पृथक-पृथक कितना खर्च किया ? वर्षवार ब्यौरा देवें ? (ख) विगत 3 वर्षों में किस-किस विभाग ने विज्ञापनों पर कितना खर्च किया ? वर्षवार ब्यौरा देवें ? (ग) देश में विज्ञापनों पर खर्च के हिसाब से मध्यप्रदेश का कौन सा स्थान है ?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) प्रश्नांकित अवधि में विभिन्न विभागों के निविदायें/सूचनायें आदि को छोड़कर जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रचार-प्रसार पर समाचार पत्र पत्रिकाओं एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया] होर्डिग्स] दीवार लेखन व अन्य माध्यमों पर वर्षवार किये गये व्यय का ब्यौरा :-

वर्ष	प्रिंट मीडिया पर रूपये	इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर रूपये	होर्डिग्स पर रूपये	दीवार लेखन पर रूपये	अन्य माध्यमों (वीडिया/आडियो/ स्पाट का निर्माण) पर रूपये
2011-12	31.86 करोड़	12.61 करोड़	1]29]75]363/-	96]78]825/-	2]74]71]880/-
2012-13	45.10 करोड़	15.86 करोड़	1]70]70]950/-	35]48]902/-	2]49]89]928/-
2013-14	67.04 करोड़	27.61 करोड़	3]28]53]290/-	4]07]87]402/-	4]07]47]900/-

(ख) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है** । (ग) विभाग द्वारा इस प्रकार की जानकारी का आकलन नहीं किया जाता ।

<u>परिशिष्ट – "अड़तीस"</u>

<u>मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाएं</u>

166. (क्र. 3985) श्री मधु भगत : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्तमान मुख्यमंत्री जी ने इस कार्यकाल में जिला बालाघाट में कुल कितनी घोषणायें की ? (ख)

क्या मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाओं का अभिलेख रखा जाता है ? यदि हाँ, तो यह दायित्व कौन से कार्यालय का एवं किस प्राधिकारी का है नाम बतायें ? (ग) मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई घोषणाओं की अद्यतन स्थिति क्या है ? घोषणावार अद्यतन स्थिति बतायें ?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) मान. मुख्यमंत्री द्वारा जिला बालाघाट में इस कार्यकाल में कुल 04 घोषणाऐं की गई है । (ख) जी हाँ । कलेक्टर द्वारा जिला योजना अधिकारी को दायित्व सौंपा गया है । जिला योजना अधिकारी बालाघाट, जिला योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय बालाघाट । (ग) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है ।

परिशिष्ट - "उनतालीस"

पेट्रोलियम पदार्थों पर बढ़ाये गये कर से बिक्री में हुई कमी

167. (क्र. 4003) श्री विश्वास सारंग : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में प्रश्न दिनांक को पेट्रोल, डीजल, केरोसिन व घरेलू एलपीजी पर किस दर पर कौन-कौन से कर लिए जाते हैं ? (ख) क्या वित्तीय वर्ष 2014-15 में पेट्रोल, डीजल, केरोसिन व घरेलू एलपीजी पर वेट बढ़ाया गया है ? यदि हाँ तो कितना-कितना ? (ग) प्रश्नांश (क) व (ख) के तहत क्या यह सच है कि प्रदेश में पेट्रोल, डीजल, केरोसिन व घरेलू एलपीजी पर टैक्स पड़ोसी राज्यों की तुलना में ज्यादा हैं ? क्या यह भी सच है कि वेट ज्यादा होने से पेट्रोल, डीजल की बिक्री पर असर पड़ा है ? (घ) प्रश्नांश (क) , (ख) व (ग) के तहत वेट बढ़ने के एक माह पूर्व और एक माह बाद पेट्रोल व डीजल की औसत बिक्री क्या रही ?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) प्रदेश में प्रश्न दिनांक को पेट्रोल, डीजल, केरोसिन व घरेलू एलपीजी पर लिये जा रहे कर की दर की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-ए अनुसार** है । (ख) वित्तीय वर्ष 2014-15 में दिनांक 20/12/2014 को पेट्रोल एवं डीजल (एच.एस.डी.) पर वेट 4 प्रतिशत बढाया गया है । केरोसिन व घरेलू एलपीजी पर वेट की दरें यथावत हैं । (ग) प्रश्नांश 'क' एवं 'ख' के तहत प्रदेश में पेट्रोल डीजल, केरोसिन व घरेलू एलपीजी पर टैक्स पडौसी राज्यों की तुलना की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-बी अनुसार** है । शेष प्रश्न की जानकारी संधारित नहीं की जाती है । (घ) पेट्रोल व डीजल पर दिनांक 20/12/2014 से वेट बढने के एक माह पूर्व और एक माह बाद पेट्रोल एवं डीजल की औसत बिक्री की जानकारी विभाग में पृथक से संधारित नहीं की जाती है ।

परिशिष्ट - "चालीस"

नरसिंहगढ़ स्थित आई.टी.आई. में ट्रेड बढाये जाना

168. (क्र. 4013) श्री गिरीश भंडारी : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नरसिंहगढ़ स्थित आई.टी.आई. में कुल कितने ट्रेड संचालित हैं ? (ख) क्या शासन द्वारा संचालित ट्रेड के अलावा और भी ट्रेड बढ़ाने की योजना है ?

तकनीकी शिक्षा मंत्री (श्री उमाशंकर गुप्ता) : (क) आईटीआई नरसिंहगढ में कुल 04 ट्रेड संचालित है । (ख) जी हाँ ।

नरसिंहगढ़ महाविद्यालय में पूर्व छात्रों की समिति का गठन

169. (क्र. 4014) श्री गिरीश भंडारी : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या नरसिंहगढ़ स्थित महाविद्यालय में पूर्व छात्रों की कोई समिति गठित की जा रही ? यदि हाँ तो उक्त समिति के क्या मापदण्ड हैं ? कितने वर्ष पूर्व के छात्रों को समिति में शामिल किया जावेगा ? (ख) प्रश्नांश (क) की उपलब्ध जानकारी अनुसार पूर्व छात्रों की समिति के क्या कार्य होगें ? बजट कहाँ से आयेगा ?

तकनीकी शिक्षा मंत्री (श्री उमाशंकर गुप्ता) : (क) जी हाँ । महाविद्यालय के समस्त पूर्व छात्रों को सदस्यों के रूप में शामिल करना जो महाविद्यालय के विकास में सहयोग देना चाहते हों । संस्था से उत्तीर्ण कोई भी पूर्व विद्यार्थी समिति में शामिल किया जा सकता है । (ख) पूर्व विद्यार्थियों को फाउंडर मेम्बर मानते हुए वर्तमान अध्ययनरत विद्यार्थियों को वैश्विक आवश्यकताओं से परिचित कराना, कौशल विकास हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम, उत्प्रेरक कार्यशालाएं आयोजित कराने एवं रोजगार दिलाने में मदद करना । पूर्व विद्यार्थियों द्वारा संचालित होने के कारण बजट का प्रावधान आवश्यक नहीं ।

त्योंथर उद्वहन सिंचाई योजना की लागत

170. (क्र. 4023) श्री सुखेन्द्र सिंह (बन्ना) : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रीवा जिले की त्योंथर उद्वहन सिंचाई योजना की लागत क्या थी ? अब तक इस योजना में ठेकेदार को कितना भुगतान किया जा चुका है ? (ख) प्रश्नांश (क) के प्रकाश में मुख्य नहर और माइनर नहर कितने किलोमीटर बनाई जानी थी और अब तक में कितनी बन चुकी है ? (ग) प्रश्नांश (ख) के प्रकाश में वर्ष 2013-14 में उक्त योजना से कितनी सिंचाई की गई है एवं किसानों से कितनी वसूली की गई है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) त्यौंथर उद्वहन सिंचाई योजना बाणसागर परियोजना का भाग होकर इसके लिए पृथक से कोई स्वीकृति नहीं दी गई है । त्यौंथर उद्वहन सिंचाई योजना के शीर्ष कार्य के लिए निर्माण एजेंसी मेसर्स विनोद कुमार शुक्ला कंस्ट्रक्शन को रू.14.24 करोड़ और मेसर्स अनिल स्टील वर्कस, इंदौर को रू.27.63 करोड़ का भुगतान किया गया है । नहर कार्य के लिए मेसर्स अनिल स्टील वर्कस इंदौर को रू.47.11

करोड़ एवं एचईएस इंफ्रा. प्रा.लिमि. हैदराबाद को रू.77.23 करोड़ का भुगतान किया गया है । (ख) प्रश्नाधीन योजना से 10110 हे. में सिंचाई हेतु 23 कि.मी. मुख्य नहर और 52 कि.मी. लंबाई की उप नहरें बनाई जाना प्राक्कलित था । टर्नकी आधार पर अनुबंध किया गया है जिसमें कार्य का मापदण्ड नहरों की लंबाई नहीं होकर अनुबंधित सैच्य क्षेत्र विकसित करना है । निर्माण एजेंसी द्वारा 21 कि.मी. लंबाई की मुख्य नहर और 32 कि.मी. लंबाई की उप नहरें बनाई जा चुकी हैं । (ग) परियोजना का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हुआ है । परियोजना से 4400 हे. में सिंचाई की गई है । कृषकों से जलकर की वसूली की राशि निरंक है ।

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजनांतर्गत विद्युतीकरण

171. (क्र. 4047) श्री ओमकार सिंह मरकाम : क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत डिण्डौरी जिलों के कितने ग्रामों के लिए कितनी राशि स्वीकृत हुई? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार स्वीकृत ग्रामवार राशि में कितनी-कितनी राशि व्यय हुई कितनी एल.टी.लाईन. कितनी 11K.V. लाईन कहाँ-कहाँ बिछाई गयी जानकारी बतावें ? (ग) प्रश्नांश (क) अनुसार कितने बी.पी.एल. धारक व्यक्ति को विद्युत कनेक्शन दिया गया संख्या बतावें ? (घ) प्रश्नांश (क) अनुसार स्वीकृत विद्युतीकरण हेतु खम्भा गड़ाने के लिए कितना गडढ़ा खोदा जाना था तथा खम्भा गड़ाने के लिए क्या-क्या प्रक्रिया किया जाना था ? क्या सभी जगह सही खम्भा गड़ाया गया है ?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) 11वीं पंचवर्षीय योजना में स्वीकृत राजीव गॉधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत डिण्डौरी जिले के 844 ग्रामों एवं एक 33/11 के. व्ही. उपकेन्द्र के लिए रूपये 3991.57 लाख की राशि की स्वीकृति प्रदान की गयी थी । 12वीं पंचवर्षीय योजना में स्वीकृत राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत डिण्डौरी जिले के 752 ग्रामों एवं पॉवर ट्रांसफार्मर की क्षमता वृद्धि के कार्यों के लिये रूपये 5669.96 लाख की राशि की स्वीकृति दिनांक 03.03.14 को प्रदान की गई है । (ख) उत्तरांश (क) के तारतम्य में डिण्डौरी जिले में 11वीं पंचवर्षीय योजना में स्वीकृत राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत प्रश्न दिनांक तक स्वीकृत राशि में से रूपये 3418.72 लाख की राशि व्यय की गई है उल्लेखनीय है उक्त योजना अंतर्गत जिलेवार राशि स्वीकृत की जाती है ग्रामवार नहीं । उक्त योजना में 447 कि.मी. 11 के.व्ही. लाईन तथा 832 किमी.एल.टी. लाईन का कार्य पूर्ण किया गया है । उक्त कार्य संपूर्ण डिण्डौरी जिले में किया गया है जिसकी स्थानवार जानकारी संधारित नहीं की जाती । 12वीं पंचवर्षीय योजना में स्वीकृत राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत रूपये 383.42 लाख की राशि अग्रिम भुगतान के रूप में व्यय की गई है तथा सर्वे का कार्य प्रगति पर है । (ग) डिण्डौरी जिले में 11 वीं पंचवर्षीय योजना में स्वीकृत राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत 24217 बी.पी.एल. हितग्राहियों को नि:शुल्क विद्युत कनेक्शन प्रदान किये गये है । (घ)

प्रश्नाधीन विद्युतीकरण के कार्य हेतु ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के निर्धारित मापदण्डों के अनुसार सामान्य स्थिति में खम्बे की लंबाई के छटे हिस्से (1/6) की गहराई का गड्ढा खम्बा ख़ड़ा करने हेतु खोदा जाना था । खम्भा गाडने हेतु निविदा के प्रावधानों के अनुरूप बेस पेडिंग/स्टोन ब्लॉक का उपयोग कर खम्बा खडा करने के उपरांत गड्ढे को बोल्डर से भरा जाना था तथा डी.पी. स्ट्रक्चर वाली लोकेशन पर गड्ढे में कांक्रीटिंग की जानी थी । तदनुसार ही प्रश्नाधीन योजना में खम्बे खडे किये गये हैं ।

<u>प्रदेश पर कुल कर्जे की राशि</u>

172. (क्र. 4059) श्री कमलेश्वर पटेल : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश सरकार एक लाख करोड़ रूपये से ज्यादा के कर्जे में है ? यदि हाँ, तो कुल कितनी राशि का कर्ज है ? (ख) क्या प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश की आर्थिक स्थिति पर श्वेत पत्र जारी करने का प्रस्ताव है ? यदि नहीं तो कब तक जारी होगा ?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) एवं (ख) जी नहीं । प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

<u>विश्व विद्यालयों में उत्तर पुस्तिका पुर्नमूल्यांकन नीति</u>

173. (क्र. 4081) श्री इन्दर सिंह परमार : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. के सभी विश्वविद्यालयों में पुर्नमूल्यांकन की नीति क्या एक समान है ? यदि नहीं है तो क्या एक समान नीति बनाई जावेगी ? (ख) विश्वविद्यालयों में मूल्यांकन की प्रक्रिया को पारदर्शिता करने के लिये क्या मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की छायाप्रति विद्यार्थियों को उपलब्ध कराने का प्रावधान है ? यदि है तो मूल्यांकन से असंतुष्ट विद्यार्थी को मूल्यांकन चेलेंज करने हेतु व्यवस्था लागू है क्या ? यदि नहीं तो क्या चेलेंज फार्म की व्यवस्था लागू की जावेगी ? (ग) क्या विश्वविद्यालयों में परीक्षा होने के पश्चात संबंधित विषय का माडल आंसरशीट अपनी अधिकृत बेवसाईट पर अपलोड करते है ? यदि नहीं तो मूल्यांकन की पारदर्शिता विद्यार्थी को समझने के लिये क्या मॉडल आंसरशीट अधिकृत बेवसाईट पर अपलोड करने की अनिवार्यता की जावेगी ?

तकनीकी शिक्षा मंत्री (श्री उमाशंकर गुप्ता) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है ।

<u>कालापीपल में आई.टी.आई. की स्थापना</u>

174. (क्र. 4082) श्री इन्दर सिंह परमार : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (I.T.I.) प्रारंभ करने के क्या प्रावधान है ? क्या म.प्र. के सभी विधानसभा क्षेत्रों में आई.टी.आई. संचालित है ? यदि नहीं है तो किस-किस विधानसभा क्षेत्र में ? (ख) कालापीपल विधानसभा क्षेत्र में आई.टी.आई. की मांग लंबे समय से की जा रही है ? क्या कालापीपल आई.टी.आई. खोलने की पात्रता में नहीं आ रहा है

? (ग) क्या कालापीपल में छात्रों की संख्या एवं क्षेत्र की मांग को देखते हुये आई.टी.आई. प्रारंभ किया जावेगा, तो कब तक ?

तकनीकी शिक्षा मंत्री (श्री उमाशंकर गुप्ता) : (क) राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद्, राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद के तहत आईटीआई खोलने के नियम की जानकारी क्रमशः **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट एक एवं दो अनुसार** है । (ख) जी हाँ । वर्तमान में विकासखण्ड कालापीपल शासन की नीति अनुसार अनसर्विस्ड ब्लाक की श्रेणी में आता है । (ग) शासन की नीति अनुसार ऐसे अनसर्विस्ड ब्लाक में आईटीआई खोलने के लिये प्रक्रिया निर्धारित है । समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है ।

<u>शिवपुरी जिले में रेत खदानों की नीलामी</u>

175. (क्र. 4087) चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी : क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या कार्यालय कलेक्टर शिवपुरी के द्वारा दिनांक 20.02.2011 को तहसील नरवर में स्थित सीहोर, पनाने, भासड़ाखुर्द की रेत की खदानों को नीलाम किया गया ? अगर हाँ तो किस दर पर किसको ? (ख) क्या विषयांकित रेत की खदानों की नीलामी नहीं किये जाने प्रबंध संचालक म.प्र. स्टेट माईनिंग कारपोरेशन लि. में 18.03.2011 को कलेक्टर शिवपुरी को पत्र लिखा था ? (ग) क्या कलेक्टर शिवपुरी को प्रबंध संचालक म.प्र. स्टेट माईनिंग कारपोरेशन लि. ने 25.04.2011 को पत्र लिखकर उक्त 24.02.2011 को रेत की खदानों की हुई नीलामी (सीहोर, पनानेर, भासड़ा खुर्द) को निरस्त करने पुन: पत्र लिखा ? (घ) उक्त खदानों को क्या निरस्त किया गया ? अगर हाँ तो कब ? जारी आदेशों की एक प्रति दें ? अगर नहीं तो क्यों कारण दें ? शासन उक्त खदानों की नीलामी को वैध मानता है ? अगर नहीं तो क्या कार्यवाही, किस के विरूद्ध की गयी ?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है ।

<u>रेत की खदानों की नियम विरूद्ध नीलामी</u>

176. (क्र. 4088) चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी : क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सत्य है कि एम.पी. स्टेट माईनिंग कारपोरेशन लि. के प्रबंध संचालक के द्वारा पत्र क्रमांक 1010 दिनांक 25.04.2011 से कलेक्टर शिवपुरी को तहसील नरवर जिला शिवपुरी के सीर, पनानेर, भासड़ा खुर्द की रेत की खदानें नीलाम किये जाने के विरूद्ध निरस्त करने पत्र लिखा था ? अगर हाँ तो उक्त पत्र की एक प्रतिलिपि उपलब्ध करायें ? (ख) क्या यह सत्य है कि कलेक्टर शिवपुरी के द्वारा तीन रेत की खदानों को अनाधिकृत रूप से नियमों के विपरीत 24.02.2011 को नीलाम किया गया ? (ग) क्या यह सत्य है कि एम.पी. स्टेट माईनिंग कारपोरेशन ने कलेक्टर शिवपुरी को 18.03.2011 से पत्र लिखकर एवं पत्र के साथ म.प्र. शासन के खनिज साधन विभाग के पत्र दिनांक 25.02.2009 की प्रति भेजकर उक्त तीन खदानों को 24.02.2011 को होने वाली नीलामी से पृथक करने के निर्देश दिये थे ? (घ) उक्त तीनों खदानों

का ठेका किस दिनांक को कलेक्टर शिवपुरी ने निरस्त किया ? जारी आदेशों की एक-एक प्रति दें ? अगर नहीं किया गया तो क्यों ?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) जी हाँ । **पत्र की प्रतिलिपि संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-एक पर है** । (ख) दिनांक 24.02.2011 को कोई नीलाम नहीं की गई । (ग) जी हाँ । (घ) जी हाँ । आदेश दिनांक 05;05;2011 से कलेक्टर, शिवपुरी द्वारा खदानों का ठेका निरस्त किया गया । **आदेश की छायाप्रति संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-दो पर है ।**

<u>परिशिष्ट - ''इकतालीस''</u>

<u>विद्युतकर प्रदाय में अनियमितता</u>

177. (क्र. 4094) श्री बलवीर सिंह डण्डौतिया : क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र दिमनी जिला मुरैना में ऐसे कितने ग्राम, मजरे/टोले हैं, जहाँ खम्बे, तार, डी.पी. आदि के अभाव में एवं कनेक्शन न होने की स्थिति में भी उन्हें विद्युतकर के बिल दिये जा रहे हैं ? (ख) यदि हाँ तो उन हितग्राहियों के नाम/पता/बिल राशि/विद्युत केन्द्र आदि सहित जानकारी दी जावें ? (ग) प्रश्नांश (क) से सम्बंधित हितग्राहियों द्वारा बिल माफ हेतु सम्बंधित अधिकारियों को आवेदन प्रस्तुत उपरांत भी कोई निर्णय न लेते हुए बराबर बिल भेजे जा रहे हैं ? यदि हाँ तो इन हितग्राहियों के बिल माफ न करने के क्या कारण हैं व इनके बिल कब तक माफ कर दिये जायेगें ?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) विधानसभा क्षेत्र दिमनी, जिला मुरैना के अंतर्गत ऐसे 14 ग्राम/मजरे/टोले हैं जहाँ पर विद्युत अधोसंरचना उपलब्ध नहीं है, परंतु संबंधित क्षेत्र के ग्रामवासियों द्वारा कृषि पंप/चक्की संचालन हेतु स्थापित ट्रांसफार्मरों से विद्युत कनेक्शन लेकर विद्युत का उपयोग करने के कारण ऐसे 256 उपभोक्ताओं को नियामनुसार बिल दिये जा रहे हैं विद्युत का उपयोग नहीं करने वाले किसी भी व्यक्ति को बिजली का बिल नहीं दिया जा रहा है । (ख) उत्तरांश 'क' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्नाधीन क्षेत्र में विद्युत का उपयोग कर रहे हितग्राहियों को प्रश्नाधीन चाही गई **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है । (ग) उत्तरांश 'क' एवं 'ख' के परिप्रेक्ष्य में विद्युत का उपयोग करने पर ही बिल जारी किये गये हैं, अत: बिल माफ करने का प्रश्न नहीं उठता ।

<u>वि.स. क्षेत्र दिमनी मे महाविद्यालय प्रारंभ किया जाना</u>

178. (क्र. 4095) श्री बलवीर सिंह डण्डौतिया : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) माननीय वित्त मंत्री महोदय के जुलाई 2014 के बजट भाषण के दौरान बिन्दु क्रमांक 53 में हमारी सरकार ने उच्च शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिये राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान में सहभागिता की सहमति व्यक्त की है ? पिछले दो वर्षों में ग्रामीण तथा दूरस्थ अंचलों में रहने वाले विद्यार्थियों के लिये 46 नवीन महाविद्यालय प्रारंभ करने

का लक्ष्य है ? (ख) यदि हाँ, तो विधान सभा क्षेत्र दिमनी जिला मुरैना में नवीन महाविद्यालय कब तक प्रारंभ कर इन क्षेत्र वालों को उच्च शिक्षा का लाभ प्राप्त हो सकेगा ?

तकनीकी शिक्षा मंत्री (श्री उमाशंकर गुप्ता) : (क) जी हाँ । जुलाई 2013 से प्रश्न दिनांक तक कुल 52 नवीन शासकीय महाविद्यालय प्रारंभ करने के आदेश जारी किये गये । (ख) प्रश्नांश "क" के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता । वर्तमान में पूर्व से संचालित महाविद्यालयों को सुदृढ़ीकरण करने एवं उनके गुणवत्ता विकास का कार्य किया जा रहा है । अतः विधानसभा क्षेत्र दिमनी, जिला-मुरैना में नवीन महाविद्यालय प्रारंभ किये जाने में कठिनाई है ।

म.प्र. में PEL (CBM) एवं PEL (CNG) के कार्य की स्वीकृति

179. (क्र. 4201) श्री जालम सिंह पटेल (मुन्ना भैया) : क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. में PEL (CBM) एवं PEL (CNG) का कार्य किस-किस जिले में किया जा रहा है ? (ख) इस हेतु किस-किस कंपनी को किस-किस जिले में किन-किन शर्तों के अधीन कार्य स्वीकृत किया गया है ? स्वीकृत अवधि सहित विवरण दें ? (ग) किस-किस कंपनी द्वारा कार्य प्रारंभ कर दिया गया है, एवं कब तक पूर्ण किया जाना है ? (घ) जिन कंपनियों द्वारा कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है, उस संबंध में विभाग क्या कार्यवाही कर रहा है ?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) मध्यप्रदेश में PEL (CBM) का कार्य सीधी, शहडोल एवं अनूपपुर में एवं PEL (CNG) का कार्य दमोह, कटनी, छतरपुर, उमरिया, अनूपपुर, शहडोल, सीधी एवं डिण्डौरी जिलों में किया जा रहा है । (ख) PEL (CBM) से संबंधित **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'अ'** में तथा PEL (CNG) से संबंधित **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' में दर्शित** है । (ग) वांछित **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' एवं 'ब' में दर्शित** है । (घ) प्रश्न से संबंधित कंपनियों द्वारा कार्य प्रारंभ किया जा चुका है । अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है ।

नरसिंहपुर जिले में स्वीकृत रेत खदान

180. (क्र. 4202) श्री जालम सिंह पटेल (मुन्ना भैया) : क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नरसिंहपुर जिले में कुल कितनी रेत खदानें किस-किस के नाम से स्वीकृत हैं ? (ख) उक्त खदानें कितनी-कितनी अवधि के लिए किन-किन शर्तों के अधीन स्वीकृत की गई हैं ? (ग) प्रश्नकर्ता सदस्य द्वारा 1 जनवरी 2013 से प्रश्न दिनांक तक अवैध रेत उत्खनन होने संबंधी कितनी शिकायतें जिला प्रशासन/शासन से की गई है एवं उन शिकायतों पर क्या-क्या कार्यवाही की गई है ? शिकायतवार जानकारी दें ? (घ) अवैध रेत उत्खनन को रोकने हेतु प्रशासन द्वारा क्या प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं ?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) प्रश्नाधीन जिले में तहसील गोटेगांव में रेत खनिज की 09 खदानें अग्रिम रायल्टी के आधार पर म.प्र. राज्य खनिज निगम के पक्ष में स्वीकृत है । प्रश्नाधीन जिले में रेत खनिज की 11 घोष विक्रय खदान स्वीकृत की गई है, जिसकी **सूची**

संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-'अ' पर दर्शित है । घोष विक्रय खदानों में वर्तमान में पर्यावरण की अनुमति प्राप्त न होने के कारण यह खदानें वर्तमान में संचालित नहीं है । (ख) म.प्र. राज्य खनिज निगम के पक्ष में स्वीकृत खदानें 10 वर्ष की अवधि हेतु म.प्र. गौण खनिज नियम 1996 के अंतर्गत स्वीकृत है । घोष विक्रय खदानों की नीलामी 5 वर्ष की अवधि हेतु की गई है । (ग) प्रश्नानुसार **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-'ब' में दर्शित** है । (घ) खनिजों के अवैध उत्खनन/परिवहन की रोकथाम हेतु जिला स्तरीय टास्कफोर्स गठित है । खनिज अमले द्वारा भी इस दिशा में कार्यवाही की जाती है । वर्ष 2013-14 में खनिजों के अवैध उत्खनन के 05 प्रकरण तथा वर्ष 2014-15 में 04 प्रकरण दर्ज किए गए है, जिस पर नियमानुसार कार्यवाही प्रचलित है ।

<u>परिशिष्ट - "**बयालीस**"</u>

<u>पोलीटेकनिक महाविद्यालय का संचालन</u>

181. (क्र. 4211) श्री केदारनाथ शुक्ल : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सत्य है कि सीधी में पालीटेक्निक महाविद्यालय स्वीकृत उपरांत भलीभांति संचालित हो चुका है ? यदि हाँ तो यह कहाँ किस भवन में संचालित है ? इसका निजी भवन कब तक में बन कर तैयार हो जावेगा ? यदि नहीं तो क्या बाधा है ? (ख) क्या प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में उक्त महाविद्यालय में स्वीकृत स्टाफ एवं वांछित स्टाफ की संख्या क्या हैं ? इसकी पूर्णता में अभी और कितना समय लगेगा ?

तकनीकी शिक्षा मंत्री (श्री उमाशंकर गुप्ता) : (क) पोलीटेकनिक महाविद्यालय सीधी वर्तमान में कलेक्टोरेट स्थित सामुदायिक भवन मे अस्थाई रूप से संचालित है । संस्था भवन का निर्माण कार्य प्रगति पर है, जिसे दिसम्बर 2015 तक पूर्ण किया जाना निर्धारित है । (ख) विभाग के आदेश क्रमांक/एफ-5/11/2004/बयालिस (1) , दिनांक 09.09.2009 के द्वारा पोलीटेकनिक महाविद्यालय सीधी के लिये प्रथम श्रेणी के 19 पद एवं द्धितीय श्रेणी का 01 पद स्वीकृत है तथा तृतीय श्रेणी संवर्ग के कुल 27 पद स्वीकृत किये हैं, जो कि वांछित संख्या भी है । रिक्त पदो की पूर्ति हेतु शीघ्र कार्यवाही की जा रही है । समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है ।

<u>इंदिरा सागर बांध व ओंकारेश्वर बांध के बैकवॉटर से डूब में आए मंदिर</u>

182. (क्र. 4216) श्री लोकेन्द्र सिंह तोमर : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) इंदिरा सागर बांध और ओंकारेश्वर बांध के बैकवॉटर में जिला निमाड़ खंडवा के किन ग्रामों के कौन-कौन से मंदिर डूब में आए हैं ? (ख) क्या प्रश्नांश (क) में उल्लेखित बांधों के बैक वॉटर से प्रभावित ग्रामों के मंदिरों का भूअर्जन कर मुआवजा राशि जारी की गई है ? यदि हाँ तो किस बांध के अंतर्गत किस ग्राम के किस मंदिर का कितना मुआवजा दिया है ? (ग) क्या प्रश्नांश (क) में बताएं बांधों के अंतर्गत मंदिरों की मुआवजा राशि किसके खाते में

कितनी अवधि से जमा है ? उन ग्रामों के पुनर्वास स्थलों पर किन मंदिरों का निर्माण, स्वीकृत मुआवजा राशि से करा दिया है ? इस निर्माण में कितनी राशि खर्च हुई है ? (घ) प्रश्नांश (ख) के अनुसार कितने मंदिरों का निर्माण शेष है ? शेष मंदिरों का निर्माण कब तक पूरा किया जाएगा ?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) खंडवा जिले में इदिरा सागर बांध एवं ओंकारेश्वर बांध के बेकवाटर से डूब ग्रामों में 116 मंदिर डूब से प्रभावित हुये है । **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है ।** (ख) जी हाँ । इंदिरा सागर बांध एवं ओंकारेश्वर बांध के बेकवाटर से प्रभावित ग्रामों के मंदिरों का अर्जन कर मुआवजा राशि कलेक्टर/संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (रा.) के पी.डी. खाते में जमा की गई है । ग्रामों की मुआवजा राशि का विवरण **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट** अनुसार है । (ग) प्रश्नांश (क) में उल्लेख अनुसार इंदिरा सागर बांध एवं ओंकारेश्वर बांध के अंतर्गत आने वाले मंदिरों की मुआवजा राशि कलेक्टर एवं संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (रा.) के पी.डी. खाते में वर्ष 2005 से 2007 में जमा की गई है । मंदिरों की स्वीकृत मुआवजा राशि, वितरित की गई राशि तथा किये गये कार्यों का विवरण **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है** । (घ) प्रश्नांश (ख) के अनुसार इंदिरा सागर बांध एवं ओंकारेश्वर बांध के बेकवाटर से डूब ग्रामों में 116 मंदिर डूब से प्रभावित हुये है । कुल 116 मंदिरों में से 48 मंदिरों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है तथा शेष मंदिरों के निर्माण संबंधी कार्यवाही गतिशील है । निश्चित तिथि बताना संभव नहीं है ।

आबकारी विभाग द्वारा संचालित भंडार गृह

183. (क्र. 4217) श्री लोकेन्द्र सिंह तोमर : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या इन्दौर के सियागंज क्षेत्र में आबकारी विभाग द्वारा भण्डारण गृह (दारू गोडाउन) संचालित किया जा रहा है ? यदि हाँ तो यह भण्डारण गृह कितने वर्गफुट क्षेत्र में फैला हुआ है ? (ख) क्या प्रश्नांश (क) में उल्लेखित भण्डारण गृह व उसकी भूमि मूल रूप में किसकी सम्पत्ति है ? उक्त भण्डारण गृह (दारू गोडाउन) को आबकारी विभाग किस दिनांक से संचालित कर रहा है ? (ग) क्या प्रश्नांश (ख) में उल्लेखित भण्डारण गृह (दारू गोडाउन) का वर्तमान में उपयोग में लिया जा रहा है अथवा नहीं ? यदि उपयोग में लिया जा रहा है, तो किसके द्वारा उपयोग में लिया जा रहा है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) वर्तमान में इन्दौर जिले के सियागंज क्षेत्र में आबकारी विभाग द्वारा भण्डारण नहीं किया जा रहा है । (ख) प्रश्न गत भण्डारण गृह (दारू गोडाउन) कार्यालयीन अभिलेखों के आधार पर पूर्व होल्कर स्टेट से मध्यप्रदेश पी.डब्ल्यू.डी. द्वारा मध्यप्रदेश आबकारी विभाग को वर्ष 1908 से सौपा गया । वर्ष 1908 से ही आबकारी विभाग द्वारा उक्त भवन में भण्डारण गृह (दारू गोडाउन) का संचालन किया जा रहा था । (ग) प्रश्नांश (ख) में उल्लेखित भण्डारण गृह का उपयोग आबकारी विभाग द्वारा 04 (चार)

वृत्त कार्यालयों का संचालन/वृत्तों के जप्त मुददेमाल का संग्रहण एवं जिला कार्यालय के अभिलेखों के संधारण में किया जा रहा है ।

अटल ज्यौंति योजना के विद्युत ट्रांसफामर्स में खराबी

184. (क्र. 4234) पं. रमेश दुबे : क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छिन्दवाड़ा जिले में फीडर विभक्तिकरण योजनान्तर्गत कुल कितने विद्युत वितरण ट्रांसफार्मर कितनी-कितनी क्षमता के क्रय किये गये है ? विद्युत वितरण ट्रांसफार्मर्स के गुणवत्ता का मानक स्तर क्या है ? क्या उक्त योजना के तहत् क्रय किये गये विद्युत वितरण ट्रांसफार्मर्स उच्चगुणवतता के मानक स्तर का है ? (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित योजनान्तर्गत कुल कितने ट्रांसफार्मर स्थापित किये गये क्षमतावार बतायें ? (ग) प्रश्नांश (ख) के प्रकाश में स्थापित किये गये उक्त विद्युत वितरण ट्रांसफार्मर्स में से कितने वितरण ट्रांसफार्मर्स जले अथवा खराब हो गये, जानकारी दें ? क्या जले और खराब विद्युत वितरण ट्रांसफार्मर्स को बदला गया है यदि नहीं तो क्यों ? (घ) क्या फीडर विभाक्तिकरण योजनान्तर्गत छिन्दवाड़ा जिले में स्थापित किये गये उक्त विद्युत ट्रांसफार्मर्स उच्च गुणवत्ता के मानक स्तर का नहीं होने से भारी संख्या में जल गये अथवा खराब हो गये है जिसको बदला नहीं गया है जिसके चलते नागरिकों को उसका लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा है ? यदि हाँ तो इसके लिए कौन लोग जिम्मेदार है ? क्या शासन प्रश्नकर्ता की उपस्थिति में उक्त पूरे मामलें की जांच करवाकर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही का आदेश देगा यदि नहीं तो क्यों ?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) छिन्दवाड़ा जिले में फीडर विभक्तिकरण योजनांतर्गत केवल 25 के.व्ही.ए. क्षमता के 3257 विद्युत ट्रांसफार्मर टर्न-की आधार पर स्थापित कराये जाने हेतु कार्यादेश जारी किये गये हैं तथा टर्न-की ठेकेदारों द्वारा रजिस्टर्ड प्रदायकर्ताओं से निर्धारित मानकों के अनुरूप ट्रांसफार्मर क्रय किये गये हैं । इन विद्युत ट्रांसफार्मरों की गुणवत्ता इंडियन स्टैण्डर्ड स्पेसिफिकेशन 2026 एवं 1180 के अनुसार है । जी हाँ, क्रय किये गये वितरण ट्रांसफार्मरों की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप है । (ख) प्रश्नाधीन योजनान्तर्गत दिनांक 31.01.2015 तक 25 के.व्ही.ए. क्षमता के 2092 ट्रांसफार्मर स्थापित किए गए हैं । (ग) उत्तरांश (ख) अनुसार स्थापित किये गये 2092 वितरण ट्रांसफार्मरों में से दिनांक 31.01.2015 तक 74 वितरण ट्रांसफार्मर जले/खराब हुए हैं । उक्त सभी जले/खराब वितरण ट्रांसफार्मरों को बदल दिया गया है । (घ) प्रश्नाधीन योजनान्तर्गत निर्धारित मानकों के अनुरूप ही वितरण ट्रांसफार्मर स्थापित किए गए हैं । उत्तरांश 'ग' में दर्शाए अनुसार फेल हुए सभी 74 ट्रांसफार्मर गारंटी पीरियड में होने के कारण टर्न-की ठेकेदार द्वारा नि:शुल्क बदल दिये गये हैं । उल्लेखनीय है कि विगत 3 वर्षों में उक्त योजनान्तर्गत लगाए गए ट्रांसफार्मरों के फेल होने की दर मात्र 3.54 प्रतिशत रही है जो सामान्य दर से कम है । उक्त परिप्रेक्ष्य में किसी के जिम्मेदार होने या कोई जाँच कराए जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

बघोली जलाशय निर्माण कार्य की स्थिति

185. (क्र. 4260) श्री चन्द्रशेखर देशमुख : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधान सभा क्षेत्र मुलताई जिला बैतूल के अंतर्गत बघोली जलाशय का निर्माण कार्य किया जा रहा है जिसकी स्वीकृति राशि कितनी है ? (ख) बघोली जलाशय की बायी स्पिल चैनल एवं फ्लेशबार का निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया था उस पर भू-अर्जन एवं निर्माण पर कितना व्यय किया गया एवं किन-किन अधिकारियों के मार्ग दर्शन में बायी साईड के स्पिल चैनल एवं फ्लेशबार का निर्माण किया गया उपयंत्री/अनुविभागीय अधिकारी, कार्यपालन यंत्री का नाम दिया जावें ? (ग) क्या उक्त जलाशय की बायी साईड के स्पिल का निर्माण कार्य निष्फल श्रेणी में आता है एवं शासन द्वारा किया गया व्यय व्यर्थ माना जावें ? यदि हाँ, तो जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारियों पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि कार्यवाही नहीं की गई तो कब तक की जावेगी ? (घ) उक्त जलशय पर दायी तरफ की स्पिल चैनल एवं फ्लेशबार का निर्माण कार्य किया जा रहा है क्या तकनीकी मापदण्डों के तहत उपयुक्त है और उसका क्या प्रयोजन है ? (ड.) बघोली जलाशय निर्माण कार्य की बांडिया खापा नहर पर कितना व्यय किया गया है एवं उक्त व्यय किस मद से किया गया है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) जी हाँ । बघोली जलाशय की प्रशाकीय स्वीकृति दिनांक 04-05-2011 को रूपये 786.42 लाख की दी गयी है । (ख) स्पिल चैनल एवं फ्लशबार का निर्माण नहीं किया गया है । भू-अर्जन पर रूपये 33.04 लाख का व्यय किया गया है । निर्माण नहीं किए जाने से प्रश्नांश उत्पन्न नहीं होता है । (ग) बघोली जलाशय के वांयी तट पर भू-अर्जन में किया गया व्यय रूपये 33.04 लाख अनावश्यक होने के संबंध में एक माह में जाँच हेतु मुख्य अभियन्ता, होशंगाबाद को निर्देशित किया गया है । जाँच पूर्ण होने तक किसी अधिकारी की जिम्मेदारी नियत करना संभव नहीं है । (घ) जी हाँ । जी हाँ । अतिशेष जल की निकासी । (ड.) निरंक । प्रश्नांश उत्पन्न नहीं होता है ।

पारसडोह जलाशय का सर्वे एवं निर्माण

186. (क्र. 4261) श्री चन्द्रशेखर देशमुख : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधान सभा क्षेत्र मुलताई बैतूल के अंतर्गत पारसडोह जलाशय का सर्वे कार्य किया जा रहा है ? उक्त सर्वे कार्य हेतु शासन से कितनी राशि प्राप्त हुई है एवं उसके विरूद्ध कितना व्यय कर दिया गया है ? (ख) उक्त सर्वे का कार्य किस निर्माण एजेंसी द्वारा कराया गया है और क्यों ? क्या विभागीय तकनीकी अधिकारी उपलब्ध नहीं थे यदि नहीं तो पदस्थ तकनीकी अधिकारियों द्वारा (उनके द्वारा) उक्त समयावधि में कौन सा निर्माण कार्य करवाया गया है ? (ग) विभाग द्वारा तकनीकी अमला उपयंत्री/अधिकारियों के उपलब्ध होते हुए अन्य निर्माण एजेंसी द्वारा सर्वे कार्य किस अधिकारियों के आदेश के तहत कर शासन की

राशि का दुरूपयोग किया गया है और जिम्मेदार मानते हुए उन पर क्या कार्यवाही की गई है ? (घ) उक्त निर्माण कार्य की स्वीकृति के पश्चात् कितने गांवों का विस्थापन होगा एवं विस्थापन पश्चात् कितने हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी, तथा बिना गांव विस्थापित कितने हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी, विस्थापन पश्चात् विस्थापित ग्रामीणों के पुनर्वास हेतु शासन की क्या योजना होगी ?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) पारसडोह मध्यम सिंचाई परियोजना के सर्वेक्षण की प्रशासकीय स्वीकृति राशि रूपये 35.56 लाख के विरूद्ध सर्वेक्षण एवं अनुसंधान पर रूपये 20.98 लाख व्यय हुआ है । (ख) एवं (ग) सर्वेक्षण कार्य की एजेंसी मेसर्स फॉरसाइट सर्वेयिंग एण्ड कंपनी, बिलासपुर एवं अनुसंधान कार्य की एजेंसी मेसर्स पारशन ओवरसेस प्रा.लि. नई दिल्ली है । विभाग में वृहद एवं मध्यम परियोजनाओं का सर्वेक्षण एवं अनुसंधान विभागीय रूप से करने की व्यवस्था नहीं होकर ठेके पर कराने की व्यवस्था है । प्रश्नाधीन विभागीयअधिकारियों को आवंटित निर्माण कार्यो की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है । शेष प्रश्नांश उत्पन्न नहीं होते हैं । (घ) परियोजना प्रस्ताव की स्वीकृति की स्थिति नहीं आई होने से विस्थापन, पुनर्वास एवं सैच्य क्षेत्र की जानकारी दी जाना संभव नहीं है ।

परिशिष्ट - "तैंतालीस"

वर्ष 2006 में खदानों का आरक्षण

187. (क्र. 4289) श्री हेमन्त विजय खण्डेलवाल : क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या वर्ष 2006 में सड़क निर्माण हेतु नर्मदा पुरम संभाग के अंतर्गत गौण खनिज की खदान आरक्षित की गई है ? यदि हाँ तो पत्र क्रमांक, दिनांक, सहित जिलानुसार कौन-कौन सी गौण खनिज खदान का आरक्षण किया गया है ? (ख) क्या बैतूल जिले में सड़क निर्माण हेतु रेत खदानों का भी आरक्षण किया गया है ? यदि हाँ तो कौन-कौन सी खदानों का कब-कब आरक्षण किया गया है ? यदि नहीं तो इसके क्या कारण है ? अन्य शासकीय एवं ग्रामीण विकास निर्माण कार्यों के लिए संभाग के किस जिले में प्रश्नांकित दिनांक तक कितनी खदानों का आरक्षण किया गया यदि नहीं तो कारण बतायें ? (ग) गौण खनिजों की खदानों के आरक्षण हेतु म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 234 के तहत बनाए जाने वाले निस्तार पत्रक में क्या-क्या व्यवस्था की गई है उसमें किन-किन गौण खनिजों के आरक्षण का प्रावधान है ? (घ) शासकीय एवं ग्रामीण विकास निर्माण कार्यों के लिए गौण खनिज की खदानों के आरक्षण के संबंध में शासन क्या कार्यवाही कर रहा है ? कब तक खदान आरक्षण के आदेश / निर्देश जारी कर दिए जावेगें ?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है ।

मैहर विधान सभा क्षेत्र में सिंचाई सुविधाओं के संबंध में

188. (क्र. 4301) श्री नारायण त्रिपाठी : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मैहर विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत वर्तमान में कितना कृषि रकबा शासकीय स्त्रोतों से सिंचित है ? यह क्षेत्र की कुल कृषि भूमि का कितने प्रतिशत है ? विगत 3 वर्षों में क्षेत्र में सिंचाई सुविधाओं में कितनी वृद्धि दर्ज की गई है ? (ख) विगत 3 वर्षों में मैहर विधानसभा क्षेत्र में सिंचाई क्षेत्र बढ़ाये जाने हेतु विभाग द्वारा कितने तालाबों, लघु, मध्यम परियोजनाओं के प्रस्ताव तैयार किये ? इनमें से राज्य शासन द्वारा किन-किन प्रस्तावों पर सर्वे आदि कराया ? कौन-कौन सी योजनायें साध्य पाई गई और किस-किस प्रस्ताव को किस कारण अमान्य/निरस्त किया गया ? कौन-कौन सी योजनाओं के प्रस्ताव विभाग में किस-किस स्तर पर लम्बित है और क्यों ? (ग) क्या मैहर विधानसभा क्षेत्र में लघु और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं हेतु उपयुक्त स्थल होने के बावजूद भी विभाग द्वारा सर्वे कार्य और योजनायें तैयार नहीं की जा रही है ? क्यों ? कब तक क्षेत्र में सिंचाई रकबा बढ़ाने की योजनायें तैयार की जावेगी ?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) मैहर विधान सभा क्षेत्र में जल संसाधन विभाग की 12 लघु सिंचाई परियोजनाएं है जिनकी रूपांकित रबी सिंचाई क्षमता 2, 543 हेक्टर है । विभाग की सिंचाई परियोजनाओं के अलावा अन्य विभाग की परियोजनाओं और निजी साधनों से भी सिंचाई होती है । विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र की कुल कृषि भूमि में से सिंचित भूमि और विधानसभा क्षेत्र में वर्षवार सिंचाई क्षमता में वृद्धि की जानकारी संधारित नहीं की जाती है । (ख) प्रश्नाधीन अवधि में मैहर विधान सभा क्षेत्र में नरवार परियोजना का निर्माण कराया गया । 3 परियोजनाएं क्रमंश: कुडवा, वराखुर्द एवं घोरवई लागत अधिक होने से वित्तीय मापदण्डों पर असाध्य पाई गई । स्वीकृति हेतु कोई परियोजना प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है । (ग) नर्मदा घाटी विकास विभाग की निर्माणाधीन बरगी व्यपवर्तन नहर से मैहर विधान सभा क्षेत्र के 140 ग्रामों की 25 हजार हेक्टर से अधिक भूमि सिंचित होना संभावित है । अत: शेष प्रश्नांश उत्पन्न नहीं होते है ।

बरगी व्यपवर्तन योजना में नहरों का कार्य व भूअर्जन

189. (क्र. 4302) श्री नारायण त्रिपाठी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बरगी व्यपवर्तन योजना अन्तर्गत सतना व रीवा जिले में नहरों व शाखाओं का निर्माण कितनी लागत से कहाँ-कहाँ किया जाना है ? इस हेतु कितनी भूमि का भूअर्जन किया जाना है ? उक्त नहरों व शाखाओं का निर्माण कार्य कब पूर्ण किया जाना है ? (ख) क्या मुख्य नहर हेतु सुरंग का निर्माण स्लीमनाबाद के समीप किया जा रहा है ? यह कार्य कितने प्रतिशत पूर्ण हो चुका है ? शेष कार्य कब तक पूर्ण होने की संभावना है ? (ग) योजनान्तर्गत रीवा एवं सतना जिलों के कृषकों को कब तक सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराया जाना संभावित है ? (घ) क्या सतना व रीवा जिलों के जिन कृषकों की भूमि नहर व शाखाओं के निर्माण हेतु अधिग्रहित की

जा रही है/प्रस्तावित है ? क्या उन्हें निर्माण पूर्ण होने के समय की बढ़ी हुई दरों से मुआवजा दिया जावेगा, नहीं तो क्यों ? वर्तमान में किस आधार पर मुआवजा निर्धारित किया जा रहा है ?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) बरगी व्यपवर्तन परियोजना (बांयी तट नहर) के अंतर्गत रीवा एवं सतना जिलों में 197.443 कि.मी. लंबी मुख्य नहर 131.40 कि.मी. लंबी सतना शाखा नहर एवं 39.325 कि.मी. लंबी रीवा शाखा नहर का निर्माण रूपये 1692.112 करोड लागत से किया जा रहा है । इस हेतु लगभग 7185.024 हेक्ट. भूमि का अर्जन किया जाना है । उक्त नहरों एवं शाखाओं का निर्माण कार्य वर्ष मार्च 2017 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है । (ख) जी हाँ यह कार्य 11.49 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है । शेष कार्य 31 मार्च 2017 तक पूर्ण होने की संभावना है । (ग) सिंचाई सुविधा कार्य पूर्ण होने पर उपलब्ध कराई जायेगी । (घ) दिनांक 01/01/2014 के पश्चात् से मुआवजे का निर्धारण नवीन भू-अर्जन अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया अनुसार किया जाता है । सभी कृषकों को नवीन भू-अर्जन अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित तिथि एवं मुआवजा निर्धारण के मापदंडों के अनुसार मुआवजा दिए जाएगा । वर्तमान में भी इसी अधिनियम के अनुसार दिनांक 01/01/2014 के पश्चात् से कार्यवाही की जा रही है । क्योंकि पूर्व का अधिनियम रिपील हो गया है ।

रिक्तियों की गणना कर पदोन्नति

190. (क्र. 4328) श्री मनोज निर्भय सिंह पटेल : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या म.प्र.शासन सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्र./सी.3.2/2013/1/3 दिनांक 20.02.2013 में म.प्र. के समस्त विभागो के संवर्गो में दिनांक 01 जनवरी से 08 दिसम्बर तक रिक्तियों की गणना कर जनवरी में पदोन्नति समिति की बैठक कर फरवरी माह तक कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिये गये थे ? (ख) क्या वित्त विभाग में म.प्र.अधिनस्थ लेखा सेवा एवं अन्य सभी संवर्गो में पदोन्नति की कार्यवाही जो माह फरवरी 14 में पूर्ण होना थी कार्यवाही पूर्ण की गई

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) एवं (ख) जी हाँ ।

कार्यालयों के लिए किराये का भुगतान

191. (क्र. 4329) श्री मनोज निर्भय सिंह पटेल : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) इन्दौर जिले में वाणिज्यकर विभाग कार्यालयों के लिए प्रतिवर्ष कितने किराये का भुगतान करता है ? वर्ष 2013 एवं 2014 की जानकारी उपलब्ध करायें ? (ख) इन्दौर जिले में स्वयं के स्वामित्व के कितने भवन कार्यालय के उपलब्ध है, तथा किराये के कितने भवन उपयोग कर रहे है ? (ग) वाणिज्य कर विभाग के पास इन्दौर जिले में स्वयं के

आधिपत्य में कितनी भूमि कहाँ-कहाँ उपलब्ध है खसरा नंबर सहित जानकारी उपलब्ध करायें ? (घ) यदि वाणिज्य कर विभाग के पास स्वयं की भूमि है तो कार्यालय के लिए भवन निर्माण क्यों नहीं किया जा रहा है ? भवन निर्माण नहीं करने के क्या कारण है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) इन्दौर जिले में वाणिज्यिक कर विभाग के कार्यालयों के लिये प्रतिवर्ष किराये का भुगतान **संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-'ए' अनुसार** किया गया है । (ख) इन्दौर जिले में वाणिज्यिक कर विभाग अन्तर्गत आयुक्त, वाणिज्यिक कर कार्यालय, परिक्षेत्रीय अपर आयुक्त इन्दौर-1, संभागीय उपायुक्त वाणिज्यिक कर इंदौर संभाग-2 इन्दौर वृत्त-5, वृत्तिकर कार्यालय-3, आबकारी आयुक्त के अधीन 10 भवन/कार्यालय उपलब्ध हैं, महानिरीक्षक पंजीयन के इन्दोर जिले में 05 कार्यालय शासकीय भवन में संचालित है । आयुक्त वाणिज्यिक कर द्वारा कुछ कार्यालय किराये के दो बहुमंजिला भवन में, आबकारी विभाग द्वारा किराये का 01 भवन तथा महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक द्वारा 03 कार्यालय किराये के भवन में लगते हैं । (ग) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-'ब' अनुसार** है । (घ) महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक को आवंटित की गई भूमि पर भवन निर्माण की प्रक्रिया प्रगति पर है । साथ ही आयुक्त, वाणिज्यिक कर को ग्राम पिपल्याहाना एवं मुडलानायता इन्दौर स्थित भूमि पर संयुक्त वाणिज्यिक कर कार्यालय तथा वाणिज्यिक कर ट्रेनिंग कॉलेज/छात्रावास भवन निर्माण हेतु आवंटित भूमि पर निर्माण हेतु प्रस्ताव वित्तीय व्यय समिति के अनुमोदन हेतु प्रेषित किया गया है ।

<u>परिशिष्ट - ''चौवालीस''</u>

किसानों को अधिक हार्सपावर के बिलों का प्रदाय

192. (क्र. 4338) श्री विजयपाल सिंह : क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र.वि.वि.क.लि. होशंगाबाद द्वारा विकासखंड बाबई में माह अक्टूबर 2014 से प्रश्न दिनांक तक कृषि पंप हेतु कितने किसानों को कब-कब, कितने-कितने एचपी के कनेक्शन प्रदान किये गये किसानों के नाम एवं ग्राम सहित पृथक-पृथक बतायें ? (ख) क्या प्रश्नांश अवधि में जिन किसानों का 2 एचपी का कनेक्शन है उन्हें 5 एच.पी. 5 एच.पी. कनेक्शन वालों को 8 एच.पी. कनेक्शन का विसंगतिपूर्ण बिल दिया जा रहा है ? यदि हाँ तो इसके लिये कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी जिम्मेदार हैं ? कनेक्शन नियमों की प्रति देते हुये बतायें जिम्मेदार अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जावेगी ? (ग) प्रश्नांश (ख) में दिये गये विसंगतिपूर्ण बिलों को कब तक दुरूस्त कर सही बिल प्रदान किये जायेगें, एवं जिन किसानों द्वारा विसंगतिपूर्ण बिलों का भुगतान कर दिया गया है उनकी राशि को कब तक समायोजित कर दिया जायेगा ?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) म.प्र.म.क्षे. वि.वि.कं. लिमिटेड के क्षेत्रान्तर्गत होशंगाबाद जिले के विकासखण्ड बाबई में माह अक्टूबर 2014 से प्रश्न दिनांक तक तीन

एच.पी. के 39, पांच एच.पी. के 267, छः एच.पी. के 06, साढ़े सात एच.पी. के 53 एवं आठ एच.पी. के 02 कृषि पम्पों हेतु कुल 367 कनेक्शन दिये गये है, जिसकी कनेक्शन दिनांक एवं कनेक्शन के संबद्ध भार सहित उपभोक्ता के नामवार एवं ग्रामवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है । (ख) जी, नहीं अत: प्रश्न नहीं उठता । (ग) विसंगतिपूर्ण बिल जारी नहीं किये गये हैं, अत: बिल राशि के समायोजन की आवश्यकता नहीं है ।

जबलपुर को पर्यटन हब बनाने हेतु राशि आवंटन

193. (क्र. 4747) श्री अंचल सोनकर : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जबलपुर को पर्यटन हब बनाने हेतु केन्द्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय नई दिल्ली ने कब कितनी राशि स्वीकृत की है एवं कब, कितनी राशि आवंटित की है ? विवरण दें ? योजना की कार्यवधि क्या है ? (ख) प्रश्नांकित प्रोजेक्ट में चिंहित किन-किन स्थलों में कितनी-कितनी राशि के कौन-कौन से विकास कार्य कराना स्वीकृत/ प्रस्तावित है ? प्रोजेक्ट के लिए कब, किसे एजेंसी बनाया गया है, बनाई एजेंसी ने कब, कहाँ-कहाँ पर, कितनी-कितनी राशि के कौन-कौन से विकास कार्य कराये है तथा कौन-कौन से विकास कार्य कब से अपूर्ण अथवा अप्रारंभ है क्यों ? कारण दें ? इन विकास कार्यों पर अभी तक कुल कितनी राशि व्यय हुई है ? कार्यवार विवरण दें ? (ग) प्रश्नांश (क) में प्रस्तावित लेजर शो. एक्टीविटी, भेडाघाट में लाइट एण्ड सांउड शो, बरगी में एडवेंचर स्पोर्टस के विकास पर कितनी-कितनी राशि व्यय हुई है, तथा कौन-कौन सा कितना-कितना कार्य कब से शेष है क्यों ? कारण बतावें ? उक्त कार्य कब, किस एजेंसी ने कराया ? एजेंसी को किन-किन कार्यों से संबंधित कितनी राशि का भुगतान किया गया है ?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है.

अतारांकित प्रश्नोत्तर

अविद्युतीकृत ग्रामों, टोला, मजरों में विद्युतीकरण

1. (क्र. 155) श्री मोती कश्यप : क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सत्य है कि वि.स.क्षे. बड़वारा के किन्हीं विकासखण्डों के गौरी, कारोपानी, शिवराजपुर, खैरानी, कोकोडबरा, धीरपुर, अमसडांड, भदनपुर, नवलिया आदि विद्युतविहीन ग्रामों में जनवरी 2015 तक विद्युतीकरण नहीं किया गया है ? (ख) क्या प्रश्नकर्ता के द्वारा रा.गा.ग्रा.वि.मि. के अंतर्गत वर्ष 2010 से 2014 में किन्हीं पत्रों द्वारा किन्हीं ग्रामों के मजरे, टोले एवं बस्तियों में विद्युतीकरण प्रस्तावित किये गये हैं और क्या उनमें कभी विद्युतीकरण कर दिया गया है ? (ग) क्या यह सत्य है कि जिला कटनी में वर्ष 2014 एवं 2015 के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में वि.वि. कम्पनी की अनापत्ति आवश्यक बनायी गई है और किन विद्युतविहीन ग्राम, मजरे, टोले एवं बस्ती से संबंधित वार्डों के चुनाव लड़ने के इच्छुकों को अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं दिया गया है, तथा उन्हें ही दिया गया है, जिनसे कनेक्शन हेतु राशि जमा करायी गई है ? (घ) प्रश्नांश (क), (ख), (ग) ग्रामों, मजरों, टोलों एवं बस्तियों में कब तक विद्युतीकरण करा दिया जावेगा और क्या निर्धारित लक्ष्य अवधि में कार्य पूर्ण न करने के दोषी अधिकारियों एवं ठेकेदारों के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी ?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) कटनी जिले के विधानसभा क्षेत्र बड़वारा के अंतर्गत ढीमरखेड़ा विकासखण्ड के ग्राम कोकोडबरा को दिनांक 31.05.2014 को विद्युतीकृत कर दिया गया है, बड़वारा विकासखण्ड का ग्राम अमराडांड पूर्व से ही विद्युतीकृत है तथा इस ग्राम में 11वीं पंचवर्षीय योजना में रा.गा.ग्रा.वि.योजना के अंतर्गत सघन विद्युतीकरण का कार्य दिनांक 22.07.10 को पूर्ण कर दिया गया है । प्रश्नांश में उललेखित शेष अविद्युतीकृत ग्राम क्रमश: कारोपानी, शिवराजपुर, खेरानी, धीरपुर एवं नवलिया वर्तमान में कटनी जिले हेतु 12 वीं पंचवर्षीय योजना में स्वीकृत रा.गा.ग्रा.वि.योजना के अंतर्गत विद्युतीकरण किये जाने हेतु सम्मिलित हैं । वर्तमान में उक्त ग्रामों सहित अन्य ग्रामों में विद्युतीकरण हेतु सर्वे का कार्य प्रगति पर है, सर्वे का कार्य पूर्ण होने पश्चात योजना के प्रावधानों के अनुसार उक्त स्वीकृत ग्रामों में विद्युतीकरण का कार्य किया जाना संभव हो सकेगा । ग्राम गौरी और भदनपुर वनबाधित ग्राम हैं तथा सौर ऊर्जा से विद्युतीकरण करने हेतु प्रस्तावित है । (ख) प्रश्नांश में उल्लेखित अवधि में माननीय प्रश्न कर्ता विधायक महोदय के प्राप्त पत्रों का ग्रामवार, मजरे-टोले एवं बस्तियों सहित विवरण **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार** है । प्राप्त पत्रों में उललेखित ग्रामों/मजरों/टोलों बस्तियों में से जिनके विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण कर दिया गया है उनका विवरण **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" अनुसार** है तथा शेष ग्रामों/मजरों/टोलों/ बस्तियों में विद्युतीकरण वर्तमान में कटनी जिले हेतु 12वीं पंचवर्षीय योजना में स्वीकृत रा.गा.ग्रा.वि.योजना के अंतर्गत शामिल कर लिया गया है जिसका विवरण **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "स" अनुसार** है । इन ग्रामों सहित समस्त स्वीकृत

ग्रामों में विद्युतीकरण के कार्यों हेतु वर्तमान में सर्वे का कार्य प्रगति है । सर्वे का कार्य पूर्ण होने के पश्चात ही विद्युतीकरण का कार्य क्रमश: पूर्ण किया जाना संभव हो सकेगा । (ग) जी हाँ, यह सत्य है कि जिला कटनी में वर्ष 2014-15 के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विद्युत वितरण कम्पनी की अनापत्ति आवश्यक की गयी हैं । कटनी जिले में सभी विद्युत विहीन ग्राम, टोले एवं बस्ती से संबंधित वार्डों के चुनाव लड़ने के इच्छुकों को जिनके विरूद्ध कोई बकाया राशि भुगतान हेतु लंबित नहीं थी, उन्हें विद्युत बिलों की बकाया राशि नहीं होने संबंधी प्रमाण पत्र जारी किया गया है । यह सही नहीं है कि कनेक्शन हेतु राशि जमा कराने के बाद ही अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं अपितु सभी आवेदकों को, जिन पर विद्युत बिल की बकाया राशि नहीं थी, को विद्युत बिल बकाया राशि नहीं होने का प्रमाण पत्र जारी किया गया है । (घ) उत्तरांश (क) में उल्लेखित राजीव गॉधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में सम्मिलित ग्रामों तथा उत्तरांश ख के तारतम्य में **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "स" में दर्शाए** शेष ग्रामों/मजरों/टोलों/ बस्तियों में से 12 वीं पंचवर्षीय योजना में स्वीकृत राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में शामिल कार्यों के लिए कार्य आदेश मे0 केबकान, कोलकाता को जारी किया जा चुका है । कार्य पूर्ण करने की अवधि प्रभावी तिथि 6.2.15 से दो वर्ष है । प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) में उल्लेखित सौर ऊर्जा से विद्युतीकरण हेतु प्रस्तावित ग्रामों के विद्युतीकरण हेतु पत्र क्रमांक 1027, दिनांक 12.2.13 के द्वारा म.प्र. ऊर्जा विकास निगम को प्रस्ताव भेजा है तथा इनके विद्युतीकरण की निश्चित समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है । उक्त परिप्रेक्ष्य में वर्तमान में किसी अधिकारी/ठेकेदार के विरूद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

<u>बिना मीटर कनेक्शन दिये बिजली देयकों की वसूली</u>

2. (क्र. 159) श्री मोती कश्यप : क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या वि.स.क्षे; बड़वारा के विकासखण्डों के कितने ग्रामों में किस प्रकार के कितने घरेलू बिजली उपभोक्ता हैं ? विवरण देवें ? (ख) क्या यह सत्य है कि सर्विस क्रमांक 445451-91-30-1941446 (सतईराम), 445451-90-8-1471919 (नंदलाल) 445451-90-5-1280170 (शंभू चौधरी) के मीटर लगाये गये हैं, जिन्हें जनवरी 2015 तक विद्युत कनेक्शन नहीं दिये जाने पर भी उन्हें किन्हीं माहों से विद्युत देयक भेजे गये हैं ? विवरण देवें ? (ग) क्या प्रश्नांगत क्षेत्र के ग्रामों में ऐसे किन लोगों को बिजली देयक भेजे गये हैं, जिन्होंने कभी विद्युत कनेक्शन के लिये आवेदन नहीं किया है ? विवरण देवें ? (घ) प्रश्नांश (क), (ख), (ग) के किन देयकों में किस प्रकार का सुधार किया है और कितनी राहत प्रदान की गयी है ? विवरण देवें ? (ड.) क्या प्रश्नांश (क) से (ग) की अनियमितताओं के लिये कोई अधिकारी एवं कर्मचारी उत्तरदायी है और उनके विरूद्ध किनसे जांच करायी जाने पर क्या पाया गया है और क्या किन्हीं पर कोई कार्यवाही की गई है ? विवरण देवें ?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) कटनी जिले के विधानसभा क्षेत्र बड़वारा के

विकासखण्डों में ग्रामों की संख्या एवं उनमें घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं की श्रेणीवार संख्या निम्नानुसार है :-

क्रमांक	विकासखण्ड	ग्रामों की संख्या	घरेलू उपभोक्ताओं की संख्या		
			गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति एवं जनजाति के उपभोक्ता	अन्य	योग
1	बड़वारा	103	3434	4551	7985
2	ढीमरखेड़ा	189	6935	12082	19017
3	कटनी	37	1234	1635	2869
योग		**329**	**11603**	**18268**	**29871**

(ख) ग्राम बांध के प्रश्नाधीन सर्विस क्रमांकों में मीटर लगाये जाने का विवरण निम्नानुसार है :-

क्रमांक	उपभोक्ता का नाम	ग्राम	सर्विस क्रमांक	कनेक्शन का दिनांक	मीटर स्थापना का दिनांक
1	श्री सतई राम	बांध	445451-91-30-1941446	08.01.2012	08.01.12
2	श्री नंदलाल	बांध	445451-90-8-1471909	11.04.2007	अनमीटर्ड
3	श्री शम्भू चौधरी	बांध	445451-90-5-1280170	02.12.2010	01.01.15

श्री सतई राम एवं श्री शम्भू चौधरी के मीटरयुक्त घरेलू कनेक्शन हैं एवं श्री नंदलाल का अनमीटर्ड कनेक्शन है । उपरोक्त तीनों उपभोक्ताओं को नियमानुसार प्रतिमाह विद्युत देयक भेजे जा रहे हैं एवं श्री सतई राम तथा श्री नंदलाल द्वारा नियमित रूप से देयकों का भुगतान किया जा रहा है । श्री शम्भू चौधरी द्वारा भुगतान नहीं किये जाने के कारण दिनांक 15.02.2015 को नियमानुसार संयोजन विच्छेदित कर दिया गया है । (ग) कटनी जिले में ऐसे किसी भी व्यक्ति को विद्युत देयक प्रदान नहीं किया गया है, जिसने कभी विद्युत कनेक्शन हेतु आवेदन नहीं किया है । (घ) उत्तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में विद्युत देयकों संबंधी 481 आवेदन प्राप्त हुए जिनमें से 257 त्रुटिपूर्ण देयकों में नियमानुसार, मीटर रीडिंग त्रुटि बिलिंग प्रणाली में डाटा पंचिंग में त्रुटि, त्रुटिपूर्ण आंकलन इत्यादि कारणों से बिल सुधार किया गया अन्य कोई राहत प्रदान नहीं की गई । उत्तरांश (ख) एवं (ग) के परिप्रेक्ष्य में इस संबंध में

कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ । (ड.) उत्तरांश (क), (ख) एवं (ग) के परिप्रेक्ष्य में नियमानुसार कार्यवाही की गई है, अत: किसी के उत्तरदायी होने, जाँच कराए जाने एवं कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

<u>बाणसागर के विस्थापितों की बस्तियों का विकास</u>

3. (क्र. 165) श्री मोती कश्यप : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या बाणसागर के तटवर्ती जिला कटनी के किन ग्रामों के कितने परिवारों का विस्थापन किया गया है ? विवरण देवें ? (ख) क्या प्रश्नांश (क) के किन विस्थापितों को वि.स.क्षे. बड़वारा के किन विकासखण्डों के किन ग्रामों में किस निमित्त कितनी भूमि आवंटित की गई है ? विवरण देवें ? (ग) प्रश्नांश (ख) बस्तियों में विस्थापितों की संख्या क्या है और उनमें विभाग द्वारा सड़क, पानी, बिजली, शिक्षा एवं स्वास्थ्य संबंधी कौन सी मूलभूत सुविधायें कितनी लागत की उपलब्ध करायी गयी है ? विवरण देवें ? (घ) क्या विभाग किसी विशेष योजना के अधीन प्रश्नांश (ख), (ग) में मूलभूत सुविधायें उपलब्ध करायेगा ?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है । (ख) से (घ) विधान सभा क्षेत्र बड़वारा के अंतर्गत भूमि आवंटित नहीं की गई है । शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होते है ।

<u>परिशिष्ट – "पैंतालीस"</u>

<u>भेड़ाघाट के संगमर्मरीय पर्यटन क्षेत्र का विकास</u>

4. (क्र. 205) श्री मोती कश्यप : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जबलपुर मुख्यालय स्थित भेड़ाघाट पर्यटनीय केंद्र है उसकी राष्ट्रीय व अंतराष्ट्रीय स्थिति क्या है ? (ख) प्रश्नांश (क) क्षेत्र में किन नदियों का संगम है और उनके उद्गम स्थानों में अतिक्रमण और भू-संरचनाओं के कारण परिवर्तन हो गया है, जिससे उनके जल प्रवाह में अवरोध उत्पन्न हो गया है ? (ग) क्या प्रश्नांश (क), (ख) क्षेत्र में किसी नदी के परिमाण के बेग और जल स्तर से सतत् कोई परिवर्तन हो रहा है जो पर्यटनीय सौंदर्य को लुप्त करेगा ? (घ) क्या प्रश्नांश (ख), (ग) में जल प्रपात और बंदर कूदनी का क्षेत्र है ? (ड.) क्या प्रश्नांश (क), (ख), (ग) के स्वरूप को यथावत बनाये रखने एवं प्रवाहहीन नदी के भाग को सतत प्रवाहित बनाने व झरण तथा विकास हेतु विशेषज्ञों से कोई योजना बनवायी जाकर विकास कराया जावेगा ?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) से (ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है.

<u>चिखला जलाशय की मरम्मत</u>

5. (क्र. 438) कुंवर सौरभ सिंह : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सच है कि बहोरीबंद विधानसभा क्षेत्रांतर्गत रीठी के अंतर्गत चिखला जलाशय का शिपेज (ग्राउडिंग) कार्य का प्रकरण स्वीकृत हेतु भेजा गया है ? (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार

यदि भेजा गया है, तो उक्त जलाशय का शिपेज (ग्राउडिंग का कार्य) कब तक कराया जायेगा ?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) जी हाँ, विशेष मरम्मत का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है । (ख) विशेष मरम्मत का प्रस्ताव भू-गर्भीय अन्वेषण के बिना तैयार किया होने से स्वीकृति योग्य नहीं पाया गया है ।

बहोरीबंद वि.स. क्षेत्र में स्वीकृत जलाशयों का निर्माण

6. (क्र. 439) कुंवर सौरभ सिंह : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बहोरीबंद विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत रीठी जनपद पंचायत के अंतर्गत 1. विरूहली जलाशय 2. धरमपुरा जलाशय 3. नयाखेड़ा जलाशय 4. भेड़ा जलाशय 5. कैथाटोला जलाशय के कार्य कब से स्वीकृत है ? (ख) प्रश्नांक (क) के अनुसार यदि स्वीकृत हैं, तो कब तक कार्य प्रारंभ कराये जायेंगे और कब तक पूर्ण कराये जायेंगे, जिससे कृषकों को सिंचाई का लाभ मिल सके ?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) प्रश्नाधीन क्षेत्र में विरूहली परियोजना की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति दिनांक 17-07-2013 को रूपये 192.17 लाख की ओर धरमपुरा परियोजना की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति दिनांक 28-02-2013 को रूपये 646.80 लाख की प्रदाय की गई है । शेष परियोजनाएं स्वीकृत नहीं हैं । (ख) स्वीकृत दोनों परियोजनाओं से वन भूमि प्रभावित है । वन भूमि के उपयोग की अनुमति और भू-अर्जन की अनिश्चता के कारण कार्य प्रारंभ करने व पूर्ण करने के लिए समय-सीमा नियत करना संभव नहीं है ।

जिला श्योपुर में स्वीकृत विद्युत उपकेन्द्रों का निर्माण

7. (क्र. 767) श्री रामनिवास रावत : क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जनवरी 2015 की स्थिति में जिला श्योपुर अंतर्गत कितनी-कितनी क्षमता एवं लागत के विद्युत उपकेन्द्र, किस-किस स्थान पर निर्माणधीन है एवं भविष्य में निर्माण हेतु प्रस्तावित है ? निर्माणाधीन विद्युत उपकेन्द्र कब-कब स्वीकृत किए गए एवं निर्माण पूर्ण किए जाने हेतु क्या समय सीमा निर्धारित की थी ? इनके निर्माण की वर्तमान भौतिक स्थिति क्या है ? क्या-क्या कार्य शेष है ? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार निर्माणाधीन विद्युत उपकेन्द्रों का निर्माण समय सीमा में पूर्ण न होने के लिए कौन दोषी है ? निर्माण में विलंब के लिए दोषियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है ? शेष कार्य कब तक पूर्ण कराकर लोकार्पित कर दिए जावेंगे ? प्रस्तावित विद्युत उपकेन्द्रों की प्रशासकीय स्वीकृति कब तक जारी कर निर्माण कार्य कब तक प्रारंभ करा दिया जावेगा ? (ग) क्या तहसील वीरपुर के ग्राम रघुनाथपुर में स्वीकृत 33/11 के.व्ही. विद्युत उपकेन्द्र का निर्माण मार्च 2012 में पूर्ण होना था जो अभी तक नहीं हुआ ? उक्त उपकेन्द्र का निर्माण कार्य कब तक पूर्ण करा दिया जावेगा ?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) जनवरी 2015 की स्थिति में श्योपुर जिले के अन्तर्गत निर्माणधीन/प्रस्तावित 33/11 के.व्ही. एवं 132/33 के.व्ही.विद्युत उपकेन्द्रों की प्रश्नाधीन चाही गई **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है । (ख) उत्तरांश (क) अनुसार निर्माणधीन विद्युत उपकेन्द्रों के कार्य में विलंब ठेकेदार एजेंसी द्वारा समय पर सामग्री/लेबर की व्यवस्था नहीं कर पाने, विद्युत उपकेन्द्र का स्थल परिवर्तन होने, स्थानीय कारणों से व्यवधान/ न्यायालयीन प्रकरण आदि विभिन्न कारणों से हुआ है । ठेकेदार एजेंसी द्वारा विलंब किये जाने पर नियमानुसार पेनल्टी की राशि वसूली जा रही हैं । शेष कार्यों की पूर्ण होने की संभावित तिथि की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है । **संलग्न परिशिष्ट में दर्शाए अनुसार** स्वीकृति उपरांत प्रस्तावित विद्युत उपकेन्द्रों के कार्य हेतु निविदा कार्यवाही प्रक्रियाधीन है तथा कार्यादेश जारी होने के उपरांत निर्माण कार्य प्रारंभ किए जा सकेंगे । (ग) प्रश्नाधीन विद्युत उपकेन्द्र का कार्य दिसंबर 2012 में पूर्ण होना था, किन्तु ठेकेदार एजेंसी मेसर्स रेमके इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा समय-समय पर आवश्यक सामग्री/लेबर आदि की व्यवस्था न कर पाने के कारण कार्य में विलंब हुआ है । उक्त विद्युत उपकेन्द्र का कार्य दिनांक 30.04.2015 तक पूर्ण होना संभावित है ।

परिशिष्ट - "छियालीस"

प्रदेश में E.O.W द्वारा छापा मार कार्यवाही में जब्त की गई सम्पत्ति

8. (क्र. 768) श्री रामनिवास रावत : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दिनांक 1 अप्रैल 13 से प्रश्नांकित दिनांक तक म.प्र. के ई.ओ.डब्ल्यू एवं अन्य सरकारी संस्थाओं द्वारा ग्वालियर एवं चम्बल संभाग के किस-किस कर्मचारी/अधिकारी के यहाँ छापामार कार्यवाही कर आय से अधिक संपत्ति के प्रकरण बनाए गए, तथा कितनी-कितनी संपत्ति छापे में चिन्हित की गई ? कर्मचारी का नाम, पदस्थापना तथा विभाग सहित जानकारी दें ? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार छापामार कार्यवाही के पश्चात किस-किस अधिकारी के विरूद्ध किन-किन धाराओं के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर अभी तक क्या-क्या कार्यवाही की गई है ? तथा जब्त की गई संपत्ति का क्या किया गया है ? (ग) प्रश्नांश (क) अनुसार अधिकारी/कर्मचारी किस-किस पद पर, कहाँ-कहाँ पर कब-कब से पदस्थ थे तथा वर्तमान में कहाँ पदस्थ हैं ? विवरण दें ?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है ।

अशोक नगर जिले में मजरों, टोलों की विद्युत समस्याएँ

9. (क्र. 789) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेडा : क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पिछले 1 वर्ष में प्रश्न कर्ता द्वारा विद्युत विभाग गुना, अशोक नगर, मुंगावली को किस-किस ग्राम मजरों, टोलों की विद्युत समस्या के बारे में पत्र लिखे गये ? (ख) उन पत्रों का

विवरण ग्रामवार बताकर यह बतायें कि उन पर क्या कार्यवाही की गई व कितने गांव की विद्युत समस्या का निराकरण किया गया ? व कितने गांव की समस्याएं शेष हैं ?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) पिछले एक वर्ष में माननीय विधायक महोदय द्वारा म.प्र.मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के संभाग गुना, अशोकनगर एवं मुंगावली के ग्रामों/मजरों/टोलों की विद्युत समस्याओं के संबंध में लिखे गये पत्रों की प्रश्नाधीन चाही गई **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है । (ख) उत्तरांश ''क'' अनुसार ग्रामों/मजरों/टोलों की विद्युत समस्याओं के निराकरण के संबंध में की गई कार्यवाही का विवरण **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है ।

<u>जल संसाधन विभाग के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को निर्धारित श्रेणी में वर्गीकृत करना</u>

10. (क्र. 904) श्रीमती ममता मीना : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. के जल संसाधन विभाग द्वारा दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को क्या श्रमायुक्त के आदेश अनुसार श्रेणी में वर्गीकृत करने के आदेश दिये हैं ? यदि हाँ तो कब ? यदि नहीं तो कब तक देंगे कारण सहित विवरण दें ? (ख) क्या-जल संसाधन विभाग द्वारा कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की श्रेणी अनुसार और योग्यता के आधार पर वर्गीकृत किया है या श्रम आयुक्त के आदेश पर वर्गीकृत किया है ? (ग) क्या मुख्य अभियंता चम्बल बेतवा कछार जल संसाधन विभाग भोपाल के अधीनस्थ कार्यालयों में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को कौन सी श्रेणी में वर्गीकृत किया है ? यदि नहीं किया तो श्रमायुक्त के आदेश से कब तक करेंगे ? (घ) क्या म.प्र. में विद्युत एवं यांत्रिकी नलकूप तथा गेटस विभागों में प्रश्नांश (क) के अनुसार दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की श्रेणी वर्गीकृत कर दी है ? यदि हाँ तो बताये और यदि नहीं की गई तो कब तक वर्गीकृत कर दी जावेगी ? कारण सहित जानकारी दें ?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) जी हाँ । दिनांक 04.01.2008 तक । शेष प्रश्नांश उत्पन्न नहीं होता है । (ख) जी हाँ । श्रमायुक्त की अधिसूचना दिनांक 04.01.2008 के अनुसार वर्गीकृत किया है । (ग) मुख्य अभियंता चंबल बेतवा कछार, भोपाल के अधीनस्थ कार्यालयों में कार्यरत् दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को पदनाम के आधार पर अकुशल, अद्र्धकुशल, कुशल श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है । शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है । (घ) जी हाँ । मुख्य अभियंता, वि./याँ नलकूप तथा गेट संभागों में कार्यरत् दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की श्रेणी वर्गीकृत किया गया है । शेष प्रश्नांश उत्पन्न नहीं होता है ।

<u>विधि महाविद्यालयों का बार कौंसिल ऑफ इंडिया के अनुसार संचालन</u>

11. (क्र. 1108) श्री प्रहलाद भारती : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. के शासकीय विधि महाविद्यालयों को बार कौंसिल ऑफ इंडिया के मापदण्डों के अनुसार संचालित करने हेतु म.प्र. सरकार ने क्या कदम उठाये है ? (ख)

ग्वालियर संभाग में स्थापित कौन-कौन से महाविद्यालय में पृथक से विधि भवन बनाये जा चुके हैं व किन-किन में भवन निर्माणाधीन है व ऐसे कौन से महाविद्यालय हैं जहाँ पृथक से भवन या तो अभी नहीं बने हैं या स्वीकृत ही नहीं हुए हैं महाविद्यालय वार, जिला वार जानकारी उपलब्ध करावें ? (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार जिन महाविद्यालयों में भवन नहीं हैं वहाँ शासन द्वारा भवन निर्माण के लिये क्या कोई कार्ययोजना तैयार की जा रही है यदि हाँ, तो विवरण दें यदि नहीं तो उक्त भवन बनाये जाने हेतु क्या कार्यवाही प्रचलित है ? (घ) बार कौंसिल ऑफ इंडिया के मापदण्डों के अनुसार ग्वालियर संभाग में संचालित महाविद्यालयों में से किन-किन महाविद्यालयों को विधि महाविद्यालय के रूप में पृथक किया जा चूके है ? उक्त पृथक विधि महाविद्यालयों में पृथक से प्राचार्य पदस्थ किये जाकर उन्हें वित्तीय आहरण अधिकार दिये जा चुके हैं ? यदि हाँ, तो विवरण दें, यदि नहीं तो उक्त महाविद्यालयों को पृथक कर प्राचार्य का पदांकन विभाग द्वारा कब तक कर दिया जावेगा ?

तकनीकी शिक्षा मंत्री (श्री उमाशंकर गुप्ता) : (क) राज्य शासन के आदेश दिनांक 05.08.2013 द्वारा बार कौंसिल ऑफ़ इंडिया के मापदण्डों के अनुसार 31 महाविद्यालयों में कुल 442 पदों के निर्माण/पूर्ति की स्वीकृति प्रदान की गयी है । (ख) **जानकारी संलग्न परिशिष्टि के प्रपत्र "अ" अनुसार** है । (ग) जिन महाविद्यालयों के पास वर्तमान में भवन नहीं है उनके संबंध में बार कौंसिल ऑफ़ इंडिया के मापदण्ड अनुसार कार्यवाही की जावेगी । (घ) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" अनुसार** है, इनमें प्राचार्य पदस्थ कर चार महाविद्यालयों को वित्तीय आहरण अधिकार दिये जा चुके हैं, शेष में पदोन्नति उपरान्त प्राचार्य पदस्थ किये जायेंगे । समय-सीमा बताना संभव नहीं है ।

<u>परिशिष्ट – "सैंतालीस"</u>

निर्माणाधीन सिंचाई योजनाएं

12. (क्र. 1117) श्री प्रहलाद भारती : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पोहरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत प्रश्न दिनांक तक कौन-कौन सी सिंचाई योजनाएं, स्टॉप डेम, स्वीकृत होकर निर्माणाधीन है, एवं कितने प्राक्कलन लंबित है या प्रस्तावित है प्रत्येक योजना की अद्यतन स्थिति क्या है कार्यवार विस्तृत जानकारी उपलब्ध करावें ? (ख) निर्माणाधीन सिंचाई योजना व स्टॉप डेम निर्माण की गुणवत्ता की जांच हेतु किस-किस अधिकारी द्वारा कब-कब निरीक्षण किया गया ? यदि उक्त निरीक्षण में कोई कमी पाई गई है, तो संबंधित ठेकेदार के विरूद्ध कोई कार्यवाही की गई ? यदि हाँ, तो विवरण दें ? यदि नहीं, तो कारण स्पष्ट करें ?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-''अ'' अनुसार** है । स्वीकृति के लिए कोई परियोजना प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है । (ख) प्रश्नाधीन कार्यो की गुणवत्ता की जांच गुण नियंत्रण उपसंभाग, शिवपुरी द्वारा की गयी है जिसका विवरण **संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-''ब'' अनुसार** है । निर्माण कार्यो की गुणवत्ता का पर्यवेक्षण संबंधित

कार्यपालन यंत्री, अनुविभागीय अधिकारी एवं उपयंत्री द्वारा सतत रूप से किया जाना प्रतिवेदित है । गुणवत्ता में कमी की स्थिति नहीं होने से शेष प्रश्नांश उत्पन्न नहीं होते है ।

परिशिष्ट – "अड़तालीस"

मृत्यु या एक्सीडेंट केस में आर्थिक सहायता

13. (क्र. 1160) श्री हरदीप सिंह डंग : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) किन-किन कारणों से मृत्यु या एक्सीडेंट केस में आर्थिक सहायता सहयोग राशि प्रदान की जाती है, तथा किस-किस योजना के तहत प्रदान की जाती है ? (ख) मृत्यु तथा एक्सीडेंट पर कितनी-कितनी राशि आर्थिक सहायता सहयोग राशि के रूप में प्रदान की जाती है ? (ग) विधानसभा क्षेत्र सुवासरा में विगत 6 वर्षों से आज तक किन-किन व्यक्तियों को इस योजना का लाभ प्राप्त हुआ है ? गांव का नाम तथा व्यक्तियों का नाम बतावें ? (घ) सुवासरा विधानसभा क्षेत्र में वर्तमान में ऐसे कितने पात्र व्यक्ति हैं, जिनकी मृत्यु या एक्सीडेंट होने पर आर्थिक सहायता/सहयोग राशि प्रदान नहीं की गई है, तथा कब तक प्रदान की जावेगी ?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) राजस्व विभाग के अधीन कलेक्टरों के माध्यम से तूफान, भूकम्प, बाढ, अतिवृष्टि, ओलावृष्ठि, भूस्खलन, आकाशीय बिजली गिरने, आग दुर्घटना, पानी में डूबने, सर्पदंश, बस या अन्य पब्लिक ट्रान्सपोर्ट नदी या खड्ड में गिरने के कारण व्यक्ति की मृत्यु होने पर आर्थिक सहायता दी जाती है । मुख्यमंत्री जी के विवेकाधीन कोष से उन व्यक्तियों को आर्थिक सहायता दी जाती है जिन्हें शासन द्वारा चलाई जा रही अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त नहीं होता । सडक दुर्घटना में कलेक्टरों के माध्यम से आर्थिक सहायता दी जाती है । (ख) आपदाओं में 50, 000/-, 1, 00, 000/- एवं 1, 50, 000/- की सहायता दी जाती है । सडक दुर्घटना में मृतक के परिवार को 15, 000/- एवं गंभीर घायल को 7500/- की आर्थिक सहायता दी जाती है । (ग) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है । (घ) कोई प्रकरण लंबित नहीं है ।

खनिज उपयोग हेतु चिन्हित भूमि

14. (क्र. 1161) श्री हरदीप सिंह डंग : क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सुवासरा विधानसभा क्षेत्र में खनिज विभाग द्वारा कौन-कौन सी पंचायतें हैं, जो खनिज उपयोग हेतु चिन्हित की गई हैं ? पंचायतों के नाम बतावें ? (ख) किस पंचायत में कितनी भूमि लीज पर दे सकते हैं ? एकड़, हेक्टेयर, बीघा के मान तथा खसरा नं. बतावें ? (ग) वर्तमान में विधानसभा क्षेत्र में कितनी भूमि लीजधारी कम्पनी या व्यक्तियों को दे रखी है ? नाम एवं क्षेत्रफल अलग-अलग बतावें ? (घ) विभाग द्वारा भूमि लीज पर देने के क्या नियम हैं ? पूर्ण जानकारी देवें ?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) प्रश्नाधीन विधानसभा क्षेत्र में खनिज विभाग द्वारा खनिज उपयोग हेतु किसी ग्राम पंचायत को चिन्हित नहीं किया गया है । अत: शेष प्रश्न

उपस्थित नहीं होता । (ख) पंचायतवार भूमि लीज पर दिए जाने का खनिज नियमों में कोई प्रावधान नहीं है । अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता । (ग) प्रश्नानुसार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अ-1 तथा अ-2 में दर्शित** है । (घ) खनिजों के खनन हेतु खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957, खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन अध्यादेश 2015 तथा खनिज रियायत नियम 1960 मुख्य खनिज हेतु तथा म.प्र. गौण खनिज नियम 1996 गौण खनिज हेतु प्रभावशील है । यह समस्त अधिसूचित अधिनियम/नियम हैं ।

नवीन हवाई पट्टी के निर्माण हेतु भूमि का चयन

15. (क्र. 1221) श्री दुर्गालाल विजय : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश के समस्त जिलों में नवीन हवाई पट्टी का निर्माण कार्य कराने हेतु शासन ने निर्णय लिया है ? (ख) यदि हाँ तो उक्त निर्णय के पालन में क्या श्योपुर जिले के श्योपुर जिला प्रशासन द्वारा भूमि का चयन कर लिया गया हैं ? यदि हाँ तो कितनी भूमि का चयन किस स्थान पर किया गया बतावें ? यदि नहीं तो श्योपुर जिले के ग्राम सौंईकला के समीप उक्त निर्माण कार्य हेतु जिला प्रशासन भूमि की तलाशी करवायेगा तथा भूमि की उपलब्धता की स्थिति में उसका चयन व आवंटन की कार्यवाही करेगा ? (ग) यदि हाँ, तो उक्त भूमि के चयन/आवंटन उपरांत नवीन हवाई पट्टी के निर्माण हेतु विस्तृत प्रस्ताव/प्राक्कलन तैयार करवाकर जिला प्रशासन उसे स्वीकृति हेतु शासन को प्रेषित करेगा ? यदि नहीं तो क्यों ?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) बजट उपलब्धता की स्थिति में समस्त जिलों में नवीन हवाई पट्टी बनाने का सैद्धांतिक निर्णय लिया गया है । (ख) जी नहीं । शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता । (ग) उक्त भाग "ख" के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता । ।

श्योपुर महाविद्यालय में निर्माणाधीन कार्य

16. (क्र. 1223) श्री दुर्गालाल विजय : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) श्योपुर महाविद्यालय में वर्तमान में निर्माणाधीन स्वीमिंग पुल व इंडोर स्टेडियम का निर्माण कार्य कितने प्रतिशत् पूर्ण/अपूर्ण रह गया है ? दोनों कार्यों को पूर्ण कराने की समयसीमा क्या हैं ? (ख) क्या ठेकेदार द्वारा स्वीमिंग पुल के निर्माण स्थल पर वर्तमान तक की स्थिति में दो-दो फीट का गड्डा खोदकर कई महीनों से कार्य बन्द कर रखा है ? इंडोर स्टेडियम का कार्य भी बंद पड़ा है, इसके क्या कारण हैं ? ये कार्य कब तक पूर्ण करवाये जावेंगे ? (ग) क्या उक्त कार्यों को पूर्ण कराने हेतु यूजीसी द्वारा उपलब्ध कराई गई राशि के अतिरिक्त स्वीमिंग पुल के लिए राशि 1.12 लाख एवं इंडोर स्टेडियम हेतु राशि 49.5 लाख की ओर आवश्यकता है ? इसके अभाव में उक्त कार्यों को पूर्ण कराया जाना संभव नहीं हो पा रहा है ? (घ) यदि हाँ, तो क्या महाविद्यालय प्रबंधन ने राशि की मांग हेतु शासन को

मांग पत्र भेजा है ? यदि भेजा है, तो शासन द्वारा मांग अनुसार राशि कब तक उपलब्ध करा दी जावेगी तथा कब तक उक्त कार्यों को पूर्ण करा दिया जावेगा ?

तकनीकी शिक्षा मंत्री (श्री उमाशंकर गुप्ता) : (क) महाविद्यालय में निर्माणाधीन इंडोर स्टेडियम का निर्माण कार्य लगभग 80 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है । शेष कार्य 31 मार्च 2015 तक पूर्ण हो जायेगा । स्वीमिंग पुल का निर्माण कार्य बजट के अभाव में 90 प्रतिशत अपूर्ण है । समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है । (ख) जी हाँ । इंडोर स्टेडियम का निर्माण निरंतर जारी है, जो कि 31.03.15 तक पूर्ण होने की उम्मीद है । स्वीमिंगपुल का निर्माण कार्य बजट के अभाव में प्रारंभ नहीं किया गया है । (ग) इंडोर स्टेडियम निर्माण हेतु यूजीसी द्वारा राशि रूपये 70.00 लाख एवं स्वीमिंगपुल निर्माण हेतु राशि रूपये 100.00 लाख स्वीकृत किये गये थे, जबकि निर्माण एजेसी लघु उद्योग निगम, ग्वालियर द्वारा राशि रूपये 215.37 लाख का संशोधित प्राक्कलन एवं इंडोर स्टेडियम निर्माण हेतु राशि रूपये 119.00 लाख का संशोधित प्राक्कलन प्रस्तुत किया गया । जो यूजीसी द्वारा स्वीकृत राशि से क्रमश: 115.37 लाख एवं 49.00 लाख अधिक है । जी हाँ । (घ) कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, समय सीमा बताई जाना संभव नहीं है ।

प्राध्यापक एवं सहायक प्राध्यापकों के रिक्त पद

17. (क्र. 1224) श्री दुर्गालाल विजय : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या श्योपुर महाविद्यालय में वाणिज्य, अर्थशास्त्र, समाज शास्त्र, राजनीति शास्त्र के प्राध्यापकों के तथा क्रीड़ा अधिकारी लायब्रेरियन के पद एक दशक से भी अधिक समय से, तथा पन्द्रह विषयों के सहायक प्राध्यापकों के पद सात-सात, आठ-आठ वर्षों से रिक्त पड़े हैं ? (ख) क्या उक्त शिक्षकीय रिक्त पदों को भरने हेतु पी.एस.सी. के माध्यम से प्रक्रियाधीन कार्यवाही के पूर्ण होने में विलंब के कारण उक्त रिक्त पदों को भरना संभव नहीं हो पा रहा है ? यदि हाँ, तो इस प्रक्रियाधीन कार्यवाही को पूर्ण होने में कितना समय लगेगा ? (ग) क्या रिक्त पदों पर अतिथि विद्वानों से अध्यापन कराया जाना एक वैकल्पिक व्यवस्था है ? कई बार ये अतिथि विद्वान बेहतर पद, वेतन/सुविधाएं अन्यत्र मिलने पर बीच सत्र में ही त्याग पत्र देकर चले जाते हैं, ऐसे में पढ़ाई प्रभावित होती है ? (घ) यदि हाँ, तो छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए क्या शासन पीएससी की प्रक्रियाधीन कार्यवाही को शीघ्रता से पूर्ण कराने हेतु अपने स्तर से पहल करेगा, ताकि प्रश्नांश (क) में वर्णित रिक्त शिक्षिकीय पदों को शीघ्रता से भरा जा सके ? यदि नहीं, तो क्यों ?

तकनीकी शिक्षा मंत्री (श्री उमाशंकर गुप्ता) : (क) जी हाँ । तिथिवार रिक्त पदों की सूची **संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है । (ख) जी नहीं । सहायक प्राध्यापक के समग्र रिक्त पदो की पूर्ति हेतु लोक सेवा आयोग द्वारा दिनांक 09.07.2014 को विज्ञापन जारी किया जा चुका है । प्रक्रियाधीन कार्यवाही हेतु निश्चित समय-सीमा बताना संभव नहीं है । (ग) जी हाँ । यदि कोई अतिथि विद्वान त्याग-पत्र देता है, तो उसके स्थान पर मेरिट सूची अनुसार अन्य अतिथि

विद्वान को नियमानुसार आमंत्रित कर अध्यापन कार्य पूर्ण कराया जाता है । (घ) जी हाँ । लोक सेवा आयोग से नियुक्ति की कार्यवाही को शीघ्र पूर्ण किये जाने के सम्बन्ध में निरन्तर प्रयास किये जा रहे हैं । चयन प्रक्रिया पूर्ण होने पर रिक्त पदों की पूर्ति की जावेगी ।

परिशिष्ट – "उन्चास"

राजीव गांधी विद्युतीकरण योजनांतर्गत विद्युतीकरण

18. (क्र. 1266) श्री हरवंश राठौर : क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि विधानसभा क्षेत्र बण्डा के किन-किन ग्रामों में राजीव गांधी विद्युतीकरण योजनांतर्गत विद्युतीकरण कार्य हुआ है ? यदि नहीं, हुआ तो क्या कारण है एवं कब तक प्रारंभ कराया जावेगा ?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : 11वीं पंचवर्षीय योजना में राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजनांतर्गत स्वीकृत सागर जिले की योजना में बण्डा विधानसभा क्षेत्र के 272 ग्राम सम्मिलित थे जिनमें से टर्न-की ठेकेदार द्वारा 178 एवं पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा 33] इस प्रकार कुल 211 ग्रामों के विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण किया जा चुका है जिनकी सूची **संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है । टर्न-की ठेकेदार द्वारा कार्य में विलंब करने व कार्य अधूरा छोड़ने के कारण प्रश्नाधीन क्षेत्र के 61 ग्रामों के कार्य शेष है, जिसे वर्तमान में पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा किया जा रहा है । 12वीं पंचवर्षीय योजना में सागर जिले हेतु राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत स्वीकृत योजना का कार्य टर्न-की आधार पर किये जाने हेतु अवार्ड दिनांक 9.9.14 को जारी किया गया था, वर्तमान में टर्न-की ठेकेदार द्वारा सर्वे का कार्य किया जा रहा है तथा अनुबंध अनुसार उक्त कार्य, कार्यारंभ की तिथि 16.2.15 से 2 वर्ष की अवधि में किया जाना है ।

परिशिष्ट – "पचास"

अवैध शराब के पंजीबद्ध प्रकरण

19. (क्र. 1450) श्री निशंक कुमार जैन : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) आबकारी कानून की किस-किस धारा के तहत अवैध शराब के प्रकरण बनाये जाने के अधिकार किस-किस को प्रदान किए गए हैं ? विदिशा जिले में अवैध शराब के प्रकरणों को पकड़े जाने हेतु विभाग ने कितने उड़न दस्ते गठित किए है, दल के सदस्यों के नाम बतावें ? (ख) गत एक वर्ष में विदिशा जिले में आबकारी कानून की किस-किस धारा के तहत किस-किस के द्वारा अवैध शराब के कितने प्रकरण पंजीबद्ध किए इसमें से कितने प्रकरणों के चालान न्यायालय में प्रस्तुत कर दिए गए हैं ? (ग) विदिशा जिले में अवैध शराब के कारोबार को रोके जाने हेतु शासन क्या-क्या कार्यवाही कर रहा है कब तक करेगा ?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा-34 उपधारा 34 (1) एवं 34 (2) धारा-36, धारा-36 (क), धारा-36 (ख), धारा-36 (ग), धारा-45,

धारा-49 (क), के अंतर्गत अवैध शराब जप्त कर प्रकरण कायम करने के अधिकार आबकारी विभाग के आबकारी उप-निरीक्षक से अनिम्न अधिकारियों को प्रदान किये गये । साथ ही पुलिस विभाग को भी यह अधिकार प्रदत्त किये गये है । विदिशा जिले में अवैध शराब को पकडे जाने हेतु सहायक जिला आबकारी अधिकारी विदिशा श्री मोहन सिंह के नेतृत्व में एक प्रिवेन्टिव वृत (जिला स्तरीय उडनदस्ता) का गठन किया गया है, जो कि जिला आबकारी कार्यालय विदिशा में पदस्थ कार्यपालिक बल को आवश्यकतानुसार कार्यवाही के लिये आहूत करने के लिये अधिकृत है । दल के सदस्यों में सहायक जिला आबकारी अधिकारी श्री मोहनसिंह, आबकारी उपनिरीक्षक श्री पंकज तिवारी, आबकारी मुख्य आरक्षक श्री भगवानदास अहरवार, श्री मनोज दुवे, श्री मुकेश गौर, श्री प्रहलाद सिंह मीणा, श्री बैजनाथ मिश्रा, आबकारी आरक्षक श्री रामगोपाल शर्मा, श्री गोपाल सिंह जमीदार, श्री पवन गौर, श्री शिवलाल चिडाल, श्री राहुल राठौर, श्री प्रमोद धुर्वे, श्री प्रवीण मंडावी, श्री प्रदीप मानवीय, एवं श्री रोशन भर्गव पदस्थ है । (ख) प्रश्न गत **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है । (ग) विदिशा जिले में अवैध शराब के कारोबार को रोके जाने हेतु विदिशा वृत के आबकारी वृतों में पदस्थ प्रभारी अधिकारियों द्वारा स्व-प्रेरणा सूचना प्राप्त होने और शिकायतों के आधार पर लगातार प्रवर्तन कार्य किया जाता है ।

अधिकारियों एवं कर्मचारियों की लम्बित विभागीय जाँच

20. (क्र. 1451) श्री निशंक कुमार जैन : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियमों के अनुसार अपचारी सेवक के विरूद्ध जांच अधिकारी द्वारा विभागीय जांच पूर्ण कर प्रतिवेदन अधिकतम कितने माहों/वर्षों में प्रस्तुत करने का प्रावधान है ? (ख) क्या यह सही है कि म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के अनुसार जांच अधिकारियों द्वारा समय सीमा में प्रतिवेदन प्रस्तुत न करने पर उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही का प्रावधान है या नहीं ? (ग) विदिशा एवं बैतूल जिले के अन्तर्गत कितने अपचारी कर्मचारी/अधिकारियों के विरूद्ध विभागीय जांच किस दिनांक से लम्बित है ? लंबित जांच में विगत 2 वर्षों से कितनी जांचे लम्बित है ? इसके लिए दोषी विभागीय जांच अधिकारी का नाम, पदनाम, जांच संस्थित करने का दिनांक आदि सहित सूची उपलब्ध करावें ? (घ) लम्बित विभागीय जांच कब तक पूर्ण कर ली जावेगी ? दोषी अधिकारियों के विरूद्ध म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के प्रावधानानुसार कार्यवाही की जावेगी या नहीं ?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) एवं (ख) यह प्रावधान नियमों में नहीं है । अपितु अधिकतम छः माह की समय-सीमा में जांच पूर्ण कर एवं प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने के निर्देश जारी किये गये हैं । परिपत्र की **प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"एक" पर** है । (ग) एवं (घ) विदिशा जिले में कुल 09 प्रकरण तथा बैतूल जिले में कुल 08 विभागीय जांच के प्रकरण लंबित हैं । **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"दो" एवं "तीन"**

पर है, जिसमें जांच पूर्ण करने की अवधि भी अंकित है । यथोचित कारण न होने पर उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए संबंधित के विरूद्ध सक्षम अधिकारी द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने के निर्देश है ।

बुन्देलखण्ड विकास प्राधिकरण द्वारा कराये गये कार्यों की जानकारी

21. (क्र. 1615) श्रीमती उमादेवी लालचंद खटीक : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सागर संभाग में बुन्देलखण्ड विकास प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2010 से 2014 तक कौन-कौन से कार्य किन-किन एजेंसियों द्वारा कराये गये व कितनी-कितनी राशि से कहाँ-कहाँ कराये गये ? (ख) क्या समस्त स्वीकृत कार्य गुणवत्ता पूर्ण हुये हैं ? यदि हाँ तो उक्त कार्यों का मूल्यांकन किन-किन अधिकारियों/उपयंत्रियों द्वारा कराया गया ? (ग) प्रश्न कर्ता के क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान जनता द्वारा प्रदत्त शिकायतों की जांच कराई जाकर दोषी अधिकारियों/कार्य एजेंसियों पर कार्यवाही के निर्देश प्रदान करेंगे ?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है । (ख) जी हाँ । संबंधित एजेंसियों द्वारा ही मूल्यांकन कराया गया है । (ग) किसी प्रकार की शिकायत प्राप्त नहीं हुई है ।

दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों का नियमितीकरण

22. (क्र. 1621) श्रीमती उमादेवी लालचंद खटीक : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश शासन द्वारा जिन दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को 10-12 वर्ष पूर्ण हो गये है उनका नियमितीकरण का आदेश प्रसारित किया गया है ? क्या नियमितीकरण करने की कोई समय सीमा निर्धारित की गयी है ? यदि हाँ, तो कब आदेश की छायाप्रति उपलब्ध करावें ? (ख) दमोह जिले में कितने दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी है जिनके 10 वर्ष पूर्ण हो गये है ? (ग) दमोह जिले के कितने दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को उक्त आदेश के परिपालन में नियमित किया जावेगा ? यदि हाँ, तो कब तक नहीं तो क्यों ?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) जी हाँ । सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ 5-3/2006/1/3, दिनांक 16 मई, 2007 स्पष्टीकरण दिनांक 08.02.2008, दिनांक 06.09.2008 एवं 29.09.2014 द्वारा दिनांक 10.04.2006 तक 10 वर्ष निरंतर सेवा पूर्ण करने वाले दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण किए जाने संबंधी नीति बनाई गई है । एक बार छानबीन कर बनायी गई उपयुक्तता सूची अनुसार नियमितीकरण करने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है । **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है । (ख) जिला दमोह के विभिन्न विभागों के अंतर्गत कुल 393 दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी कार्यरत हैं जिन्हें 10-12 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं । (ग) प्रश्नांश 'क' में उल्लेखित नीति के परिपालन में संबंधित विभागों द्वारा विभाग प्रमुख की अध्यक्षता में गठित छानबीन

समितियों द्वारा बनायी गई उपयुक्तता सूची अनुसार नियमितीकरण के निर्देश स्पष्ट हैं । समय-सीमा बताना संभव नहीं है ।

उद्वहन सिंचाई योजनांतर्गत किये गये कार्य

23. (क्र. 1700) श्री सचिन यादव : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) खरगोन उद्वहन योजना की स्वीकृति के समय स्वरूप क्या था और टेण्डर दिनांक के समय क्या था एवं टेण्डर कितनी-कितनी राशि के किस-किस को कब-कब दिये गये ? उन कार्यों की वर्तमान स्थिति प्रश्न दिनांक तक क्या है ? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार दिये गये टेण्डर अनुसार क्या कार्य किये जा रहे हैं ? यदि हाँ तो बतायें नहीं तो मूल स्वरूप में परिवर्तन किया गया है, तो बतायें और ऐसा करने के क्या कारण हैं ? (ग) क्या मूल उद्वहन योजना में नये क्षेत्र शामिल किये गये हैं, यदि हाँ तो उनका सर्वे कब किया गया और सर्वे हेतु ग्रामीणों, कृषकों व जनप्रतिनिधियों से संबंधित विभाग को कोई मांग पत्र प्राप्त हुआ है, हाँ तो बतायें और उन पर प्रश्न दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई ?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) खरगोन उद्दवहन योजना की डी.पी.आर स्वीकृति के समय इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर से खुली बहाव नहर के द्वारा 25130 हेक्ट. क्षेत्र में सिंचाई करने का स्वरूप था, तथा टेण्डर आमंत्रण करते समय इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर से पाईप अथवा आर.सी.सी. कंड्यूट द्वारा 33140 हेक्ट. क्षेत्र में सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध कराने के साथ-साथ 152 ग्रामों को अपरिष्कृत पेयजल उपलब्ध कराये जाने का स्वरूप रखा गया । उक्त कार्य हेतु मात्र एक टेण्डर "टर्न की" पद्धति के आधार पर अमांत्रित किया जाकर न्यूनतम निविदाकार मेसर्स एम.ई.आई एल-के.बी.एल. (जे.व्ही) हैदराबाद को रूपये 550.89 करोड राशि के कार्य का अनुबंध दिनांक 28/03/2011 को किया गया । वर्तमान में योजना के प्रथम चरण के 40 ग्रामों के 9387 हेक्ट. क्षेत्र को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु पूर्ण है । द्वितीय एवं तृतीय चरण का कार्य 75 प्रतिशत पूर्ण किया जाकर कार्य प्रगति पर है । (ख) एवं (ग) टर्न की टेंडर में प्रश्नांश (क) में बताये अनुसार इंदिरा सागर की नहर से पानी उद्दवहन कर 152 ग्रामों में 33140 हेक्ट. सिंचाई के इस निर्धारित मापदंड में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है और टेंण्डर स्वीकृति पश्चात किसी नये क्षेत्र को शामिल नहीं किया गया है । समय-समय पर इसमें अन्य क्षेत्रों को शामिल करने हेतु मांग पत्र प्राप्त हुये है लेकिन इंदिरा सागर मुख्य नहर में अतिरिक्त जल उपलब्धता नहीं होने से उन्हें शामिल किया जाना संभव नहीं है ।

संचालित जन अभियान परिषद योजना अन्तर्गत स्वैच्छिक संगठन

24. (क्र. 1726) श्री प्रताप सिंह : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दमोह जिले में संचालित जन अभियान परिषद योजना अन्तर्गत कितने स्वैच्छिक संगठन पंजीयत हैं, प्रत्येक संगठन के संचालक का नाम एवं पूर्ण पता बतलावें ? स्वैच्छिक संगठन के

पंजीयन की क्या विधि है ? (ख) जिले में कार्यरत स्वैच्छिक संस्थाओं को वर्ष 2012-13 से 2014-15 तक किस-किस कार्य के लिए कितना-कितना आवंटन जारी किया गया, कितने कार्य पूर्ण है तथा कितने कार्य अपूर्ण हैं, कार्य अपूर्ण रहने का क्या कारण है ? (ग) जिले में संगठनों द्वारा किये जा रहे कार्यों का निरीक्षण किस-किस अधिकारी द्वारा कब-कब किया गया, तथा मौके पर कार्य की क्या स्थिति पायी गई, कार्य गुणवत्ताविहीन होने पर किन-किन संचालकों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) जन अभियान परिषद् द्वारा स्वैच्छिक संगठनों का पंजीयन नहीं किया जाता है । अपितु नवांकुर योजनान्तर्गत स्वैच्छिक संगठन का चयन किया जाता है । (ख) जन अभियान परिषद् द्वारा चयनित स्वैच्छिक संगठनों को प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है, जिसकी **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है । प्रदत्त राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त हो गया है । (ग) संस्थाओं को प्रोत्साहन राशि दी जाती है । किसी प्रकार का निरीक्षण नहीं किया जाता है । अत: शेशांष की कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

<u>शा. महा. वि. में ग्रंथपाल के पदों की जानकारी</u>

25. (क्र. 1753) श्री अमर सिंह यादव : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में ग्रंथपाल के कितने पद स्वीकृत हैं ? स्वीकृत पदों में सीधी भर्ती के कितने पद हैं और पदोन्नति से भरे जाने वाले कितने पद हैं ? (ख) सहायक ग्रंथपाल से ग्रंथपाल के पद पर पदोन्नति शासन द्वारा पिछली बार कब की गई थी ? वर्तमान में पदोन्नति से भरे जाने वाले कितने पद रिक्त हैं ? (ग) यदि पदोन्नति से भरे जाने वाले पद रिक्त हैं, तो शासन द्वारा खाली पदों पर पदोन्नति कब तक की जावेगी ? (घ) ऐसे कितने सहायक ग्रंथपाल हैं, जो ग्रंथपाल के पद की शैक्षणिक योग्यता पूर्ण करने के बाद भी उन्हें ग्रथपाल के पद पर पदोन्नति नहीं मिली है ?

तकनीकी शिक्षा मंत्री (श्री उमाशंकर गुप्ता) : (क) प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में ग्रन्थपाल के कुल 390 पद स्वीकृत हैं जिसमें सीधी भर्ती के 351 तथा पदोन्नति के 39 पद हैं । (ख) दिनांक 28.02.2002 द्वारा की गयी थी । वर्तमान में पदोन्नति के 05 पद रिक्त हैं । (ग) रिक्त पदों के पदोन्नति प्रस्ताव लोक सेवा आयोग को प्रेषित किये गये हैं । (घ) प्रदेश में 18 सहायक ग्रंथपाल हैं जिनकी ग्रंथपाल के पद हेतु शैक्षणिक योग्यता पूर्ण है ।

<u>ग्रामीण क्षेत्र में विद्युत विहीन ग्राम</u>

26. (क्र. 1755) श्री अमर सिंह यादव : क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजगढ़ जिले की विधानसभा क्षेत्र राजगढ़ के समस्त ग्रामों में विद्युत व्यवस्था की गई है ? (ख) यदि हाँ, तो विधानसभा क्षेत्र राजगढ़ में ऐसे कितने ग्राम है जो विद्युत विहीन है ? उक्त सभी विद्युत विहीन ग्रामों की सूची उपलब्ध करावें ? उन ग्रामों में विद्युत की व्यवस्था

की जावेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? (ग) जिन ग्रामों में विद्युत पोल एवं तार टूटे है अथवा झूल रहे है उन पोलों एवं तारों को कब तक एवं किसके माध्यम से बदला जावेगा ?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) जी हाँ । (ख) विधानसभा क्षेत्र राजगढ़ में ऐसे 15 ग्राम हैं जो पोल टूटने व तार चोरी होने के कारण विद्युत विहीन है । उक्त में से कार्ययोग्य ग्रामों को प्रश्नाधीन क्षेत्र में संचालित राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण एवं फीडर विभक्तिकरण योजनांतर्गत विद्युतीकृत करने का कार्य प्रगति पर है, जिसे 31 मार्च 2015 तक पूर्ण करने के प्रयास किये जा रहे हैं । ग्रामवार विवरण **संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है । (ग) राजगढ़ विधानसभा क्षेत्र के जिन ग्रामों के पोल एवं तार टूटे है, अथवा अव्यवस्थित हैं, उन ग्रामों के पोल बदलने एवं तारों को ठीक करने हेतु कार्यादेश कार्यपालन यंत्री, एस.टी.सी. संभाग राजगढ़ को दिया जा चुका है । कार्य दिनांक 31.03.2015 तक पूर्ण करने के प्रयास किये जा रहे हैं ।

परिशिष्ट – "इक्यावन"

गौण खनिज का बाजार मूल्य मान्य किया जाना

27. (क्र. 1819) श्रीमती रेखा यादव : क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छतरपुर एंव बैतूल जिले में गत चार वर्षों में किस गौण खनिज का कितना बाजार मूल्य मान्य करते हुए अवैध खनिज खनन एवं अवैध खनिज परिवहन के प्रकरणों में कार्यवाही प्रस्तावित की गई है ? (ख) उपरोक्त अवधि में छतरपुर जिले एवं बैतूल जिले में अवैध खनिज परिवहन के किस दिनांक को प्रकरण बनाया जाकर किस वाहन को कितना गौण खनिज परिवहन करते पकड़ा गया उस पर किस दर से कितना बाजार मूल्य मान्य करते हुए कितना अर्थदण्ड प्रस्तावित किया गया ?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है ।

खनिज विभाग के अधिकारियों एवं निरीक्षकों की शिकायतों की जांच

28. (क्र. 1836) श्रीमती रेखा यादव : क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) खनिज विभाग के अधिकारियों एवं निरीक्षकों की संचालनालय के स्तर पर प्राप्त शिकायतों की पृथक से पंजी रखे जाने की खनिज संचालनालय भोपाल में क्या व्यवस्था है संचालनालय में किस अवधि की पंजी वर्तमान में उपलब्ध है ? (ख) संचालनालय में संधारित पंजी में वर्तमान में किस जिले के किस अधिकारी, किस निरीक्षक के विरूद्ध किस दिनांक को किसके द्वारा की गई शिकायत दर्ज है ? इसमें से किस शिकायत को जांच के लिए किस दिनांक को किसे प्रेषित किया गया है ? (ग) शिकायतों की जांच हेतु शासन या विभाग ने क्या समय सीमा निश्चित की है उस समय सीमा में शिकायत की जांच न किए जाने पर जांचकर्ता अधिकारी के विरूद्ध क्या-क्या कार्यवाही के प्रावधान प्रचलित हैं ? (घ) संचालनालय

के स्तर पर संधारित पंजी में दर्ज शिकायतों की जांच करवाए जाने हेते संचालनालय क्या कार्यवाही कर रहा है ?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) खनिज विभाग के अधिकारियों एवं खनि निरीक्षकों की संचालनालय स्तर में प्राप्त होने वाली शिकायतों की पंजी (रजिस्टर) संधारित है । संचालनालय में वर्ष 2013-14 वर्तमान अवधि की पंजी उपलब्ध है । (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट** पर दर्शित है । (ग) शिकायतों की जांच हेतु कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है । जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाती है । (घ) संचालनालय स्तर पर संधारित पंजी में दर्ज शिकायतों की जांच संचालनालय द्वारा जिला स्तर पर कलेक्टर अथवा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी से कराई जाती है तथा जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन के आधार पर आगामी कार्यवाही की जाती है ।

विधायक विकास निधि के कार्यों की स्थिति

29. (क्र. 1976) श्रीमती नंदनी मरावी : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधायक विकास निधि द्वारा वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में प्रश्न दिनांक तक नगर पालिका सिहोरा को कौन-कौन से कार्य कितनी-कितनी लागत के, कब-कब स्वीकृत किये गये हैं, सूची उपलब्ध करावें ? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार कौन-कौन से कार्य पूर्ण हो चुके हैं, कितने शेष हैं ? कब तक पूर्ण कर लिये जावेगें ? समयावधि में कार्य पूर्ण न करने के लिये कौन-कौन जिम्मेदार हैं ?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) वर्ष 2013-14 में प्रश्न दिनांक तक नगर पालिका सीहोरा में 9 कार्य स्वीकृत हुए । वर्ष 2014-15 में कोई भी कार्य स्वीकृत नहीं हुआ । **जानकारी संलग्न परिशिष्ट** पर है । (ख) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट** पर है । कार्य पूर्ण करने हेतु समय सीमा बताना संभव नहीं है । शेषांश प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

परिशिष्ट – "बावन"

कृषकों को सतत विद्युत आपूर्ति

30. (क्र. 2020) श्रीमती योगिता नवलसिंग बोरकर : क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) एक ट्रांसफार्मर पर अधिकतम कितने स्थाई/अस्थाई कनेक्शन दिये जाने का प्रावधान हैं ? क्या विभाग द्वारा इन नियमों का पालन किया जा रहा है ? (ख) यदि एक ट्रांसफार्मर पर निर्धारित लोड से अधिक कनेक्शन हो जाते है, तो इसके लिए नवीन कनेक्शन बढ़ने पर अतिरिक्त ट्रांसफार्मर की व्यवस्था विभाग द्वारा की जाती है अथवा इस हेतु किसानों से राशि जमा कराये जाने का प्रावधान है ? (ग) यदि विभाग द्वारा अतिरिक्त ट्रांसफार्मर की व्यवस्था की जाती है, तो प्रश्न कर्ता के क्षेत्र अंतर्गत किसानों से राशि किस आधार पर ली जा रही है ? (घ) एक ट्रांसफार्मर पर निर्धारित लोड से अधिक कनेक्शन दिये जाते हैं, तो अन्य कोई योजना तैयार की जा रही है ?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) वितरण ट्रांसफार्मर की क्षमता के अनुसार एक वितरण ट्रांसफार्मर पर एक या एक से अधिक स्थाई/अस्थाई कनेक्शन दिये जा सकते हैं । वितरण कंपनियों द्वारा उक्त नियम का पालन किया जा रहा है । (ख) वितरण ट्रांसफार्मर पर भार बढ़ने की स्थिति में वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार विद्यमान वितरण ट्रांसफार्मर की क्षमता वृद्धि अथवा अतिरिक्त ट्रांसफार्मर लगाने की कार्यवाही वितरण कंपनी के व्यय पर की जाती है । उपरोक्त के अतिरिक्त निम्न परिस्थितियों में भी अतिभारित वितरण ट्रांसफार्मर पर भार तकनीकी सीमा में रखने के लिए निम्मानुसार कार्यवाही की जाती है:- (1) रबी सीजन में तात्कालिक रूप से अस्थाई सिंचाई कनेक्शनों के भार की पूर्ति करने के लिए अस्थाई नवीन कनेक्शनों हेतु किराये का ट्रांसफार्मर प्राप्त किये जाने हेतु संबंधित कृषकों से अनुरोध किया जाता है । निर्धारित राशि जमा होने पर किराये का ट्रांसफार्मर वितरण कंपनी द्वारा उपलब्ध कराया जाता है । (2) स्थाई पम्प कनेक्शन देने हेतु राज्य शासन की अनुदान योजना लागू है । इसके तहत् पम्प की क्षमता के अनुसार लाईन विस्तार हेतु निर्धारित अंश राशि कृषकों द्वारा जमा किये जाने पर रू. 1.50 लाख तक के प्राक्कलन की शेष राशि राज्य शासन द्वारा अनुदान के रूप में प्रदान की जाती है तथा आवेदित सिंचाई पम्पों हेतु आवश्यकतानुसार लाईन विस्तार तथा अतिरिक्त ट्रांसफार्मर लगाने का कार्य किया जाता है । (ग) उत्तरांश (ख) में दर्शाए अनुसार वितरण कंपनी द्वारा अतिरिक्त वितरण ट्रांसफार्मर की व्यवस्था की जाती है तथापि कृषक उपभोक्ता द्वारा अस्थाई कनेक्शन हेतु किराये का ट्रांसफार्मर लिए जाने तथा अनुदान योजना में स्थाई पंप कनेक्शन लिए जाने हेतु निम्नानुसार राशि देय होती है:- (1) अस्थाई कनेक्शन की निर्धारित राशि के अतिरिक्त किराये के ट्रांसफार्मर हेतु किराया एवं सुरक्षा राशि का विवरण:-

विवरण	**63 के.व्ही.ए.**	**100 के.व्ही.ए.**
सुरक्षा राशि	रू. 8500/-	रू. 11000/-
किराया	रू. 1100/- प्रतिमाह	रू. 1400/- प्रतिमाह

(2) अनुदान योजना के अन्तर्गत देय राशि :-

विवरण	**सीमान्त किसान (2 हेक्टेयर से कम भूमि)**	**अन्य**
कृषक का अंश (प्राक्कलन राशि रू. 1.50 लाख तक)	रू. 6000 प्रतिहार्स पावर	रू. 9600 प्रतिहार्स पावर

प्राक्कलन की राशि रू. 1.50 लाख प्रति कृषक से अधिक होने पर अतिरिक्त राशि कृषक द्वारा देय होती है । (घ) उक्त नियमों के अन्तर्गत ही प्रश्नाधीन क्षेत्र में आवेदकों से राशि जमा कराई जा रही है । अतिभारित वितरण ट्रांसफार्मरों की समय-समय पर समीक्षा की जाती है तथा उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के अनुसार अतिभारित वितरण ट्रांसफार्मरों की क्षमतावृद्धि अथवा अतिरिक्त वितरण ट्रांसफार्मरों को स्थापित करने के कार्य किये जाते हैं । वर्तमान में

पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के क्षेत्रान्तर्गत वर्ष 2015-16 हेतु प्रणाली सुदृढ़ीकरण के अन्तर्गत तैयार की जा रही योजना में वितरण ट्रांसफार्मरों की क्षमतावृद्धि तथा अतिरिक्त वितरण ट्रांसफार्मरों की स्थापना हेतु प्रावधान रखा गया है ।

<u>सेवानिवृत्त/मृत कर्मचारियों के लंबित प्रकरणों का निराकरण</u>

31. (क्र. 2050) श्री चम्पालाल देवड़ा : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सेवानिवृत्त कर्मचारियों, मृत कर्मचारियों के आश्रितों के पेंशन प्रकरण तैयार करने तथा अन्य लंबित देयकों के भुगतान के संबंध में वित्त विभाग के क्या-क्या निर्देश है ? उक्त निर्देशों का क्रियान्वयन जिलों में हो यह किसकी जवाबदारी है ? (ख) रायसेन एवं देवास जिलों में फरवरी, 2015 की स्थिति में विभिन्न विभागों में सेवानिवृत्त/मृत कर्मचारियों के आश्रितों के पी.पी.ओ. तथा अन्य देयकों का भुगतान क्यों नहीं हुआ ? (ग) उक्त जिलों में फरवरी 2015 की स्थिति में कितने प्रकरण लंबित है ? (घ) प्रश्नांश (ख) एवं (ग) के लिए कौन-कौन जवाबदार है ? वित्त विभाग तथा शासन ने क्या-क्या कार्यवाही की तथा नहीं की तो क्यों, कारण बतायें ?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) मध्य प्रदेश सिविल सेवा पेंशन नियम 1976 के प्रावधानों के अनुरूप सेवानिवृत्त/मृतक शासकीय सेवकों के आश्रितों के पेंशन प्रकरण संबंधित के मूल कार्यालय द्वारा तैयार किये जाने के निर्देश है । प्रथम पेंशन भुगतान जिला कोषालयों द्वारा किये जाने के निर्देश है । प्रथम भुगतान के पश्चात् आगे के भुगतान निर्धारित बैंक से किये जाने के निर्देश हैं । संबंधित कार्यालय प्रमुख पेंशन प्रकरण तैयार कर भेजने हेतु, जिला पेंशन अधिकारी पेंशन प्राधिकार पत्र जारी करने हेतु तथा जिला कोषालय अधिकारी प्रथम पेंशन के भुगतान हेतु जिम्मेदार हैं । (ख) संबंधित जिला कोषालय में अमांग प्रमाण;पत्र तथा न जांच न घटना प्रमाण पत्र प्राप्त न होने के कारण प्रथम पेंशन भुगतान नहीं हो पाया है । (ग) पेंशन प्राधिकार पत्र जारी किये जाने हेतु जिला पेंशन कार्यालय रायसेन तथा देवास में कोई प्रकरण लंबित नहीं है । (ग) प्रश्नांश ख एवं ग उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है ।

<u>रायसेन जिले के रिपटा, बैराज स्टापडेम की जानकारी</u>

32. (क्र. 2051) श्री चम्पालाल देवड़ा : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायसेन जिले में 1 जनवरी 2008 के बाद से कहाँ-कहाँ पर स्टापडेम, रपटा, बैराज आदि का निर्माण करवाया, स्वीकृत राशि, व्यय राशि, कार्य पूर्ण दिनांक तथा सिंचित रकबा बतायें ? (ख) वर्ष 2014-15 रबी सीजन में किन-किन रपटा/बैराज स्टापडेम से कितने रकबा में सिंचाई हो रही है उनका संचालन संधारण मरम्मत कार्य कौन करवा रहा है ? (ग) उक्त रपटा स्टापडेम, बैराज की औसत आयु कितनी है ? प्रश्नांश (क) में से किन-किन से सिंचाई नहीं हो रही है तथा क्यों कारण बतायें तथा शासन ने क्या कार्यवाही की ? (घ) स्टापडेम, बैराज, रपटा

क्षतिग्रस्त होने की विभाग को किन-किन माध्यमों से शिकायतें प्राप्त हुई, तथा उन पर क्या-क्या कार्यवाही की गई ?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) एवं (ख) जानकारी **संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है । परियोजनाओं का संचालन एवं संधारण जल संसाधन संभाग, रायसेन के पर्यवेक्षण में किया जाता है । (ग) 50 वर्ष । निरंक । (घ) अभिलेखों के मुताबिक शिकायत प्राप्त होना प्रतिवेदित नहीं है । प्रश्नांश उत्पन्न नहीं होता है ।

परिशिष्ट –"तिरेपन"

ग्राम-बैरासिया से कुंवर चेनसिंह सागर डेम तक सड़क निर्माण

33. (क्र. 2199) श्री गिरीश भंडारी : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या नरसिंहगढ़-पचोर रोड़ पर स्थित ग्राम बैरासिया से कुंवर चेनसिंह सागर डेम तक सड़क का निर्माण 2014 में किया गया ? (ख) यदि प्रश्नांश (क) का उत्तर हाँ, है तो सड़क की क्या लागत थी ? एवं वर्तमान में उस सड़क की क्या स्थिति है ? यदि सड़क उखड़ गई है, तो ठेकेदार के ऊपर क्या कार्यवाही की जावेगी ? समय सीमा बतायें ?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) जी हाँ । (ख) सड़क के निर्माण कार्य की अनुबंध राशि रूपये 236.34 लाख है । वर्षाकाल में बोड़ा-पचौर मार्ग का पुल क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण प्रश्नाधीन सड़क आर.डी.-0 से 2 कि.मी. तक क्षतिग्रस्त हुई है । अनुबंध अवधि में निर्माण कार्य में हुई क्षति की मरम्मत का व्यय निर्माण एजेंसी द्वारा वहन करने का प्रावधान है । अनुबंध अवधि (समयावृद्धि सहित) के भीतर ।

निर्वाचित विधायकों के पत्रों के उत्तर देने हेतु दिशा निर्देश

34. (क्र. 2202) श्री गिरीश भंडारी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासन ने निर्वाचित विधायकों द्वारा शासकीय विभागों को लिखे गये पत्रों के उत्तर देने के सम्बंध में दिशा निर्देश जारी किए हैं ? यदि हाँ तो आदेश की प्रति उपलब्ध कराएं ? (ख) यदि प्रश्नांश (क) के दिशा निर्देशों का पालन कोई शासकीय अधिकारी नहीं करता है तो उक्त अधिकारी के विरूद्ध क्या-क्या कार्यवाही करने का नियम है ? यदि कोई नियम है तो नियम की प्रति उपलब्ध करायें ?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) जी हाँ । **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है । (ख) प्रश्नांश ''क'' दिशा निर्देश के बिन्दु क्रमांक 5 अनुसार कार्यवाही की जाती है ।

ट्रांसफार्मर के संबंध में

35. (क्र. 2248) श्री रामपाल सिंह : क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला शहडोल के ब्यौहारी विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत 31.01.2015 तक राजीव गांधी ग्रामीण

विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत कितने ट्रांसफार्मर गॉवो में लगाये गये हैं ? (ख) क्या उपरोक्त सभी ट्रांसफार्मर सही ढंग से कार्य कर रहे है कितने ग्रामों के ट्रांसफार्मर खराब है और कब से यदि हाँ, तो उन्हें शीघ्र क्यों नहीं बदला गया ? (ग) क्या यह सही है कि ग्राम भत्तू के अलावा, करकी, लखनवार, झिरिया टोला, ठेंगरहा, पपोध, आदर्श नगर, ओदारी एवं अन्य जगहों के ट्रांसफार्मर खराब है, और उन्हें आज तक क्यों नहीं बदला गया ? किसानों की सिंचाई न होने से फसलों की क्षतिपूर्ति का जिम्मेदार कौन है ? तथा उक्त किसानों की सिंचाई न होने के कारण फसल नष्ट होने की स्थिति में पूर्व वर्षो के उत्पादन के मुताबिक उनकी शासन द्वारा भरपाई की जावेगी यदि हाँ, तो कब तक ? (घ) क्या खराब ट्रांसफार्मर को दुरस्त किया जावेगा ? यदि हाँ, तो कब तक ?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) जिला शहडोल के ब्यौहारी विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत दिनांक 31.01.2015 तक 11 वीं पंचवर्षीय योजना में स्वीकृत राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में 89 ग्रामों में 105 वितरण ट्रांसफार्मर लगाये गये हैं । (ख) राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजनांतर्गत स्थापित उक्त सभी 105 वितरण ट्रांसफार्मरों से वर्तमान में सुचारू रूप से विद्युत प्रदाय किया जा रहा है । (ग) राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अतिरिक्त स्थापित किये गये वितरण ट्रांसफार्मरों में से ग्राम भत्तू, करकी, लखनवार, झिरियाटोला, आर्दश नगर एवं ओदरी में स्थापित ट्रान्सफार्मर वर्तमान में खराब नहीं है तथापि ग्राम ठेगरहा, पपौध एवं अन्य 14 ग्रामों में 16 ट्रांसफार्मर खराब/फेल है, जिनकी सूची **संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है । उक्त 16 खराब/फेल ट्रांसफार्मरों पर विद्युत बिल की बकाया राशि होने के कारण इन्हें वर्तमान में बदला जाना संभव नहीं है । नियमानुसार बकाया राशि की अंश राशि का भुगतान हो जाने के पश्चात् इन 16 ट्रांसफार्मरों को बदलने की कार्यवाही की जा सकेगी । उक्त परिप्रेक्ष्य में किसी अधिकारी/कर्मचारी के जिम्मेदार होने अथवा अन्य कोई कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता । (घ) प्रश्नांश (ग) के उत्तर में उल्लेखित शेष 16 खराब/फेल वितरण ट्रांसफार्मरों से सम्बद्ध उपभोक्ताओं द्वारा नियमानुसार बकाया राशि 50 प्रतिशत जमा करने के उपरांत ट्रांसफार्मरों को बदला जा सकेगा, अत: वर्तमान में समय सीमा बता पाना संभव नहीं है ।

परिशिष्ट – "चउवन"

मुख्यमंत्री सहायता कोष योजना अंतर्गत राशि की स्वीकृत

36. (क्र. 2302) श्री रजनीश हरवंश सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिवनी जिले में विगत दो वर्षो में मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान मद से आर्थिक सहायता एवं बीमारी के उपचार हेतु कितने आवेदन पत्र मुख्यमंत्री कार्यालय को स्वीकृति हेतु प्राप्त हुए है ? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान मद से कितने लोगों को राशि प्रदाय की गई एवं कितने आवेदन वर्तमान में लंबित हैं ?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) एवं (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है ।

फीडर सेपरेशन के कराये गये कार्य

37. (क्र. 2426) डॉ. मोहन यादव : क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, इन्दौर के द्वारा उज्जैन जिले में फीडर सेपरेशन योजना अन्तर्गत जनवरी, 2010 से लेकर जनवरी, 2015 तक कौन-कौन से अवार्ड (कार्यादेश) किन-किन ठेकेदारों को जारी किये गये ? एवं इन कार्यादेश के विरूद्ध जनवरी, 2015 तक कितने फीडरों के कार्य पूर्ण किये गये ? ठेकेदार फर्मों को किये गये भुगतान की जानकारी भी देवें ? (ख) उज्जैन जिले में क्या फीडर सेपरेशन के तहत कार्य कर रहे ठेकेदार द्वारा घटिया कार्य किया जा रहा है? यदि हाँ तो इस संबंध में कितनी शिकायतें उपरोक्त समयावधि में प्राप्त हुई उन शिकायतों पर विद्युत कंपनी के किन-किन सक्षम अधिकारियों द्वारा जॉच की गई एवं दोषी पाये गये ठेकेदारों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि., इन्दौर के द्वारा उज्जैन जिले में फीडर विभक्तिकरण योजना के अन्तर्गत जनवरी 2010 से जनवरी 2015 तक संचालन/संधारण संभागवार 02 टर्न-की ठेकेदारों को कार्यादेश जारी किये गये हैं । उपरोक्त कार्यादेशों के विरूद्ध जनवरी 2015 तक कुल 209 फीडरों का कार्य पूर्ण किया जा चुका है । उक्त ठेकेदारों को जनवरी 2015 तक किये गये भुगतान की कुल राशि रूपये 59.32 करोड़ है । उक्त ठेकेदार फर्मों को जारी किये गये कार्यादेश की फर्मवार प्रश्नाधीन चाही गई जानकारी **संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है । (ख) जी नहीं, उज्जैन जिले में फीडर विभक्तिकरण योजना के अन्तर्गत ठेकेदार फर्मों द्वारा, निविदा अनुबंध की शर्तों के अनुसार मानक स्तर का कार्य किया जा रहा है । उक्त कार्यों के पर्यवेक्षण एवं मापन हेतु एक स्वतंत्र एजेंसी मेसर्स यू.आर.एस.स्कॉट विल्सन गुडगांव को नियुक्त किया गया है । उक्त कार्य की गुणवत्ता के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है, अत: जांच किये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

परिशिष्ट – "पचपन"

सारंगपुर अन्तर्गत लंबित योजनाओं की स्वीकृति

38. (क्र. 2454) श्री कुँवरजी कोठार : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र सारंगपुर की कौन-कौन सी योजनाएं विभाग/शासन के पास सांध्यता हेतु लंबित हैं ? उन योजनाओं के नाम, लागत व सिंचाई क्षेत्र के रकबा से अवगत करावें ? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार लंबित योजनाओं को शासन द्वारा कब तक स्वीकृति प्रदाय कर दी जावेगी ?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) विधानसभा क्षेत्र सारंगपुर की चिन्हित परियोजनाओं की जानकारी **संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है । (ख) उपलब्ध सीमित वित्तीय संसाधनों का उपयोग निर्माणाधीन परियोजनाओं को पूर्ण कराने के लिए आवश्यक होने से चिन्हित परियोजनाओं की स्वीकृति की दिशा में आगामी कार्यवाही करना संभव नहीं है । शेष प्रश्नांश उत्पन्न नहीं होता है ।

परिशिष्ट - "छप्पन"

सिंचाई राजस्व वसूली का लक्ष्य

39. (क्र. 2494) श्री सतीश मालवीय : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जल संसाधन संभाग उज्जैन अंतर्गत कितनी सिंचाई राजस्व वसूली बकाया है ? (ख) उक्त बकाया राशि का किस-किस अधिकारी को पिछले पाँच वर्ष में कितना-कितना लक्ष्य दिया गया और अधिकारियों के द्वारा कितनी राशि वसूल की गई ? वर्षवार जानकारी उपलब्ध करावें ? (ग) क्या जो वसूली की गई वह संतोषजनक है ? (घ) अगर नहीं तो क्या कार्यवाही की जा रही है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) दिनांक 31.03.2014 तक राशि रूपये 231.10 लाख (ख) से (घ) जानकारी **संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है । जी हाँ, प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

परिशिष्ट - "सत्तावन"

क्षेत्रांतर्गत पॉलिटेक्निक कॉलेज की स्थापना बावत्

40. (क्र. 2520) श्री मुरलीधर पाटीदार : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में कुल कितने पांलिटेक्निक महाविद्यालय वर्तमान में संचालित हैं ? इनमें से कितने शासकीय एवं कितने अशासकीय महाविद्यालय हैं, कृपया विवरण देवें ? (ख) नवीन शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज एवं अशासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज प्रारंभ किए जाने हेतु शासन के मापदण्ड क्या हैं, कृपया पृथक-पृथक विवरण देवें ? (ग) क्षेत्रांतर्गत तकनीकी शिक्षा से अध्ययन को बढ़ावा देने हेतु शासन कोई पहल करने जा रहा है ? यदि हाँ, तो कृपया विवरण देवें ? यदि नहीं, तो क्या इस ओर पहल की जावेगी ? (घ) क्षेत्रांतर्गत नवीन पॉलिटेक्निक कॉलेज की स्थापना संबंधी कोई प्रस्ताव या मांग प्राप्त हुई है ? यदि हाँ, तो इस ओर क्या कार्यवाही की गई ?

तकनीकी शिक्षा मंत्री (श्री उमाशंकर गुप्ता) : (क) कुल 145 पोलीटेकनिक महाविद्यालय संचालित हैं, जिनमें 63 शासकीय, 2 शासकीय अनुदान प्राप्त, 1 विश्वविद्यालय के अंतर्गत एवं 79 अशासकीय पोलीटेकनिक महाविद्यालय संचालित हैं । 79 अशासकीय पोलीटेकनिक महाविद्यालयों में से 73 निजी इंजीनियरिंग कालेजों की द्धितीय पाली में संचालित है । (ख) किसी भी प्रकार के पोलीटेकनिक महाविद्यालय को प्रारंभ करने हेतु अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली के मापदण्ड है । (ग) एवं (घ) जी हाँ । प्राप्त मांग के संदर्भ में भारत सरकार की 'सब-मिशन अंडर कोआर्डिनेटेड एक्शन फॉर स्किल डेव्लपमेंट' योजनान्तर्गत जिला-आगर में पोलीटेकनिक महाविद्यालय स्वीकृत करने हेतु प्रस्ताव मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार को प्रमुख सचिव के अद्र्ध शासकीय पत्र क्रमांक 3003/आर 2006/14/42-1, दिनांक 22.12.2012 के द्धारा भेजा गया है ।

गोविंदगढ़ किले के संबंध में

41. (क्र. 2671) श्री दिव्यराज सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या रीवा जिला अंतर्गत गोविन्दगढ़ के किले को एक निजी औद्योगिक संस्था को दिया गया था ? यदि हाँ, तो अनुबंध में क्या दर (रूपये) तय की गई थी एवं निर्माण का समय क्या दिया गया था ? (ख) प्रश्नांश (क) के ही संदर्भ में क्या अधिकृत कम्पनी से वहाँ काम नहीं किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्या शासन पुन: किले का टेंडर करेगी, तथा वर्तमान में कार्य कर रही निजी संस्था पर कार्यवाही की जावेगी ? यदि हाँ, तो कृपया समय सीमा बतावें ? (ग) प्रश्नांश (क) के ही संदर्भ में- विश्व के प्रथम सफेद शेर की समाधि इस किले में है ? क्या शासन की कोई योजना है कि इस ऐतिहासिक स्थल को विकसित कर पर्यटन से जोड़ा जायेगा ?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) जी हाँ. मेसर्स मेगपाई रिसॉर्टस प्रायवेट लिमिटेड, डी 151 ए, स्टेट -8, लक्ष्मी नगर, दिल्ली को रू.1.72 करोड में 90 वर्ष की अवधि हेतु पर्यटन विभाग द्वारा लीज के आधार पर सौपा गया था. लीज की शर्तो के अनुसार पट्टेदार को पट्टा दिनांक से 06 माह के भीतर निर्माण कार्य प्रारंभ करना एवं 03 वर्ष की कालावधि के भीतर रू. 06 करोड की लागत से परियोजना निर्माण पूरा करना था. (ख) जी हाँ. उपरोक्त कम्पनी द्वारा वर्तमान में वहाँ कोई कार्य नहीं किया जा रहा है. इस कारण उक्त कम्पनी को लीज की शर्तो के उल्लंघन के संबंध में नोटिस निगम/विभाग द्वारा दिये गये है एवं नियमानुससार पट्टा निरस्तीकरण की कार्यवाही प्रचलन में है. समय सीमा संभव नहीं है. (ग) जी नहीं. विभाग में वर्तमान में कोई योजना विचाराधीन नहीं है.

कौशल विकास योजना के तहत प्रशिक्षण

42. (क्र. 2691) श्री नीलेश अवस्थी : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कौशल विकास योजना के तहत जबलपुर संभाग में जनवरी, 2013 से प्रश्न दिनांक तक वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाईडरों/संस्थाओं द्वारा किस दर पर कितनी समयावधि का प्रशिक्षण प्रदान किया गया ? (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित संस्थाओं ने उपरोक्त समयावधि में कितने हितग्राहियों का कौशल उन्नयन, किन-किन फैकल्टी में किया गया, बतलावें ? (ग) उल्लेखित संस्थाओं को भुगतान किन नियम/शर्तो के अधीन किया गया ?

तकनीकी शिक्षा मंत्री (श्री उमाशंकर गुप्ता) : (क), (ख) एवं (ग) (1) परीक्षा में उत्तीर्ण प्रशिक्षणार्थियों की संख्या के आधार पर -दिनांक 01.01.2013 से 10.09.2013 की अवधि में रूपये 15/- प्रति घटां प्रति प्रशिक्षणार्थी की दर से एवं (2) परीक्षा में सम्मिलित प्रशिक्षणार्थियों की संख्या के आधार पर- दिनांक 11.09.2013 से 31.03.2014 की अवधि में पाठ्यक्रम अनुसार रूपये 20/- या रूपये 25/- प्रति घटां प्रति प्रशिक्षणार्थी की दर से तथा दिनांक 01.04.2014 से पाठ्यक्रम अनुसार रूपये 22.50/- या रूपये 27.50/- प्रति घटां प्रति प्रशिक्षणार्थी की दर से भुगतान किया गया । शेष **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है ।

पाटन विधान सभा अंतर्गत शराब दुकान अहाता हटाया जाना

43. (क्र. 2692) श्री नीलेश अवस्थी : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या देशी व विदेशी शराब दुकान के लायसेंसी अपनी मनमर्जी से कहीं भी शराब दुकान एवं अहाता प्रारंभ नहीं कर सकते हैं ? (ख) प्रश्नांश (क) के उत्तर में यदि हाँ, तो पाटन विधान सभा अंतर्गत देशी एवं विदेशी शराब दुकान एवं अहाता किन-किन स्थानों पर किस श्रेणी के मार्ग से कितनी दूरी, निकटतम धार्मिक स्थल से दूरी तथा शिक्षण संस्थान से कितनी दूरी पर खोलने की विभाग द्वारा मंजूरी प्रदान की गई है, बतलावें ? परिसन में मदिरा के उपयोग हेतु दुकानों की अवस्थिति में वर्णित प्रतिबंध क्या है ? (ग) दुकान एवं अहाता खोले जाने के पूर्व आबकारी विभाग के किस स्तर के कौन-कौन से अधिकारियों द्वारा स्थल निरीक्षण कर (पाटन विधानसभा क्षेत्रांतर्गत) किन-किन बिन्दुओं पर निरीक्षण कर क्या निरीक्षण टीप दी ? (घ) प्रश्न कर्ता द्वारा सहायक आबकारी आयुक्त जबलपुर को 19/1/2015 को लिखे पत्र का कब, क्या उत्तर दिया गया ? एवं यह भी बतलावें कि क्या पाटन विधान सभा अंतर्गत देशी एवं विदेशी शराब दुकानें एवं अहाता सार्वजनिक स्थल पर है ? यदि हाँ, तो क्या उन्हें हटाया जावेगा ?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) जी हाँ । (ख) पाटन विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत देशी शराब दुकान पाटन, कैमोरी, नुनसर, कटंगी, मझोली, रानीताल (मुकुकुरू), खिन्नी, इन्द्राना, तलाड, आमोदा, लमकना, मुरैठ, लखनपुर, खलरी एवं विदेशी मदिरा दुकान पाटन, कटंगी में ऑन श्रेणी का लायसेंस है, जिसमें दुकान परिसर में मदिरा उपभोग की अनुमति है । देशी मदिरा दुकान धनगवां, पौडी, विदेशी मदिरा दुकान मझौली, लमकना, इन्द्राना ऑफ श्रेणी की दुकानें है, इनमें शॉपबार स्वीकृत नहीं है । ऑफ श्रेणी की मदिरा दुकानों में शॉप बार लायसेंस प्राप्त किये बिना मदिरा उपभोग की अनुमति नहीं है, परन्तु ऑन श्रेणी की मदिरा दुकानों में मदिरा उपभोग की अनुमति है । मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 के अंतर्गत निर्मित सामान्य प्रयुक्ति नियम के नियम 1 अनुसार शैक्षणिक संस्थान, धार्मिक स्थल से कम से कम 50 मीटर एवं राष्ट्रीय राजमार्ग से 100 मीटर एवं इससे अधिक की दूरी ऑन श्रेणी की मदिरा दुकानों की स्थापना के लिए निर्धारित है । (ग) पाटन विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत संचालित देशी मदिरा दुकान एवं विदेशी मदिरा दुकानों में शॉप बार लायसेंस स्वीकृत नहीं किये गये है । (घ) प्रश्नकर्ता द्वारा सहायक आबकारी आयुक्त, जिला जबलपुर को 19.01.2015 में लिखे पत्र के संबंध में उक्त कार्यालय के पत्र क्रमांक/आब./2015/2011 दिनांक 20.02.2015 से जानकारी संबंधित को प्रेषित की गई है । प्रेषित किया गया उत्तर **संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है । पाटन विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत देशी एवं विदेशी शराब की दुकानें एवं अहाता मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 के अंतर्गत निर्मित सामान्य प्रयुक्ति नियम के नियम 1 अनुसार आपत्ति रहित स्थल पर स्थापित है ।

परिशिष्ट - "अट्ठावन"

सिंचाई तालाबों के रख-रखाव एवं नहरों को पक्का करना

44. (क्र. 2776) श्री नारायण सिंह पँवार : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र ब्यावरा के अंतर्गत विभाग द्वारा कौन-कौन से सिंचाई तालाब संधारित है ? क्या उनकी पूरी क्षमता का दोहन नहरों के रख-रखाव के अभाव में हो पा रहा है ? (ख) क्या उपरोक्त में से कुछ तालाब रियासतकालीन है तथा बाद के भी निर्मित सभी तालाबों की नहरों के कच्चा निर्माण होने से सिंचाई जल का पूर्ण उपयोग नहीं हो पा रहा है ? क्या शासन ऐसे सभी नहरों को सीमेंट कांक्रीट से पक्का करने की कार्ययोजना बनाऐगा ? यदि हाँ तो कब तक ? (ग) उपरोक्तानुसार क्षेत्र के सिंचाई तालाबों में बड़ी मात्रा में मिट्टी जमा होने से भराव क्षमता में कमी आई है जिससे लाभांवित होने वाला सिंचित जमीन का रकबा भी प्रभावित हो रहा है ? क्या शासन ऐसे तालाबों को चिन्हित कर मिट्टी हटाकर सफाई की जावेगी ?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) जानकारी **संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है । नहरों का रखरखाव नियमित रूप से किया जाकर उपलब्ध जल से रबी सिंचाई की गई है । (ख) जी नहीं, उपलब्ध जल का रूपांकित क्षेत्र में युक्तियुक्त उपयोग किया गया है । शमशेदपुरा, नापानेरा, आगर-आगरी, मलावर एवं बाईहेड़ा परियोजनाओं की नहरों की लाईनिंग कार्य किया जा रहा है । कार्य की पूर्णता निर्माण एजेंसी की क्षमता और धनराशि की उपलब्धता पर निर्भर होने से पूर्णता के लिए समय बताया जाना संभव नहीं है । (ग) जी नहीं, सिंचाई परियोजनाओं के रूपांकित जलाशय में परियोजना के जीवन काल में मिट्टी (सिल्ट) जमा होनेके लिए प्रावधान होता है । जी नहीं ।

<u>परिशिष्ट - "उनसठ"</u>

आंचलिक कार्यालय प्रारंभ कर सुविधा प्रदान की जाना

45. (क्र. 2777) श्री नारायण सिंह पँवार : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या राजगढ़ जिले के नेताजी सुभाषचन्द्र बोस शासकीय महाविद्यालय ब्यावरा में बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल का आंचलिक कार्यालय स्वीकृत किया जाकर वर्ष 2012-13 में प्रभारी मंत्री जिला राजगढ़ द्वारा विधिवत उद्घाटन किया गया था ? (ख) यदि हाँ तो उक्त आंचलिक कार्यालय में विश्वविद्यालय द्वारा आवश्यक स्टॉफ आदि की व्यवस्था तत्समय की गई थी ? यदि नहीं तो क्यों ? (ग) क्या उक्त आंचलिक कार्यालय स्वीकृति दिनांक से प्रश्न दिनांक तक छात्र-छात्राओं को आवश्यक सेवाऐं उपलब्ध कराने में नाकाम रहा है ? यदि हाँ तो इसके क्या कारण है ? क्या भविष्य में उक्त आंचलिक कार्यालय प्रारंभ कर आवश्यक सुविधाऐं प्रदान की जावेगी ?

तकनीकी शिक्षा मंत्री (श्री उमाशंकर गुप्ता) : (क) जी हाँ । (ख) वैकल्पिक व्यवस्था की गयी थी । बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल की कार्यपरिषद बैठक में पदों के सृजन का निर्णय

लिया गया है । आगामी कार्यवाही प्रचलन में है । (ग) जी नहीं । शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है ।

वन क्षेत्र अमरवाड़ा मे अवैध रेत खदानों का संचालन

46. (क्र. 2798) श्री कमलेश शाह : क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वि.स. क्षेत्र अमरवाड़ा के अतरिया एवं निर्भयपुर क्षेत्र की रेत खदानों द्वारा कितनी रायल्टी राशि खनन मद में जमा की जाती है ? विगत 2 वर्ष की माहवार जानकारी देवें ? (ख) क्या इन खदानों का ठेका किसी फर्म/व्यक्ति को दिया गया है ? यदि हाँ, तो नाम सहित बतावें ? (ग) यदि नहीं, तो किस आधार पर इनसे खनन किया जा रहा है ? (घ) ऐसे अवैध खनन को कब तक रोका जाएगा ? इस ओर ध्यान न देकर अनियमितता भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारियों पर शासन कब तक कार्यवाही करेगा ?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) वि.स. क्षेत्र अमरवाड़ा के अतरिया में कोई रेत खदान नहीं है । ग्राम निर्भयपुर के संबंध में **जानकारी संलग्न परिशिष्ट** में दर्शित है । (ख) निर्भयपुर रेत खदान का ठेका श्री अंसार अंसारी को दिनांक 31.03.2013 तक की अवधि हेतु दिया गया था । वर्तमान में किसी को ठेका नहीं दिया गया है । (ग) निर्भयपुर रेत खदान से खनन नहीं किया जा रहा है । (घ) अवैध उत्खनन पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की गई है । वर्तमान में खनन कार्य पूर्णत: बंद है । अनियमितता, भ्रष्टाचार न होने के कारण शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है ।

परिशिष्ट - "साठ"

शासकीय महाविद्यालय स्टॉफ की पूति

47. (क्र. 2848) डॉ. गोविन्द सिंह : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शासकीय महाविद्यालय आलमपुर लहार, बालाजी मिहोना जिला भिण्ड में स्नातकोत्तर एवं स्नातक के किन-किन विषयों के कोर्स संचालित है ? प्रत्येक में विद्यार्थियों की संख्या एवं स्टॉफ की पूर्ण जानकारी दें ? स्टॉफ के कौन-कौन से पद कब से खाली है ? पूर्ति कब तक की जावेगी ? (ख) शासकीय महाविद्यालय आलमपुर के नवीन भवन के निर्माण हेतु वर्ष 2001 से प्रश्न दिनांक तक कितनी-कितनी राशि प्रदान की गई ? प्रदत्त राशि से घटिया निर्माण की प्रश्न कर्ता द्वारा शिकायतों की जांच कब और किससे कराकर क्या कार्यवाही की गई ? (ग) शासकीय महाविद्यालय लहार में विज्ञान संकाय की स्वीकृति के बाद भवन के विस्तार तथा शासकीय महाविद्यालय आलमपुर के नवीन भवन का निर्माण कब तक कराया जावेगा ? महाविद्यालय भवन लहार की अधूरी बाउण्ड्रीवाल कब तक पूर्ण कराई जावेगी ? (घ) शासकीय महाविद्यालय लहार, आलमपुर, बालाजी, मिहोना में जनभागीदारी समिति में कौन-कौन सदस्य व अध्यक्ष है ? 01 जनवरी 2013 से प्रश्न दिनांक तक कब-कब बैठकें आयोजित की गई ? जनभागीदरी के तहत कितनी-कितनी राशि जमा है ? प्रत्येक

महाविद्यालय के विकास कार्य हेतु कितनी राशि व्यय करने का अधिकार है ? यदि नहीं तो क्यों ?

तकनीकी शिक्षा मंत्री (श्री उमाशंकर गुप्ता) : (क) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 1, 2, 3, 4 एवं 5 अनुसार** है । (ख) शासकीय महाविद्यालय, आलमपुर जिला भिण्ड के नवीन भवन निर्माण हेतु वर्ष 2001 से कोई राशि प्रदान नहीं की गई है, जो राशि दी गई है, उसका विवरण निम्नानुसार हैः

1. स्टाफ रूम के निर्माण हेतु राशि रूपये 3.00 लाख
2. बाउण्ड्रीवाल के निर्माण हेत राशि रूपये 9.29 लाख
3. अतिरिक्त कक्ष निर्माण हेतु यू.जी.सी. द्वारा स्वीकृत राशि रूपये 10.50 लाख

घटिया निर्माण कार्य की शिकायत लोक निर्माण विभाग को की गई निर्माण एजेंसी द्वारा कोई जांच नहीं कराई गई और न ही निर्माण कार्य पूर्ण किया गया है । (ग) शासकीय महाविद्यालय, लहार में विज्ञान संकाय की स्वीकृति के बाद भवन विस्तार एवं शासकीय महाविद्यालय, आलमपुर के भवन निर्माण हेतु प्रस्ताव प्राप्त होने के पश्चात् भवन निर्माण संबंधी कार्यवाही की जावेगी । समय-सीमा बताना संभव नहीं । शासकीय महाविद्यालय, लहार की अधूरी बाउण्ड्रीवाल के संबंध में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है । समय सीमा बताना संभव नहीं है । (घ) अध्यक्ष के नामांकित न होने से जनभागीदारी समिति के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की जाती है । 1. शासकीय महाविद्यालय, आलमपुर में जनभागीदारी समिति की अध्यक्षता अनुविभागीय अधिकारी लहार द्वारा की जाती है तथा अन्य समस्त पदेन सदस्य हैं । बैठक आयोजित नहीं की गई है । जनभागीदारी निधि में राशि रूपये 30, 84, 357.00 जमा है । 2. शासकीय महाविद्यालय, बालाजी-मिहौना में जनभागीदारी समिति की बैठक एस.डी.एम. की अध्यक्षता में दिनांक 06.02.15 को आयोजित की गई थी, लेकिन निर्वाचन कार्य में व्यस्तता के कारण उनके उपस्थित न होने के कारण, बैठक स्थगित कर दी गई तथा आगामी बैठक उनकी अनुमति से आयोजित की जावेंगी । जनभागीदारी मद में राशि रूपये 5, 58, 228.50 जमा है एवं दिनांक 20.02.2015 को जारी संशोधित नियमानुसार जनभागीदारी समिति को वित्तीय वर्ष में अधिकतम व्यय करने का अधिकार रूपये 50 लाख है, लेकिन एक बार में राशि रूपये 15 लाख ही व्यय किये जा सकते है । 3. शासकीय महाविद्यालय, लहार, में जनभागीदारी समिति की अध्यक्षता कलेक्टर द्वारा की जाती है । विधायक व सांसद प्रतिनिधि नियुक्त करने के लिये जनभागीदारी समिति व्दारा पत्र लिखा गया है । प्रतिनिधि नियुक्त नहीं हुए हैं । दो शिक्षक प्रतिनिधि में से केवल एक ही पदस्थ होने के कारण एक ही है । जनभागीदारी समिति की दो बैठकें पूर्व में हुई और प्रश्न दिनांक के बाद 21.01.14 को की गई और जनभागीदारी मद में राशि रूपये 7, 83, 859.70 जमा है । संशोधित नियमानुसार सचिव जनभागीदारी समिति के रूप में महाविद्यालय के प्राचार्य को एक वर्ष में राशि रूपये 50 लाख व्यय करने का अधिकार है ।

<u>ताप विद्युत गृहों का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाना</u>

48. (क्र. 2849) डॉ. गोविन्द सिंह : क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दिनांक 01.01.2004 से प्रश्न दिनांक तक राज्य शासन द्वारा म.प्र. पावर जनरेटिंग कंपनी की कितनी ताप विद्युत इकाईयों के निर्माण कार्य प्रारंभ कराये गये ? (ख) उक्त सभी इकाईयों की फिजीवलिटी रिपोर्ट, डी.पी.आर तथा प्रशासकीय स्वीकृति की तिथियां बतावें ? (ग) दिनांक 01.01.2009 से प्रश्न दिनांक तक कितने ताप एवं जल विद्युत गृह इकाईयों के निर्माण कार्य प्रारम्भ कराये गये ?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) दिनांक 01.01.2004 से प्रश्न दिनांक तक राज्य शासन की म.प्र. पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड की जिन ताप विद्युत इकाईयों के निर्माण कार्य प्रारंभ कराये गये हैं, उनका विवरण **संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-''अ'' अनुसार** है । (ख) उक्त सभी इकाईयों की फिजीबिलिटी रिपोर्ट, डी.पी.आर. तथा प्रशासकीय स्वीकृति की तिथियों का विवरण **संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-''अ'' अनुसार** है । (ग) दिनांक 01.01.2009 से प्रश्न दिनांक तक म.प्र.पा.ज.कं.लि. द्वारा कुल दो ताप विद्युत गृहों का निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया, जिनका विवरण **संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-''ब'' अनुसार** है । इस अवधि में म.प्र.पा.ज.कं.लि. द्वारा किसी जल विद्युत गृह का निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है ।

<u>परिशिष्ट – "इकसठ"</u>

विद्युत देयको राशि की गणना एवं चोरी के प्रकरण में पेनाल्टी के प्रावधान

49. (क्र. 2880) श्री ठाकुरदास नागवंशी : क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विभाग द्वारा घरेलू विद्युत देयक/सिंचाई पंप/ व्यवसायिक उद्योगों के विद्युत देयकों में ऊर्जा प्रभार, नियत प्रभार, विद्युत शुल्क (ड्यूटी), ऊर्जा विकास कर (सेस), ईधन प्रभार, मीटर किराया, समायोजन गणना, सुरक्षा निधी एवं अन्य प्रभार की गणना किये जाने की क्या गाईड लाइन/ नियम हैं की प्रति देवनागरी लिपी में देवें ? (ख) (अ) विद्युत कनेक्शन लेने से पूर्व ठेकेदार की टेस्ट रिपोर्ट में दर्ज अधिभार से अधिक अधिभार पाये जाने पर विभाग द्वारा पैंनाल्टी की गणना करने के नियम है, (ब) विद्युत मीटर में छेड़छाड पाये जाने पर अधिकतम एवं न्यूनतम पैंनाल्टी लगाये जाने के क्या नियम है देवनागरी लिपी में देवें ? (ग) उद्योगों में प्रदत्त विद्युत कनेक्शन दिये गये है, उनमें नियमित विद्युत प्रदान न करने पर अथवा अनुबंध अनुसार विद्युत प्रदाय न करने पर उन्हें क्षतिपूर्ति राशि की राशि का समायोजन विद्युत बिल में किये जाने का प्रावधान हैं ? यदि हाँ, तो नियम एवं निर्देशों की प्रति देवें? (घ) प्रश्नांश (ग) में वर्णित प्रावधान है तो कृषि पंपों पर भी इस प्रकार की सुविधा शासन देगा ?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) वितरण कंपनियों द्वारा घरेलू/सिंचाई पंप/ व्यवसायिक उद्योगों के विद्युत देयकों में ऊर्जा प्रभार, नियत प्रभार तथा ईंधन प्रभार (एफ.सी.ए.) की गणना मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी टैरिफ आदेश के अंतर्गत की जाती है । विद्युत शुल्क (ड्यूटी) एवं ऊर्जा विकास कर (सेस) की गणना मध्य प्रदेश शासन की अधिसूचना क्रमांक 17 दिनांक 25/04/12 के अनुसार की जाती है । मीटर किराया, सुरक्षा निधी एवं अन्य प्रभारों की गणना मध्य प्रदेश नियामक आयोग द्वारा जारी की गई आर.जी. 31 विनियम 2009 दिनांक 02-09-2009 के अन्तर्गत की जाती है । सभी नियमों की छायाप्रति **पुस्तकायलय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ", प्रपत्र "ब-1", "ब-2" एवं प्रपत्र स अनुसार** है । टैरिफ आदेश देवनागरी लिपि में उपलब्ध नहीं है । (ख) (अ) विद्युत कनेक्शन लेने से पूर्व ठेकेदार की टेस्ट रिपोर्ट में दर्ज विद्युत भार से अधिक नहीं अपितु, स्वीकृत भार से अधिक भार पाये जाने पर मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी टैरिफ आदेश की सामान्य नियम एवं शर्तों की कंडिका 6 के अनुसार बिलिंग किये जाने के प्रावधान हैं । सभी नियमों की छायाप्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार** है । (ब) विद्युत मीटर में छेड़छाड पाये जाने पर विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के अंतर्गत कार्यवाही की जाती है । सभी नियमों की छायाप्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "द" अनुसार** है । (ग) मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी सप्लाई कोड 2013 की धारा 11.1, 11.2 एवं 11.3 के अंतर्गत विशेष एवं आकस्मिक परिस्थितियों के फलस्वरूप विद्युत प्रदाय उपलब्ध न होने की स्थिति में केवल मीटर युक्त उपभोक्ताओं को क्षतिपूर्ति राशि का समायोजन विद्युत बिलों में किये जाने का प्रावधान है एवं राज्य शासन की अधिसूचना क्रमांक 47 दिनांक 23 नवम्बर, 2012 के अंतर्गत अनुपालन के प्रत्याभूति मानदण्ड में त्रुटि हेतु उपभोक्ताओं को देय क्षतिपूर्ति का प्रावधान है । सभी नियमों की

छायाप्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ई" एवं प्रपत्र "फ" के अनुसार** है । (घ) उत्तरांश (ग) में उल्लेखित प्रावधान मीटर युक्त कृषि पंपों पर भी लागू होते है ।

ग्रामीण विद्युत उपभोक्ताओं को प्रतिमाह नियमित विद्युत देयक का प्रदाय

50. (क्र. 2951) श्रीमती प्रतिभा सिंह : क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जबलपुर जिले में शहपुरा एवं जबलपुर विकासखण्ड के ग्रामीण विद्युत उपभोक्ताओं को जनवरी 2014 से दिसम्बर, 2014 तक प्रतिमाह विद्युत देयक कब-कब प्रदान किये गये ? यदि नहीं, तो क्यों ? वितरण केन्द्रवार जानकारी दें ? (ख) क्या यह सही है कि वि.वि.कं. द्वारा ग्रामीण उपभोक्ताओं को प्रतिमाह विद्युत देयक नियमित रूप से प्रतिमाह न देकर अनेक माह के इकट्ठे दिये जाते हैं जिससे सीमित आय वाले ग्रामीण भारी राशि का समय पर भुगतान नहीं कर पाते क्या शासन ग्रामीण विद्युत उपभोक्ताओं को नियमित रूप से विद्युत देयक प्रदान करना सुनिश्चित करेगा ?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) जबलपुर जिले में शहपुरा एवं जबलपुर विकासखंड के अन्तर्गत वितरण केन्द्रों में ग्रामीण विद्युत उपभोक्ताओं को प्रश्नाधीन अवधि में प्रतिमाह विद्युत देयक दिये गये हैं । जनवरी 2014 से दिसम्बर 2014 तक वितरण केन्द्रवार प्रतिमाह जारी किये गये विद्युत देयकों की दिनांकवार सूची **संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है । (ख) जी नहीं । म.प्र.पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा ग्रामीण विद्युत उपभोक्ताओं को प्रतिमाह नियमित रूप से विद्युत देयक प्रदान किये जा रहे हैं । अत: अन्य कोई कार्यवाही किया जाना आवश्यक नहीं है ।

परिशिष्ट - "बासठ"

जबलपुर जिले में डोलोमाइट का अवैध उत्खनन

51. (क्र. 2952) श्रीमती प्रतिभा सिंह : क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जबलपुर जि. में डोलोमाइट खनिज की कितनी एवं कौन-कौन सी स्वीकृत खदानें है ? ग्रामवार, स्थानवार, रकवा सहित अनुज्ञप्ति धारक का नाम सहित बतावें ? (ख) जबलपुर जिले की डोलोमाइट खदानों से वर्ष 2012-13 से अब तक खदान वार कितना खनन किया गया ? वर्षवार जानकारी दें ? (ग) जबलपुर जिले में अवैध डोलोमाइट खनन के कितने प्रकरण 2012-13 से अब तक दर्ज किये गये एवं उन प्रकरणों पर क्या कार्यवाही की गयी ? डोलोमाइट के अवैध उत्खनन पर रोक लगाने जि. प्रशासन द्वारा की गयी कार्यवाही की जानकारी दें ?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) प्रश्नांश जिले में डोलोमाइट खनिज के 25 खनिपट्टे स्वीकृत हैं । प्रश्न की शेष **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ में दर्शित** है । (ख) प्रश्नांश-क में दर्शित खदानों में से 18 खदानें माननीय उच्च न्यायालय के आदेश एवं पर्यावरण संबंधी अनुमति के अभाव में अकार्यशील हैं । शेष 07 खदानों के संबंध में प्रश्नानुसार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब में दर्शित** है । (ग) प्रश्नाधीन

अवधि से वर्ष 2014-15 तक डोलोमाइट खनिज के अवैध उत्खनन संबंधी **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स में दर्शित** है । **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स में प्रश्नानुसार जानकारी दर्शित** की गई है ।

<u>विद्युत विहीन ग्रामों का विद्युतीकरण</u>

52. (क्र. 3031) श्री रामकिशन पटेल : क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उदयपुरा विधानसभा क्षेत्र में प्रश्न दिनांक तक कौन-कौन से ग्रामों मे विद्युतीकरण कार्य पूर्ण हो चुका है और कौन-कौन से ग्राम विद्युत विहीन हैं, ग्रामवार पृथक-पृथक जानकारी उपलब्ध करावें ? शेष विद्युतविहीन ग्राम कब तक विद्युतीकृत हो सकेंगे ? (ख) उदयपुरा विधान सभा क्षेत्र में फीडर सेपरेशन योजनान्तर्गत केबलीकरण कार्य किन-किन ग्रामों, में पूर्ण हो चुका है व कौन-कौन से ग्राम शेष है ? निर्माण एजेंसियों के नाम एवं भुगतान की गई राशि सहित विवरण दें ? (ग) प्रश्नांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में कार्य की स्वीकृत दिनांक व राशि, कार्य प्रारम्भ व पूर्ण होने की निर्धारित समयावधि एवं दिनांक, वर्तमान में कार्य की स्थिति क्या है ? यदि अपूर्ण है तो क्या कारण है ? कार्य समय सीमा में पूर्ण न होने पर विभाग द्वारा कि गई कार्यवाही की जानकारी उपलब्ध करावें ?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) उदयपुरा विधानसभा क्षेत्र में प्रश्न दिनांक तक सभी 253 ग्रामों में विद्युतीकरण कार्य पूर्ण हो चुका है एवं कोई भी ग्राम अविद्युतीकृत नहीं है । उक्त 253 विद्युतीकृत ग्रामों की सूची **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार** है । (ख) उदयपुरा विधानसभा क्षेत्र में फीडर विभक्तिकरण योजनान्तर्गत 44 ग्रामों में केबलीकरण का कार्य पूर्ण हो चुका है एवं 60 ग्रामों में कार्य शेष है, जिनकी ग्रामवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब एवं प्रपत्र-स अनुसार** है । फीडर विभक्तिकरण योजनान्तर्गत रायसेन जिले हेतु कार्यादेश दिनांक 13.12.2010 मेसर्स जी.ई.टी.पॉवर प्रायवेट लिमिटेड, चेन्नई को जारी किया गया था, जिसकी कार्यपूर्णता अवधि 18 माह थी । मेसर्स जी.ई.टी. पॉवर प्रायवेट लिमिटेड, चेन्नई को किये गये कार्य हेतु रू. 22,66,37, 401/- का भुगतान किया गया था । कार्य में विलंब होने के कारण अनुबंध की शर्तों के अनुसार उक्त ठेकेदार ऐजेंसी का कार्यादेश दिनांक 23.11.2013 को निरस्त कर दिया गया था एवं रू.13,68,11,077/- राशि की बैंक गारंटी राजसात कर ली गई थी । शेष कार्य हेतु मेसर्स बजाज इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड मुम्बई को कार्यादेश दिनांक 26.02.2014 जारी किया गया है । मेसर्स बजाज इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, मुम्बई को किये गये कार्य हेतु रू.16,52,89,125/- का भुगतान किया गया है । (ग) फीडर विभक्तिकरण योजनान्तर्गत रायसेन जिले हेतु कार्यादेश दिनांक 13.12.2010 मेसर्स जी.ई.टी.पॉवर प्रायवेट लिमिटेड, चेन्नई को राशि रू.76,16,17,208/- हेतु जारी किया गया था, जिसकी कार्यपूर्णता अवधि 18 माह थी । कार्य प्रारंभ करने की दिनांक 25.01.2011 थी एवं कार्यपूर्णता की निर्धारित तिथि 25.07.2012 थी, । तदुपरांत अतिरिक्त कार्य हेतु रू.15,23,23,442/- की राशि का अतिरिक्त

कार्यादेश दिनांक 12.07.2012 को जारी किया गया था । मेसर्स जी.ई.टी. पॉवर प्रायवेट लिमिटेड, चेन्नई द्वारा सामग्री एवं श्रमिकों का प्रबंधन नहीं किये जाने के कारण कार्य में विलंब हुआ है । कार्य में विलंब होने के कारण उत्तरांश 'ख' में दर्शाए अनुसार अनुबंध की शर्तों के अनुसार उक्त ठेकेदार एजेंसी का कार्यादेश दिनांक 23.11.2013 को निरस्त कर दिया गया था एवं रू.13,68,11, 077/- राशि की बैंक गारंटी राजसात कर ली गई थी । शेष कार्य हेतु मेसर्स बजाज इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, मुम्बई दिनांक 26.02.2014 को रू. 93,76,02,758/- की राशि का कार्यादेश जारी किया गया है । उक्त कार्य की कार्यपूर्णता अवधि कार्य के प्रारंभ दिनांक 15.03.2014 से 18 माह है जो कि दिनांक 14.09.2015 को पूर्ण होगी । वर्तमान में मेसर्स बजाज इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, मुम्बई द्वारा कार्य संपादित किया जा रहा है एवं कार्य निर्धारित समयावधि में पूर्ण करने के प्रयास किये जा रहे हैं ।

माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणाओं पर कार्यवाही

53. (क्र. 3032) श्री रामकिशन पटेल : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 1 जनवरी 2013 से प्रश्न दिनांक तक रायसेन जिले के संबंध में कुल कितनी घोषणायें मननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई है ? घोषणावार, विषयवार, दिनांकवार जानकारी देवें ? (ख) माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणाओं पर कब-कब, क्या-क्या कार्यवाही आरंभ की गई ? (ग) प्रश्नांश (क) के अंतर्गत किन-किन घोषणाओं पर अब तक अमल आरंभ नहीं हुआ है, तथा कब तक अमल किया जावेगा ? अपूर्ण घोषणाओं की शीघ्र पूर्ण कराये जाने के लिये क्या कोई विशेष कार्यवाही की जावेगी ? कब तक अपूर्ण कार्यों को पूर्ण कराकर घोषणाओं को पूर्ण कराया जावेगा ?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) 1 जनवरी 2013 से प्रश्न दिनांक तक रायसेन जिले में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कुल-32 घोषणाऐं की गई है । शेष **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है । (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है । (ग) सभी घोषणाओं पर अमल प्रारंभ हो गया है । माननीय मुख्यमंत्री घोषणाओं का क्रियान्वयन एक सतत प्रक्रिया है, घोषणाओं की पूर्ति की निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है ।

इंदौर स्थित लालबाग पैलेस में कब्जाधारी

54. (क्र. 3040) श्री राजेश सोनकर : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि इंदौर लालबाग पैलेस में कई किरायेदार (अतिक्रमणकर्ता) है और उनमे से कई किराया भी नहीं दे रहे है ? यह भी सही है कि एक केन्टीन भी चलाया जा रहा है जो कि वास्तविक किराये दार नहीं है ? हाँ तो लालबाग परिसर के ऐसे समस्त किरायेदारों (अतिक्रमणकर्ता) के नाम और उनके कब्जे की भूमिका प्रत्येक का नाप बतावें ? (ख) क्या यह सही है कि कतिपय व्यक्तियों को होल्कर शासन के समय पर पट्टे दिये गये थे ? हाँ तो मूल पट्टेधारियों के नाम बतावें साथ ही प्रत्येक की पट्टे की शर्तें बतावें ? (ग) क्या यह सही

है कि केन्टीन वाला हिस्सा दुग्ध संघ को किराये से दिया था फिर वह हिस्सा दूसरे को स्थानांतरित किस आधार पर हो गया अगर दुग्ध संघ ने यह कृत्य किया है तो उसका आधार बतावें अगर वह अनियमित है तो संघ पर 31.1.15 तक क्या कार्यवाही की गई ? (घ) क्या यह सही है कि कतिपय व्यक्ति न्यायालय में गये और न्यायालय ने उनका आवेदन निरस्त कर दिया या एकाध को स्टे मिला है ? स्टें कब मिला उसको वेकेट करवाने की कौन सी कार्यवाही कब की गई ? क्या कतिपय का किराया रिवाईज किया ? हाँ तो कितना-कितना, किस-किस का और 31.1.15 की स्थिति में कब तक का किराया प्राप्त हुआ ? नहीं हुआ तो क्या कार्यवाही की गई ?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है.

<u>इंदौर जिले के तकनीकी संस्थाओं में पास आउट छात्रों की जमा कॉशन मनी की वापसी</u>

55. (क्र. 3069) श्री राजेश सोनकर : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि किसी भी शिक्षण संस्था द्वारा अपने पास आउट छात्र को उनकी कॉशनमनी वापस करना पड़ती है, हाँ तो इंदौर जिले के विभिन्न तकनीकी संस्थाओं में सत्र 2012-13 तक के पास आउट छात्रों की कितनी-कितनी कॉशनमनी जमा है, जो वापस नहीं की गई छात्र संख्या भी देवें ? (ख) क्या यह सही है कि इंदौर स्थित सेंट्रल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर्मेसी और अन्य ब्रांच की वर्षों से छात्रों की कॉशनमनी आवेदन करने के बावजूद भी 31.01.15 तक वापिस नहीं की गई, इस संस्था के वर्षवार पास आउट छात्रों की संख्या और 31.01.15 तक जमा कॉशनमनी जो वापिस नहीं की गई बतावें ? (ग) कॉशनमनी वापिस नहीं करने का कारण बतावें क्या छात्र को उसकी राशि पर ब्याज सहित वापिस करने का निर्देश दिया जाएगा ?

तकनीकी शिक्षा मंत्री (श्री उमाशंकर गुप्ता) : (क) जी हाँ । जानकारी एकत्रित की जा रही है । (ख) जी नहीं । संस्था से प्राप्त **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है । प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति को उक्त संस्था के आई.टी. ब्रांच के एक छात्र की कॉशन मनी वापिस न करने की शिकायत प्राप्त हुई थी, समिति के निर्देश पर कॉशन मनी की राशि रूपये 1500/- चेक क्रमांक 959951 दिनांक 29.09.2014 के द्धारा वापिस किये जाने की सूचना संस्था द्धारा दी गई है । (ग) जानकारी एकत्रित की जा रहीं है । तत्पश्चात् निर्णय लिया जा सकेगा ।

<u>परिशिष्ट – "तिरेसठ"</u>

<u>गुड़ बनाने हेतु क्रेसर लगाने की अनुमति</u>

56. (क्र. 3085) श्री प्रदीप अग्रवाल : क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सत्य है कि विधानसभा क्षेत्र सेंवढ़ा में (डबरा-शुगर मिल बंद हो जाने के कारण) किसानों को गुड़ बनाने हेतु क्रेसर लगाने की अनुमति प्रदान की गई है ? (ख) क्या यह सही

है कि किसानों द्वारा क्रेसर से गुड़ बनाकर मंडी में विक्रय करना कृषि कार्य की श्रेणी में आता है, जबकि आटा चक्की लगाकर पिसाई कार्य करना व्यापारिक श्रेणी में आता है, यदि हाँ, तो क्या उसके बावजूद किसानों से क्रेसर संचालन बाबत बिजली विभाग 18000 से 20000 रूपये मासिक जबकि आटा चक्की जो 10 H.P. वि.मो. से चलती है, उसे 3300 रूपये मासिक वसूली कर रहे हैं ? (ग) क्या शासन द्वारा किसानों के हितों को देखते हुये उक्त संदर्भ में कोई पृथक से आदेश/निर्देश दिये जायेंगे, जिससे गुड़ के क्रेसर का बिल, चक्की के बिल के बराबर या कम लगे ?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) क्रेशर हेतु किसानों की मांग के अनुरूप स्थायी/अस्थायी विद्युत कनेक्शन प्रदान किये जाते हैं, जिसका प्रश्नाधीन शुगर मिल बंद होने से कोई संबंध नहीं है । (ख) जी नहीं, म.प्र.विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी टैरिफ आदेश के अनुसार किसानों द्वारा क्रेशर से गुड़ बनाने का कार्य एवं आटा चक्की लगाकर पिसाई करने का कार्य दोनों ही टैरिफ की एल.व्ही. 4 (औद्योगिक) श्रेणी में आते हैं तथा तदनुसार ही उक्त श्रेणी के उपभोक्ताओं को विद्युत बिल जारी किये जा रहे हैं । (ग) विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं हेतु विद्युत दरों का निर्धारण म.प्र.विद्युत नियामक आयोग के कार्यक्षेत्र में आता है तथा वर्तमान में क्रेशर से गुड़ बनाने व आटा चक्की लगाकर पिसाई करने, दोनों ही कार्य हेतु म.प्र.विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी टैरिफ दर की एल.व्ही. 4 (औद्योगिक) श्रेणी लागू है ।

नहरों पर सी.सी. का कार्य

57. (क्र. 3089) श्री प्रदीप अग्रवाल : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दतिया जिले में राजघाट नहर विभाग द्वारा वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में कौन-कौन सी नहरों पर सी.सी. का कार्य कराया गया है ? कितनी नहरों का निर्माण कार्य प्रश्न दिनांक तक पूर्ण हो चुका है, तथा कितनी का अपूर्ण है, किस नहर पर कितना निर्माण कार्य कितनी राशि का कराया गया ? टेन्डर की क्या प्रक्रिया है ? नहरवार जानकारी देवें ? (ख) कंडिका (क) में वर्णित नहरों की गुणवत्ता की जांच किन-किन अधिकारियों द्वारा की गई ? अधिकारियों के नाम एवं पद की जानकारी उपलब्ध कराई जावे ? जांच अधिकारियों के क्या प्रतिवेदन रहे ? (ग) कंडिका (क) में वर्णित निर्माण कार्य कौन-कौन सी ऐजेन्सियों से कराये गये ? ऐजेन्सियों के नाम/पता/उनके द्वारा किये गये कार्यों का विवरण/कितनी राशि का कार्य उनके द्वारा किये गये ? (घ) अधिकारियों द्वारा जांच के उपरांत क्या निर्माण ऐजेन्सियों के विरूद्ध कोई कार्यवाही प्रस्तावित की गई है ? यदि हाँ, तो विवरण देवें ?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) एवं (ग) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''अ'' अनुसार** है । ई-टेण्डरिंग से निविदा आमंत्रित कर न्यूनतम निविदाकारों से अनुबंध किये गये हैं । (ख) एवं (घ) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''ब'' अनुसार** है । गुणवत्ता ठीक पाई गई है । शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

रतलाम-मंदसौर जिला सीमा स्थित खोडाना तालाब से सिंचाई

58. (क्र. 3129) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या रतलाम-मंदसौर जिला सीमा स्थित बहुत बड़े भू-भाग पर निमज्जित तालाब खोडाना तालाब के नाम से निर्मित होकर आसपास के अनेक गांवों का मुख्य जल स्त्रोत है ? (ख) यदि हाँ, तो क्या उक्त योजना तालाब के माध्यम से आसपास के क्षेत्रों में सिंचित रकबा बढ़ाये जाने हेतु शासन/विभाग द्वारा सर्वे कार्य पूर्ण कर उक्त तालाब को बंद कर कृषकों को मुआवजा देकर नहरें निकालकर सिंचाई योजना बनाई गई थी ? (ग) यदि हाँ, तो शासन/विभाग द्वारा कितने करोड़ रू. की योजना बनाई जाकर योजनांतर्गत प्रभावित चिन्हित किसानों को कितनी मुआवजा राशि निर्धारित कर उक्त तालाब से कितने रकबे की सिंचाई संभावित पाई गई थी ? (घ) क्या प्रारंभिक सर्वे कार्य को पूर्ण कर संपूर्ण योजना बनाई जाकर शासन/विभाग द्वारा पूर्ण स्वीकृति प्रदान कर इस हेतु बजट भी आवंटित किया गया था ? यदि हाँ, तो कृपया वस्तुस्थिति से अवगत कराएं ?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) से (घ) खोडाना निमज्जित तालाब है, सिंचाई जलाशय नहीं है । निमज्जित तालाब को सिंचाई परियोजना में परिवर्तित करने के लिए दिनांक 07-08-2007 को रूपये 819.18 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति दी गयी थी । निमज्जित तालाब को सिंचाई जलाशय में परिवर्तित करना सिंचाई परियोजना के लिए निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप साध्य नहीं होने की पृष्ठभूमि में प्रशासकीय स्वीकृति दिनांक 16-6-2011 को निरस्त की गयी ।

शासकीय महाविद्यालय जावरा की भूमि का सीमांकन

59. (क्र. 3130) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासन/विभाग द्वारा भगत सिंह शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जावरा की भूमि के सीमांकन के संबंध में निर्देश/आदेश विगत वर्ष 2014 में जारी किये थे ? (ख) यदि हाँ, तो क्या यह सही है कि वर्ष 1965 से लेकर विगत वर्ष तक महाविद्यालय की भूमि का सीमांकन नहीं किया गया था ? साथ ही महाविद्यालय की भूमि पर अनाधिकृत निर्माण कार्य भी निर्मित होकर अनेको के कब्जे में है ? (ग) क्या शासन/विभाग के निर्देशों/आदेश के माध्यम से अधीनस्थ विभाग द्वारा महाविद्यालय की भूमि का सीमांकन कार्य किया जा चुका है ? (घ) यदि हाँ, तो महाविद्यालय के सीमांकन की संपूर्ण वस्तुस्थिति से अवगत करायें ?

तकनीकी शिक्षा मंत्री (श्री उमाशंकर गुप्ता) : (क) जी नहीं । किन्तु प्राचार्य, भगतसिंह शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जावरा की भूमि के सीमांकन हेतु आवेदन वर्ष 2014 में अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, जावरा को प्रस्तुत किया गया है । (ख) जी हाँ । महाविद्यालय की भूमि का सीमांकन न होने के कारण शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता ।

(ग) जी नहीं । प्रक्रियाधीन है । (घ) प्रश्नांश "ग" के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

<u>सुमावली विधानसभा की गलेथा-मैदपुरा डिस्ट्रीब्यूटरी की मरम्मत हेतु</u>

60. (क्र. 3187) श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सुमावली विधानसभा मुरैना के ग्राम गलेथा (हवेली) से ग्राम मैदपुरा की माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी पूर्ण रूप से नष्ट हो चुकी है क्यों ? (ख) क्या उक्त डिस्ट्रीब्यूटरी में वर्ष 2010 से जनवरी 2015 तक सिंचाई हेतु पानी नहीं चल सका है ? इसके लिये कौन अधिकारी जिम्मेदार है ? (ग) क्या शासन मुरैना ब्रांच केनाल की उक्त डिस्ट्रीब्यूटरी का पुर्ननिर्माण करायेगा ? यदि हाँ तो कब तक ?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) जी नहीं । (ख) जी नहीं, इस वर्ष प्रश्न दिनांक तक 100 हे. भूमि में रबी सिंचाई की गई है । (ग) नहर सुदृढ़ीकरण कार्य स्वीकृत है । कार्य पूर्ण करने के लिए समय-सीमा निर्धारित करना संभव नहीं है ।

<u>क्षतिग्रस्त नहरों का मरम्मतीकरण</u>

61. (क्र. 3205) श्री विजयपाल सिंह : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र सोहागपुर के अंतर्गत कितने वृहद/मध्यम/लघु सिंचाई परियोजनायें संचालित है नाम सहित जानकारी देवें ? साथ ही क्या कोई नई सिंचाई परियोजनायें स्थापित करने के संबंध में प्रस्ताव है, यदि है तो प्रस्तावित परियोजनायें कब तक पूर्ण कर ली जावेगी ? विवरण सहित जानकारी देवें ? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में पूर्व से संचालित सिंचाई परियोजनाओं की नहरें क्या क्षतिग्रस्त है एवं कच्ची हैं यदि हैं तो कितनी नाम सहित जानकारी देवें ? (ग) प्रश्नांश (क) के संबंध में क्षतिग्रस्त कच्ची नहरों को पक्की नहरों (लाईनिंग) में परिवर्तन हेतु क्या कोई योजना प्रस्तावित है ? यदि है तो प्रस्तावित योजना कब तक पूर्ण कर ली जावेगी ?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) प्रश्नाधीन क्षेत्र में तवा वृहद परियोजना एवं गुड्डीखेड़ा लघु सिंचाई परियोजनाएं संचालित है । स्वीकृति हेतु कोई परियोजना प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है । (ख) जी नहीं । प्रश्नाधीन परियोजनाओं की नहरें रूपांकित क्षमता अनुसार जल प्रवाह के लिए उपयुक्त हैं । प्रश्नाधीन क्षेत्र में तवा परियोजना की नहरों की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है । (ग) तवा परियोजना के सुदृढ़ीकरण, विस्तारीकरण एवं आधुनिकीकरण की परियोजना तैयार कर भारत सरकार को भेजी गई । प्रश्नाधीन क्षेत्र में कच्ची नहरें रूपांकित जल प्रवाह के लिए उपयुक्त होने और नहरों को पक्की करने के संबंध में स्वीकृति नहीं होने से पूर्णता के लिए समय-सीमा नियत करने की स्थिति उत्पन्न नहीं होती है ।

<u>परिशिष्ट – "चौंसठ"</u>

व्यापम द्वारा आयोजित पीएमटी की परीक्षा में चयनित छात्र की जानकारी

62. (क्र. 3275) श्री रामसिंह यादव : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या व्यापम द्वारा आयोजित पीएमटी परीक्षा वर्ष 2010 से वर्ष 2012 की अवधि में श्री संजय जोशी पुत्र श्री प्रहलाद जोशी नामक छात्र ने परीक्षा दी थी ? यदि हाँ तो पीएमटी परीक्षा में कितने अंक/प्रतिशत अर्जित किए थे ? एवं भोपाल के किस निजी मेडिकल कॉलेज में बी.डी.एस. में प्रवेश लिया था ? (ख) क्या भोपाल के निजी मेडिकल कॉलेज मानसरोवर डेंटल कॉलेज में संजय जोशी पुत्र प्रहलाद जोशी को वर्ष 2010 से वर्ष 2012 की अवधि में बी.डी.एस. में प्रवेश मिला था ? यदि हाँ तो कब ? क्या मानसरोवर डेंटल कॉलेज भोपाल की मान्यता वर्ष 2012 से वर्ष 2014 के मध्य कभी रद्द की गई थी ? यदि हाँ तो क्यों ? किस आदेश से रद्द की गई ? एवं किस आदेश से पुन: बहाल की गई ? (ग) क्या अक्टूबर 2012 से 15 मार्च 2014 के मध्य भोपाल के निजी मेडिकल कॉलेज मानसरोवर डेंटल कॉलेज के बी.डी.एस. छात्र संजय जोशी पुत्र प्रहलाद जोश के विरूद्ध भोपाल पुलिस द्वारा कोई प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था ? यदि हाँ तो किस अपराध में क्या प्रकरण पंजीबद्ध हुआ था ? और पुलिस द्वारा प्रकरण के तहत कब गिरफ्तार किया गया ? एवं क्या कार्यवाही की गई ? (घ) क्या यह सही है कि राजधानी भोपाल में स्थित कुछ मेडिकल कॉलेजों के विरूद्ध, नियम विरूद्ध एवं शासन से उपयुक्त मान्यता प्राप्त किए बगैर चिकित्सा शिक्षा डिग्री जैसे बी.डी.एस. आदि के लिए छात्रों को प्रवेश दिए जाने में अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार की शिकायतें वर्ष 2011 से 2014 के मध्य प्राप्त हुई थी ? यदि हाँ तो किनके प्रति क्या शिकायत प्राप्त हुई एवं शासन ने उनके प्रति क्या कार्यवाही की ?

तकनीकी शिक्षा मंत्री (श्री उमाशंकर गुप्ता) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है ।

म.प्र. पावर जनरेटिंग कं. लिमि. शिवपुरी में अनुकंपा नियुक्ति

63. (क्र. 3276) श्री रामसिंह यादव : क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या अनुकंपा नियुक्ति हेतु विद्युत कंपनियों द्वारा लागू अनुकंपा नियुक्ति नीति, 2013 के प्रावधानों में संशोधन किए जाने हेतु राज्य शासन ने प्रबंध संचालक, म.प्र. पावर जरनेटिंग/ट्रांसमिशन कं.लि., जबलपुर म.प्र. पावर मैनेजमेंट कं.लि. जबलपुर, म.प्र. पूर्व/मध्य/पश्चिम क्षेत्र वि.वि.कं.लि. जबलपुर/ भोपाल/इन्दौर को शासन द्वारा निर्देशित किया गया है ? (ख) शासन के निर्देश दिनांक 01/11/2014 के पालन में प्रदेश में कार्यरत उक्त विद्युत कंपनियों द्वारा कब कौन से नियम-निर्देश/आदेश जारी किए ? जानकारी दें कि निर्देश के तहत अनुकंपा नियुक्तियां कंपनियों द्वारा कब तक प्रदान कर दी जावेगी ? (ग) क्या म.प्र. पावर जनरेटिंग कंपनी लिमि. के जिला शिवपुरी कार्यालय में अनुकम्पा नियुक्ति हेतु मृतक कर्मचारी स्व. श्री बहादुर सिंह यादव, वरिष्ठ सुरक्षा सैनिक के आश्रित पुत्र श्री अमित यादव का आवेदन लंबित है ? यदि हाँ, तो (घ) यदि हाँ तो श्री अमित यादव को अनुकंपा नियुक्ति कब तक प्रदान कर दी जावेगी ?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) जी हाँ । (ख) राज्य शासन के आदेश दिनांक 01.11.2014 के परिपालन में, विद्युत कंपनियों द्वारा जारी 'संशोधित अनुकंपा नियुक्ति नीति-2013' का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	**कम्पनी का नाम**	**संशोधित अनुकम्पा नियुक्ति नीति-2013 जारी करने का आदेश क्र. एवं दिनांक**
1	म.प्र. पॉवर जन.कं.लि., जबलपुर	क्रमांक का.नि. (मा.सं.एवं प्र.) मप्रपॉजकंलि/ अनु.नीति/4796/-97 दिनांक 12.12.2014
2	म.प्र. पॉवर ट्रांस.कं.लि., जबलपुर	क्रमांक अस/एमपीपीटीसीएल/ 107 दिनांक 12.01.2015 सहपठित आदेश क्रमांक 210 दिनांक 22.01.2015
3	म.प्र.पॉ.मैने.कं.लि., जबलपुर	क्रमांक मु.म.प्र. (मा.सं.) /वीकेएस 2597 दिनांक 09.12.2014
4	म.प्र.पूर्व क्षेत्र वि.वि.कं.लि., जबलपुर	क्रमांक प्र.सं./ पूक्षे/ मु.महा (मा.सं.एवं प्र) / क.अ./सा. 435/7836 दिनांक 12.12.2014
5	म.प्र.पश्चिम क्षेत्र वि.वि.कं.लि., इन्दौर	क्रमांक प्रसं/पक्षे/01/मा.सं./710 दिनांक 29.12.2014
6	म.प्र.मध्य क्षेत्र वि.वि.कं.लि., भोपाल	क्रमांक प्रसं/म.क्ष./स्था./आर. आई.-01/ 13070 दिनांक 24.12.2014

उक्त नीति के परिप्रेक्ष्य में अनुकंपा नियुक्ति हेतु प्राप्त होने वाले आवेदनों का परीक्षण किया जाकर उन पर आवश्यक कार्यवाही एक सतत् प्रक्रिया के अंतर्गत की जाती है, अत: निश्चित समयावधि बताया जाना संभव नहीं है । (ग) जी हाँ, (घ) म.प्र. पॉवर जन.कं.लि. जबलपुर द्वारा जारी 'संशोधित अनुकंपा नियुक्ति नीति-2013' दिनांक 12.12.2014 के प्रावधानानुसार, पूर्ववर्ती म.प्र.रा.वि.मं./कंपनी के ऐसे कार्मिक, जिनकी मृत्यु दिनांक 10.04.2012 के पूर्व एवं दिनांक 15.11.2000 के पश्चात मंडल/कंपनी का कार्य करते समय आकस्मिक दुर्घटना, विद्युत दुर्घटना, हमलावरों द्वारा हत्या अथवा कार्य के दौरान वाहन दुर्घटना में हुई हो, उनके आश्रितों को ही अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता है, अत: प्रश्नांश (ग) में उल्लेखित कार्मिक की दिनांक 28.03.2010 को हृदयाघात से प्राकृतिक मृत्यु होने के कारण वर्तमान नीति के प्रावधानों के अंतर्गत उनके आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता नहीं है ।

<u>मुरैना जिले में नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा के कार्यो</u>

64. (क्र. 3287) श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार : क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मुरैना जिले में म.प्र. ऊर्जा विकास निगम द्वारा ऐसी बस्तियाँ चिन्हित कर जहाँ विद्युत लाइन नहीं पहुंच सकती ऐसी बस्तियों को अक्षय ऊर्जा के उपकरण सुगमता से मुहैया कराने की योजना प्रारम्भ की जा चुकी है, पूर्ण जानकारी दी जावे ? (ख) क्या सुमावली विधान सभा के ग्राम सावदा गुढ़ा चम्बल में सौर्य ऊर्जा की प्लेटे उपलब्ध कराकर विद्युत व्यवस्था नहीं की जा सकी है इस दूरस्थ बस्ती में सौर्य ऊर्जा की व्यवस्था कब कर

दी जावेगी ? (ग) विधान सभा क्षेत्र में ऐसी अनेक बस्तियां है जिन्हें कब तक चिन्हित कर विद्‌युत व्यवस्था की जा सकेगी ?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) जी नहीं । (ख) ग्राम सावदा गुढ़ा चम्बल में सौर ऊर्जा से विद्‌युतीकरण का प्रस्ताव अप्राप्त है । ग्राम पंचायत से प्रस्ताव प्राप्त होने पर अग्रिम कार्यवाही की जावेगी । (ग) संबंधित विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत सौर ऊर्जा संयंत्रों के माध्यम से विद्‌युतीकरण के लिए चिन्हित बस्तियों की सूची प्राप्त होने पर भारत सरकार की योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रस्ताव प्राप्त होने पर सौर ऊर्जा से विद्‌युत व्यवस्था की कार्यवाही की जा सकेगी ।

छप्पन महल संग्रहालय की मरम्मत

65. (क्र. 3313) श्री कालुसिंह ठाकुर : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या नगर परिषद् माण्डव में स्थित छप्पन महल संग्रहालय की 13 वां वित्त मद की राशि रू. 18.76.826/- की लागत से निर्मित बाउंड्रीवाल के निर्माण का एवं निर्मित महल के अनुरूप प्रस्तरखण्ड का उपयोग कर निर्माण किया गया है, जिसमें ठेकेदार द्‌वारा घटिया निर्माण सामग्री का उपयोग कर काली रेत आदि से बाउंड्रीवाल का निर्माण किया गया है, तथा उपयोग में लाई गई एरन, पत्थर आदि की रायल्टी भी नहीं चुकाई गई है ? (ख) क्या शासन उक्त घटिया निर्माण की जांच करवाकर संबंधित ठेकेदार के विरूद्‌ध वसूली आदि की कोई ठोस कार्यवाही करेगा, एवं ठेकेदार को परिषद क्षेत्र के ही अन्य महलों में कार्य हेतु प्रदाय ठेके निरस्त करेगा ? यदि हाँ तो कब तक ?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) संचालनालय पुरातत्व अभिलेखागार एवं संग्रहालय भोपाल के अंतर्गत छप्पन महल माण्डव में बाउंड्रीवाल का निर्माण प्रस्तरखण्ड से किया गया है. ठेकेदार द्‌वारा घटिया निर्माण सामग्री के उपयोग की कोई सूचना कार्यालय को नहीं है. कार्य ठेकेदार को मटेरियल सहित दिया गया था. अत: उपयोग की गई सामग्री पर रायल्टी आदि चुकाने का दायित्व संबंधित ठेकेदार का है. (ख) ठेकेदार द्‌वारा घटिया निर्माण की कोई जानकारी नहीं है. विभागीय तकनीकी अमले द्‌वारा अनुमानिक के स्पेसिफिकेशन के अनुरूप कार्य की गुणवत्ता के अनुरूप उक्त कार्य पाया गया तथा उन्हे तदानुसार भुगतान किया गया. चूंकि कार्य गुणवत्ता के अनुरूप हुआ अत: ठेके निरस्त करने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है.

बांध निर्माण में उपयोगार्थ सामग्री की स्वीकृति

66. (क्र. 3336) श्री मुकेश नायक : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पन्ना जिले में वर्ष, 2012-13 2013-14 एवं 2014-15 में विभाग द्‌वारा कितने निर्माण कार्य (बांध) कहाँ-कहाँ बनवाये गये हैं, तथा उक्त बांधों में पत्थर, गिट्‌टी, मुरम का उपयोग किया गया है ? (ख) उपरोक्तानुसार उपयोग पत्थर, गिट्‌टी, मुरम, रेत के उत्खनन की स्वीकृति नियमानुसार ली गई थी, अथवा नहीं ? यदि नहीं, ली गई थी, तो पत्थर,

गिट्टी, मुरम, रेत कहाँ से खोदकर अथवा क्रय कर उपयोग की गई है ? (ग) उक्त उपयोग पत्थर, गिट्टी, मुरम, रेत की नियमानुसार अग्रिम रायल्टी शासन में जमा की गई है अथवा नहीं, तथा उपरोक्त कार्य पूर्ण होकर सभी निर्माण कार्यों का अंतिम भुगतान ठेकेदारों को किया गया है अथवा नहीं ? यदि किया गया है, तो भुगतान के पूर्व नियमानुसार संबंधित विभाग से बकाया रहित प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया है अथवा नहीं ? (घ) बकाया रहित प्रमाण पत्र प्राप्त किये बिना ठेकेदार का भुगतान कर शासन के नियमों का पालन क्यों नहीं किया गया है, तथा इसके लिए कौन उत्तरदायी है ? क्या शासन ऐसे अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है ।

<u>सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का अनुपालन</u>

67. (क्र. 3337) श्री मुकेश नायक : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों के शिक्षकों को पांचवें वेतन आयोग के अनुसार शतप्रतिशत वेतन देने तथा 2006 से छठवें वेतनमान को यथावत लागू करने से संबंधित दिनांक 7.01.2014 के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले/आदेश को लागू करने में देरी क्यों की गई ? (ख) इस फैसले को अक्टूबर 2014 तक किस रूप में और किस प्रकार लागू किया गया और क्या कारण है कि कई महाविद्यालयों के शिक्षकों को इस फैसले के अनुसार अक्टूबर 2014 तक पूरा वेतन नहीं मिल पाया ? (ग) राज्य शासन द्वारा सर्वोच्च न्यायालय का फैसला/आदेश लागू न करने पर शिक्षकों के संगठनों ने अवमानना याचिका दायर की और इस पर 15.01.2015 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने शिक्षकों के पक्ष में, जो फैसला और आदेश जारी किया है, उसे शासन किस प्रकार और कब तक लागू कर रहा है ? पूर्ण जानकारी दीजिए ? (घ) इस फैसले को लागू करने में देरी के कारण जनवरी 2014 के बाद सेवानिवृत्ति हुए कितने अशासकीय महाविद्यालयों के कितने शिक्षकों के पेंशन प्रकरण लंबित हैं और उनके शीघ्र निपटारे के लिए अब शासन क्या कार्यवाही कर रहा है ?

तकनीकी शिक्षा मंत्री (श्री उमाशंकर गुप्ता) : (क) माननीय न्यायालय द्वारा पुनर्विलोकन याचिका एवं अवमानना याचिका में पारित निर्णय के अनुसार भुगतान किया जा रहा है, इसलिए विलंब का प्रश्न नहीं उठता । (ख) माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 07.01.2014 के अनुक्रम में दिनांक 07.10.2014 एवं दिनांक 21.10.2014 को आदेश जारी कर छठवां वेतनमान दिनांक 07.01.2014 से लागू किया गया है । पांचवे वेतन आयोग के अनुसार शत-प्रतिशत वेतन देने संबंधी प्रारूप आदेश वित्त विभाग के समक्ष परीक्षणाधीन है । (ग) कार्यवाही प्रचलन में है । निश्चित अवधि बताना संभव नहीं है । (घ) जनवरी 2014 के बाद अशासकीय महाविद्यालयों के शिक्षकों का कोई पेंशन प्रकरण लंबित नहीं है ।

<u>हाईटेन्शन लाईन को हटाने संबंधी शिकायत</u>

68. (क्र. 3351) श्री राजेन्द्र फूलचन्द वर्मा : क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) देवास जिले के सोनकच्छ शहर में ऐसे कितने रिहायशी इलाके है जिनमें रहवासी भवनों के ऊपर से 11 के.व्ही. एवं 33 के.व्ही. लाईन गुजर रही है ? (ख) सोनकच्छ शहर के कितने मकान मालिक, कॉलोनाईजर हैं जिन्होने उक्त 11 के.व्ही. एवं 33 के.व्ही. लाईन को हटाने हेतु वर्ष 2013-2014 एवं 2014-2015 में जनवरी, 2015 तक आवेदन किया हैं? उनके नाम आवेदन की दिनांक सहित उनकी वर्तमान स्थिति की जानकारी देंवें ?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) सोनकच्छ विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत आबाद क्षेत्रों में कुल 33 लोकेशन ऐसे हैं जिनके ऊपर से 11 के.व्ही. उच्चदाब लाईन गुजर रही है । इन सभी लोकेशन पर विद्युत लाईनें पूर्व से विद्यमान थीं एवं बाद में भवनों का निर्माण अनाधिकृत रूप से किया गया है । (ख) सोनकच्छ विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत किसी भी मकान मालिक/कॉलोनाईजर द्वारा उत्तरांश "क" में उल्लेखित लोकेशन से उच्चदाब लाईन हटाने हेतु आज दिनांक तक कोई भी आवेदन-पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है । तथापि श्री सिद्धुलाल सेवाराम निवासी फोरलेन बायपास रोड़ सोनकच्छ से लाईन हटाने संबंधी शिकायती आवेदन-पत्र दिनांक 08.12.2014 को प्राप्त हुआ था । इस आवेदन पर आवेदक को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा तथा विद्युत आपूर्ति संबंधी उपाय) विनियम-2010 की धारा 63 के अनुसार ओव्हर हेड लाईन में फेरबदल की लागत का भुगतान करने की सहमति प्रदान करने हेतु लेख किया गया है । नियमानुसार सहमति पत्र प्राप्त होने पर प्राक्कलन बनाने की कार्यवाही की जावेगी ।

<u>विद्युतविहीन ग्राम मजरा टोलों में विद्युत पूर्ति</u>

69. (क्र. 3352) श्री राजेन्द्र फूलचन्द वर्मा : क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सोनकच्छ विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत कई मजरा टोले में विद्युत सप्लाय है या नहीं, नहीं तो क्यों नहीं ? (ख) क्या सोनकच्छ विधानसभा क्षेत्र के सभी मजरे टोलों को विद्युत सुविधा प्राप्त हो सकेगी हाँ तो कब तक ? (ग) विधानसभा क्षेत्र में कितने गांव व कितने मजरे टोले में विद्युत सप्लाय नहीं हैं, नाम सहित जानकारी देवें ?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) जनगणना पुस्तिका में मजरों/टोलों का उल्लेख नहीं है] अत: उनके विद्युतीकरण संबंधी प्रमाणिक जानकारी दिया जाना संभव नहीं है । तथापि सोनकच्छ विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में सघन विद्युतीकरण हेतु 100 एवं 100 से अधिक आबादि वाले 49 मजरे/टोले सर्वे के आधार पर चिन्हित किये गये है । (ख) सोनकच्छ विधानसभा क्षेत्रांतर्गत उपरोक्त 49 मजरों/टोलों में से 32 मजरों/टोलों में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत सघन विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण किया जा चुका है एवं शेष 17 मजरों/टोलों में माह जून 2015 तक सघन विद्युतीकरण का कार्य किया जाना संभावित है । (ग) सोनकच्छ विधानसभा क्षेत्रांतर्गत सभी ग्राम विद्युतीकृत है तथा ऐसा कोई ग्राम नहीं है जिसमें विद्युत प्रदाय

उपलब्ध न हो । जनगणना पुस्तिका में मजरों/टोलों का उल्लेख नहीं होने से अविद्युतीकृत मजरों/टोलों की प्रमाणिक जानकारी दी जाना संभव नहीं है ।

<u>योजनाओं में प्राप्त आवंटन</u>

70. (क्र. 3380) डॉ. मोहन यादव : क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. में नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा के संबंध में कौन-कौन सी योजनाएं लागू हैं मय दस्तावेज के विस्तृत विवरण प्रस्तुत करें ? (ख) उज्जैन जिले में प्रश्नांश (क) में उल्लेखित योजनाओं में से कौन-कौन सी योजनाओं का लाभ किन-किन गांवों/हितग्राहियों को दिया गया है ? ग्राम/तहसील/व्यक्तिवार जानकारी प्रदान करें ? (ग) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित योजनाओं में से उज्जैन जिले में वित्तीय वर्ष 2014-15 में कितना आवंटन किस-किस मद में प्राप्त हुआ एवं उक्त आवंटन को किस-किस मद में व्यय किया गया ? आय एवं व्यय की मदवार जानकारी का मय दस्तावेज के ब्यौरा दें ?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) सोलर स्ट्रीट लाईट, सोलर होम लाईट, सोलर पॉवर प्लांट, सोलर जल पंप एवं सौर गर्म जल संयंत्र, डी.डी.जी., ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, अक्षय ऊर्जा शॉप योजनाएं लागू है । **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार** है । (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार** है । (ग) शासन से एक मुश्त राशि मुख्यालय स्तर पर प्राप्त होती है । जिलेवार आवंटन प्राप्त नहीं होता है ।

<u>आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो में शासकीय सेवकों की जांच</u>

71. (क्र. 3394) श्री हर्ष यादव : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो में सामान्य प्रशासन विभाग, राजस्व विभाग, जल संसाधन विभाग, मण्डी बोर्ड, किसान कल्याण तथा कृषि विभाग के कितने शासकीय सेवकों की जांच चल रही है, जनवरी, 2015 की स्थिति में शासकीय सेवक का नाम, पद, विभाग सहित बतावें ? (ख) प्रश्नांश (क) विभागों में कितने शासकीय सेवकों के चालान वर्ष, 2014-15 में जनवरी, 2015 तक न्यायालय में प्रस्तुत किये गये हैं, शासकीय सेवक का नाम, पद विभाग बतावें ? (ग) प्रश्नांश (क) में अंकित विभागों के कितने शासकीय सेवकों के चालान न्यायालय में पेश करने हेतु शासन/ विभाग की अनुमति मांगी गई है ? अनुमति मांगने का दिनांक वर्ष सहित, नाम, पद, विभाग बतावें ? (घ) शासन अनुमति क्यों नहीं दे रहा है ? क्या जांच में दोषी पाये गये शासकीय सेवकों को पूरी सेवा करने देने हेतु शासन अनुमति देने में अतिविलंब कर रहा है ? यदि नहीं, तो अनुमति देने में शीघ्रता करने हेतु क्या उपाय किये गये ?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है ।

<u>विद्युत प्रदाय एवं ओ.वाय.टी. योजना एवं लाईन लायसेन्स में की गई अनियमितता</u>

72. (क्र. 3459) श्रीमती ममता मीना : क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या गुना जिले में ओ.वाय.टी. योजना में कितने माहों का अस्पार्ट पम्प कनेक्शन देने

का नियम है गुना वृत में गत 3 वर्षों में उक्त नियम को तोड़कर कितने अधिकारी कर्मचारियों ने अनियमितता की कंपनी का कितना नुकसान हुआ ? (ख) क्या गुना वृत में ओ.वाय.टी. योजना में स्थापित ट्रांसफार्मर, सबस्टेशन पर (डी.टी.आर) मीटर लगाने का प्रावधान है गत 3 वर्षों में उपभोक्ताओं ने कितनी राशि जमा करायी कितनों ने जमा नहीं करायी कितने मीटर लगे कितने नहीं लगे यदि नहीं तो इसके लिए कौन जबावदार है ? (ग) क्या म.प्र. विद्‍युत प्रदाय संहिता 2004 के अध्याय-3 में 3-2 में उल्लेखित ए.सी. आपूर्ति की घोषित वोल्टेज (1) (2) (3) के अनुसार गुना जिले के सभी 132/33 के.व्ही. उपकेन्द्र के गत 3 वर्षो के वार्षिक बोल्टेज रिकार्ड का अनुपात घोषित वोल्टेज से कम है ? यदि हाँ तो क्या जिन स्थानों पर कम वोल्टेज प्रदाय किया है उन उपभोक्ताओं केविद्‍युत बिल राशि विभाग कम करेगा कब और कैसे प्रदाय किये गये वोल्टेज का विवरण दें ? (घ) गुना वृत में विद्‍युत चोरी एवं लाईन लायसेंस सर्वाधिक किस संभाग में गत 3 वर्षो में हुआ है क्या उसे कम करने का उपाय किये गये या किये जावेगें दोषी अधिकारियों के विरूद्‍ध क्या कार्यवाही की ? संभागवार लाईन लासेंस की जानकारी कार्यवाही सहित दें ?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) स्वयं का ट्रांसफार्मर योजना (ओ.वाय.टी.) में अस्थाई विद्‍युत कनेक्शन देने का कोई प्रावधान/नियम नहीं हैं] अत: प्रश्न नहीं उठता । (ख) जी हाँ । ओ.वाय.टी. योजना के अंतर्गत जारी निर्देशानुसार उपभोक्ता/उपभोक्ता समूह द्‍वारा स्वंय के व्यय पर डी.टी.आर. मीटर स्थापित किए जाने का प्रावधान है एवं विकल्प के रूप में प्राक्कलन की संपूर्ण राशि विद्‍युत वितरण कंपनी के संबंधित कार्यालय में जमा करा कर कार्य करवाने का विकल्प है । गुना वृत्त के अंतर्गत ओ.वाय.टी. योजना में सभी प्राक्कलन आवेदक द्‍वारा अ श्रेणी के ठेकेदार से स्वयं के व्यय पर पर्यवेक्षण शुल्क जमा कराने के उपरांत कार्य कराने के विकल्प के आधार पर स्वीकृत किये गये हैं] अत: प्रश्न नहीं उठता । (ग) म.प्र. विद्‍युत प्रदाय संहिता-2013 (यथासंशोधित) के अध्याय तीन के उपबंध 3.2 में उल्लेखित निर्धारित वोल्टेज अनुसार विद्‍युत प्रदाय की वोल्टेज में नियत सीमा से विचलन नहीं हुआ है । साथ ही इस संबंध में कोई शिकायत भी प्राप्त नहीं हुई है] अत: प्रश्न नहीं उठता । (घ) गुना वृत्त के क्षेत्रांतर्गत गुना एवं अशोकनगर जिलों में गत तीन वर्षों में वितरण कंपनी के संभागवार लाईन लॉस की जानकारी **संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है । विद्‍युत अधिनियम 2003 के अंतर्गत विद्‍युत का अवैधानिक उपयोग रोकने तथा लाईन लॉस में प्रतिवर्ष उत्तरोत्तर कमी लाने हेतु सतत प्रयास किये जा रहे हैं] अत: किसी के विरूद्‍ध कार्यवाही आवश्यक नहीं है ।

परिशिष्ट - "पैंसठ"

प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थलों के आसपास अवैध निर्माण

73. (क्र. 3470) श्री सुदर्शन गुप्ता (आर्य) : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) इन्दौर जिले में प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 एवं (संशोधन एवं विधिमान्यकरण) अधिनियम 2010 के अन्तर्गत कितने निषिद्ध क्षेत्र हैं, स्थलवार सूची उपलब्ध करावें ? (ख) क्या उक्त अधिनियम की धारा 20 (क) के अनुसार स्मारक स्थल की मूल संरक्षित सीमा से चारों ओर 100 मीटर की दूरी तक किसी भी प्रकार का नव निर्माण, पुनर्निमाण एवं सार्वजनकि निर्माण वर्जित है ? यदि हाँ, तो क्या इन्दौर जिले में उक्त अधिनियम के अन्तर्गत संरक्षित स्मारक स्थल के आस-पास 100 मीटर की दूरी तक किसी भी प्रकार का निर्माण, पुर्ननिर्माण एवं सार्वजनिक निर्माण किया गया है ? यदि हाँ, तो किसकी अनुमति से निर्माण कार्य हुआ है, कारण सहित स्पष्ट करें ? (ग) क्या संरक्षित स्मारक स्थल के आस-पास निर्धारित सीमा के अन्दर किये गये अवैध निर्माण को हटाने हेतु कार्यवाही की गई है ? यदि हाँ, तो क्या कार्यवाही की गई है, स्थलवार स्पष्ट करें ?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है.

कार्यरत जल उपभोक्ता समितियां

74. (क्र. 3485) श्री आर.डी. प्रजापति : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छतरपुर जिले में कितनी निर्वाचित जल उपभोक्ता समितियां (संगठन) कार्यरत हैं ? वर्ष 2012 से 2014 तक पंजीकृत समितियों के नाम, पते एवं कार्यक्षेत्र सहित विवरण उपलब्ध करावें ? (ख) वित्तीय वर्ष 2012-13 से 2013-14 की अवधि में जिले की जल उपभोक्ता समितियों (संगठनों) को नहरों की सफाई हेतु वर्षवार एवं समितिवार कितनी-कितनी राशि आवंटित की गई है और उनके द्वारा आवंटित राशि में से कितनी-कितनी राशि व्यय की गई है ? (ग) प्रश्नांश (ख) के संबंध में व्यय की गई राशियों के संबंध में जिन कार्यों को कराया गया है, उनका पूर्ण विवरण वर्षवार उपलबध करावें ?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) से (ग) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है ।

जल संसाधन विभाग छतरपुर द्वारा किये गये निर्माण की जानकारी

75. (क्र. 3486) श्री आर.डी. प्रजापति : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छतरपुर जिले में विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2013-14 में विभिन्न योजनान्तर्गत प्रारंभ किए गए निर्माण कार्यों की जानकारी निम्न प्रारूप में प्रदाय करें ? क्रमांक/कार्य का विवरण/स्थल/निर्माण कार्य स्वीकृति का दिनांक/स्वीकृत राशि /कार्य पूर्ण करने की निर्धारित अवधि ? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में प्रारंभ किये गए कौन-कौन से कार्य समयावधि में पूर्ण हो गए है, और उन पर स्वीकृत राशि के विरूद्ध कितनी-कितनी राशि व्यय हुई है ? विवरण पृथक-पृथक दिया जावें ? (ग) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में कौन-कौन से निर्माण कार्य समयावधि में पूर्ण नहीं किये गए है ? अपूर्ण कार्यों को कब तक पूरा किया जावेगा ?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) से (ग) जानकारी **संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है । मध्यम सिंचाई परियोजना स्वीकृति से 4 से 6 वर्ष के भीतर और लघु सिंचाई परियोजना स्वीकृति के वर्ष को छोड़कर 2 वर्षो में पूरी करना अपेक्षित है । प्रश्नाधीन परियोजनाओं की पूर्णता में विलम्ब की स्थिति नहीं है । परियोजना की पूर्णता भूमि की उपलब्धता, वनभूमि की अनुमति, निर्माण एजेंसी की क्षमता और धनराशि की उपलब्धता पर निर्भर होने से समयावधि निर्धारित करना संभव नहीं है ।

परिशिष्ट – "छियासठ"

जिला योजना एवं सांख्यिकीय अधिकारी द्वारा शासकीय राशि का दुरूपयोग

76. (क्र. 3502) श्री नरेन्द्र सिंह कुशवाह : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला योजना एवं सांख्यिकीय अधिकारी भिण्ड का स्थानान्तरण कब किया गया कब भार मुक्त किया गया ? नये पद पर कब पदस्थ हुए ? प्रति सहित जानकारी दें ? (ख) प्रश्नांश (क) में नये पद पर पदस्थ न होने के कारण क्या है ? इनको पूर्ववत पद पर रहने के क्या कारण हैं ? स्थानान्तरण के पश्चात कितने प्रकरण स्वीकृत किए गए उन प्रकरणों का कार्यपालन यंत्री यांत्रिकीय भिण्ड ने निरीक्षण किया गया है यदि नहीं तो क्यों ? क्या स्वीकृत प्रकरणों का किसी सक्षम अधिकारी से निरीक्षण करवाया जायेगा यदि हाँ, तो कब तक ? (ग) क्या यह सही है कि स्थानान्तरण निरस्त करने हेतु पत्राचार किया जा रहा है ? क्या शासन के आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है ? यदि हाँ, तो क्यों ? (घ) 1 जनवरी 2010 से 31 दिसम्बर 2010 तक स्वीकृत जनभागीदारी के कौन-कौन से प्रकरण की कितनी अवशेष राशि है अवशेष राशि का भुगतान न करने के क्या कारण है ? इसके लिए कौन दोषी है उनका निलम्बन किया जायेगा ? यदि हाँ, तो कौन दोषी है उनका निलम्बन किया जायेगा ? यदि हाँ, तो कब तक ? प्रश्नांश दिनांक तक कौन-कौन से स्वेच्छा निधि सदस्य का नाम एवं हस्ताक्षर के चेक/खाते में राशि नहीं दी गई ? ऐसा क्यों ? 7 दिवस में राशि देना अनिवार्य है ? यदि हाँ, तो 7 दिवस के पश्चात् क्यों नहीं दी गई क्या जांच की जावेगी ? यदि हाँ तो कब तक ?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) एवं (ख) दिनांक 08/12/2014 को स्थानांतरण किया गया था, अभी भारमुक्त नहीं किया जा सका है । जिला सांख्यिकी अधिकारी अशोकनगर को जिला भिण्ड स्थानांतरण किया गया है, उनके उपस्थित नहीं होने के कारण जिला सांख्यिकी अधिकारी भिण्ड को कार्यमुक्त नहीं किया जा सका । त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन हेतु आदर्श आचार संहिता लागू होने से प्रशासकीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है । (ग) जी नहीं । उत्तरांश (क) एवं (ख) अनुसार है । (घ) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है । आवंटन प्रावधान से अधिक राशि के प्रकरण स्वीकृत होने से भुगतान नहीं किया जा सका । विलंब के संबंध में परीक्षण किया जा रहा है । विधायक स्वेच्छानुदान योजनांतर्गत वर्ष 2014-15 में मान.विधायक की अनुशंसा पर स्वीकृत स्वेच्छानुदान की राशि हितग्राहियों के

प्राप्त बैंक खाता संख्या अनुसार भेजी जा चुकी है । अनुशंसाओं के साथ हितग्राहियों के बैंक खाता संख्या प्राप्त न होने के कारण राशि भेजने में विलम्ब हुआ । खाता संख्या प्राप्त होते ही राशि भेज दी गई ।

परिशिष्ट - "सड़सठ"

जनभागीदारी मांग संख्या 60 व 64 के अन्तर्गत राशि का दुरूपयोग

77. (क्र. 3503) श्री नरेन्द्र सिंह कुशवाह : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भिण्ड जिले में 1 जनवरी 2011 से 31 जनवरी 2015 तक मांग संख्या 60 व 64 के अन्तर्गत जनभागीदारी प्रकरणों को स्वीकृत करने के लिए क्या मापदण्ड निर्धारित किए गए है ? मापदण्ड की प्रति सहित जानकारी दें ? (ख) प्रश्नांश (क) में वर्णित अवधि में माहवार मापदण्डों में परिवर्तन किया गया है ? यदि हाँ, तो क्यों ? जानकारी दें ? अनुसूचित जाति सांख्यिकीय पुस्तिका में संख्या कम होने के उपरान्त प्रकरण स्वीकृत किए गए हैं ? यदि हाँ, तो क्यों ? (ग) मांग संख्या 64 के अन्तर्गत जनभागीदारी प्रकरणों को स्वीकृत करने से पूर्व अनुसूचित जाति का प्रतिशत का आंकलन किस प्रकार किया जावेगा ? प्रश्नांश (क) में वर्णित अवधि में अनुसूचित जाति का आकंलन न करते हुए प्रकरण स्वीकृत किए गए हैं यदि हाँ तो क्यों ? (घ) प्रश्नांश (क) में वर्णित अवधि में जनभागीदारी प्रकरण एक ग्राम पंचायत में कितने प्रकरण स्वीकृत किए जा सकते हैं क्या बार-बार प्रकरण स्वीकृत हो सकते हैं ? यदि हाँ तो क्यों ?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है । (ख) जी नहीं । जी नहीं । (ग) मांग संख्या 64 के अन्तर्गत जनभागीदारी प्रकरणों को स्वीकृत करने से पूर्व अनुसूचित जाति वाहुल्य क्षेत्र के निर्धारण के लिए जनगणना 2001 के आकड़े मान्य है । प्रमाणीकरण सम्बंधित पटवारी व तहसीलदार से लिया जाता है । (घ) जनभागीदारी योजनान्तर्गत म.प्र. जनभागीदारी नियम 2000 में किसी भी एक ग्राम पंचायत में प्रकरणों की स्वीकृति के विषय में कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है । ग्राम पंचायत की स्थानीय आवश्यकताओं, आमजन की जनसहयोग के प्रति रूचि, उपलब्ध आवंटन तथा ग्राम पंचायत की मॉग अनुसार प्रकरण स्वीकृत किये जाते हैं ।

अनूपपुर जिले में शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालय के संबंध में

78. (क्र. 3515) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अनूपपुर जिले में कितने शासकीय एवं कितने अशासकीय महाविद्यालय संचालित हैं, पृथक-पृथक सूची उपलब्ध करायें ? (ख) अनूपपुर जिला स्थित शासकीय महाविद्यालय पुष्पराजगढ़ का शुभारंभ कब हुआ तथा वर्तमान में इस महाविद्यालय में कौन-कौन से विषय पढ़ाये जा रहे हैं ? उक्त महाविद्यालय में विज्ञान संकाय में गत तीन वर्षों में कितने छात्र-छात्राओं ने प्रवेश लिया तथा छात्र छात्राओं से फीस के रूप में कितनी राशि प्राप्त

की गई ? (ग) उक्त महाविद्यालय शासकीय भूमि पर स्थित है या निजी भूमि पर ? यदि शासकीय भूमि पर है तो भवन का निर्माण कब कराया गया ? यदि निजी भूमि पर है तो भूमि स्वामी का नाम बतायें ? क्या शासन शासकीय भूमि पर भवन निर्माण की कार्यवाही कर रहा है ? यदि हाँ, तो कब तक यदि नहीं, तो क्यों ? (घ) पुष्पराजगढ़ विधानसभा क्षेत्र के विकासखंड जैतहरी के वेंकटनगर क्षेत्र में जो कि पूर्णत: आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है तथा यहाँ से 50 किलोमीटर तक कोई शा. महाविद्यालय नहीं है, यहाँ पर शासन द्वारा शासकीय महाविद्यालय कब तक खोला जाना प्रस्तावित है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

तकनीकी शिक्षा मंत्री (श्री उमाशंकर गुप्ता) : (क) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार** है । (ख) पुष्पराजगढ़ में दिनांक 05.08.1983 को शासकीय महाविद्यालय प्रारम्भ किया गया । महाविद्यालय में कला, वाणिज्य एवं विज्ञान (विज्ञान - स्ववित्तीय योजनान्तर्गत) संकाय में कक्षायें संचालित की जा रही हैं । **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" अनुसार** है । (ग) जी हाँ । वर्ष 1992 में भवन का निमार्ण किया गया । शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता । (घ) जी नहीं । बेंकटनगर से शासकीय महाविद्यालय, जैतहरी 35 कि.मी. की दूरी पर संचालित है जहाँ पर छात्र-छात्रायें अध्ययन कर सकते हैं । वर्तमान में शासन द्वारा पूर्व से संचालित महाविद्यालयों के सुदृढ़ीकरण करने एवं उनके गुणवत्ता विकास के प्रयास किये जा रहे हैं । अतः विकासखंड जैतहरी के बेंकटनगर में नवीन महाविद्यालय प्रारंभ किये जाने में कठिनाई है ।

<u>परिशिष्ट – "अड़सठ"</u>

बांध/जलाशय का निर्माण

79. (क्र. 3516) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शहडोल संभाग अंतर्गत जल संसाधन विभाग में कितने डिवीजन है ? वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में जल संसाधन डिवीजन द्वारा कितने बांध/जलाशयों का निर्माण कराया गया ? इस हेतु कितनी राशि डिवीजन को प्राप्त हुई ? बांध/जलाशय के कार्यों की गुणवत्ता का सत्यापन किस अधिकारी के द्वारा किया गया ? (ख) उपरोक्त अवधि में बनाये जाने वाले बांध/जलाशय में से कुछ फूट अथवा बह गये हैं ? यदि हाँ तो बांध/जलाशयों हेतु स्वीकृति राशि, कार्य प्रारंभ करने का दिनांक, बांध/जलाशय फूटने की तिथि बतायें ? बांध में लगे दैनिक मजदूरों की मजदूरी का ठेकेदार द्वारा भुगतान कर दिया गया है ? यदि हाँ तो किस दर से यदि नहीं तो क्यों ? (ग) क्या फूटे बांध/जलाशयों में वेस्टवेयर का निर्माण किया गया था ? यदि नहीं तो नियम विरूद्ध कार्य करने वाले यंत्री पर शासन द्वारा कोई कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं तो क्यों ? (घ) जल संसाधन अनुभाग राजेन्द्र ग्राम के किन-किन बांधों के निर्माण में लगे मजदूरों का भुगतान शेष है ? बांध का नाम, स्वीकृति वर्ष एवं लागत तथा व्यय राशि का विवरण दें ?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) शहडोल राजस्व संभाग में जल संसाधन विभाग

के 6 संभागीय कार्यालय है । **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है । निर्माण कार्यो की गुणवत्ता का सत्यापन संबंधित कार्यपालन यंत्री, अधीक्षण यंत्री एवं मुख्य अभियंता द्वारा किया जाना प्रतिवेदित है । (ख) एवं (ग) जी नहीं । निर्माणाधीन शाहपुर बांध में दिनांक 05.08.2014 को अतिवृष्टि की संभावना के मद्देनज़र एहतियाती तौर पर निर्माण एजेंसी द्वारा कट लगाया गया था जिसे वर्षाऋतु उपरांत स्वयं के व्यय पर ठीक किया गया है । निर्माण एजेंसी द्वारा बांध निर्माण में लगाए गए श्रमिकों को श्रमायुक्त, इंदौर द्वारा निर्धारित दरों पर मजदूरी का भुगतान किया जाना प्रतिवेदित है । शेष प्रश्नांश उत्पन्न नहीं होते है । (घ) निरंक । प्रश्नांश उत्पन्न नहीं होता है ।

परिशिष्ट - "उनहत्तर"

अनूपपुर जिले में नदी नालों पर स्टाप डेम निर्माण हेतु

80. (क्र. 3517) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि अनूपपुर जिले में जल का स्तर काफी नीचे चला गया है ? यदि हाँ, तो कितने नीचे तथा शासन द्वारा उक्त नीचे गये जल स्तर वाले क्षेत्र में जल स्तर ऊपर लाने के लिये क्या प्रयास किये गये हैं ? (ख) क्या शासन द्वारा अनूपपुर जिले के पुष्पराजगढ़ विधानसभा क्षेत्र में नदी नालों पर स्टाप डेम निर्माण हेतु स्वीकृति दी गई है ? यदि हाँ, तो 1 जनवरी 2012 से प्रश्न दिनांक तक स्वीकृत स्टापडेम, तालाब गहरीकरण, नदी गहरीकरण कहाँ-कहाँ स्वीकृत किये गये ? (ग) यदि शासन द्वारा जल स्तर बढ़ाने के लिये कोई अन्य योजना बनाई हो तो, योजना का नाम व योजना की विस्तृत जानकारी दें ?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) जी नहीं, विगत 5 वर्षो में भू-जल स्तर में वृद्धि हुई है । (ख) जी नहीं । शेष प्रश्नांश उत्पन्न नहीं होता है । (ग) भू-जल स्तर में वृद्धि हुई है । जल संसाधन विभाग द्वारा भूजल स्तर में वृद्धि करने के लिए परियोजनाएं नहीं बनाई जाती है । जिले में निर्मित और निर्माणाधीन सिंचाई परियोजनाओं की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है ।

परिशिष्ट - "सत्तर"

बोनस अंक देने के नियम/मूल्यांकन

81. (क्र. 3530) श्री कमलेश्वर पटेल : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या लोक सेवा आयोग द्वारा गलत प्रश्नों पर बोनस देने का प्रावधान है ? यदि हाँ, तो नियम क्या है ? यदि नहीं तो बोनस अंक देने का नियम बनाया जायेगा ?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : जी हाँ । लोक सेवा आयोग की बैठक दिनांक 05-11-2012 में निर्णय लेकर यह प्रावधान किया गया है कि आयोग की परीक्षा पश्चात प्रश्न -पत्रों के प्रश्नों एवं उत्तर से संबंधित विषय विशेषज्ञों द्वारा त्रुटि निवारण पश्चात दिये गये अभिमत के आधार पर गलत प्रश्न होने पर उस प्रश्न के उत्तर में सभी परीक्षार्थियों को बोनस अंक

प्रदान किये जाएं एवं उत्तर कुंजी में यदि उत्तर में त्रुटि है तब उस उत्तर को काट कर सही उत्तर, उत्तर कुंजी में दर्ज किया जाए । त्रुटि निवारण पश्चात् विषय विशेषज्ञों द्वारा अनुशंसित एवं आयोग के अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित उत्तर कुंजी द्वारा मूल्यांकन कराया जाए । त्रुटि निवारण की उक्त प्रचलित प्रक्रिया द्वारा आगामी परीक्षाओं में त्रुटि निवारण कार्य संपन्न किया जाए ।

विमानन विभाग द्वारा हवाईपट्टी निर्माण में कन्सलटेन्ट

82. (क्र. 3598) श्री यशपालसिंह सिसौदिया : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश विमानन विभाग द्वारा किन-किन जिलों में हवाई पट्टी का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है ? कितने शहरों पर स्थान का चयन कर लिया गया है ? उनकी वर्तमान कार्य की स्थिति क्या है ? (ख) प्रदेश में हवाई पट्टी निर्माण को लेकर विभाग के पास कितने कंसलटेंट (सलाहकार) शा.कर्मचारी के रूप में कार्यरत है ? यदि निजी कंसलटेंट से राय ली जाती है तो क्या उक्त प्रश्नांश (क) के निर्माण कार्यों में भी उक्त कंसलटेंट की राय ली गई है ? (ग) क्या यह सही है कि प्रदेश में हवाई पट्टीयां निर्माण किसी कंसलटेंट विमानन से न करवाकर PWD इंजीनियरों द्वारा कराया जाता ? यदि हाँ तो क्या यह नियम अनुरूप है ? यदि नहीं तो क्या नवीन हवाई पट्टी निर्माण हेतु कंसलटेंट की नियुक्ति की जायेगी ? (घ) हवाई पट्टी निर्माण के लिए किन-किन विशेषज्ञों की तकनीकी स्वीकृति आवश्यक है ? उनका पद एवं योग्यता दर्शाएं ?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) हवाई पट्टी का निर्माण बजट की उपलब्धता के आधार पर प्रस्तावित किया जाता है । शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता । (ख) प्रदेश में हवाई पट्टी का निर्माण निर्धारित मापदण्डों के अनुसार लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जाता है । शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता । (ग) उक्त भाग "ख" के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता । (घ) उक्त भाग "ख" के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

नरसिंहपुर जिले में पर्यटन स्थल

83. (क्र. 3614) श्री गोविन्द सिंह पटेल : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नरसिंहपुर जिले में पर्यटन के कितने स्थान विभाग द्वारा चिन्हित है ? उनके विकास के लिये विभाग की क्या योजना है ? (ख) विभाग द्वारा पर्यटन स्थलों पर अभी तक क्या कार्ययोजना बनाकर कार्य किया गया है ? (ग) चौगान (चौरागढ़) जो गाडरवारा विधानसभा क्षेत्र में स्थित है इसके विकास हेतु अभी तक विभाग ने क्या कार्य एवं कितनी राशि खर्च किये जाने हेतु योजना है ? (घ) चौरागढ़ पर्यटन स्थल होने के कारण यहाँ पर पर्यटकों के रूकने आदि मूलभूत सुविधाओं के हिसाब से विकसित किया जायेगा ?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) नरसिंहपुर जिले में बरमानघाट, झोतेश्वर, (चौगान) चौरागढ़ एवं वरहरा स्थल पर पर्यटकों का आवागमन होता है.वर्तमान में कोई योजना

विचाराधीन नहीं है. (ख) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट** पर है. (ग) वर्तमान में कोई योजना विचाराधीन नहीं है. (घ) वर्तमान में कोई योजना विचाराधीन नहीं है.

परिशिष्ट – "इकहत्तर"

गाडरवारा क्षेत्र में अटल ज्योति योजनांतर्गत फीडर विभक्तिकरण कार्य

84. (क्र. 3615) श्री गोविन्द सिंह पटेल : क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) गाडरवारा विधानसभा क्षेत्र में अटल ज्योति योजना अंतर्गत फीडर विभक्तिकरण का कार्य कितने ग्रामों में पूर्ण रूप से किया गया है, जानकारी दें ? (ख) इस योजना अंतर्गत कितने ग्राम का काम अधूरा पड़ा हुआ है, उसे कब तक पूर्ण किया जायेगा ? (ग) क्या यह सही है कि क्षेत्र में आंशिक रूप से कई ग्राम इस योजना में छूट गये हैं ? उन ग्रामों को योजना में शामिल कर कब तक उर्जीकृत कर दिया जायेगा ?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) गाडरवारा विधानसभा क्षेत्र में फीडर विभक्तिकरण योजनांतर्गत 192 ग्रामों में से 135 ग्रामों में फीडर विभक्तिकरण का कार्य पूर्ण किया गया है, जिसकी **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है । (ख) फीडर विभक्तिकरण योजना अंतर्गत गाडरवार विधानसभा क्षेत्र के 57 ग्रामों का कार्य प्रगति पर है, यह कार्य जुलाई 2015 तक पूर्ण किया जाना अनुमानित है । (ग) जी नहीं, अत: प्रश्न नहीं उठता ।

परिशिष्ट – "बहत्तर"

शराब से प्राप्त राजस्व

85. (क्र. 3634) श्री बाला बच्चन : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2011 से जनवरी 2015 तक बिक्रीत देशी विदेशी शराब की वर्षवार जानकारी दें ? (ख) देशी विदेशी शराब पर प्रश्नांश (क) में उल्लेखित अवधि में देय कर (वेट) किस दिनांक से किस दिनांक तक कितना था ? (ग) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित अवधि वर्ष अनुसार देशी/विदेशी शराब की दुकाने कितनी-कितनी थी तथा दुकानों में वृद्धि क्यों की गई ? (घ) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित अवधि में वर्ष तथा माह अनुसार कर (वेट) से प्राप्त राजस्व राशि की जानकारी दें ?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) प्रश्नांश में वर्णित अवधि में देशी विदेशी शराब की वर्षवार बिक्री निम्नानुसार रही है:-

वर्ष	देशी मदिरा (लाख प्रूफ लीटर)	विदेशी मदिरा (लाख प्रूफ लीटर)	बीयर (लाख बल्क लीटर)

2011-12	920.78	409.60	842.57
2012-13	926.33	436.57	946.88
2013-14	962.94	421.31	907.12
2014-15 (माह जानवरी 2015 तक)	906.59	381.00	803.86

(ख) देशी विदेशी शराब पर प्रश्नांश (क) में उल्लेखित अवधि में देय कर (वैट) की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-"अ" अनुसार** है । (ग) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित अवधि में वर्षवार शराब दुकानों की संख्या निम्नानुसार रही है:-

वर्ष	देशी मदिरा	विदेशी मदिरा
2011-12	2761	924
2012-13	2751	934
2013-14	2748	937
2014-15 (माह जानवरी 2015 तक)	2748	936

वर्ष 2011-12 से वर्तमान तक कोई भी नवीन मदिरा दुकान नहीं खोली गई है । केवल कुछ देशी मदिरा दुकानों का विदेशी मदिरा दुकानों के रूप में स्वरूप परिवर्तन हुआ है । (घ) दिनांक 01.04.2011 से 31.12.2014 तक की अवधि में त्रैमासवार कर (वेट) से प्राप्त राजस्व की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-"ब" अनुसार** है । माहवार जानकारी का संधारण नहीं किया जाता है । अत: जनवरी 2015 की जानकारी संधारित नहीं है ।

परिशिष्ट – "तिहत्तर"

बरगी बांध को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने बावत्

86. (क्र. 3667) श्री अशोक रोहाणी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रानी अवंति बाई लोधी सागर परियोजना बरगी बांध को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने व पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु शासन ने कब क्या कार्य योजना बनाई है ? यदि नहीं तो क्यों ? यहाँ पर बरगी बांध के अलावा अन्य कौन-कौन से देखने लायक पर्यटन स्थल/ब्यूटी स्पाट हैं ? इनको देखने के लिये आवागमन के क्या साधन हैं ? (ख) प्रश्नांश (क) में स्थित किन-किन संभागों व बांध संभाग को किस-किस मद में कितनी-कितनी राशि आवंटित की गई एवं किन-किन कार्यों में कितनी-कितनी राशि व्यय हुई ? बतलावें । वर्ष 2012-13 से 2014-15 तक की जानकारी दें ? (ग) प्रश्नांश (ख) में बांध संभाग बरगी के तहत बरगी बांध की सुरक्षा रखरखाव मरम्मत, सड़कों की मरम्मत संधारण पर कितनी-कितनी राशि व्यय हुई है ? (घ) क्या यह सत्य है कि बरगी बांध के चारों तरफ की सड़कें अत्याधिक खराब हो गई हैं ? जर्जर व उखड़ गयी हैं जिससे आवागमन में अत्यधिक असुविधा एवं परेशानी का सामना करना पड़ता है ? यदि हाँ तो शासन इन सड़कों का पुनर्निर्माण कराना कब तक सुनिश्चित करेगा ? इसके लिये कब कितनी राशि का प्राक्कलन बनाकर भेजा गया है ?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) रानी अवंती बाई लोधी सागर परियोजना (बरगी

बांध) को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने व पर्यटन को बढावा देने हेतु पर्यटन विभाग के ज्ञाप क्रमांक 09-01-2010/ तैंतीस दिनांक 06-01-2010 द्वारा पर्यटन विभाग को नोडल विभाग घोषित किया गया है. (**संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-एक**) बरगी बॉध के अलावा बरगी नगर में बिजली संयत्र, बरगी डेम एवं नंदकेश्वर मंदिर देखने लायक है, बरगी बॉध को देखने के लिए सड़क मार्ग से जबलपुर से बरगी नगर तक साधन उपलब्ध है. (ख) प्रश्नांश (क) में स्थित पर्यटन को विकसित करने एवं पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु बरगी में मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम द्वारा जेट्टी, बोट शेड, रेस्टोरेन्ट, जनसुविधा, पाथवे, तथा 6 कक्ष, डॉरमेटश्h, स्टाफ क्वाटर, केरवान-वे का निर्माण किया गया है तथा वर्तमान में बरगी में कान्फ्रेंस हाल एवं 10 कक्षो का निर्माण कार्य प्रगति पर है. बांध, कालोनी एवं सड़क मरम्मत कार्य हेतु बांध संभाग को नर्मदा घाटी विकास विभाग द्वारा वर्ष 2012-13 से वर्ष 2014-15 तक प्रदत्त आवंटन एवं व्यय की **जानकारी परिशिष्ट के प्रपत्र- ''दो''** पर है. (ग) **जानकारी परिशिष्ट के प्रपत्र ''तीन''** पर है. (घ) बरगी से बरगी नगर बांध स्थल पहुँच मार्ग के उन्न्यन के लिए नर्मदा घाटी विकास विभाग द्वारा पॉचवी निविदा आमंत्रण सूचना क्रमांक 79/मु.अ./2014-15 दिनांक 16-01-2015 को रूपये 441.63 लाख की आमंत्रण की जाकर प्रक्रियाधीन है. बिजौरा तिराहे से मैकल रिसोर्ट सड़क का निर्माण कार्य प्रगति पर है. इसकी अनुबंधित राशि रूपये 67.56 लाख है.

परिशिष्ट – "चौहत्तर"

छात्रवृत्ति का प्रदाय

87. (क्र. 3706) श्री जितू पटवारी : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्वालियर जिले में कितने शासकीय एवं अशासकीय पॉलिटेक्निक एवं साइंस कॉलेज है ? नाम सहित जानकारी देवें ? (ख) उपरोक्त शासकीय एवं अशासकीय पॉलिटेक्निक एवं साइंस कॉलेज को विगत वर्ष 2013-14 में छात्रवृत्ति की कितनी-कितनी राशि आवंटित की गई है ? वर्गवार एवं कॉलेजवार जानकारी प्रदान करें ? (ग) वर्ष 2013-14 में उपरोक्त कॉलेजों द्वारा छात्रों को छात्रवृत्ति के रूप में कितनी राशि वितरित की गई है ? वर्गवार छात्र के नाम पते एवं अध्ययनरत क्लास सहित वितरित राशि की जानकारी देवें ? (घ) क्या राज्य शासन के संज्ञान में ऐसी कोई जानकारी है कि ग्वालियर जिले में विगत वर्ष विद्यार्थियों ने पॉलिटेक्निक कॉलेज एवं साइंस कॉलेज दोनों जगह अपना नाम दर्ज करवाकर छात्रवृत्ति की राशि प्राप्त कर ली है ? यदि हाँ, तो कितने छात्रों को कितनी राशि वितरित की गई है ? (ड.) प्रश्नांकन (घ) के संदर्भ में क्या ऐसे छात्रों से राशि वसूल की गई है अथवा उन पर कोई कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

तकनीकी शिक्षा मंत्री (श्री उमाशंकर गुप्ता) : (क) से (ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है ।

नदी जोडो परियोजना का क्रियान्वयन

88. (क्र. 3707) श्री जितू पटवारी : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. में नदी जोड़ो परियोजना के तहत कौन-कौन सी नदियों को एक दूसरे से जोड़ा जाना प्रस्तावित है ? परियोजना के नाम सहित जानकारी प्रदान करें ? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में कौन सी परियोजना कब प्रारंभ की गई है एवं कौन सी परियोजना प्रारंभ की जाना है ? प्रत्येक परियोजना कितने समय में पूर्ण की जाना है ? अवधि बतावें ? (ग) प्रश्नांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में प्रत्येक परियोजना पर कितनी राशि व्यय की जाना प्रस्तावित है ? वर्तमान में अभी तक कितनी राशि व्यय की गई है तथा कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है ? परियोजनावार कार्य कौन सी एजेंसी को दिया गया है ? नाम एवं पते सहित जानकारी देवें ? (घ) उपरोक्तानुसार परियोजनाओं पर व्यय की जाने वाली राशि क्या राज्य सरकार द्वारा वहन की जाना है ? अथवा केन्द्र सरकार के सहयोग से पूर्ण की जाना है ? यदि केन्द्र सरकार के सहयोग से पूर्ण की जाना हो तो क्या केन्द्र सरकार द्वारा राशि प्रदान की गई है ? यदि हाँ, तो कितनी राशि प्रदान की गई है, तथा कितनी राशि प्रदान की जाना है ? परियोजनावार राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार का शेयर बतावें ?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) से (घ) जानकारी निम्नानुसार है (1) केन एवं बेतवा नदियों को जोड़ने हेतु केन बेतवा लिंक परियोजना की डीपीआर बनाने का कार्य भारत-सरकार के जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय द्वारा प्रगति पर है । डीपीआर अंतिम नहीं हुई है । परियोजना की लागत, कार्य प्रारंभ एवं पूर्ण होने का दिनांक राज्य सरकार द्वारा नियत करना संभव नहीं है । (2) नर्मदा घाटी विकास विभाग द्वारा नर्मदा-क्षिप्रा लिंक परियोजना का कार्य नवम्बर-2012 में प्रारंभ कर फरवरी-2014 में पूर्ण कराया गया है । परियोजना कार्य टर्नकी आधार पर मेघा इंजीनियरिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर्स लिमि. हैदराबाद ने राशि रू.396.385 करोड़ में पूर्ण किया है (3) नर्मदा घाटी विकास विभाग द्वारा नर्मदा-मालवा-गंभीर लिंक परियोजना लागत रू.2187.21 करोड़ की स्वीकृत की गई है । टर्नकी आधार पर सिंचाई परियोजना कार्य हेतु मेसर्स नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी, हैदराबाद से रू.1882 करोड़ का अनुबंध किया गया है । अनुबंध अनुसार परियोजना 3 वर्षो में पूर्ण की जाना है । उपरोक्त परियोजनाओं के लिए भारत-सरकार से कोई धनराशि स्वीकृत अथवा प्राप्त नहीं हुई है ।

<u>गौण खनिज हेतु आरक्षित खदानें</u>

89. (क्र. 3769) श्री सज्जन सिंह उईके : क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राज्य शासन के द्वारा सड़क निर्माण के लिये गौण खनिज हेतु खदानों के आरक्षण किए जाने के संबंध में वर्ष 2006 में एवं ग्रामीण विकास कार्यों में लगने वाले गौण खनिज एवं मिट्टी से ईंट बनाए जाने हेतु अनुमति के संबंध में वर्ष 2013 में क्या-क्या आदेश या निर्देश जारी किए प्रति सहित बतावें ? (ख) नर्मदापुरम संभाग में वर्ष 2006 के आदेशानुसार किस जिले में किस गौण खनिज की कितनी खदानें आरक्षित की गई ? उन खदानों से किस वर्ष में

प्रश्नांकित तिथि तक कितनी रॉयल्टी प्राप्त हुई, किस खदान से कितने गौण खनिज के परिवहन हेतु कितने पिटपास विभाग ने किस वर्ष में जारी किए ? (ग) वर्ष 2013 में जारी आदेशानुसार संभाग के किस जिले में प्रश्नांकित तिथि तक कितने ग्रामीण विकास कार्यों के लिये कितनी अनुमतियों के आधार पर कितने पिटपास जारी किए गए मिट्टी से ईंट बनाए जाने वालों के लिए कितने पिटपास जारी किए गए, वर्षवार बतावें ?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है ।

राज्यांश की राशि केंद्र सरकार लेने के संबंध में

90. (क्र. 3779) श्री उमंग सिंघार : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्य प्रदेश के राज्यांश की कुल कितनी राशि केंद्र सरकार से लेना बकाया है ? (ख) क्या मध्य प्रदेश के राज्यांश राशि उपलब्ध कराने के संबंध में केंद्र सरकार से राज्य सरकार द्वारा पत्राचार किया गया ? (ग) इसके साथ ही बतायें कि राज्य सरकार ने वर्ष 2011-12 से 2013-14 तक वर्ल्ड बैंक, एशियन बैंक तथा नाबार्ड से कितना-कितना ऋण लिया ?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) राज्यांश की राशि लिया जाना बकाया नहीं हैं । (ख) प्रश्नांश "क" के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है । (ग) निम्नानुसार ऋण लिया गया है:-

(राशि लाख रूपये में)

क्रमांक	वर्ष	वर्ल्ड बैंक	एशियन बैंक	नाबार्ड
1	2011-12	--	49755.57	1250.00
2	2012-13	--	83708.88	1250.00
3	2013-14	--	58494.52	1250.00

जनसम्पर्क विभाग द्वारा कराये जा रहे प्रचार-प्रसार कार्य

91. (क्र. 3784) श्री उमंग सिंघार : क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि जनसम्पर्क विभाग में विगत तीन वर्ष 2012-13, 2013-14 तथा 2014-15 में क्षेत्रीय प्रचार-प्रसार हेतु कितनी राशि आवंटित हुई है ? (ख) क्या जनसम्पर्क विभाग को क्षेत्रीय प्रचार-प्रसार कार्य हेतु शासन के अन्य विभागों में कार्य कराये जाने हेतु संबंधित विभागों से भी पृथक से राशि आवंटित की जाती है ? (ग) जनसम्पर्क विभाग द्वारा विगत 3 वर्षों में आवंटित राशि में से किस-किस फर्म/संस्थाओं को क्षेत्रीय प्रचार-प्रसार अंतर्गत कार्य दिया गया ? उन फर्म/संस्थाओं के नाम एवं पते बतायें ? (घ) जिन फर्मो/संस्थाओं को विगत 3 वर्षों में क्षेत्रीय प्रचार-प्रसार का कार्य दिया गया है क्या वे जनसम्पर्क विभाग अंतर्गत इन्पेनल थी ?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) हाँ । प्रश्नांकित अवधि में जनसंपर्क विभाग में क्षेत्रीय प्रचार-प्रसार हेतु आवंटित राशि का वर्षवार ब्यौरा :-

वर्ष	आवंटित राशि रूपये में
2012-13	9,14,45,000/-
2013-14	10,60,00,000/-
2014-15	6,50,00,000/-

(ख) जी हाँ । (ग) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है । (घ) हाँ ।

परिशिष्ट – "पचहत्तर"

गंधवानी/बाग ब्लॉक में कॉलेज की स्थापना

92. (क्र. 3785) श्री उमंग सिंघार : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) गत वर्ष में गंधवानी विधानसभा के गंधवानी ब्लॉक में कॉलेज प्रारंभ किया गया है, उक्त कॉलेज में सभी फेकल्टियां कब तक चालू कर दी जायेगी एवं प्रोफेसरों की नियुक्ति कब तक की जायेगी ? (ख) गंधवानी कॉलेज की बिल्डिंग का कार्य कब तक शुरू किया जायेगा ? साथ ही आगामी सत्र में बाग कॉलेज के प्रारंभ किये जाने हेतु कौन-कौन सी फैकल्टी प्रारंभ कर दी जायेगी ? क्या बाग के लिए कॉलेज बिल्डिंग की भूमि का चयन किया गया है ?

तकनीकी शिक्षा मंत्री (श्री उमाशंकर गुप्ता) : (क) शासकीय महाविद्यालय गंधवानी में कला संकाय संचालित है । वर्तमान में शासन द्वारा पूर्व से संचालित महाविद्यालयों के सुदृढ़ीकरण करने एवं उनके गुणवत्ता विकास के प्रयास किये जा रहे हैं । अतः उक्त महाविद्यालय में नवीन फैकल्टियां प्रारंभ किये जाने में अभी कठिनाई है । मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग में शिक्षिकों के पदों के चयन का कार्य प्रक्रियाधीन है । (ख) गंधवानी महाविद्यालय के भवन निर्माण हेतु प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है । आगामी शैक्षणिक सत्र 2015-16 से शासकीय महाविद्यालय, बाग में कला संकाय की कक्षायें प्रारम्भ की जावेगी । महाविद्यालय के लिये भूमि चयन की कार्यवाही प्रचलन में है ।

निर्माण कार्यों तथा हेण्ड रिसीप्ट के भुगतानों में अनियमितता

93. (क्र. 3789) श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जल संसाधन संभाग गुना के अन्तर्गत गत दो वर्षों से प्रश्न दिनांक तक दो लाख से कम या अधिक के निर्माण कार्यों एवं मरम्मत कार्य कराकर भुगतान किये है यदि हाँ तो विवरण दें ? (ख) क्या जल संसाधन विभाग गुना के अन्तर्गत गत दो वर्षों में विभाग के अधिकारी कर्मचारियों को हेण्ड रिसीप्ट राशि का भुगतान किया है यदि हाँ तो विवरण दें तथा क्या अन्य तकनीकी विभागों में हेण्ड रिसीप्ट भुगतान बन्द कर दिया है तो उक्त विभागों में कब से बन्द होगा जानकारी दें ? (ग) क्या विभाग के प्रश्नांश (क) एवं (ख) के कार्यों में

कोई वित्तीय अनियमितता हुई है यदि हाँ तो कौन दोषी है, कब कार्यवाही करेगें ? (घ) क्या गत 2 वर्षों के विभाग में केन्द्र एवं राज्य निधि से निर्माण कार्यों जो अपूर्ण है या पूर्ण हो गये उनमें से कौन-कौन से निर्माण क्षतिग्रस्त हो गये, फूट गये उनको कब तक पूर्ण करेगें कारण सहित माप पुस्तिका, भौतिक सत्यापन कर विवरण दें ?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''क'' अनुसार** है । (ख) जी हाँ । **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''ख'' अनुसार** है । कार्य निष्पादन हेतु हेण्डरिसीट से भुगतान आवश्यक होने से बंद करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है । (ग) वित्तीय अनियमितता का कोई प्रकरण दृष्टिगत नहीं हुआ है । शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होते है । (घ) प्रश्नाधीन अवधि में जल संसाधन विभाग द्वारा स्वीकृत कोई कार्य क्षतिग्रस्त होने अथवा फूटने की स्थिति नहीं है । शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होते है ।

अनियमितता के संबंध में

94. (क्र. 3802) श्री यादवेन्द्र सिंह : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि सतना जिले के शासकीय इन्द्रा कन्या महाविद्यालय में पदस्थ वरिष्ठ लिपिक द्वारा जन भागीदारी एवं यू.जी.सी. तथा अन्य मदों की राशि में अनियमितता की गई है ? (ख) प्रश्नांश (क) उत्तर हाँ है तो क्या संबंधित लिपिक का स्थानांतरण कर जांच करायी जावेगी ? यदि हाँ तो कब तक ? नहीं तो क्यों ?

तकनीकी शिक्षा मंत्री (श्री उमाशंकर गुप्ता) : (क) जी नहीं । (ख) प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता ।

प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक का स्थानांतरण

95. (क्र. 3803) श्री यादवेन्द्र सिंह : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सतना जिले के शासकीय इन्द्रा कन्या महाविद्यालय में सन् 1983 में पदस्थ कितने प्राध्यापक/ सहायक प्राध्यापक कार्यरत हैं जिनका स्थानांतरण अन्य महाविद्यालय में आज तक नहीं किया गया, नामवार सूची दें ? (ख) क्या शासन के नियमों के अनुसार इनका स्थानांतरण एक समयावधि उपरांत किया जाना चाहिए परंतु पदस्थ प्राध्यापकों का स्थानांतरण न किये जाने का कारण क्या रहा ? इनका स्थानांतरण कब तक किया जावेगा ? यदि नहीं तो क्यों ?

तकनीकी शिक्षा मंत्री (श्री उमाशंकर गुप्ता) : (क) जानकारी निम्न तालिका में है:

क्रमांक	नाम	पदस्थापना	विषय
1.	डॉ. श्रीमती कल्पना श्रीवास्तव	01.10.1983	हिन्दी

	प्रभारी प्राचार्य/प्राध्यापक		
2.	श्रीमती अनीता त्रिपाठी सहायक प्राध्यापक	03.09.1983	अंग्रेजी

(ख) जी नहीं । चूंकि शैक्षणिक संवर्ग के पद पर कार्यरत कर्मचारियों/अधिकारियो की स्थानान्तरण नीति में स्थानांतरण हेतु समय-सीमा का बधंन नहीं है । अतः उक्त के संदर्भ में शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है ।

जल संसाधन विभाग द्‌वारा कराये गये कार्य

96. (क्र. 3814) प्रो. संजीव छोटेलाल उइके : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मण्डला जिले में जल संसाधन विभाग द्‌वारा वर्ष 2012-13 से प्रश्न दिनांक तक कौन-कौन से कार्य कितनी-कितनी राशि से कहाँ-कहाँ कराये गये ? विकासखण्डवार, मदवार, वर्षवार बतायें ? (ख) उक्त कार्यों का मापन मूल्यांकन एवं सत्यापन किस-किस अधि./कर्मचारी के द्‌वारा किया गया ?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) एवं (ख) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है ।

परिशिष्ट –"छिहत्तर"

मंडला विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत विद्‌युतीकरण

97. (क्र. 3823) प्रो. संजीव छोटेलाल उइके : क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मण्डला विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत राजीव गांधी ग्रामीण विद्‌युतीकरण योजना अन्तर्गत कितने ग्रामों में विद्‌युतीकरण का कार्य किया जाना था, कितने विद्‌युतीकरण हो गये, कितने शेष बचे है ? सूची सहित बतायें ? (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित योजना अन्तर्गत मण्डला विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत कितने कार्य आदेश जारी किये गये उनमें से कितने ग्रामों में विद्‌युतीकरण का कार्य किया जाना था, कितने पूर्ण कितने अपूर्ण है, कितनी राशि का भुगतान हो गया है एवं अपूर्ण कार्यो के कारण सहित ठेकेदार के नाम सहित बतावें ? (ग) मण्डला जिले में सत्र 2013-14 से प्रश्न दिनांक तक स्वीकृत किये गये अतिरिक्त ट्रांसफार्मर कहाँ-कहाँ लगाये जाने थे, सूची उपलब्ध कराये उनमें से कितने लग गये ? कितने नहीं लगे, कारण सहित बतायें ?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) मण्डला विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत 11वीं पंचवर्षीय योजना में स्वीकृत राजीव गांधी ग्रामीण विद्‌युतीकरण योजना में 277 ग्रामों के विद्‌युतीकरण का कार्य किया जाना था, जिनमें से 262 ग्रामों के विद्‌युतीकरण का कार्य पूर्ण किया जा चुका है, तथा 15 ग्रामों का कार्य पूर्ण किया जाना शेष है । कार्य पूर्ण किये गये ग्रामों तथा शेष ग्रामों की सूची **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' एवं प्रपत्र 'ब' अनुसार** है । (ख) मण्डला विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत 277 विद्‌युतीकृत ग्रामों के सघन विद्‌युतीकरण के कार्य सहित संपूर्ण मण्डला जिले के राजीव गांधी ग्रामीण विद्‌युतीकरण योजना में सम्मिलित कार्यों हेतु

कार्यादेश जारी किया गया था, जिनमें से प्रश्नाधीन क्षेत्र के 262 ग्रामों में कार्य पूर्ण किया जा चुका है तथा 15 ग्रामों में कार्य किया जाना शेष है । पूर्ण किये गये कार्यों के विरूद्ध राशि रूपये 273.22 लाख का भुगतान ठेकेदार को प्रश्न दिनांक तक किया जा चुका है । उक्त कार्य सहित मण्डला जिले में उक्त योजना के अन्तर्गत विद्युतीकरण के कार्य हेतु मेसर्स जी.व्ही.पी.आर.लि., हैदराबाद को ठेका दिया गया था । मण्डला जिले में समय पर कार्य नहीं करने के कारण ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत देयकों में से रू. 91.91 लाख की राशि लिक्विडेटेड डैमेज के रूप में पेनल्टी स्वरूप काटी गई है । कार्य पूर्ण नहीं होने का प्रमुख कारण ठेकेदार द्वारा आवश्यक सामग्री समय से उपलब्ध नहीं करा पाना है । (ग) मण्डला जिले में वर्ष 2013-14 तथा वर्ष 2014-15 में स्वीकृत तथा दिनांक 31.01.2015 तक स्थापित किए गए वितरण ट्रांसफार्मरों की स्थानवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'स' अनुसार** है । वर्ष 2013-14 में स्वीकृत 32 में से 31 ट्रांसफार्मर लगा दिए गए हैं तथा वर्ष 2014-15 में स्वीकृत 41 में से 32 ट्रांसफार्मर लगा दिये गये हैं । शेष ट्रांसफार्मरों को सामग्री एवं संसाधनों की उपलब्धता एवं आवश्यकता के अनुसार क्रमश: लगाया जा रहा है ।

निजी महाविद्यालयों की जांच

98. (क्र. 3838) श्रीमती शीला त्यागी : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रीवा जिले में कितने ऐसे अशासकीय पैरामेडिकल, नर्सिंग, कम्प्यूटर कालेज, अध्ययन केन्द्र एवं उच्च शिक्षा के मान्यता प्राप्त संबद्धता प्राप्त कॉलेज हैं, जहाँ निर्धारित सीटों से अधिक प्रवेश दिये गये हैं ? (ख) कितने ऐसे कॉलेज हैं, जो नार्म्स को पूरा नहीं कर सके ? रीवा नगर में हेडगेवार, बजरंग नगर सहित अन्य स्थानों पर कितने ऐसे कॉलेज हैं जो निर्धारित दूरी व अन्य मापदण्ड़ों को पूरा नहीं कर रहे हैं, फिर भी संचालित हैं ? क्यों ? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के जांच हेतु शासन के तरफ से पूर्व में भी क्या कभी जांच करायी गयी ? यदि हाँ तो कब और क्या कार्यवही हुई ? यदि नहीं तो जांच कराकर मान्यता समाप्त करने की कार्यवाही की जावेगी कब तक ?

तकनीकी शिक्षा मंत्री (श्री उमाशंकर गुप्ता) : (क) रीवा जिले में उच्च शिक्षा के मान्यता प्राप्त, सम्बद्वता प्राप्त 29 कॉलेज हैं, जिनमें निर्धारित सीटों से अधिक प्रवेश दिये गये हैं । रीवा जिले के अशासकीय पैरामेडिकल एवं नर्सिग महाविद्यालयों की जानकारी इस सम्बन्ध में निरंक है । (ख) जी नहीं । तत्कालीन नियमों एवं मापदण्डों/नार्म्स पूरा करने पर ही मान्यता/संबद्धता प्रदान की जाती है । शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता । (ग) प्रश्नांश "क" के संदर्भ में विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद में जिन महाविद्यालयों ने निर्धारित सीट संख्या से अधिक प्रवेश दिये हैं उन महाविद्यालयों से स्पष्टीकरण प्राप्त कर विधि सम्मत कार्यवाही की जायेगी । शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है ।

संविदा कर्मचारियों के लिए मापदण्ड निर्धारण

99. (क्र. 3871) डॉ. रामकिशोर दोगने : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या राज्य सरकार का जनसंकल्प 2013 के बिंदु क्र. 2 के उपबिन्दु 18.5 में संविदा कर्मचारियों की मानव संसाधन नीति अंतर्गत सभी विभागों में नियुक्त संविदा कर्मचारियों के लिए समान मापदण्ड निर्धारण हेतु मार्च, 2014 तक वित्त विभाग अपने स्तर की कार्यवाही पूर्ण करेगा संबंधी संकल्प था ? (ख) यदि हाँ तो क्या विभाग ने उक्त संकल्प की पूर्ति मार्च 2014 तक पूर्ण कर ली है ? यदि हाँ तो विभाग ने क्या-क्या आदेश प्रसारित किये हैं ? (ग) अब कब तक उक्त संकल्प की पूर्ति की जावेगी ?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) जी हाँ । (ख) जी हाँ । संविदा कर्मचारियों के लिये मार्गदर्शी सिद्धान्त तैयार किये गये है जिन पर समस्त प्रशासकीय विभाग/विभागाध्यक्षो से अभिमत चाहा गया है । समस्त विभागो से सुझाव/ अभिमत प्राप्त होने पर समग्र रूप से नीतिगत निर्णय लिया जायेगा । (ग) कार्यवाही प्रक्रियाधीन है । राज्य शासन के वित्तीय संसाधनो को ध्यान में रखते हुये यथासमय निर्णय लिया जायेगा ।

<u>विद्युत विहीन ग्रामों को जोड़ने बाबत</u>

100. (क्र. 3893) श्री संजय पाठक : क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कटनी जिले के विजयराघवगढ़ विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत ऐसे कितने ग्राम हैं जो विद्युति विहीन हैं ? ग्रामों की सूची दें ? (ख) क्या प्रश्नांश (क) में उल्लेखित अविद्युतीकृत ग्रामों में विद्युतीकरण हेतु 12 वीं पंचबर्षीय राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत स्वीकृत कर विद्युतीकरण का प्रावधान किया गया है ? यदि हाँ तो विवरण दें ? (ग) 12 वें वित्त योजना से जारी कार्यादेश के कार्य किस कंपनी द्वारा किये जा रहे हैं एवं उक्त कार्य कब तक पूर्ण कर लिये जावेंगे ?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) कटनी जिले के विजयराघवगढ विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत वर्तमान में 02 ग्राम यथा- बंजर कुठियामहगवां एवं गोधनकाप अविद्युतीकृत हैं, जिसमें से ग्राम गोधनकाप वीरान है । (ख) जी हाँ 12 वीं पंचवर्षीय योजना में स्वीकृत राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में उक्त अविद्युतीकृत ग्राम बंजर कुठियामहगवां को सम्मिलित किया गया है । इस ग्राम के विद्युतीकरण हेतु 25 के.व्ही. ए. क्षमता के एक वितरण ट्रासंफार्मर, 05 कि.मी. 11 के.व्ही. लाईन एवं 0.89 कि.मी. निम्नदाब लाईन का प्रावधान किया गया है । (ग) 12वीं पंचवर्षीय योजना में कटनी जिले के लिये स्वीकृत राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के क्रियान्वयन हेतु कार्यादेश ठेकेदार एजेंसी मेसर्स कैबकॉन इंडिया प्रा. लिमि.कोलकाता को दिनांक 06.02.2015 को जारी किया गया है । कार्य की प्रारंभ तिथि 16.2.2015 है एवं कार्य पूर्ण करने की अवधि कार्य प्रारंभ की तिथि से दो वर्ष है । वर्तमान में सर्वे कार्य प्रगति पर है ।

<u>प्रेषित पत्र पर की गई कार्यवाही</u>

101. (क्र. 3894) श्री संजय पाठक : क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सत्य है कि प्रश्न कर्ता द्वारा कटनी जिले के अधीक्षण यंत्री को प.क्र. 516 दिनांक 27.01.2015 प्रेषित किया गया था ? (ख) प्रश्नांश (क) यदि हाँ तो उक्त पत्र के तारतम्य में क्या कार्यवाही की गई ? ब्यौरा दें ? नहीं तो क्यों ?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) जी हाँ । (ख) प्रश्नांश "क" में उल्लेखित पत्र द्वारा माननीय प्रश्न कर्ता विधायक महोदय द्वारा ग्राम सिंघनपुरा (बस्ती) में जले/खराब वितरण ट्रांसफार्मर बदलने हेतु लेख किया गया था । उक्त पत्र के संदर्भ में उल्लेखनीय है कि ग्राम सिंघनपुरा (बस्ती) में एक 100 के.व्ही.ए. क्षमता का वितरण ट्रांसफार्मर दिनांक 25.01.2015 को एवं 25 के.व्ही.ए. क्षमता के दो वितरण ट्रांसफार्मर (हरिजन मोहल्ला एवं सिंघनपुरा) दिनांक 11.02.2015 को फेल हुए थे । हरिजन मोहल्ला एवं सिंघनपुरा में स्थापित 25 के.व्ही.ए. क्षमता के दो वितरण ट्रांसफार्मरों पर क्रमश: 28 उपभोक्ताओं पर रू. 1, 22, 000/- एवं 22 उपभोक्ताओं पर रू. 1, 82, 000/- बकाया राशि थी तथा नियमानुसार बकाया राशि का 50 प्रतिशत जमा होने के बाद उक्त दोनों वितरण ट्रांसफार्मरों को दिनांक 20.02.2015 को बदल कर विद्युत आपूर्ति चालू कर दी गई है । ग्राम सिंघनपुरा (बस्ती) में स्थापित एक 100 के.व्ही.ए. क्षमता के फेल ट्रांसफार्मर से संबद्ध 98 उपभोक्ताओं पर रू.4.56 लाख की राशि बकाया होने के कारण ट्रांसफार्मर नहीं बदला गया है । बकाया राशि का भुगतान शीघ्र किये जाने हेतु संबद्ध उपभोक्ताओं से अनुरोध किया गया है । नियमानुसार बकाया राशि का 50 प्रतिशत जमा होने पर उक्त ट्रांसफार्मर बदलकर विद्युत आपूर्ति चालू किया जाना संभव हो सकेगा । माननीय प्रश्न कर्ता विधायक महोदय के उक्त पत्र के संदर्भ में बरही वितरण केन्द्र में कथित अनियमितताओं की दिनांक 21 फरवरी-15 को जांच की गई । जांच में अनियमितता संबंधित कोई तथ्य नहीं पाये गये तथा बरही वितरण केन्द्र में नियमानुसार कार्य किया जाना पाया गया है ।

सिवनी जिले में निर्धारित स्थान पर उत्खनन न होना

102. (क्र. 3905) श्री दिनेश राय (मुनमुन) : क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिवनी जिले में आवंटित खनिज का खदानों में प्रश्न दिनांक तक कितना-कितना उत्खनन किया जा चुका है, कितना अभी बाकी है ? स्थानवार खनिज की पृथक-पृथक जानकारी देवें ? (ख) आवंटित खदानों में उत्खनन का कार्य नियत स्थान पर हो रहा हैं या आवंटित स्थान से हट कर किया जा रहा है ? विभाग द्वारा कब-कब स्थल पर जाकर जांच की गई ? (ग) प्रश्नांश (क) के प्रकाश में आवंटित खनिज लीज का सीमाकंन विभाग द्वारा कब कराया गया ?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) सिवनी जिले में डोलोमाईट खनिज की 10 खनिपट्टों तथा गौण खनिज क्रेशर हेतु गिट्टी निर्माण हेतु पत्थर खनिज के 107 उत्खनिपट्टे संचालित है । इन खदानों में किए गए उत्खनन की जानकारी स्थानवार **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट**

के प्रपत्र 'अ' में दर्शित है । उत्खनन हेतु बाकी खनिज की जानकारी संधारित किए जाने का नियमों में कोई प्रावधान नहीं है । अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता । (ख) स्वीकृत खनिपट्टा एवं उत्खनिपट्टा क्षेत्रों में उत्खनन कार्य हो रहा है । स्वीकृत क्षेत्र से अन्यत्र उत्खनन किये जाने पर 04 गौण खनिज के उत्खनिपट्टाधारी के विरूद्ध म.प्र. गौण खनिज नियम 1996 के नियम 53 (5) में वर्णित प्रावधानों के तहत प्रकरण दर्ज किये गये जिनकी विस्तृत **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' में दर्शित** है । स्थल जांच तिथि का विवरण **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' में दर्शित** है । (ग) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' में दर्शित** है ।

विदेश अध्ययन दौरे में जाने वाले अधिकारी

103. (क्र. 3950) श्री शैलेन्द्र पटेल : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विगत 3 वर्षों में राज्य प्रशासनिक सेवा के कितने अधिकारी अध्ययन दौरों पर विदेश गए हैं ? (ख) क्या उन अधिकारियों द्वारा जिस विषय/क्षेत्र का अध्ययन किया गया है ? उसके संबंध में क्या उक्त अधिकारियों ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है ? (ग) क्या उक्त प्रतिवेदनों पर शासन द्वारा कार्यवाही की गई है ?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है ।

महाविद्यालयों में संचालित प्रयोगशालाएं

104. (क्र. 3958) श्री शैलेन्द्र पटेल : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भोपाल एवं सीहोर जिले के कितने शासकीय, अर्द्धशासकीय, गैर शासकीय महाविद्यालयों में प्रयोगशालाएं संचालित की जा रही हैं ? (ख) क्या इन प्रयोगशालाओं में निर्धारित मापदण्डों के अनुसार प्रयोग हेतु उपकरण एवं सामग्री उपलब्ध हैं ? क्या यह उपकरण सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं ? अगर नहीं तो कब तक सुचारू व्यवस्था कर दी जावेगी ? (ग) क्या इन प्रयोगशालाओं के निरीक्षण हेतु विभाग द्वारा कोई नियम बनाए गए हैं ? अगर हाँ तो क्या ? क्या निरीक्षण उपरान्त कमी पाए जाने पर विगत 3 वर्षों में महाविद्यालय पर कार्यवाही की गई ? (घ) प्रश्नांश (ग) अनुसार किन-किन महाविद्यालयों पर क्या-क्या एवं कब-कब कार्यवाही की गई ?

तकनीकी शिक्षा मंत्री (श्री उमाशंकर गुप्ता) : (क) भोपाल एवं सीहोर जिले के 14 शासकीय, 04 अनुदान प्राप्त एवं 118 अशासकीय महाविद्यालयों में प्रयोगशालाएं संचालित की जा रही हैं । (ख) जी हाँ । उपकरणों का रखरखाव सुचारू रूप से हो रहा है । शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता । (ग) जी नहीं । सामान्य निरीक्षण के समय ही प्रयोगशालाओं का निरीक्षण किया जाता है । जी हाँ, कमी पाये जाने पर कार्यवाही की जाती है । (घ) बरकतउल्ला

विश्वविद्यालय, भोपाल द्वारा 09 अशासकीय महाविद्यालयों को प्रयोगशालाओं के निरीक्षण उपरान्त कमियॉ पाये जाने पर सम्बद्धता समाप्त करने संबंधी नोटिस भेजे गये । **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है ।

<u>**परिशिष्ट - "सतहत्तर"**</u>

पेट्रोलियम पदार्थों पर वैट टैक्स

105. (क्र. 3959) श्री शैलेन्द्र पटेल : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश में पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, प्राकृतिक गैस पर पृथक-पृथक कितना वैट टैक्स वसूला जा रहा है ? (ख) विगत 3 वर्षों में कब-कब और कितना-कितना वैट टैक्स इन पदार्थों पर बढ़ाया गया ? (ग) क्या अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के भाव गिरने के उपरांत जब देश में इन पदार्थों के दाम घटे तब मध्यप्रदेश में वैट टैक्स को बढ़ाया व घटाया गया ?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) म.प्र. में पेट्रोल, डीजल, रसाई गैस, प्राकृतिक गैस पर वसूले जा रहे वेट की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-ए अनुसार** है । (ख) विगत 3 वर्षों में (पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, प्राकृतिक गैस पर) बढाये गये वेट की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-बी अनुसार** है । (ग) जी हाँ, दिनांक 20/12/2014 से डीजल (एच.एस.डी.) पर वेट 23 से 27 प्रतिशत तथा पेट्रोल पर 27 से 31 प्रतिशत किया गया है ।

<u>**परिशिष्ट - "अठहत्तर"**</u>

फीडर सैपरेशन के बाद प्रदाय की जा रही बिजली और हो रहीं अनियमितताएं

106. (क्र. 4006) श्री विश्वास सारंग : क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) फीडर सैपरेशन के बाद प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू और सिंचाई हेतु कितने-कितने घंटे बिजली की आपूर्ति की जा रही है ? (ख) क्या प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाली बिजली की घोषित/अघोषित कटौती का लेखा-जोखा रखा जाता है ? यदि हाँ तो किस-किस स्तर के कार्यालय में ? (ग) प्रश्नांश (क) के तहत क्या यह सच है कि फीडर सैपरेशन के बाद भी ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू बिजली की कटौती पहले जैसी ही हो रही है ? क्या यह भी सच है कि ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत विभाग के कर्मचारियों की मिलीभगत से घरेलू बिजली की कटौती कर सिंचाई हेतु प्रदान की जाती है ? (घ) प्रश्नांश (क) के तहत क्या ऐसी कोई डिवाइस है जो उक्त अनियमितता को रोक सके ?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) फीडर विभक्तिकरण के बाद ग्रामीण क्षेत्र में घरेलू हेतु 24 घंटे तथा कृषि हेतु 10 घंटे विद्युत आपूर्ति की जा रही है । (ख) जी हाँ । ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाली बिजली अवरूद्ध होने का लेखा जोखा- ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यमान 33/11 के.व्ही. उपकेंद्रों एवं संभाग स्तर पर एन.डी.सी.सी. प्रभाग द्वारा रखा जाता है । वर्तमान में किसी भी प्रकार की विद्युत कटौती नहीं की जा रही है । (ग) जी नहीं, अपरिहार्य

परिस्थितियों यथा विद्युत लाईन में फाल्ट होने, मेंटेनेंस कार्य हेतु, अधोसंरचना विकास के निर्माण कार्यों के दौरान आवश्यक शटडाउन लेने आदि की स्थिति में ही विद्युत प्रदाय प्रभावित होता है । जी नहीं वर्तमान में कृषि उपभोक्ताओं को 10 घंटे एवं गैर कृषि उपभोक्ताओं को 24 घंटे विद्युत प्रदाय किया जा रहा है । (घ) उत्तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न नहीं उठता ।

शासन के नियम के विपरीत कार्य किया जाना

107. (क्र. 4089) चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी : क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सत्य है कि एम.पी. स्टेट माईनिंग कारपोरेशन लि. द्वारा जिन रेत की खदानों को भोपाल स्तर से स्वीकृत किया जाता है उस खदान से 10 किलोमीटर की परिधि के भीतर अन्य किसी भी रेत की खदान को नीलामी से आवंटित नहीं किया जा सकता है ? (ख) क्या यह सत्य है कि ग्वालियर, भिंड, दतिया जिलों में निगम द्वारा दो वर्ष के लिये स्वीकृत खदानों से 10 किलोमीटर की परिधि में स्थित रेत की खदानों की नीलामी कलेक्टर शिवपुरी के द्वारा 24.02.2011 को कर दी गयी ? (ग) क्या यह सत्य है कि एम.पी. स्टेट माइनिंग कारपोरेशन के कलेक्टर शिवपुरी को 18.03.2011 को लिखे पत्र के बाद भी 24.02.2011 को रेत की खदानों को असंवैधानिक रूप से नियमों के विपरीत नीलाम किया गया ? (घ) उक्त अवैध नीलामी का उत्तरदायित्व राज्य शासन किस नाम, पदनाम को मानता है ? प्रश्न तिथि तक क्या कार्यवाही किस-किस नाम/पदनाम के विरूद्ध की गयी ? बिन्दुवार दें ? अगर नहीं की गयी तो क्यों ? कारण दें ? नियमों का उल्लेख करें ?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) जी हाँ । शासन द्वारा प्रश्नांश के संबंध में निर्देश जारी किए हैं । (ख) जी नहीं । प्रश्नाधीन तिथि को कलेक्टर शिवपुरी द्वारा कोई नीलामी नहीं की गई है । (ग) प्रश्नांश 'ख' के उत्तर अनुसार प्रश्नाधीन तिथि को नीलाम कार्यवाही नहीं होने से प्रश्नांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता । (घ) उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में प्रश्नांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

वि.स. क्षेत्र 07 दिमनी में स्थापित पर्यटन स्थलों का विकास

108. (क्र. 4106) श्री बलवीर सिंह डण्डौतिया : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) माननीय वित्त मंत्री महोदय के जुलाई 2014 के बजट भाषण के दौरान बिन्दु क्रमांक 112 में पर्यटन, सोच, संबंधों एवं संस्कृतियों का संवाहक हैं ? इससे न केवल आर्थिक विकास की परिस्थितियां निर्मित होती हैं अपितु सामाजिक समरसता भी पनपती हैं ? यह सौभाग्य है कि प्रदेश में प्रकृति प्रदत्त पर्यटन क्षेत्रों की बहुतायत है ? शासन न केवल ऐसे क्षेत्रों को विकसित व सुविधा सम्पन्न कर रही है अपितु नवीन क्षेत्रों को भी विकसित करने की योजना का भी प्रावधान है ? (ख) यदि हाँ तो विधानसभा क्षेत्र दिमनी जिला मुरैना में स्थित ऐतिहासिक पर्यटन स्थल ग्राम सिहौंनिया में ककनमठ, ग्राम कोतवाल में कुंती (पाण्डव परिवार) की जन्म स्थली, ग्राम ऐसाह में भगेश्वरी माता मंदिर आदि पर्यटन स्थल है जो विकास के

अभाव में पर्यटकों का आना जाना नहीं हो पाता है ? (ग) क्या प्रश्नांश (ख) में उल्लेखित पर्यटन स्थलों को शासन स्तर से विकास की दृष्टि से शामिल किया जावेगा, यदि हाँ तो कब तक ?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) जी हाँ. (ख) ककनमठ (सिहोनिया) जिला मुरैना में जन सुविधा बाउन्ड्री वॉल, डे-शेल्टर पार्किंग का निर्माण कार्य स्वीकृति प्राप्त कर कार्य कराये गये है तथा ग्राम कोतवाल में कुंती की जन्म स्थली एवं ऐसाह में भगेश्वरी माता मंदिर के विकास की कोई योजना नहीं है. (ग) ककनमठ में विकास कार्य पूर्ण किये गये है तथा वर्तमान में ग्राम कोतवाल, ऐसाह में विकास कार्य की कोई योजना विचाराधीन नहीं है.

नवकरणीय ऊर्जा द्वारा सुनियोजित विकास से सम्बन्धित

109. (क्र. 4107) श्री बलवीर सिंह डण्डौतिया : क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) माननीय वित्त मंत्री महोदय के जुलाई 2014 के बजट भाषण के दौरान बिन्दु क्रमांक 40 में प्रदेश में नवकरणीय ऊर्जा का सुनियोजित विकास किया जा रहा है ? सौर, बायोमास आधारित, पवन तथा लघु जल विद्युत परियोजनाओं द्वारा नवकरणीय ऊर्जा के स्त्रोतों से भी लगभग 2500 मेगावट की विद्युत क्षमता निर्मित हो सकेगी ? (ख) यदि हाँ तो उपरोक्त निर्मित विद्युत क्षमता को ग्रामीण क्षेत्रों में सप्लाई हेतु क्या नीति निर्धारित की है ? इसकी जानकारी दी जावे एवं जिला मुरैना में कहाँ-कहाँ इस योजना का लाभ दिया जा रहा है ? यदि नहीं तो यह योजना मुरैना जिले में कब तक प्रारंभ की जायेगी ?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) जी हाँ । (ख) नवकरणीय ऊर्जा स्त्रोंतों से उत्पादित ऊर्जा का क्रय नवकरणीय क्रय आवंधन की पूर्ति हेतु किया गया है । इन संयंत्रों को विद्युत ग्रिड प्रणाली से जोड़ा जाता है, जिसके माध्यम से विद्युत शहरी एवं ग्रामीण सहित सभी क्षेत्रों में प्रणाली की आवश्यकतानुसार प्रवाहित होती है । एक बार ग्रिड में आ जाने के उपरान्त विद्युत को किसी क्षेत्र विशेष में सीमित किया जाना संभव नहीं होता है । अत: उपरोक्त निर्मित विद्युत क्षमता को, जो विद्युत ग्रिड प्रणाली से संबंद्ध है, से विद्युत ग्रामीण क्षेत्रों में सप्लाई हेतु कोई नीति की आवश्यकता नहीं है ।

मनमाने ढंग से कार्यवाही कर शासन को करोड़ों रूपये की वित्तीय हानि

110. (क्र. 4157) श्री आरिफ अकील : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मध्यप्रदेश अशासकीय शैक्षणिक संस्थाओं को अनुदान का प्रदाय (संशोधन) अधिनियम 2000 के प्रावधान के अनुसार शासन द्वारा अशासकीय अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों के शिक्षकों एवं कर्मचारियों के अनुदान को समाप्त कर दिया गया था ? (ख) यदि हाँ तो क्या माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने शासन के उक्त निर्णय के विरूद्ध अनुदान प्रदाय करने के आदेश प्रदान किए गए थे ? (ग) यदि हाँ तो प्रश्नांक क-ख के परिप्रेक्ष्य में यह अवगत करावें कि अनुदान बंद करने के क्या कारण थे और प्रकरण की पैरवी में शासन को

कितनी वित्तीय हानि हुई इसके लिए कौन-कौन जिम्मेदार है और शासन द्वारा दोषियों के विरूद्ध प्रश्न दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई यदि नहीं तो क्यों कारण सहित बतावें ?

तकनीकी शिक्षा मंत्री (श्री उमाशंकर गुप्ता) : (क) जी नहीं । अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन का संदाय के स्थान पर अनुदान प्रदाय किया गया था तथा पांच वर्षों में बीस प्रतिशत प्रति वर्ष अनुदान समाप्त कर शून्य करने की कार्यवाही की गयी थी । (ख) जी हाँ । माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अशासकीय महाविद्यालयों के शिक्षकों एवं कर्मचारियों को 50 प्रतिशत अनुदान जारी रखने के अंतरिम आदेश दिनांक 06.05.2002 को पारित किये थे । (ग) शासन की मंशा महाविद्यालयों को स्वावलम्बी बनाये जाने की थी । यह निर्णय राज्य शासन का था । अत: शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता ।

खनिज से प्राप्त राजस्व

111. (क्र. 4182) श्री रामलाल रौतेल : क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अनूपपुर जिले में कुल कितने प्रकार के खनिज साधन है, तथा वित्तीय वर्ष 2014-15 एवं 15-16 में जिले को कुल कितने राजस्व की प्राप्ति हुई है ? (ख) प्राप्त राजस्व से जिले में अनुसूचित जनजाति के विकास के लिए खर्च करने हेतु कुछ राशि सुरक्षित की गयी है ? यदि हाँ तो कितनी ?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) प्रश्नाधीन जिले में 7 प्रकार के खनिज उपलब्ध है । वित्तीय वर्ष 2014-15 में माह जनवरी 2015 तक रूपये 2386992951 (दो सौ अड़तीस करोड़ उनहत्तर लाख ब्यानवे हजार नौ सौ इक्यावन) खनिज राजस्व प्राप्त हुआ है । वित्तीय वर्ष 2015-16 अभी प्रारंभ नहीं होने से जानकारी दिया जाना संभव नहीं है । (ख) खनिज राजस्व की राशि शासन के संचित निधि में जमा कराई जाती है । प्रश्नांश में उल्लेखित कार्यो के लिए राशि सुरक्षित रखे जाने के प्रावधान खनिज नियमों में नहीं है ।

बांध बनाने की स्वीकृति

112. (क्र. 4183) श्री रामलाल रौतेल : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अनूपपुर जिले में वित्तीय वर्ष 2010 से अब तक कुल कितने बांध बनाने की स्वीकृति प्राप्त हुई है ? (ख) क्या वर्णित बांध का कार्य चालू है ? यदि नहीं तो क्यों ? विभाग द्वारा कब तक कार्य शुरू किया जाएगा ? क्या बांध में अनुसूचित जनजाति वर्ग की भूमि का अधिग्रहण किया गया है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) प्रश्नाधीन अवधि में अनूपपुर जिले में 4 लघु सिंचाई परियोजनाएं (जलाशय) की स्वीकृति दी गयी है । (ख) स्वीकृत परियोजनाओं में से 3 क्रंमश: बांकी, इंटौर एवं दमेहड़ी का निर्माण कार्य चालू है । ताराडण्ड जलाशय का निर्माण कार्य कृषकों के विरोध के कारण बंद है। निर्माण कार्य प्रारंभ करने के लिए समय सीमा बताई जाना संभव नहीं है। जी हाँ।

हवाई पट्टी का निर्माण

113. (क्र. 4184) श्री रामलाल रौतेल : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नवीन जिला अनूपपुर में हवाई पट्टी निर्माण कराने की कार्ययोजना है ? यदि हाँ तो भूमि का चयन किया जा चुका है ? यदि नहीं तो कब तक किया जाएगा ? (ख) अनूपपुर जिले में अमरकंटक थर्मल पावर, मोजर वियर पावर प्रोजेक्ट तथा कोलमाइंस स्थापित है ? इन कंपनियों के सहयोग से हवाई पट्टी बनाने की शासन की मंशा है क्या ?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) जी नहीं । शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता । (ख) उक्त भाग ''क'' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

सौर ऊर्जा संयत्रों की स्थापना

114. (क्र. 4186) श्री दिलीप सिंह परिहार : क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. शासन द्वारा सौर ऊर्जा संयत्रों की स्थापना हेतु क्या कोई नीति निर्धारित की गई है ? (ख) नीमच जिले में कहाँ-कहाँ नवीन सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना हेतु भूमि का चयन किया गया है ? (ग) क्या चयनित स्थलों पर सौर ऊर्जा संचंत्रों की स्थापना का कार्य प्रारंभ हुआ है ? यदि नहीं तो क्यों ? संयंत्र स्थापना का कार्य कब तक प्रारंभ होगा ?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) जी हाँ । सौर ऊर्जा परियोजना क्रियान्वयन नीति 2012 लागू है । (ख) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** हैं । (ग) चयनित भूमि पर दो परियोजनाओं का कार्य प्रारंभ है शेष स्थलो पर निज विकासकों से प्रस्ताव प्राप्त होने पर सौर संयंत्र स्थापना का कार्य प्रारंभ हो सकेगा । **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** हैं ।

परिशिष्ट – "उन्यासी"

मुख्यमंत्री द्वारा घोषणाएं

115. (क्र. 4206) श्री जालम सिंह पटेल (मुन्ना भैया) : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मान. मुख्यमंत्री जी द्वारा विगत 3 वर्षों में नरसिंहपुर जिले हेतु क्या-क्या घोषणाऐं की गई थी ? (ख) उक्त घोषणाओं में कौन-कौन सी घोषणाओं पर कार्यवाही पूरी हो चुकी है एवं कौन-कौन सी में कार्यवाही शेष है ? शेष घोषणाओं में कार्यवाही कब तक पूर्ण कर ली जावेगी ? (ग) क्या प्रश्न कर्ता द्वारा मान. मुख्यमंत्री कार्यालय को पत्र क्र. JSP/क्र.192 दिनांक 6.02.2014 को मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजनान्तर्गत आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया था ? (घ) यदि हाँ तो आज दिनांक तक उस पर कार्यवाही की गई है ? आर्थिक सहायता कब तक प्रदान कर दी जाएगी ?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) मान. मुख्यमंत्री जी द्वारा विगत 3 वर्षों में नरसिंहपुर जिले में 34 घोषणाऐं की गई है । **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है । (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है । माननीय मुख्यमंत्री घोषणाओं का क्रियान्वयन एक सतत प्रक्रिया है घोषणाओं की पूर्ति की निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है । (ग) जी हाँ । मृतक अरविंद आ. लीलाधर पटेल निवासी बम्हनी को आर्थिक सहायता प्रदाय किए जाने हेतु आवेदन प्राप्त होने पर प्रकरण क्रमांक 212/ब-121/2012-13 के माध्यम से जांच कराई गई, जांच उपरांत प्रकरण पत्र क्रमांक 8961/व.लि.2/2013 नरसिंहपुर दिनांक 25.09.2013 स्वीकृति हेतु मुख्यमंत्री सचिवालय को प्रेषित किया गया । उपरोक्त प्रस्ताव के परिप्रेक्ष्य में मुख्यमंत्री कार्यालय के पत्र क्रमांक 5488/सी.एम.एस/13/4094 दिनांक 17.06.2014 के द्वारा प्रकरण पूर्ण विचारोपरांत नस्तीबद्ध किया गया है । (घ) प्रश्नांश ''ग'' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है ।

शासकीय विधि महाविद्यालय का संचालन

116. (क्र. 4215) श्री केदारनाथ शुक्ल : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि सीधी जिला मुख्यालय में एक शासकीय विधि महाविद्यालय संचालित किए जाने की स्वीकृति हो चुकी है ? यदि हाँ तो इसका संचालन कब तक प्रारंभ करा दिया जावेगा ?

तकनीकी शिक्षा मंत्री (श्री उमाशंकर गुप्ता) : जी हाँ । समय सीमा बताना संभव नहीं ।

महाविद्यालयों में छात्रवृत्ति घोटाले संबंध में

117. (क्र. 4258) श्री विजय सिंह सोलंकी : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अशासकीय इंजिनीयरिंग संस्थानों को समान रूप से छात्रों को स्कालशिप दी जाती है ? खण्डवा स्थित श्री दादाजी इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एवं खरगोन स्थित श्री जी इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एण्ड मेनेजमेंट को वर्ष 2011 से 2015 तक SC/ST/OBC के छात्रों को प्रति छात्र कितनी राशि की छात्रवृत्ति दी गई ? क्या दोनों राशियां समान है ? यदि नहीं तो उसका कारण क्या है ? (ख) खण्डवा के श्रीदादाजी इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्कालशिप अधिक आवंटन संबंधी शिकायते प्राप्त हुई है ? उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

तकनीकी शिक्षा मंत्री (श्री उमाशंकर गुप्ता) : (क) विभाग द्वारा अशासकीय संस्थाओं में अध्ययनरत् विद्यार्थियों को किसी प्रकार की छात्रवृत्ति नहीं दी जाती है । संबंधित विभागों द्वारा स्वीकृत छात्रवृत्ति की जानकारी एनआईसी पोर्टल अनुसार **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र एक, दो, तीन, चार, पॉच एवं छ: अनुसार** हैं । (ख) जी नहीं । कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई हैं ।

अधिकारियों/कर्मचारियों का संलग्नीकरण

118. (क्र. 4264) श्री चन्द्रशेखर देशमुख : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र.शासन के आदेशों के अनुरूप अधिकारियों/कर्मचारियों का संलग्नीकरण क्या प्रतिबंधित है ? यदि हाँ तो आदेश क्रमांक एवं दिनांक का ब्यौरा प्रस्तुत किया जावे ? (ख) बैतूल जिले में जल संसाधन विभाग के अंतर्गत कितने अधिकारी/कर्मचारियों का संलग्नीकरण कर मूल पदस्थापना से अन्यंत्र कार्य करवाया जा रहा है ? कर्मचारियों का नाम, पदनाम समयावधि सहित पूर्ण ब्यौरा दिया जावें ? (ग) संलग्नीकरण करने वाले अधिकारी का शासनादेश के द्वारा संलग्नीकरण प्रतिबंधित करने की मंशा के पश्चात् भी संलग्नीकरण किया जाना म.प्र.शासन के विपरीत कदम मानते हुए विभाग द्वारा क्या अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई ? (घ) संलग्नीकरण किये गये कर्मचारियों को उनकी मूल पदस्थापना पर कब तक वापिस किया जावेगा ?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) जी हाँ । **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है । (ख) से (घ) निरंक । शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होते हैं ।

महिदपुर वि.स. क्षेत्र में मीटर लगाने कार्य में अनियमितता

119. (क्र. 4271) श्री बहादुर सिंह चौहान : क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) महिदपुर वि.स. क्षेत्रान्तर्गत कितने विद्युत उपभोक्ताओं के घरों में मीटर लगाना शेष हैं संख्या वितरण केन्द्रवार बतावे ? तथा महिदपुर नगर की जानकारी भी पृथक से देवें (ख) इस कार्य के लिए किस ठेकेदार को कार्य दिया गया व उसे कितने मीटर लगाने का कितना भुगतान किया गया ? पूरा कार्य करने का कितना भुगतान देना निर्धारित किया गया था ? (ग) ठेकेदार द्वारा कार्य अधूरा रहने के बावजूद उसे पूर्ण भुगतान क्यों कर दिया गया ? पूर्ण मीटर कब तक लगायें जावेंगे ? (घ) इस ओर ध्यान न देने वाले उत्तरदायी अधिकारियों पर शासन कब तक कार्यवाही करेगा ?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) महिदपुर विधानसभा क्षेत्रांतर्गत कुल 5381 उपभोक्ताओं के परिसरों में विद्युत मीटर लगाए जाने का कार्य शेष है, जिसकी महिदपुर नगर सहित वितरण केन्द्रवार संख्या का विवरण **संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र अ अनुसार** है । (ख) महिदपुर विधानसभा क्षेत्रांतर्गत विद्युत मीटर लगाने का कार्य जिन ठेकेदारों को दिया गया है उनके नाम लगाये गये मीटरों की संख्या कार्यादेश अनुसार निर्धारित भुगतान एवं किये गये भुगतान की राशि की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ब अनुसार** है । (ग) विद्युत मीटर लगाने वाले ठेकेदारों को उनके द्वारा कार्यादेशानुसार लगाये गये मीटरों की संख्या अनुसार ही भुगतान किया गया है, अत: कार्य अधूरा करने पर भी पूर्ण भुगतान करने/पूर्ण मीटर लगाए जाने का प्रश्न नहीं उठता । (घ) उत्तरांश (ग) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न नहीं उठता ।

परिशिष्ट - "अस्सी"

पर्यटन महत्व के शहरों की एयर कनेक्टिविटी

120. (क्र. 4305) श्री नारायण त्रिपाठी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विगत दो वर्षों में प्रदेशके किन-किन शहरों को एयर कनेक्टिविटी देने हेतु विभाग द्वारा क्या-क्या प्रयास किये गये ? वर्तमान में विभाग के सहयोग से किन-किन शहरों से चार्टर सेवायें संचालित हैं ? कहाँ-कहाँ की चार्टर सेवायें किस कारण बंद कर दी गई ? (ख) विगत तीन वर्षों में पर्यटन महत्व के शहरों/स्थलों को हवाई यातायात से जोड़ने के कार्यों में विभाग द्वारा किस-किस प्रकार से किन कार्यों में कितनी-कितनी राशि व्यय की है ? (ग) सतना से भोपाल चार्टर सेवा किन-किन कारणों से निजी कंपनी द्वारा बंद की गई है ? विभाग द्वारा इस मार्ग पर पुन: हवाई यातायात आरंभ कराने हेतु क्या योजना है ?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) विगत दो वर्षो में प्रदेश के भोपाल, ग्वालियर, इन्दौर, जबलपुर, खजुराहों, रीवा, सतना शहरो को एयर कनेकिटविटी देने हेतु विभाग द्वारा प्रयास किये गये. वर्तमान में विभाग के सहयोग से प्रदेश के किसी भी शहर में चार्टर सेवायें संचालित नहीं है विभाग द्वारा अथवा विभाग के सहयोग से कभी भी चार्टर सेवायें संचालित नहीं की गई है. चार्टर सेवायें बंद करने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता. (ख) विगत तीन वर्षो में पर्यटन महत्व के शहरों/स्थलों को हवाई यातायात से जोड़ने के कार्यो में विभाग द्वारा

मेसर्स वेन्चुरा एयर कनेक्ट को प्रदेश में वायु सेवा संचालन हेतु अनुबंध अनुसार अण्डरराईट सीटों के लिए रूपये 9.92 करोड़ एवं एवियेशन टरबाईन फ्यूल Aviation Turbine Fuel (ATF) के वेट की प्रतिपूर्ति हेतु राशि रूपये 1.49 करोड़ रूपयों का व्यय किया गया. (ग) सतना से भोपाल की वायुसेवा निजी कंपनी द्वारा अनुबंध समाप्त (दिनांक 06.09.2014) होने के कारण बन्द की गई है । वर्तमान में प्रदेश के बाहर के प्रमुख शहरों/स्थलों के बीच वायु सेवा प्रारंभ करने हेतु निविदा प्रचलन में हैं ।

आमंत्रण सूची का अद्यतन किया जाना

121. (क्र. 4306) श्री नारायण त्रिपाठी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राष्ट्रीय पर्वों, सार्वजनिक शासकीय समारोहों, शासकीय आयोजनों आदि में जनप्रतिनिधियों, गणमान्य नागरिकों आदि को आमंत्रित करने हेतु जिला स्तर पर किस-किस प्रकार/स्तर की सूचियां तैयार की जाती है ? (ख) प्रश्नांश (क) वर्णित सूचियों को अद्यतन किये जाने के क्या मापदण्ड हैं ? किन जिलों में उक्त सूचियों में संशोधन किया गया ? किन-किन में नहीं ? (ग) क्या विभाग निर्देश जारी कर प्रदेश के सभी जिलों में उक्त सूचियों को संशोधित करायेगा और मापदण्ड निर्धारित कर जनप्रतिनिधियों, गणमान्य नागरिकों, राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों, प्रदेश व राष्ट्रीय स्तर के सम्मान प्राप्त व्यक्तियों आदि को सम्मानपूर्वक आमंत्रित करने हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश जारी करेगा ? यदि हाँ, तो कब तक ?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) राष्ट्रीय पर्वों, शासकीय आयोजनों आदि में जनप्रतिनिधियों, गणमान्य नागरिकों आदि को आमंत्रित करने के लिए जिला स्तर पर सूची तैयार की जाती है । (ख) मापदण्ड निर्धारित नहीं किए गए हैं । समय समय पर आवश्यकतानुसार सूचियों को अद्यतन किया जाता है । (ग) राज्य शासन प्रतिवर्ष राष्ट्रीय पर्वों के अवसर पर सभी माननीय सांसद सदस्य, विधायक, पार्षद, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, कारगिल युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के परिवार, मीसा बंदियों एवं गणमान्य नागरिकों, रेल्वे, आयकर, बैंक, महालेखाकार, एनसीसी, सेना एवं सभी आयोगों के मान. सदस्यों एवं अधिकारियों को सम्मान पूर्वक आमंत्रित करने के निर्देश जारी करता है । शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

जिला योजना समिति सागर के प्रस्तावों पर कार्यवाही

122. (क्र. 4317) श्री हर्ष यादव : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला योजना समिति सागर द्वारा वर्ष 2011से प्रश्न दिनांक तक कब-कब, क्या -क्या प्रस्ताव पारित किये ? (ख) प्रश्नांश (क) वर्णित प्रस्तावों पर प्रश्न दिनांक तक क्या-क्या कार्यवाही की गई है और क्या-क्या कार्यवाही कब से, किस स्तर पर लंबित है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है । (ख) **जानकारी पुस्तकालय में परिशिष्ट पर** है । कोई कार्यवाही लंबित नहीं है ।

उरी बागनी डेम निर्माण

123. (क्र. 4325) श्री सुरेन्द्र सिंह हनी बघेल : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कुक्षी विधान सभा क्षेत्रांतर्गत उरी बागनी डेम निर्माण की क्या योजना तैयार की गयी थी ? योजना के उद्देश्य लाभांवित ग्राम, तकनीकी स्वीकृति, व्यय लेखा आदि की जानकारी प्रदान करें ? (ख) उरी बागनी डेम निर्माण कार्य कब तक पूर्ण कर लिया जायेगा ?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) उरीबाग मध्यम सिंचाई परियोजना की प्रशासकीय स्वीकृति दिनांक 31.03.2012 को आदिवासी उपयोजना अंतर्गत राशि रूपये 183.60 करोड़ की प्रदाय की गई । परियोजना की तकनीकी स्वीकृति शीर्ष कार्य हेतु रूपये 70.75 करोड़ एवं नहर कार्य हेतु रूपये 24.20 करोड़ की प्रदाय की गई । परियोजना से कुक्षी तहसील के 16 ग्रामों की 5500 हेक्टर भूमि में सिंचाई रूपांकित थी । (ख) डूब प्रभावितों के जनविरोध के कारण विभागीय आदेश दिनांक 06.02.2015 द्वारा उरीबाग मध्यम सिंचाई परियोजना की प्रशासकीय स्वीकृति निरस्त की गई होने से प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

<u>विद्युत वितरण कंपनी द्वारा मेंटेनेंस कार्य</u>

124. (क्र. 4326) श्री सुरेन्द्र सिंह हनी बघेल : क्या उर्जा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वित्तीय वर्ष 2012-2013, 2013-14 और 2014-2015 में विद्युत वितरण कंपनी द्वारा धार जिले में कौन-कौन से मेंटेनेंस कार्य करवाये गये ? कार्यों की विस्तृत जानकारी सहित व्यय राशि का ब्यौरा दें ? (ख) धार जिले में मेंटेनेंस कार्य ठीक से न किये जाने के कारण विगत 3 वर्षों में कितनी दुर्घटनायें हुईं ? पंचायतवार विस्तृत जानकारी दें ? मेंटेनेंस कार्य में लापरवाही के लिए कौन-कौन दोषी हैं व दोषियों पर क्या कार्यवाही की गयी ? (ग) विभाग द्वारा पीड़ितों को कितना मुआवजा दिया गया ? यदि कोई मुआवजा नहीं दिया, तो क्या ?

उर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र शुक्ल) : (क) वित्तीय वर्ष 2012-13, 2013-14 एवं 2014-15 में (जनवरी 2015 तक) धार जिले में म.प्र.पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा वर्षा पूर्व एवं वर्षा के उपरांत किये गये 33/11 के.व्ही. उपकेन्द्रों 33 के.व्ही. लाईन एवं 11 के.व्ही. लाईन के संधारण कार्य एवं उस पर व्यय की गई राशि की वर्षवार **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है । (ख) धार जिले में विगत तीन वर्षों में उत्तरांश ''क'' में उल्लेखित विद्युत उपकेन्द्रों, विद्युत लाइनों आदि के संधारण कार्य उचित गुणवत्ता के किये गये हैं तथा इसके कारण कोई भी विद्युत दुर्घटना नहीं हुई है । (ग) उत्तरांश ''क'' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न नहीं उठता ।

<u>परिशिष्ट – "इक्यासी"</u>

<u>कनिष्ठ श्रेणी में पदोन्नति</u>

125. (क्र. 4330) श्री मनोज निर्भय सिंह पटेल : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वित्त विभाग में म.प्र. वित्त सेवा की कनिष्ठ श्रेणी में पदोन्नति के कितने पद रिक्त हैं ? (ख) क्या इन पदों पर पदोन्नति हेतु विभाग द्वारा डी.पी.सी. की

कार्यवाही की गई है ? यदि हाँ, तो डी.पी.सी. कब की गई ? (ग) उपरोक्त पदों पर पदोन्नति कब तक कर दी जावेगी ? (घ) क्या वर्ष 2014 में पदोन्नतियां की गई ?

जल संसाधन मंत्री (श्री जयंत मलैया) : (क) दिनांक 01 मार्च 2015 की स्थिति में कुल 15 पद रिक्त है । (ख) जी हाँ । डी.पी.सी. दिनांक 19-11-2014 को की गई है । (ग) प्रश्नांश ख के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता । (घ) जी हाँ ।

इंदौर में राजबाड़े का सौन्दर्यीकरण

126. (क्र. 4331) श्री मनोज निर्भय सिंह पटेल : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) इंदौर में राजबाड़े के सौन्दरीकरण के लिए विभाग/एन.जी.ओ./ सामाजिक संस्थाओं द्वारा क्या-क्या कार्य किया जा रहा है ? (ख) क्या इंदौर स्थित राजबाड़े में लाईट एवं साउण्ड सिस्टम के लिए कोई योजना तैयार की है ? (ग) यदि हाँ तो योजना क्या है और इसका क्रियान्वयन किस प्रकार किया जायेगा तथा इस कार्य को कौन सी एजेंसी करेगी ? (घ) उपरोक्त कार्य का बजट क्या है, तथा कब स्वीकृत होगा ?

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) 13 वें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से इंदौर के राजवाडे की छठी एवं सातवीं मंजिल का अनुरक्षण कार्य उसके सौन्दर्यीकरण हेतु कराया जा रहा है साथ ही विभागीय बजट से प्रसाधन कक्षों की मरम्मत का कार्य भी कराया जा रहा है. (ख) जी हाँ. पर्यटन विभाग द्वारा इंदौर विकास प्राधिकरण के संयुक्त प्रयासों से उक्त योजना तैयार की गई है. (ग) होल्कर राज्य के इतिहास से संबंधित यह कार्यक्रम है जो पर्यटन विभाग की योजना में सम्मिलित है. (घ) बजट स्वीकृति की कार्यवाही प्रचलन में है. समय सीमा बताई जाना संभव नहीं है.